अष्टम माला, खंड 26, अंक 21

बुधवार, 25 मार्च, 1987
4 चैत्र, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 26, आठवाँ सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 21, बुधवार, 25 मार्च, 1987/4 चैत्र, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1 – 21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 388, 390 और 393 से 397	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—160
तारांकित प्रश्न संख्या : 386, 389, 391 और 398 से 406	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4107 से 4155, 4157 से 4182, 4184 से 4239 और 4241 से 4253	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	164
लोक लेखा समिति	167
65वाँ प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	167
72वाँ प्रतिवेदन	
24-3-87 को संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट डी-1 छोड़े जाने के बारे में वक्तव्य	167
श्री के० आर० नारायणन	
नियम 377 के अधीन मामले	168—173

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
(एक)	बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा भारत की यात्रा करने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के पर्यटन स्थलों की सूची में बिहार राज्य को शामिल करने की आवश्यकता	
	श्री सी० पी० ठाकुर	168
(दो)	वर्तमान वर्ष को "सहकारिता वर्ष" घोषित करने की आवश्यकता	
	श्री कृष्ण प्रताप सिंह	169
(तीन)	कर्नाटक में कैगा में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता	
	श्री कृष्ण राव	169
(चार)	राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता	
	श्री चिंतामणि जेना	170
(पांच)	चौथे वेतन आयोग द्वारा केन्द्र सरकार के फार्मासिस्टों के लिए जिस वेतनमान की सिफारिश की गई है वही वेतनमान केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे फार्मासिस्टों को दिये जाने की मांग	
	डा० ए० कलानिधि	171
(छः)	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन लगाने के लिए वित्तीय सहायता	
	श्री हरीश रावत	171
(सात)	राजस्थान में फसल बीमा योजना को पुनः लागू करने की मांग	
	श्री राम सिंह यादव	172
(आठ)	जिलों को इकाइयों के रूप में मानकर सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए बिहार को अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
	श्री विजय कुमार यादव	172
अनुदानों की मांगें, 1987-88		173—188
	ऊर्जा मंत्रालय	
	श्री वसंत साठे	174

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें, 1987-88	189—245
मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय	
श्री आनन्द गजपति राजू	190
श्री डी० पी० यादव	194
श्री उमाकान्त मिश्र	198
श्री जगदीश अवस्थी	201
डा० सुधीर राय	203
श्री के० एन० प्रधान	206
डा० फूलरेणु गुहा	210
श्री मौरिस कुन्नूर	212
श्रीमती जयन्ती पटनायक	214
श्री सैयद शहाबुद्दीन	217
श्रीमती किशोरी सिन्हा	220
श्री सोमनाथ रथ	222
श्री पी० नामग्याल	225
श्री गिरधारी लाल व्यास	231
श्री पराग चालिहा	234
श्री डाल चन्द्र जैन	237
श्री ए० ई० टी० बैरो	239
श्री सी० जंगा रेड्डी	243
केन्द्रीय सरकार के "क", "ख", "ग" और "घ" श्रेणियों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान किए जाने के संबंध में वक्तव्य	245
श्री बी० के० गढ़वी	
आधे घंटे की चर्चा	246—264
पेय जल के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान	
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	246
श्री रामानन्द यादव	250
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	254
डा० गौरी शंकर राजहंस	256
श्री राम सिंह यादव	256
श्री शांताराम नायक	258

लोक सभा

बुधवार, 25 मार्च, 1987/ 4 चैत्र, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन – उपस्थित नहीं हैं श्री रामपूजन पटेल।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मेरे प्रश्न संख्या 387 का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह 1-4-1987 को लिया जायेगा।

श्री राम पूजन पटेल।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद

*388. **श्री रामपूजन पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा अभी तक नहीं भरा गया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं और आरक्षण सम्बन्धी यह कोटा कब तक और किस प्रकार भरा जायेगा ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पदों के किसी कोटे पर नहीं अपितु समय समय पर सेवाओं/पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों पर आधारित होता है। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कर्मचारियों की कुल संख्या के संदर्भ में 1.1.85 की स्थिति के अनुसार (उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के आधार पर) संलग्न विवरणी में दिया गया है।

(ख) मुख्यत: समूह "क" और समूह "ख" में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की और विभिन्न समूहों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कमी है, हालांकि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की समग्र प्रतिशतता 15 प्रतिशत को सीमा पार कर चुकी है। इस प्रकार की कमी

के अन्य कारणों में से कुछ कारण यह हैं कि सभी समूहों में योग्यता के आधार पर वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पहली बार केवल 1972 में लागू किया गया था और समूह "ख" के भीतर तथा समूह "ख' से समूह "क" के निम्नस्तर स्तर तक चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण केवल 1974 में लागू किया गया था। समूह "क" के निम्नतम स्तर तक के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद केवल 1975 के आदेशों द्वारा ही आरक्षण के अधीन आए हैं।

सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आयु यात्रा भत्ता, चयन का न्यूनतम स्तर, निर्धारित अनुभव की अवधि में छूट शुल्क से पूरी छूट और इस प्रकार के समुदायों के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार आदि विभिन्न रियायतें दी गई हैं। आशा है कि इस प्रकार के उपायों से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में आगे और सुधार होगा।

विवरण

क्रम संख्या	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजातियां	प्रतिशतता
1	क	57,849	4,228	7.30	1,001	1.73
2	ख	69,063	6,932	10.03	1,089	1.57
3	ग	20,03,301	2,98,065	14.87	84,153	4.20
4	घ	12,39,692 (सफाई वालों को छोड़कर)	2,57,931	20.80	70,668	5.70
	कुल	33,69,905	5,67,156	16.83	1,56,911	4.65

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पदों के किसी कोटे पर नहीं अपितु समय-समय पर सेवाओं/पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों पर आधारित होता है। ग्रुप "ए" और "बी' में देखने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इनके कोटे में अभी बहुत कमी है, जिसके अनुसार उनकी भर्ती होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न समूहों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कमी है। मैं समझता हूँ कि हायर-सैकेण्डी, बी०ए०, एम०ए० परीक्षाओं में कोई आरक्षण नहीं है, उनको पास करने का। लेकिन आज लाखों हरिजन व्यक्ति एम०ए०, बी०ए० पास करके घूम रहे हैं और उनकी योग्यता में कमी नहीं है, तो क्या कारण है वे परीक्षाओं में नहीं आते हैं। इसका मतलब है, इसमें कहीं-न-कहीं कमी है। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पूरा न करने की वजह से लड़के घूम रहे हैं और उनके दिल में ऐसी भावना पैदा हो रही है कि जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, वह पूरा नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, वे निश्चित रूप से जाँच करके ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे उनका आरक्षण पूरा हो?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं कि ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जन जातियों के लिये 7.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व जो निर्धारित किया गया है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

परन्तु, महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि 1.1.1965 और 1.1.1985 की अवधि के बीच उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा किये गये कई उपायों के परिणाम स्वरूप सभी 4 श्रेणियों में कुल संख्या और प्रतिशतता दोनों ही में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण और पर्याप्त वृद्धि हुई है।

मैंने अपने उत्तर में जिन कदमों का उल्लेख किया है, हमें उन्हें जारी रखना पड़ेगा। हम माननीय सदस्यों की सलाह को हमेशा मानने के लिए तैयार हैं। यदि आगे उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में कोई सुझाव हैं, तो हम उन पर अवश्य विचार करेंगे और वे कदम उठायेंगे परन्तु हम इस विचार के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए, विशेषकर ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" में।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, आप यह देखेंगे कि ग्रुप सी में भी अभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा नहीं किया गया है जबकि हाई स्कूल, इन्टर पास लड़के उसमें लिये जाते हैं। आज बी.ए. और एम.ए. पास करके लड़के निकलते हैं और वे बेकार घूम रहे हैं। उनको नौकरी प्रदान करने में कोई न कोई कमी है और इसको गंभीरता से देखना चाहिए। जवाब जो मिल रहा है, उसके लिये मैं कुछ नहीं कहता लेकिन मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी भर्ती करके आरक्षण को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि श्रेणी क और ख में श्रेणी ग से पदोन्नति करके उनके आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे संविधान के प्रति जो उनकी भावना है, उसकी रक्षा होती रहे। सरकार इसके लिए कब तक कदम उठाएगी, जिससे आरक्षण पूरा हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : 1.1.1965 से 1.1.1985 तक की 20 वर्ष की अवधि के दौरान, जिसका कि मैंने जिक्र किया है ग्रुप "सी" में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 8.88 प्रतिशत से बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो गया है जो कि 15 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है। ग्रुप "डी" में प्रतिनिधित्व 17.75 प्रतिशत से बढ़कर 20.80 प्रतिशत हो गया है।

अनुसूचित जनजातियों के मामले में आंकडे इतने सुखद नहीं हैं। ग्रुप सी में यह 1.14 प्रतिशत से बढ़कर 4.20 प्रतिशत और "डी" में 3.39 प्रतिशत से बढ़कर 5.70 प्रतिशत हुआ है।

जैसा कि मैंने कहा है, हम वे सभी कदम उठाते रहेंगे जिनसे सुधार हुआ है।

हम कोई भी अन्य कदम, जो आप चाहते हैं, उठायेंगे। परन्तु हम इस विचार के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए और

यह 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत के सामान्य स्तर तक और उससे अधिक, यथासंभव शीघ्र, पहुंचना चाहिए।

श्री उमाकान्त मिश्र : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। परन्तु आमतौर पर नौकरियों में शहरी युवाओं को अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे कि ग्रामीण युवाओं को अधिक लाभ प्राप्त हो।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उपलब्ध आरक्षण का लाभ केवल शहरी युवाओं को ही नहीं होना चाहिये वरन् ग्रामीण युवाओं को भी नौकरी प्राप्त होनी चाहियें। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस पर भर्ती करने वाले प्रत्येक विभाग को ध्यान देना चाहिये। मैं जानता हूँ कि कल्याण मंत्रालय ग्रामीण युवाओं के लिये कई कार्यक्रम चला रहा है। शिक्षा विभाग भी ग्रामीण युवाओं के लिये कई कार्यक्रम चलाता है। परन्तु, मैं केवल इतना कहूँगा कि भर्ती करने वाले प्रत्येक विभाग को मार्गनिर्देश जारी करने चाहिये, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भर्ती एजेंसियां यह बात ध्यान में रखें कि ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। मैं यह भी ध्यान रखूगा कि इस मामले में कार्मिक विभाग क्या कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री अरबिन्द नैताम : अध्यक्ष जी जहां तक शेड्युल्ड ट्राइब्स की बात है, सभी कैटेगिरीज में शोर्टफाल है। इस कन्ट्री में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके लिये एरिया इन्टेग्रेटेड एप्रोच होनी चाहिये और जितने भी भारत सरकार के हेडक्वार्टर हैं, वे काफी दूर होते हैं और ये जो एडवरटाइजमेंट होते हैं, वे वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे मोबाइल रिक्रूटमेंट एजेन्सी ट्राइबल एरियाज के लिए प्रस्तावित करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आल इन्डिया रेडियो से प्रस्तावित होते हैं रोज।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदंम्बरम : इसी समय इसका जवाब देना बहुत कठिन है। मैं सुझाव की जांच करूंगा।

केन्द्रीय सेवाओं के वेतनमानों में समानता

*390. **श्री गुरदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ग्रूप "क" के जो अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से संबद्ध नहीं हैं, उनके हितों की रक्षा करने तथा वेतनमानों में समानता लाने के लिये सरकार कौन-कौन से प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

केन्द्रीय सेवाओं के समूह "क" अधिकारियों के लिये चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है और अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचना की प्रतियां सभा पटल पर भी रख दी गई हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों में कतिपय असंतुलनों को ठीक करने और कतिपय सापेक्षताओं को बनाये रखने की आवश्यकताओं के कारण इनके वेतनमानों को वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ संशोधन करने के बाद नियत किया गया है।

श्री गुरुदास कामत : क्या माननीय मंत्री जी हमें जानकारी देंगे कि क्या यह सच नहीं है कि चौथे वेतन आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी सेवाओं के ग्रुप "क" के अधिकारियों के वेतन मानों में समानता होनी चाहिये और यदि हां, तो चौथे वेतन आयोग द्वारा केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के संबंध में की गई सिफारिशों में ही संशोधन क्यों किया गया है? क्या यह आंदोलन का मुख्य कारण नहीं है।

श्री बी० के० गढ़वी : इस दृष्टि से कि कुछ सेवाओं को थोड़ी सी वरीयता दी जानी चाहिये वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ सुधार किया गया है। अतः ये सुधार सोच-विचार कर निर्णय करने के बाद किये गये हैं।

श्री गुरुदास कामत : क्या माननीय मंत्री जी हमें इस बात की जानकारी देंगे कि क्या यह सच नहीं है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा के अलावा अन्य अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद पर पहुंचने में 22 से 25 वर्ष तक लग जाते हैं जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को 14 से 17 वर्ष तक का समय लगता है और यदि हां, तो क्या इससे अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

श्री बी० के० गढ़वी : मैं नहीं समझता कि इससे अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री हरूभाई मेहता : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि वेतनमानों के अलावा पदोन्नति वाले अधिकारियों में असंतोष का एक मुख्य कारण वरिष्ठता का प्रश्न भी है? लगभग प्रत्येक राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नियन्त्रण में होता है। जिसके परिणाम स्वरूप पदोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठता के मामले में काफी कठिनाई होती है। जब कभी पद रिक्त भी होते हैं, तो उन्हें तब तक अधिसूचित नहीं किया जाता जब तक कि पर्याप्त संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपलब्ध न हों। क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देगी ताकि मैं पदोन्नत अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच वरिष्ठता जैसे मामलों में सभी प्रकार की असंगतियों को, जितना जल्दी संभव हो सके, दूर किया जाये?

श्री बी० के० गढ़वी : जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में अधिसूचित किये जाने के लिये राज्य सेवा अधिकारियों की पात्रता का प्रश्न है, उसका एक अनुपात निश्चित है और उसका पालन किया जा रहा है। अतः इसका कोई प्रश्न ही नहीं है कि पदोन्नति से ऊपर आने वाले अधिकारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं दिये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उसका आधार क्या था जो कि एक तरह के अधिकारियों में इस प्रकार का पक्षपात किया गया ? क्या यह सही नहीं है कि आई० ए० एस० अफसर ही आज देश में शासन के तमाम उच्च पदों पर आसीन हैं--चाहे सरकार में हो या पब्लिक सेक्टर में हो ? कहीं पर भी हो, सारे अधिकार उनके पास हैं और चूंकि उनके पास अधिकार हैं इसलिए वही फैसला करते हैं और यह फैसला भी उन्होंने अपने पक्ष में किया। सरकार भी इस फंसले से सहमत हो गयी। इससे देश के तमाम कर्मचारियों में गहरा असन्तोष व्याप्त हो गया है। आप इसका आधार नहीं बता पाते हैं। जिसके पास अधिकार अधिक हों, उसका वेतन कम भी हो लेकिन जिसके पास अधिकार भी कम हों और उसे वेतन भी कम मिले, यह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। आई० ए० एस० अफसरों के हाथ में सत्ता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी उनके हाथ मे सत्ता थी इसलिए उन्होंने अपने पक्ष में फैसला कर लिया, यदि यह कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा।

श्री बी० के० गढ़वी : यह कहना उचित नहीं होगा कि आई० ए० एस० अफसरों ने अपने पक्ष में फैसला किया है। दर असल फैसला गवर्नमेंट ने किया है। (व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रेजेन्ट रिक्रूटमैंट पालिसी है, उसमें जो टोप रेंकर होते हैं उन्हें आई० ए० एस० में लिया जाता है और बाकी दूसरी सर्विसिज में जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यह सोचने के बाद फैसला किया और उन्हें थोड़ा-सा एज दिया। यह एज सिर्फ आई० ए० एस० अफसरों को ही नहीं दिया, इंडियन फोरन सर्विस वालों को भी दिया। जहां जहां हमको लगा कि देना चाहिए वहां वहां हमने दिया। आई० पी० एस० में दिया, इंडियन फोरन सर्विस में दिया।

श्री श्यामलाल यादव : मान्यवर, ऐसा करने का कारण कृपा कर बताएं। आप दो-तीन कारण गिनाएं कि इन कारणों से आपके सोचने की मानसिक स्थिति बनी। चूंकि आई० ए० एस० अफसरों ने सिफारिश की, उस पर आपने दस्तखत कर दिये। कोई कारण तो आप बताइये कि आपने ऐसा क्यों किया ?

श्री बी० के० गढ़वी : यह कहना भी गलत है कि आई० ए० एस० आफिसरों ने नोट लिखा और उस पर दस्तखत कर दिये। गवर्नमेंट ने सारी बातों को सोच कर और पे-कमीशन की रिकमण्डेशंस को देखकर किया है।

श्री श्यामलाल यादव : आप आधार तो बताइये, दो-चार कारण तो बताइये, डेलीब्रेशंस के बारे में बताइये कि किस तरह की डेलीब्रेशंस थीं ?

श्री बी० के० गढ़वी : जिस तरह की डेलीब्रेशंस थीं, उनकी डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि पे-कमीशन की रिकमण्डेशंस के ऊपर एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने सारी बातों को सोचकर के यह फैसला किया है और फिर वह फैसला केबिनट को दिया।

श्री श्यामलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आधार अभी नहीं बता सकते हों तो बाद में बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, इस असमानता के पीछे कोई तर्क समझ नहीं आता है। संविधान में दो श्रेणियों, एक अखिल भारतीय सेवाओं और दूसरी केन्द्रीय सेवाओं, का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्र हैं। अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में असमानता की बात समझ में आती है। परन्तु मुझे पता लगा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा को एक साथ मिला दिया गया है जिसमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवायें हैं परन्तु भारतीय विदेश सेवा केन्द्रीय सेवा है। मुझे इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता है कि इस वर्गीकरण में भारतीय विदेश सेवा को, जो कि केन्द्रीय सेवा है और जिसका कभी मैं भी सदस्य था—मैं अपनी ही सेवा के विरुद्ध तर्क दे रहा हूँ विशेष दर्जा दिया जाये। इस असमानता से इन सेवाओं में पूरी नौकरशाही में अत्यधिक असंतोष व्याप्त है। इसी कारण से सरकार को ज्ञापन, अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत किये जा रहे हैं। वास्तव में इसके कारण आन्दोलन भी हो सकता है। अतः मैं यह महसूस करता हूँ कि सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे और वेतनमानों तथा सरकार में उच्च पदों तक पहुंचने के लिये पात्रता में असमानता रखने का औचित्य भी स्पष्ट रूप से सिद्ध करें। महोदय, मेरे विचार में केवल एक अपवाद होना चाहिए। हमें जिला स्तर पर सरकार के क्रिया-कलापों को समन्वित करने के लिये एक सामान्य सेवा की आवश्यकता है और इसलिये अखिल भारतीय सेवा में असमानता के मामले में कोई तर्क दिया जा सकता है परन्तु भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा को इसमें शामिल किये जाने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूँगा कि क्या उनके पास इन तीनों सेवाओं को एकसाथ इकट्ठा करने के कोई कारण और तर्क हैं। (व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनकी भर्ती प्रणाली भी यह निश्चित करने के लिये सक्षम नहीं है कि नम्बर एक नम्बर दो से अच्छा है अथवा नम्बर 79 नम्बर 80 से अच्छा है।

श्री बी० के० गढ़वी : वर्ष 1979 में जब जनता सरकार सत्ता में थी उन्होंने इन सभी सेवाओं के लिये एक एकीकृत परीक्षा प्रारम्भ की। उससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा के लिये दो अतिरिक्त पेपर देने होते थे। परन्तु 1979 में आवश्यकता को समझे बिना और यह जाने बिना कि परीक्षा के लिये क्या उचित दृष्टिकोण होना चाहिये उन्होंने सभी के लिये समान परीक्षा प्रणाली बना दी। केवल भारतीय वन सेवा को अलग रखा गया। अतः वे सभी एक ही श्रेणी में आ गईं। इसीलिये जब हम इस श्रेणी के लिये उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तब जहाँ तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्बन्ध है योग्यता क्रम में उच्च स्थान प्राप्त उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में प्राथमिकता दी जाती है। आपने कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। आपने यह नहीं समझा है कि एक ही परीक्षा रखना व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए हम यह विचार कर रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाये या नहीं।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग का स्वदेशीकरण कार्यक्रम

*393. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान देश में कुल कितने मूल्य की इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है :

(ख) उपर्युक्त उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत पुर्जों का (मूल्यानुसार) आयात करना पड़ा; और

(ग) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग द्वारा किये जा रहे उत्पादन और उसके स्वदेशीकरण कार्यक्रम से सन्तुष्ट हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत में उत्पादित इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का कुल-मूल्य वर्ष 1985 में 2660 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1986 में 3460 करोड़ रुपये था ।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की उपर्युक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए, अपेक्षित जिन संघटक पुर्जों का आयात किया जाता है, उनका भारत में उतराई तक के आयात-मूल्य का प्रतिशत मूल्यों में व्यक्त करें तो लगभग 25 प्रतिशत बैठता है ।

(ग) इलेक्ट्रानिकी उद्योग का उत्पादन तथा स्वदेशीकरण का कार्यक्रम सन्तोष जनक रूप से आगे बढ़ रहा है ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान हमारे इलैक्ट्रानिक उद्योग ने तीव्र गति से प्रगति की है । इसमें, युवाओं, विशेषकर महिलाओं, के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं ।

मार्च, 1985 में की गई नयी नीति की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में 1990 तक इलैक्ट्रानिक सामान के उत्पादन का लगभग 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या युवा उद्यमियों को, विशेषकर उन्नत प्रौद्योगिकी में, तकनीकी परामर्श दात्री सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यह उद्योग विभिन्न इलैक्ट्रानिक उत्पादों की आवश्यकता पर आधारित है, जिनका हमारे देश में निर्माण किया जा रहा है ।

श्री के० आर० नारायणन : सरकार इलैक्ट्रनिकी उद्योग को प्रत्येक संभव प्रौद्योगिकी सहायता देती है । सर्वप्रथम प्रौद्योगिकी, विशेषकर उन्नत प्रौद्योगिकी, के अत्यन्त उदार आयात की अनुमति प्रदान की गई है । जहां तक परामर्शदात्री सेवा का सम्बन्ध है, हमारे यहां इलैक्ट्रानिक व्यवसाय और प्रौद्योगिकी निगम है, जो उद्योगों को सलाह, सहायता और तकनीकी सहायता देता है ।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास के प्रयासों और प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न तकनीकी श्रम शक्ति के बारे में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1990 तक इलैक्ट्रानिकी उद्योग के लिए आवश्यक प्रशिक्षित

श्रम शक्ति में कमी आएगी । यदि ऐसा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलैक्ट्रानिकी मंत्रालय द्वारा 1990 तक इलैक्ट्रानिकी उद्योग के लिए अपेक्षित पर्याप्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : तकनीकी रूप से प्रशिक्षित श्रम शक्ति विकसित करने के लिए हम व्यापक उपाय कर रहे हैं । इसके लिए हम विश्व विद्यालयों और संस्थानों में इलैक्ट्रानिकी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रहे हैं । हम लोगों को विशेषकर साफ्ट वेयर प्रौद्योगिकी में, प्रशिक्षित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भारतीय सूचना (इन्फारमेटिक्स) प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नए संस्थानों की स्थापना भी कर रहे हैं ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : कमी के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री के० आर० नारायणन : कमी है । इसलिए इसे पूरा करने के लिए यह सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : कितनी कमी है ?

अध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न नहीं ।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मंत्री महोदय ने प्रौद्योगिकी विदों के बारे में कहा है प्रौद्योगिकी विद, इलैक्ट्रानिकी तकनीशियनों से भिन्न हैं । प्रगति के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक पुर्जों का हर चीज में, चाहे वह शेयर हो या विमान इस्तेमाल हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के बारे में विचार कर रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी देश के इलैक्ट्रानिकी नेटवर्क में लाया जा सके । आज जो बेरोजगारी है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है । हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो और पालीटैक्निक्स को बढ़ावा दे रहे हैं किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक पालीटैक्निक संस्थानों को बढ़ावा दे रही हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है और क्या सरकार इस प्रकार की किसी योजना को बढ़ावा और समर्थन देगी ?

श्री अमल दत्त : क्या शहरी क्षेत्रों में भी सब कुछ है ?

श्री के०आर० नारायणन : ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक्स में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की कोई योजना है । हम पालीटैक्निक संस्थानों, इंजीनियरी कालेजों और जूनियर तकनीकी संस्थानों को सहायता दे रहे हैं । विभिन्न राज्यों में श्रम-शक्ति विकास संस्थान भी हैं । केन्द्र इन सबको विशेष रूप से बढ़ावा दे रहा है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री जी ने भाग (क) के अपने उत्तर में बताया है कि 1985 के दौरान देश में उत्पादित इलैक्ट्रानिक सामान का कुल मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपए था और 1986 के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुल मूल्य

में उत्पाद शुल्क भी शामिल है उस स्थिति में आयातित पुर्जों का प्रतिशत 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, मेरा विचार यह है कि इसमें उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह विचार की बात नहीं, ठीक-ठीक उत्तर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात स्वीकार करनी होगी।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, उनके कहने का आशय है कि इसमें भ्रांति है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय भाग (ख) का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है....

श्री के०आर० नारायणन : महोदय मैं पुष्टि करता हूं कि इसमें उत्पाद-शुल्क शामिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अब इसकी पुष्टि कर दी है।

विद्युत इंजीनियरों के लिए अखिल भारतीय संवर्ग

*394. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत इंजीनियरों के लिए एक अखिल भारतीय संवर्ग बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह संवर्ग कब बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो विद्युत इंजीनियरों में व्याप्त निराशा और असंतोष दूर करने हेतु अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

ग) संवर्ग की आवश्यकताओं और इस संवर्ग के अधिकारियों के कैरियर के न्यायसंगत हितों की देखभाल करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत इन्जीनियरी (समूह क) सेवा की समय-समय पर संवर्ग पुनरीक्षा की जाती है।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं यह जानना चाहती हूँ कि विद्युत इंजीनियरों की शिकायतों को दूर करने संबंधी आवधिक पुनरीक्षा के पश्चात सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? मैं समझती हूँ कि सरकार को विद्युत इंजीनियरों द्वारा समय-समय पर किए जा रहे आन्दोलन की जानकारी है।

श्री पी० चिदम्बरम् : मेरा विश्वास है कि संवर्ग पुनरीक्षा में विद्युत इंजीनियरों की न्यायोचित मांगों को काफी सीमा तक मान लिया गया है। मुझे मालूम है कि अभी भी समस्याएं हैं किन्तु मैंने इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय के साथ बात-चीत की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि

वह इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और वह विद्युत इन्जीयियरों से कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। यदि और समास्याएं उठती हैं, तो हम अन्य संवर्ग पुनरीक्षा द्वारा निश्चित रूप से उनकी जांच करेंगे।

श्रीमती किशोरी सिंह : इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार राज्य बिजली बोर्डों के कार्य चालन को सुधारने के लिए केवल विद्युत इन्जीनियरों को ही बिजली बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त करने के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। यह राज्य सरकार या ऊर्जा मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

परती भूमि का विकास संबंधी कार्यक्रम

*395. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजनलाल) : (क) और (ख) परती भूमि के विकास के लिए वनरोपण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है और 1985-86 तथा 1986-87 में हासिल किए गए लक्ष्य 1984-85 में प्राप्त हुए लक्ष्यों से 14 से 30 प्रतिशत तक अधिक थे।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह प्रतिशत की बात मेरी समझ में नहीं आई। जवाब में कहा गया है कि 1985-86 में 14 प्रतिशत था, 1986-87 मे 13 प्रतिशत था, लेकिन 1984-85 में कितना था। पहले यह पता लगे कि बेस क्या है और आपकी उपलब्धि क्या है ? यह बतायें कि कितने हेक्टेयर में आपने यह झाड़ उगाये हैं ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1983-84 में 12 करोड़ 8 लाख 81 हजार हेक्टेयर भूमि में वन रोपण किया गया, 1984-85 में 13 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर में वन रोपण किया गया; और 1985-86 में 15 लाख हेक्टेयर में किया ··

प्रो० मधु दण्डवते : आप गलती से करोड़····

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा करें···

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी आप पहले करोड़ कह गये हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप करोड़ों से लाखों पर मत आइए। यह चुनावों के वोट नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : 1983-84 में 12 लाख 8 हजार 81 हेक्टेयर में, 1984-85 में 13 लाख 18 हजार हेक्टेयर में, 1985-86 में 15 लाख 10 हजार हेक्टेयर में और 1986-87 में 17

लाख 22 हजार हेक्टेयर में वन रोपण किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना खत्म होने के पहले साल हमने 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है और इसी आंकड़े के आधार पर 1986-87 तक हमने 30 प्रतिशत तक वनों में बढ़ोत्तरी की है।

श्री सी. माधव रेड्डी : अभी कुछ समय पहले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम देश में हर साल 5 मिलियन एकड़ जमीन पर फ्यूलवुड, और फोडर जैसे प्लांटस लगायेंगे और इस समय देश में कुल 175 मिलियन एकड़ वेस्टलैंड बतायी जाती है। यदि आप प्रधान मंत्री जी के उस एनाउसमैंट के मुताबिक प्लांटेशन करेंगे तो आपको पूरा एरिया कवर करने में लगभग 35 साल लगेंगे। दूसरी तरफ आपने जो आंकड़े अभी बताये, उनके अनुसार 12 लाख कहीं पर 14 लाख एकड़ जमीन पर ही आप प्लांटेशन कर पाये हैं जो कि बहुत ही कम है। दूसरे, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप सदन में जो आंकड़े दे रहे हैं, वे आपको कहां से मिले क्यों कि यह कार्य राज्य सरकारों का है....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आंकड़े भी इम्पोर्ट होते हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी : क्या आप सदन में जो आंकड़े देते हैं, वे आपको स्टेट गवर्नमैंट से प्राप्त होते हैं रिमोट सैंसिंग वगैरह के जरिए प्राप्त होते हैं या आपका कोई स्टेट बेसिस प्रोग्राम है, उससे प्राप्त करते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वनों का पता लगाने के दो तरीके हैं, एक तो हम सर्च-लाइट के द्वारा और दूसरे डिपार्टमैंट भी उसकी तह में जाकर देखता है, लेकिन ज्यादातर काम स्टेट गवर्नमैंट का ही है ? स्टेट गवर्नमैंट जो आंकड़े हमें एकत्रित करके देती है, उसी के आधार पर हम यहां आप को फीगर्स देते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : उसमें क्या आंध्र प्रदेश के भी आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्री भजन लाल : हां, आंध्र प्रदेश के आंकड़े भी यदि आप पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अपने तो ये जानते नहीं हैं, दूसरों का जानने की कोशिश करते हैं।

श्री भजनलाल : जहां तक प्रधानमन्त्री जी के एनाउसमैंट का सम्बन्ध है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारा लक्ष्य आगामी वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर जमीन में प्रतिवर्ष वनरोपण करने का है। लेकिन अभी हम उतना एचीवमैंट नहीं कर पाये हैं। यह बात भी ठीक है कि हमने लगातार बढ़ोत्तरी की है और हमारी कोशिश यह होगी कि जो साल शुरू होने जा रहा है, उसमें हमें उम्मीद है कि 20 लाख हैक्टेयर जमीन में प्लांटेशन कर पायेंगे। अभी जनवरी तक के आंकड़े सिर्फ 17 लाख 10 हजार के ही हैं परन्तु अगले साल हमारी कोशिश होगी कि इस संख्या को हम 30 हजार तक ले जाएं तथा सातवीं पंच वर्षीय योजना पूरी होने तक 50 हैक्टेयर भूमि में हम वनरोपण के अपने लक्ष्य को अवश्य कम्पलीट करेंगे, हमारा डिपार्टमैंट तेजी से इस दिशा में प्रयत्नशील है।

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष महोदय, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का एक दो-तिहाई एरिया लद्दाख रीजन में है और वह सारा रीजन बेस्टलैंड एण्ड कोल्ड डैजर्ट कैटेगरी में फाल करता है।

उसी तरह हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पिति का एरिया भी है । इन एरियाज में सरकार जो भी प्लांटेशन करती है, वहां जो पेड़ पौधे उगाने की कोशिश की जाती है, वे उस नस्ल या जाति के नहीं होते जो कि उस हायर एल्टीट्यूड, हायर रिजेज पर सरवाइव कर सकें जबकि किसी भी एरिया में वे ही स्पीसीज या उस नस्ल के पौधे लगाये जाने चाहिए जो वहां की जलवायु के अनुकूल तेजी से बढ़ सकें, ग्रो कर सकें । आप तो वहां नीचे से ले जाकर कुछ ऐसे पौधे लगा रहे हैं, जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा है । उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी टीम तैयार करेगी जो देश में तमाम हायर एल्टीट्यूडस पर जाकर सर्वे कर सके कि वहां पर कौन सीं घास, कौन सी स्पीसीज तेजी से ग्रो कर सकती है ताकि उसी के सीड़, वही स्पीसीज, स्टडी के बाद, प्लांटेशन में काम में लाई जाए. वही घास इन्ट्रौड्यूस की जाए । क्या सरकार मेरे सुझाव पर विचार करके कोई टीम तैयार करेगी ।

श्री भजन लाल : माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा वैलिड है और इनके सुझाव में बड़ा वजन है । हमने पहले ही सर्वे करवाया हुआ है कि किस एरिया में, कौन से पेड़ लगने चाहिएं, कौन से पौधे वहां ग्रो कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं । जैसे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन या हिमाचल प्रदेश के हायर एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में वे ही पेड़ लगाये जाएं सरवाइव हो सकें । उसी के अनुसार पेड़ लगाया जाता है । यदि माननीय सदस्य को किसी बात की शिकायत है कि वहां पर कुछ ऐसे पेड़ लगाये गए, जो कामयाब सिद्ध नहीं हुए तो आप हमें लिख कर दें, हम जरूर उसकी जांच करवायेंगे और जो उचित होगा, वही सरकार करेगी ।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : हमारे प्रधान मन्त्री जी की उदारता के कारण हमें पर्यावरण पर एक पुस्तक दी गई है । मैं उद्योग मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं और यह पुस्तक समिति के सभी सदस्यों को दी गई हैं और मेरे विचार से यह पुस्तक अन्य समितियों के सदस्यों को भी दी गई है । यह एक 300 रुपए की कीमती पुस्तक है और हमें मुफ्त दी गई है । मुझे बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से ही हमें यह पुस्तक मुफ्त दीं गई हैं । मैंने इसका थोड़ा सा भाग पढ़ा है और मेरी थोड़ी जानकारी बढ़ी है । मैंने पाया कि प्रतिवर्ष 35 लाख हैक्टेयर भूमि से वन काटे जाते हैं और इस समय हम 15 लाख हैक्टेयर भूमि पर वन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के बावजूद और यह मान कर कि यह सफल रहेंगे, प्रतिवर्ष 20 लाख हैक्टेयर भूमि से वनों का सफाया हो जाता है । सरकार इस 20 लाख हैक्टेयर के सम्बंध में क्या योजना बना रही है जिस पर इस योजना के आरम्भ किए जाने के पहले से ही वनों का नाश हो रहा है । इन सज्जन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 लाख हैक्टेयर भूमि के बारे में सरकार द्वारा यह जानने के लिए किसी भी स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं कि जिस भूमि पर वन लगाए गए हैं उसके रख रखाव पर कितना व्यय होता है ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय , यह ठीक नहीं है कि कुछ साल पहले 30 लाख हैक्टेयर जमीन पर पेड खराब हो जाते हैं या वन नष्ट हो जाते हैं । दो साल पहले तकरीबन 13 लाख हैक्टेयर वनों का नुकसान होता था । उसके बाद में हम बहुत गहराई से गए हैं, पूरी तह में गए हैं । स्टेटों को प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, हमने भी लिखा है और उसके बाद में 13 लाख हैक्टेयर से घटकर के

तकरीबन 10 लाख आ गया है। हमारी कोशिश यह होगी कि कम से कम वन कटें और आप देखते हैं कि बहुत सी जगह से ऐसी शिकायत आती है कि फारेस्ट डिपार्टमैंट लोगों को बहुत परेशान करता है। बहुत से प्रोजैक्ट हैं उनको मंजूरी नहीं देते हैं या देरी से देते हैं। एक तरफ आप यह कहते हैं कि वन ज्यादा कटते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हमारे प्रोजैक्ट्स रुके हुए हैं, आप उनको सैंक्शन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वे कटने की नहीं पूछ रहे हैं वे दूसरी चीज पूछ रहे हैं।

श्री भजन लाल : इन्होंने कहा है कि वन इतने कम हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये इरोजन की पूछ रहे हैं।

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल इन्होंने डिग्रेडेशन के बारे में किया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां जंगल तो हैं, लेकिन जितने अच्छे जंगल होने चाहिए उतने नहीं हैं क्योंकि वहां की सॉयल ठीक नहीं है। जमीन ऊंची-नीची है। उसको ठीक करने के लिये हमारी भरसक कोशिश है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में 692 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1800 करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं यानी पहले से तीन गुना। ताकि ज्यादा से ज्यादा फारेस्ट हो सकें। जहां अच्छी जमीन नहीं है, परती जमीन है, उस पर ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाए जा सकें। ऐसी भूमि पर यदि जलाने की लकड़ी लगाई जा सके, तो वह लगाएंगे, ताकि गरीब आदमी उस पर थोड़ा बहुत गुजारा कर सकें। ये सारी बातें हमारे सामने हैं। इस प्रकार से जो अच्छे जंगल नहीं हैं, उनको भी अच्छा जंगल बनाने की कोशिश हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं वृक्ष पट्टा प्रणाली के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि परती भूमि विकास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम वृक्ष पट्टा प्रणाली को कितने कारगर रूप में लागू करते हैं। वृक्ष पट्टा प्रणाली को चार भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आप पेड़ लगाने के लिए किस किस्म की भूमि पट्टे पर दे रहे हैं? क्या यह लगान वाली भूमि है या पंचायत भूमि है? आप वृक्ष पट्टा प्रणाली को क्या प्राथमिकता दे रहे हैं? पहली बात तो यह है कि आप किस किस्म की भूमि दे रहे हैं दूसरा पहलू कि भूमि किसको दी जाय। आगे यह कि कितनी अवधि के लिए दी जाए? और सबसे आखिर में इसके कानूनी पहलू क्या हैं? क्या यह पेड़ पट्टे देने से भूमि आपके हाथ से निकल जायेगी? इन चार पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या उनके विभाग ने प्रत्येक राज्य से यह पता लगाया है कि उनके राज्य इन चार मापदण्डों के अनुसार वृक्ष पट्टा प्रणाली को किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे? यदि उन्होंने ऐसा किया है तो राज्यों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत के क्या परिणाम निकलते हैं?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक पट्टा स्कीम सरकार के विचाराधीन है, जेरेगौर है, अभी तक यह चालू नहीं की है। हम सोचते हैं कि एक हैक्टर से दो हैक्टर तक ऐसे लोगों को जमीन दी जाये जो गरीब हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं। जमीन तो

जैसी है, वैसी ही है, लेकिन उसमें वह लकड़ी लगा लें जो जलाने के लिये काम आ सके, मवेशियों के घास चारे के लिये यूज कर लें जिससे उनका थोड़ा बहुत काम चल जाये या फल लगा लें। एक दो जगह स्टेट्स ने ऐसा किया है, पट्टा सिस्टम चालू किया है। इसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, थोड़ा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी किया है। लेकिन अभी तक यह स्कीम कोई पूरी तरह लागू नहीं की गई है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। एक स्कीम चालू कर दें तो उसमें कई बड़े आदमी भी ले सकते हैं। अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग समस्याएं हैं कि किस तरह से इसे लागू किया जाये। इस पर गहराई से हम विचार कर रहे हैं, जो ठीक बात होगी वह हम करेंगे ताकि इस धरती का कोई गलत, मिसयूज न हो सके।

[अनुवाद]

उड़ीसा सैंड्स काम्पलैक्स में थोरियम संयंत्र

*396 **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग और ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से उड़ीसा सैंड्स काम्पलैक्स में एक थोरियम संयंत्र और इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईंधन पुनसंसाधन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य रूपरेखा क्या है,

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का नियतन किया गया है, और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इसमें कब से काम चालू हो जायेगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग और ऊर्जा मंत्रालय से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठा है।

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड प्रति वर्ष 150 मीटरी टन थोरियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए एक थोरियम संयंत्र की स्थापना उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह में कर रहा है। भारत में थोरियम नाइट्रेट की आवश्यकता मुख्यतः गैस मेंटल बनाने वालों को पड़ती है। संयंत्र में उत्पादन के लिए विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने किया है। यह संयंत्र थोरियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के अलावा थोरियम आक्साइड का उत्पादन भी न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी उपयोगों के लिए अपेक्षित मात्रा में करेगा।

फास्ट रिएक्टर पुनसंसाधन संयंत्र कलपाक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में लगाया जाएगा। यह संयंत्र कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर से निकले भुक्त शेष

ईंधन को पुनर्संसाधित करेगा। इस संयंत्र में प्रक्रिया उपस्करों और रख-रखाव के मामले में वे ही संकल्पनाएं काम में लाई जाएंगी जो इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की पहले से स्थापित अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित की जा रही हैं।

(ग) उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह की थोरियम परियोजना पर 2.98 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत आने का अनुमान है। इसमें से 2.18 करोड़ रुपये की राशि सन् 1987-88 के लिए आबंटित की जा चुकी है। फास्ट रिएक्टर पुर्नसंसाधन संयंत्र पर कुल 35 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें से 6 करोड़ रुपये की राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ग) आशा है कि उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह की थोरियम परियोजना जून, 1989 तक तैयार हो जायेगी और उसके बाद काम करना शुरू कर देगी। कलपाक्कम के पुर्नसंसाधन संयंत्र के लिए निर्धारित कार्यक्रम यह है कि उसे 1993 के मध्य तक चालू कर दिया जाए।

श्री प्रकाश चन्द्र : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भारत में वास्तव में कितनी थोरियम धातु उपलब्ध है। क्या यह सच है कि भारत सरकार का उपक्रम इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड और केरल सरकार का उपक्रम केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड उड़ीसा सैन्ड्स काम्पलैक्स के अलावा भारत में अन्य संसाधन संयंत्रों से थोरियम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ? यदि हां, तो संयंत्रों के नाम क्या हैं और इस थोरियम धातु को प्राप्त करने के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री के० आर० नारायणन : केरल और तमिलनाडु, विशेष रूप से केरल में, थोरियम बालू से मोनाजाइड के तत्व निकालने के लिए इंडियन रेयर आर्थस् के संयंत्र हैं। इन तत्वों को वहां संशोधित नहीं किया जाता है बल्कि इनसे थोरियम नाइट्रेट और थोरियम आक्साइड तैयार करने हेतु इन्हें ट्राम्बे भेजा जाता है।

श्री प्रकाश चन्द्र : मैंने भारत में इस धातु की कुल उपलब्धता के बारे में माननीय मंत्री महोदय से पूछा है

श्री के० आर० नारायणन : ज्ञात स्रोतों के अनुसार भारत में थोरियम का 3,60,000 मीट्रिक टन का भण्डार है।

श्री शरद दिघे : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सच है कि उड़ीसा में एक अतिरिक्त थोरियम संयंत्र की स्थापना करने के बजाय आप बम्बई स्थित संयंत्र को उड़ीसा ले जा रहे हैं। यदि हां तो इसका क्या औचित्य है ? मैसर्स इंडियन रेयर अर्म्स लिमिटेड का यह थोरियम कारखाना 1 अगस्त, 1955 से ट्राम्बे में है। इसके अलावा इस संयंत्र के उत्पादों के सभी प्रयोक्ता बम्बई के हैं। सभी अपेक्षित रसायन भी बम्बई में उपलब्ध हैं। इसके विस्तार के लिए इसके निकट ही एक विशाल भूखण्ड का अधिग्रहण किया गया था और मार्च, 1982 में उसकी आधार शिला रखी गई। इसके अतिरिक्त हाल ही में विद्यमान संयंत्र को प्रदूषण से बचाने हेतु ट्राम्बे स्थित इस थोरियम संयंत्र के लिए अपशिष्ट पदार्थों को निष्प्रभावी करने की व्यवस्था करने पर 33 लाख

रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया है। अतः इतना खर्च करने के बाद इस संयंत्र को बम्बई से उड़ीसा ले जाने और उड़ीसा में अतिरिक्त संयंत्र स्थापित न करने का क्या औचित्य है ?

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया है, यह संयंत्र बम्बई में 1955 में स्थापित किया गया था। यह पुराना संयंत्र है और यह निम्न प्रौद्योगिकी से निर्मित है तथा यह संयंत्र इस समय पुराना हो जाने के कारण कार्यकुशल नहीं है। इसीलिए इसका स्थानान्तरण और विस्तार किया जा रहा है और उड़ीसा में इसकी क्षमता बढ़ाकर 150 टन की जा रही है। यह उच्च प्रौद्योगिकी का संयंत्र होगा। ट्राम्बे में जो संयंत्र है, वह अत्यन्त पुराना है और इसकी कार्यकुशलता बहुत कम हो गई है। (व्यवधान)

प्रो० मधुदंडवते : मैं श्री दिघे के प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न।

प्रो० मधुदंडवते : उसी तरह जैसे निर्णय पर निर्णय।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह नहीं हो सकता।

प्रो० मधुदंडवते : महोदय, श्री दिघे ने जो प्रश्न पूछा है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि आप यह कह रहे हैं कि यह पुराना संयंत्र है और उड़ीसा में एक अतिरिक्त संयंत्र की स्थापना के बजाय आप इस संयंत्र को वहां से हटाकर उसीसा ले जाना चाहते हैं और वहां इसका विस्तार करना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और पर्यावरणविदों ने भी आपको सलाह दी थी कि बम्बई में विद्यमान भूखण्ड, जहां यह संयंत्र स्थित है, के निकटवर्ती स्थान पर इसका विस्तार प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है ? क्या यह सच है कि इस संयंत्र को उड़ीसा ले जाये जाने के कारण संभवतः अधिकांश मजदूरों की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी ? क्या आप आश्वासन देंगे कि उन्हें कुछ सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी और विद्यमान संयंत्र के कुछ कार्य कायम रखे जायेंगे ताकि वहां कार्यरत वर्तमान मजदूरों का रोजगार सुरक्षित रहे। उसके अतिरिक्त, यदि आप चाहते हैं, तो आप उड़ीसा में परिसर बना सकते हैं। मेरा उड़ीसा के साथ बिल्कुल भी विवाद नहीं है ? मैं समझता हूं कि बम्बई और उड़ीसा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उन्हें एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए।

श्री के० आर० नारायणन : जहां तक वैज्ञानिक सलाह का संबंध है, हमने इस नये संयंत्र के लिए स्थान का चयन करने हेतु डा० एस. के. केलकर की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की थी और दो अथवा तीन जाने माने वैज्ञानिक भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने ट्राम्बे, उडीसा, केरल और तमिलनाडु सहित विभिन्न स्थानों पर विचार किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस संयंत्र के लिए सर्वोत्तम स्थान उड़ीसा ही होगा।

दूसरी बात, पुराने उपकरणों के बारे में यह कहना है कि उन सबको वहां नहीं ले जाया सकता है क्योंकि वे सब उपकरण उपयोगी नहीं रहे हैं। उनमें से कुछ बहुत पुराने हैं। कुछ ही उपकरण उड़ीसा ले जाये जायेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है यह तीस से भी अधिक वर्ष पुराना संयंत्र है और केवल कुछ उपकरणों को छोड़कर यह इस समय उपयोगी ढंग से काम के लायक नहीं रह गया है।

श्रमिकों के बारे में यह कहना है कि ट्राम्बे में इस समय लगभग 215 व्यक्ति कार्यरत हैं हैं और नए संयंत्र में लगभग 117 व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे। और उन्हें वहां रखा जा सकता है। अन्य शेष श्रमिकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य विभागों में रोजगार दिया जा सकता है। तथा उनमें से कुछ, जो सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंच गए हैं, को समुचित मुआवजा देकर सेवानिवृत्त किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : वह अलग बात है। उस तरह से जो मर जायेंगे वे नहीं रहेंगे; किन्तु वह अलग बात है। जहां तक वर्तमान श्रमिकों का सवाल है, क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि जो सेवानिवृत्त नहीं होंगे, उनमें से किसी को भी विस्थापित नहीं किया जाएगा और उन्हें कोई रोजगार दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है।

श्री के० आर० नारायणन : हम कोशिश कर रहे हैं, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों का पुनर्वास करके उन्हें रोजगार दिया जाए।

श्री सोमनाथ रथ : सच यह है कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में 'गोपालपुर-आन-सी' में पहले ही उपयुक्त अधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है और वहां पर्याप्त आदान उपलब्ध हैं। उड़ीसा में उपलब्ध कच्चा माल देश में उपलब्ध उच्चतम गुणवत्ता का है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उड़ीसा में 'गोपालपुर-आन-सी' में इस परियोजना के निर्माण को किसी अन्य राज्य से किसी संयंत्र के स्थानांतरण से न मिलाये।

मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1989 में पूरी हो जायेगी और उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है।

श्री के० आर० नारायणन : जैसा कि मैंने पहले कहा है उड़ीसा में स्थान इसलिए चुना गया कि वहां कुछ आधारभूत सुविधायें मौजूद हैं जो और कहीं नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इस संयंत्र का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।

क्या मैं एक बात और कह सकता हूं। ट्राम्बे के बारे में वैज्ञानिकों ने हमें सलाह दी है कि वहां आगे औद्योगिक निर्माण और कार्य करना वांछनीय नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ राव : यह जगह 'गोपालपुर-आन-सी' मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां मोनाजाइट बालू के विशाल भण्डार हैं। यही कारण है कि वहां इसके लिए स्थान चुना गया है। उसका सर्वेक्षण 1964 में किया गया था। संयंत्र उत्पादन शुरू हो गया है और मैं जानता हूं कि काकीनाडा लघु पत्तन से कंसेन्ट्रेट भेजे जा रहे हैं। मैंने हाल ही में मंत्री महोदय को पत्र लिखा था कि कंसेन्ट्रेट का निर्माण गोपालपुर लघु पत्तन से किया जाना चाहिए न कि काकीनाडा से।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन बढ़ाये जाने की संभावना है। उसकी निर्धारित क्षमता कितनी है और इस समय कितना उत्पादन किया जाता है ?

श्री के० आर० नारायणन : इस समय 120 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है और बो. एस. सी. ओ. एम. के लिए निर्धारित क्षमता 150 मीट्रिक टन है, जो हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

[हिन्दी]

टेलीविजन सेटों के उत्पादन में विदेशी कम्पनियों से सहयोग लेने पर प्रतिबन्ध

*397. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रंगीन टेलीविजन सैटों के निर्माण में विदेशी सहयोग लेने पर प्रतिबंध लगाने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के सहयोग से देश के एककों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय टेलीविजन उद्योग को होने वाली हानि को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, और आन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) रंगीन दूरदर्शन (सी. टी. वी.) का विनिर्माण करने के लिए, आमतौर पर विदेशी तकनीकी सहयोगों की अनुमति नहीं दी जाती है । किन्तु दिनांक 1 जनवरी, 1986 से जिन कम्पनियों की विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं थी, उन्हें दूरदर्शन उद्योग में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी । सरकार का इस निर्णय को बदलने का कोई इरादा नहीं है ।

(ख) यह दूरदर्शन नीति को सामान्य नीति के अनुरूप लाने के लिए किया गया था, जिसके अन्तर्गत यदि किसी कंपनी की विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) की मात्रा 40 प्रतिशत अथवा उससे कम है तो वह संगठित निजी क्षेत्र के लिए आशयित उत्पादों का विनिर्माण करने में सहभागी बनने की हकदार है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया । जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 1 जनवरी, 1986 से जिन कम्पनियों की विदेशी इक्विटी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं थी, उन्हीं कम्पनियों को भागीदार बनाने

कर निर्णय किया गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन किन देशों की कितनी कम्पनीज को यह अनुमति प्रदान की गई और उनकी कितनी पूंजी लगी ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : जहां तक 40 प्रतिशत सहयोग का संबन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह तकनीकी सहयोग नहीं है बल्कि साम्य-पूंजी (इक्विटी) और वित्तीय सहयोग है। जहां तक कम्पनियों की संख्या का संबंध है, हमने 10 कम्पनियों को आशय-पत्र दिए हैं, जिनमें से 2 कम्पनियां वास्तव में टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही हैं तथा निर्मित टेलीविजन सेटों की संख्या के बारे में माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, उसके बारे में स्थिति इस प्रकार है। एक कम्पनी 2000 टेलीविजन सेट और दूसरी कम्पनी 4,694 टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही है। सभा को याद होगा कि भारत में कुल 8.5 लाख रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण होता है। जिसमें से इन 40 प्रतिशत साम्य-पूंजी (इक्विटी) कम्पनियों द्वारा थोड़े से ही रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत सारी कम्पनियां टी. वी. बनाती हैं। जब ये कम्पनिया स्वदेशी टी. वी. बनाने लग जायें, तो क्या आज इन कंपनियों से कोई तीन साल या पांच साल का कोई एग्रीमेंट करेंगे कि ये कम्पनियां हमारे देश से चली जांय ? ऐसा कोई क्राइटेरिया है, कोई आप ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री के०आर० नारायणन : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य वित्तीय सहयोग से है जैसा कि मैंने कहा है टेलीविजन बनाने के लिए हमने प्रौद्योगिकी सहयोग नहीं लिया है। वित्तीय सहयोग के बारे में एक विशिष्ट ठेका किया गया है और उसके अन्तर्गत 40 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है हम इन कम्पनियों को कुल मिलाकर भारतीय कंपनीयां ही मानते हैं, वे भारतीय कम्पनियों की तरह निर्माण करने की पात्र हैं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, छः बरस पहले युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने एक सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि कलर टी.वी. देखने वालों को ब्लर्ड-विज़न और बॉडी में तमाम डेमेजेज हो जाते हैं। मैंने इसी सदन में छः-सात महीने पहले यही मुद्दा उठाया था। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इसका अध्ययन करके तफ-तीश करेगी कि इससे क्या हानियां होती हैं ? यदि होती हैं, तो क्या सुधार के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाने जा रही है ? मं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कोई अध्ययन कराया है और उससे नागरिकों को होने वाली हानियों से बचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री के. आर. नारायणन : संयुक्त राज्य अमरीका की तरह हमारे यहां धुंधलापन (ब्लर्ड-विजन) के शिकार होने के मामले नहीं हुए हैं। हमारे पास इतने अधिक रंगीन टेलीविजन सेट

नहीं है जिससे आंखों को किसी तरह का नुकसान हो। यह सिद्ध नहीं हुआ है, यह केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किया गया विचार है।

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, मल्टी नेशनल कम्पनीज़ की जो स्ट्रैटजी पहले चल रही थी, उसमें बदलाव आया है। उन्होंने ज्वाइंट सैक्टर में प्राइवेट सैक्टर के साथ मिलकर और कहीं-कहीं पब्लिक सैक्टर के साथ मिलकर एक नई स्टेटेजी डवेलप की है, जिसके मुताबिक वे यहां के व्यापार को कैपचर कर रहे हैं। इस प्रकार जो लाभ होता है, वे अपने देश को ले जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई कानून बनायेंगे कि जितने एग्रीमेंट ज्वाइंट सैक्टर में हो चुके हैं, उनके अलावा आगे उनको बहुत होशियारी के साथ परमिशन दें। जहां बहुत आवश्यक हो, वहीं दें और जो पूंजीपति ज्वाइन्ट सैक्टर में प्लानिंग कर रहे हैं, उनको डिसकरेज करें।

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : जैसा कि मैंने बताया है, दो कम्पनियों को छोड़कर अन्य सभी कम्पनियां, जो टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही हैं, सभी भारतीय कम्पनियां हैं। इसलिए बाहर देशों को विदेशी मुद्रा जाने का प्रश्न ही नहीं उठता दो कम्पनियों के अलावा अन्य सभी कम्पनियां, जो टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही हैं, स्वदेशी भारतीय कम्पनियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग

*386. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी छूट का, जिसके अन्तर्गत केरल में इस शर्त पर गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई कि इसके लिए प्रतिपूरक वनरोपण कार्य किया जायेगा, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार प्रतिपूरक वनरोपण की शर्त को किसी सीमा तक पूरा कर पाई है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान केरल में वास्तव में गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई वनभूमि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में गैर-वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि को उपयोग में लाने की छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई

छूट नहीं दी गई है। इस शर्त पर कि प्रतिपूरक वन रोपण किये जायेंगे, इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत 18 मामलों में 1361.30 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाने की अनुमति दी गई थी। ग्यारह मामले विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बन्धित थे, एक मामला जल विद्युत परियोजना से, दो मामले सड़कों से, एक मामला आयल-पाम की खेती से, एक मामला अन्तरिक्ष केन्द्र से, एक मामला खनिज जल के उत्पादन और एक मामला तीर्थ-यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित था।

(ख) केरल सरकार ने प्रतिपूरक वन रोपण के लिए केवल 134.94 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का निर्धारण किया है। वन रोपण बिल्कुल नहीं किया गया है।

(ग) 1.4,1984 से 31.3.1985 तक गैर-वन प्रयोजनों हेतु 141.82 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई थी। विद्युत ट्रासमिशन लाईन के लिए 6.98 हेक्टेयर, जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए 127 हेक्टेयर, सड़कों के लिए 1.92 हेक्टेयर, नहरों के लिए 1.31 हेक्टेयर, जल आपूर्ति स्कीम के लिए 0.81 हेक्टेयर, कान्वेन्ट स्कूल के लिए 2.65 हेक्टेयर और जल-विद्युत परियोजना के लिए जांच पड़ताल हेतु 1.15 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाया गया।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना

*389. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बांड और डिबेंचरों के माध्यम से अतिरिक्त साधन जुटाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) न्यूक्लियर विद्युत बोर्ड को एक कम्पनी में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उसके लिए बांडों के माध्यम से धन जुटाना संभव हो जाए।

डाकघर जमा योजनाएं

*391. **प्रो० के. वी. थामस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ डाक घर जमा योजनाएं जमाकर्ताओं के लिए आकर्षक सिद्ध नहीं हो पा रही हैं; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) डाकघर जमा योजनाओं के अधीन होने वाले संग्रह से यह संकेत नहीं मिलता कि ये जमाकर्ताओं के लिए आकर्षक नहीं है। इन योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है। लोकप्रियता में कमी होने के

कारण 10 वर्षीय संचयी साविध जमा योजना को बन्द कर दिया गया था इंदिरा विकास पत्र नामक एक नई योजना 19.11.1986 से आरम्भ की गई थी। बजट में घोषित एक नई राष्ट्रीय बचत योजना नामक एक नई योजना 1987-88 में कार्यान्वित की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सिक्कों की कमी

*398. **श्री आर० एन० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में छोटे सिक्कों की अभी भी कमी बनी हुई है;

(ख) क्या छोटे सिक्कों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां तो, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सिक्कों की सुलभता हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) देश में सिक्कों का उत्पादन जो 1984-85 में 13560 लाख अदद सिक्कों का था, चालू वर्ष में 28000 लाख अद्द सिक्कों के सम्भाव्य स्तर तक बढ़ाने के लिए किए गए उपायों, और साथ ही 1985-86 और 1986-87 में प्रत्येक वर्ष 20,000 लाख अद्द सिक्कों के आयात और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न केन्द्रों को सिक्कों की वितरण व्यवस्था को तेज करने के परिणाम स्वरूप देश में सिक्कों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है और कमी की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। हाल ही के महीनों में, सिक्कों की कमी के बारे में अधिक शिकायतें नहीं मिली हैं। तथापि, सिक्कों की कुल उपलब्धता में वृद्धि करने तथा विभिन्न केन्द्रों को सिक्कों का शीघ्र और बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के उपायों को बिना किसी ढील के जारी रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

भारत एल्युमिनियम कम्पनी द्वारा वायु प्रदूषण

*399. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड से भारी मात्रा में धूल निकलती रहती है, जिसके कारण कोरबा का वातावरण प्रदूषित रहता है; और

(ख) यदि हां, तो कोरबा में वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यह पाया गया है कि एक ताप विद्युत संयंत्र से निर्धारित सीमा से अधिक धूल निकल रही है। संबंधित प्राधिकारी के खिलाफ अभियोजन चलाया गया है।

[अनुवाद]

विभिन्न परियोजनाओं की कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट

*400. **श्री एस० एम० गुरद्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पैट्रोलियम, उर्वरक और दूर-संचार के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) लागत-वृद्धि में कमी करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति की 17.2.87 को हुई बैठक के लिए, उर्वरक, पैट्रोलियम तथा दूर-संचार क्षेत्रों की मुख्य कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया जिसमें उर्वरक क्षेत्र की 5 परियोजनाएं, पैट्रोलियम क्षेत्र की 12 परियोजनाएं तथा दूर-संचार क्षेत्र की एक परियोजना शामिल है और जिनकी कुल मूल अनुमोदित लागत 9,423 करोड़ रुपये तथा प्रत्याशित लागत 10,631 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं में से निम्नलिखित में लागत वृद्धि दर्शाई :—

उर्वरक

—नामरूप–3 (एच० एफ० सी०)

· विजयपुर (एन० एफ० एल०)

—पारादीप (पी० पी० एल०)

—कैप्रो-लैक्टम तथा अमोनिया सल्फेट परियोजना (एफ० ए० सी० टी०)

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस

- साऊथ बेसिन विकास चरण–1 (ओ० एन० जी० सी०)

– एल० पी० जी० विपणन सुविधा चरण–3 (आई० ओ० सी०)

—एल० पी० जी० विपणन सुविधा चरण–3 (एच० पी० सी० एल०)

—एल० पी० जी० विपणन सुविधा चरण–3 (बी० पी० सी० एल०)

– पौलिस्टर स्टैपल फाईबर

दूर-संचार

—इलैक्ट्रोनिक स्वीचिंग प्रणाली, मानकपुर (आई० टी० आई०)

अन्य बातों के साथ-साथ लागत वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न अथवा पहले से शुरू किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) यथार्थवादी परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाना ।

(2) पर्याप्त निधि की व्यवस्था ।

(3) मासिक फ्लैश रिपोर्ट तथा त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्रबोधन प्रणाली के जरिये प्रभावी प्रबोधन ।

(4) शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना अधिकारियों पर लगातार दबाव ।

(5) शीघ्र अनुमति लेने के लिए विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से अंतरमंत्रालीय समन्वय एवं पारस्परिक कार्यवाही ।

(6) संबंधित मंत्रालयों एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों उपकरण संभरकों परामर्शदाताओं और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से विलम्ब कम करने के लिए सन्निकट अनुवर्ती कार्यवाही करना ।

रेलवे द्वारा बाण्ड जारी किये जाना

*401. श्री एस० जी० घोलप :
श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बाण्ड जारी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पूंजी निर्गम नियंत्रक ने, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड को उसके द्वारा 1000 रुपया प्रति बाण्ड मूल्य के 25 लाख प्रतिभूत बांड नगदी के एवज सममूल्य पर जनता को जारी किए जाने के संबंध में अनुमोदन दे दिया है । इन बांडों पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और इनको इनके आवंटन की तारीख से 10 वर्ष समाप्त होने पर विमोचित किया जा सकेगा ।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई राशि

*402. श्री राम बहादुर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1986 में और 1987 में अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कितनी राशि जमा कराई गई और उस राशि का कितना प्रतिशत भाग वहां के लोगों को ऋण के रूप में दिया गया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो सितम्बर 1986 को समाप्त हुई अवधि से संबंधित है, बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां वर्ष 1986 के पहले नौ महीनों में 3600 करोड़ रुपए से बढ़कर 4061 करोड़ रुपये हो गई थी। इसी अवधि के दौरान जमाराशियों के मुकाबले अग्रिमों की प्रतिशतता 37.3 से 36.3 हो गई।

[अनुवाद]

खानाबदोश कबीलों की सूची

*403. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में कई खानाबदोश कबीलों और अधिसूचित समुदायों को मान्यता नही मिल पायी है तथा उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के खानाबदोश कबीलों की, राज्यवार, एक विस्तृत सूची तैयार करने और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु एक विधान बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कबीलों का, राज्यवार और विशेष रूप से गुजरात के कबीलों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में विधान बनाने हेतु विधेयक संसद में कब पुरःस्थापित किया जायेगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की विस्तृत सूची कब तक तैयार कर दिये जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) से (घ) कुछ खानाबदोश कबीलों और अधिसूचित समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची रखती है। उपरोक्त समुदायों सहित पात्र मामलों को शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची के संशोधन पर, व्यापक संशोधन सहित, संसद के विधेयक के माध्यम से, विचार किया जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर जांच की जा रही है और इस स्तर पर जनहित में नहीं बताया जा सकता। संसद में पुरः स्थापित करने के लिए विधेयक कब तक तैयार किया जाएगा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए नक्शा बनाने की कम्प्यूटीकृत प्रणाली

*404. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए नक्शा बनाने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्राप्त करने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) क्या उपर्युक्त प्रणाली स्वदेशी स्त्रोतों से प्राप्त की जा सकती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हाँ !

(ख) अनुमान है कि पाँच करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

(ग) जी नहीं !

कर्नाटक में सफेदे के पेड़ लगाना

*405. **श्री बी० कृष्णराव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सफेदे के पेड़ लगाये जाने के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है;

(ख) क्या सफेदे के पेड़ लगाने के दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव होंगे; और

(ग) कर्नाटक में सफेदे के पेड़ों के स्थान पर अन्य पेड़ लगाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) कर्नाटक में सफेदे के पेड़ लगाने के प्रति अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया है ।

(ख) सफेदे के पेड़ लगाने के हानिकारक प्रभाव उन परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे, जिनके अन्तर्गत उनका पौधरोपण किया जाता है ।

(ग) 1. एक ही किस्म की पौधरोपण के बजाय मिश्रित प्रजातियों की पौधरोपण को तरजीह देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ।

2. राज्य के विभिन्न भागों में उपयुक्तता के लिए बहुत सी प्रजातियों की जांच करने के लिए परीक्षण शुरू किए गए हैं ।

बचत की दर में कमी होना

*406. **श्री रामधन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1983-84 से बचत की दर में कमी आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कमी होने के कौन से कारण है; और

(ग) बचत की दर में वृद्धि करने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 1983-84 के बाद के निवल घरेलू बचत और बचत दर के अन्तरिम अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	निवल घरेलू बचत (करोड़ रुपए)	निवल घरेलू बचत की दर (प्रतिशत)
1983-84*	29,622	16.5
1984-85*	32,248	16.4
1985-86*	35,638	16.2†

* अन्तिम

† 16.1 प्रतिशत पर संशोधित किया गया ।

बचत अनुपात में मामूली सी कमी का कारण प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार सरकारी विभागों सहित सरकारी क्षेत्र में होने वाली बचतों में कमी का होना है । सरकार में बचतों, निवेश तथा अर्थव्यवस्था में वृद्धि में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं । इनका ब्यौरा हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई 1986-87 की आर्थिक समीक्षा में दिया गया है । 1987-88 के बजट में भी इस दिशा में किए गए कई उपायों का ब्यौरा दिया गया है ।

[अनुवाद]

करूर वैश्य बैंक लिमिटेड और बैंक आफ तंजाऊर लिमिटेड में निदेशकों की नियुक्ति

4107. श्री सुरेश कुरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करूर वैश्य बैंक लिमिटेड और बैंक आफ तंजाऊर लिमिटेड में निदेशकों की नियुक्ति, विशेषकर उनका कार्यकाल बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय यूनिटों द्वारा बैंकों से प्राप्त राशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना

4108. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ चाय यूनिटें बैंकों से प्राप्त राशि का दीर्घावधिक आधार पर कार्यचालन पूंजी के लिए उपयोग कर रही हैं अथवा उनका अपनी सहायक कम्पनियों में और चाय उत्पादन से इतर कार्यों में निवेश कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि जब तक ये यूनिटें अन्यत्र उपयोग की गई धनराशि लौटा न दें तब तक उन्हें बैंकों से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ चाय एककों ने कार्यशील पूंजी के कुछ भाग का उपयोग विकास प्रयोजनों के लिए और कुछ का अन्तर-कम्पनी निवेश के लिए किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों से ऐसे चाय एककों से अन्यत्र लगाई गयी संपूर्ण राशि को निर्धारित समयावधि के अन्दर-अन्दर लौटाने के लिए जोर देने के वास्ते कहा है। ऐसे चाय एककों को, जिन्होंने इस अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया, वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों द्वारा दी जाने वाली राहत आदि बाद में वापस ले ली गयी थी। अलबत्ता इन कम्पनियों को उत्पादन संबंधी वित्तीय सहायता दिया जाना जारी है।

सिक्योरिटी पेपर मिल में प्रोत्साहन योजना समाप्त करना

4109. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल में विद्यमान ग्रुप प्रोत्साहन योजना समाप्त करने से इस मिल के कर्मचारियों के वेतन इस विभाग के अन्तर्गत सहयोगी विभाग के कर्मचारियों के वेतन से भी कम हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की कटौती आवश्यक सेवाएँ बनाए रखना अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के बाद की गई है जबकि श्रमिकों के हितों की देख भाल के लिए श्रम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं ; और

(घ) यदि हां तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मिल के आधुनिकीकरण के बाद कार्य का मूल्यांकन करने, मानदण्ड निर्धारित करने और आधुनिकीकृत मिल में प्रोत्साहन योजना तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। इसकी सिफारिशें, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के संघ के बीच समझौता न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकीं। चूंकि आधुनिकीकृत मिल में पुराने मानदण्ड न्यायोचित नहीं हो सकते इसलिए प्रोत्साहन योजना से संबंधित पहले समझौते को अगस्त, 1985 में समाप्त कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप मिल के कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई है।

(ग) कटौती, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मिल के अधुनिकीकरण के पश्चात् संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर न किए जाने के कारण हुई थी। संगठन में अनुशासन बनाए रखने और संघ द्वारा दिए गए हड़ताल के नोटिस को प्रभावहीन करने के लिए जून, 1985 में अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। प्रोत्साहन योजना अगस्त,

1985 से समाप्त कर दी गई थी। इस समय वहां कोई श्रम अधिकारी नहीं है और शीघ्र ही एक श्रम अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की आशा है।

(घ) संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। संघ ने पहले सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त जबलपुर के पास समझौते के लिए प्रयास किया था। यह प्रयास विफल रहा और इस विषय को श्रम मंत्रालय द्वारा अधिनिर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनल, जबलपुर के पास भेजा गया था और इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

कम्पनियों में उनके प्रवर्तकों के शेयरों का बेचा जाना

4110. **श्री लक्ष्मण मलिक :**
श्री एच० बी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शेयर डिबेंचर आदि स्टाक ऐक्सचेंजों में दर्ज कराए जाने के उद्देश्य से कम्पनियों में उनके प्रवर्तकों के शेयरों को बेचे जाने के लिए नियमों को लचीला बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किये गये मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिनांक 2 नवम्बर, 1982 को जारी किए गए सूचीबद्धता संबंधी मार्गनिर्देशो के अनुसार कतिपय कम्पनियों में संवर्धन-कर्त्ताओं के पास अनुमत्य स्तर से ऊपर की सामान्य शेयरधारिता का विनिवेश, परियोजना द्वारा वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरु किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर सामान्य जनता के समक्ष शेयरों की बिक्री की पेशकश करके पूरा करना होगा। सरकार ने हाल ही में इन मार्गनिर्देशों का संशोधन किया है और उसके द्वारा इस आशय की व्यवस्था कर दी है कि ऐसे मामलों में, जहां पर संवर्धनकर्त्ताओं द्वारा अपेक्षानुसार विनिवेशित किए जाने वाले शेयरों का अंकित मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो उन मामलों में विनिवेश सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से किया जाना जरूरी नहीं होगा। इस तरह का विनिवेश सार्वजनिक वित्तीय/निवेश संस्थानों को शेयरों की बिक्री की पेशकश करके शेयरों को बेचकर अथवा संवर्धनकर्त्ताओं के वर्ग को छोड़कर विद्यमान शेयर-धारकों को अधिकारिक आधार पर शेयरों की बिक्री की पेशकश करके सम्पन्न किया जा सकेगा, बशर्ते कि विनिवेश से पूर्व कम्पनी में प्रति लाख रुपए की शेयर पूंजी पर 10 सार्वजनिक शेयरधारक विद्यमान हों

विकलांगों को पेंशन

4111. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विकलांगों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो राज्यों को इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि दी जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। फिर भी व्यवहारिक रूप से सभी राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दे रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में ऋण मेला योजना से लाभान्वित हुए लोगों की संख्या

4112. **श्री आर० जीवारथिनम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ऋण मेला" योजना के अन्तर्गत आज तक तमिलनाडु में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ग) अब तक कितने गांव इसके अन्तर्गत लाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने के लिए शुरू किए गए अपने समग्र उपायों के एक अंग के रूप में ऋण शिविर आयोजित करते हैं। इन ऋण शिविरों को केन्द्रीय स्तर पर कोई निगरानी करना व्यवहार्य अथवा आवश्यक नहीं समझा जाता और वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से आयोजित किए गए इन शिविरों, इनमें संवितरित रकम और अन्तर्ग्रस्त हिताधिकारियों की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, दिसम्बर 1985 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को 2099441 उधार खातों के अन्तर्गत 525 करोड़ रुपये के अग्रिम मंजूर किए गए थे।

आंध्र प्रदेश में रिक्शा-चालकों को ऋण

4113. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिंडीकेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं "अपना रिक्शा चलाओ" (ओन योर रिक्शा) योजना जैसी कतिपय स्व-रोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाना

4114. **डा० एस० जगतरक्षकन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा "स्व रोजगार योजना" के अंतर्गत ऋण देने की प्रणाली

में सुधार करने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या ऋण मंजूर करने में असाधारण विलम्ब किए जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में निर्धारित समय सीमा का पालन करने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) क्या ऋण स्वीकृत किए जाने के बाद, उसकी पूरी धन राशि को वापिस किये जाने तक उसका समय पर वापस भुगतान किये जाने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने वाले बैंकों में से कितने बैंकों को हानि उठानी पड़ी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना निम्न-लिखित संशोधनों के साथ 1986-87 और 7वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में जारी रखी जा रही है :—

(1) 30 प्रतिशत मंजूरियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी।

(2) औद्योगिक धंधों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये और व्यापारिक धन्धों के लिए घटाकर 15,000 रुपये कर दी गयी है।

(3) हिताधिकारी की पारिवारिक आमदनी की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये वार्षिक रखी गयी है। इसके अलावा हिताधिकारी को शपथ-पत्र दाखिल करना होगा।

(4) इस योजना के अन्तर्गत अब आई० टी० आई० पास युवकों को औद्योगिक तथा सेवा सम्बन्धी धन्धे शुरू करने के लिए इस योजना का पात्र बना दिया गया है।

शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना हाल ही में 1 सितम्बर, 1986 से शुरू की की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने और ऋणों का भुगतान करने की प्रक्रिया में और सुधार करने के प्रश्न पर कुछ समय के वास्ते इस योजना के कार्यनिष्पादन की प्रगति को देखने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग) यद्यपि ऋण मंजूर करने में कोई असाधारण देर नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा बैंकों को, ऋण प्रस्तावों को शीघ्र मंजूर करने/ऋणों का भुगतान करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिये जाते रहते हैं। जहां तक शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी, 1987 को अनुदेश दिये थे, जिनमें उन्हें निर्धारित तारीख के अन्दर-अन्दर लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने तन्त्र को चुस्त बनाने के लिए कहा था।

जहां तक शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम का सम्बन्ध है इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर नजर रखी जा रही है और बैंकों से ऋण मंजूर करने का काम फरवरी 1987 के अन्त से पहले-पहले पूरा करने के लिये कहा गया था। स्थिति पर फिर से विचार करने के बाद इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने के लिए बैंकों को 31 मार्च, 1987 तक और समय दे दिया गया है।

(घ) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम के अन्तर्गत वापसी अदायगी सम्बन्धी कार्य-निष्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन करना अभी समयपूर्व होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अधीन वापसी अदायगी 3 महीने की रियायती अवधि के बाद शुरू होगी। लेकिन, बैंकों से इन ऋण खातों पर भी उस प्रकार नजर रखने और धनराशियों का उचित अन्तिम उपयोग सुनिश्चित करने की उसी प्रकार अपेक्षा की जाती है जिस प्रकार वे ऐसे ही कार्यों के लिए दिए जाने वाले अन्य ऋणों के वास्ते करते हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को, नीति के व्यापक उद्देश्यों के अनुसार रियायती ब्याज दरों पर अग्रिम दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में बैंकों को हुई हानि का अनुमान लगाना कठिन है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते का भुगतान

4115. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्त पति और पत्नी दोनों उस स्थिति में मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं यदि उनमें से किसी को सरकारी मकान आबंटित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों में संशोधन करने का है, जिससे उन पति/पत्नियों को, जिन्हें सरकारी मकान आबंटित नहीं हैं, मकान किराया भत्ता प्राप्त हो सके ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी/के पति को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त सरकारी उपक्रम या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसे, नगरपालिका, पत्तम न्यास आदि द्वारा उसी स्थान पर आवास आबंटित किया गया है तो वह मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा/होगी चाहे वह उस मकान में रहता/रहती हो अथवा वह उसके द्वारा किराये पर लिए गए आवास में अलग से रहता/रहती हो।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बम्बई के क्षेत्रों में रक्षा प्रतिष्ठानों और राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण

4116. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हिल्स परियोजना को खुदाई कार्यों के पुनः आरम्भ किये जाने से निराशा हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार अधोभूमि अधिकार उत्सादन सम्बन्धी अधिनियम के आधार पर सरकार इस समस्या का समाधान करने में असफल रही है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप चेम्बूर ट्राम्बे क्षेत्र में महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तथा राष्ट्रीय स्मारकों जैसे बोरिवाली राष्ट्रीय उद्यान, अन्धेरी-गिम्बर्ट हिल के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) इस परियोजना पर राज्य प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

वायु प्रदूषण

4117. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों और औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण इतनी अधिक सीमा पर पहुंच चुका है कि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गया है;

(ख) इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या विदेशों से सहायता मांगी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार सल्फर डाय-आक्साइड तथा नाइट्रोजन आक्साइड के स्तर निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों में विवक्ता पदार्थ (पार्टीकुलेट मैटर) के स्तर अधिक है।

(ख) उठाए गये कदमों में ये सम्मिलित हैं :

(1) वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं;

(2) क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं;

(3) प्रदूषक उद्योगों के लिए निस्सरण सीमाएं निर्धारित की गई हैं तथा उद्योगों को समयबद्ध आधार पर मानकों के पालन करने का निदेश दिया गया है;

(4) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण स्थापित करने तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों से प्रदूषक उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं; तथा

(5) दोषी इकाईयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रमों और/औजारों/उपकरणों के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त की जा रही है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लाभ की धन राशि का विदेश भेजा जाना

4118. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं और वे किन-किन देशों की हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा लाभ की कितनी धन राशि विदेशों को भेजी गयी;

(ग) क्या इनमें से किसी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है। तथापि, व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, उन कम्पनियों को जिनमें अनिवासियों के 40 प्रतिशत से ज्यादा हिताधिकार सूचक शेयर हों जो कम्पनियां सामान्यतया "फेरा" कम्पनियों के नाम से विख्यात हैं बहुराष्ट्रिक कम्पनियां समझा जाता है। 31 जुलाई, 1986 को 119 "फेरा" कम्पनियां विद्यमान थीं (इनमें साझेदारी प्रतिष्ठान और शाखायें भी शामिल हैं।) विदेशी पार्टियां, जिन्होंने इनमें पूंजी का निवेश कर रखा है, अन्यों के साथ-साथ, अमरीका, कनाड़ा, जापान और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से सम्बन्धित हैं।

(ख) इन "फेरा" कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में भेजी गई लाभ की राशि इस प्रकार है :--

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपए)
1983-84	31.15
1984-85	35.20
1985-86	38.00

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांड जारी करना

4119. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बांडों में शामिल 14 प्रतिशत की तुलनात्मक अधिक वचनबद्धता को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी 14 प्रतिशत की मिली-जुली पेशकश को समाप्त करने का विचार है;

(ख) सरकार का संचयी ब्याज, दलाली और मोचन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 14 प्रतिशत बांडों के मामले में अन्ततः कितना धन वहन करना पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों के बारे में नीति में परिवर्तन करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं। इन बांडों को महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों अर्थात विद्युत, दूरसंचार तथा रेलवे जैसे क्षेत्रों में जारी किया जाता है।

(ख) संचयी ब्याज सुविधा का लाभ सभी निवेशकर्ताओं द्वारा नहीं उठाया जाता, और यह कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। दलालों का 1.5 प्रतिशत का व्यय केवल एक ही बार वहन किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बांडों के सम्बन्ध में कोई उन्मोचन प्रीमियम उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं। तथापि इस नीति पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त संशोधन किये जा सकते है।

विदेशी मुद्रा की चोरी-छिपे बिक्री और खरीद

4120. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1986 में दिल्ली में विदेशी मुद्रा की चोरी-छिपे बिक्री और खरीद करने वाले एक गिरोह का पर्दा फास किया ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1986 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्त्तन निदेशालय (फेरा) ने दिल्ली में अनेक तलाशियां लीं, जिनके परिणामस्वरुप दस्तावेजों के अतिरिक्त 1,01,512.00 अमेरिकी डालर, 36 कनेडियन डालर, 9 पौंड, 250 डूत्शे मार्क, 67 नेपाली रुपये, 850 अमेरिकी डालर, तथा 2 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा पकडी गई थी। इस संबंध में विदेशी मुद्रा विनियिमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के सिलसिले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम बढ़ाया जाना

4121. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमे की विभिन्न सारणियों के अन्तर्गत प्रीमियम की राशि निर्धारित करने के लिए कौन सी मृत्यु संबंधी सारणी का प्रयोग किया जा रहा है और वह किस वर्ष से अपनाई जा रही है तथा मृत्यु की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) अर्जित प्रीमियम और पालिसीधारकों से एकत्र प्रीमियम पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है; और

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार निकट भविष्य में प्रीमियम बढ़ाने अथवा मृत्यु दर सारणी में परिवर्तन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम की "लाभ सहित" पालिसियों पर लिया जाने वाला प्रीमियम जीवन बीमा निगम (1970-73) के 3 वर्ष तक के अन्ततः मृत्यु दर आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और "बिना लाभ" वाली पालिसियों के अन्तर्गत लिया जाने वाला प्रीमियम जीवन बीमा निगम (1975-79) के 3 वर्ष तक के अन्ततः मृत्यु दर आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा पांच वर्षों में अपनी जीवन निधि पर अर्जित ब्याज की निवल दर इस प्रकार है : –

वर्ष	ब्याज की निवल दर
1981-82	8.02 प्रतिशत
1982-83	8.13 प्रतिशत
1983-84	8.62 प्रतिशत
1984-85	8.82 प्रतिशत
1985-36	9.16 प्रतिशत

जीवन बीमा निगम की "लाभ सहित" योजनाओं के अन्तर्गत लिए जाने वाले प्रीमियम 6 प्रतिशत ब्याज पर आधारित हैं और "बिना लाभ" वाली योजनाओं के अन्तर्गत लिए जाने वाले प्रीमियम 8 प्रतिशत ब्याज पर आधारित हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम का मृत्यु दर सारणी में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। फिर भी, अनुभव के आधार पर "बिना लाभ" वाली पालिसियों के मामले में 1.9.86 से प्रीमियम की दरों में कमी कर दी गई है और "लाभ सहित" पालिसियों के मामले में अधिक बोनस की दरें घोषित की जारही हैं।

जापानी सहायता

4122. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने आर्थिक विकास के लिये 1,411 मिलियन येन की सहायता दी है;

(ख) क्या उक्त सहायता कुछ परियोजनाओं से ही सम्बद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस ऋण राहत अनुदान सहायता की अवधि में वृद्धि करने के लिए जापान सरकार से पत्रों का आदान प्रदान 27 फरवरी, 1987 को निष्पन्न किया गया था। यह अनुदान सहायता जापान, सभी विकासशील देशों तथा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के सभी सदस्य देशों से मशीनों, उपस्करों, संघटकों तथा अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि के आयात के लिए उपलब्ध कराई गई है।

निश्चित अवधि के लिए ऋण देने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण

4123. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निश्चित अवधि के लिए ऋण देने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं;

(ख) इन संस्थाओं ने किन-किन तारीखों से कार्य करना आरम्भ किया;

(ग) इनमें से प्रत्येक संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष बड़े, मझोले और छोटे उद्योगों को कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए गए और वितरित किए गए;

(घ) इनमें से प्रत्येक संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को कितनी धनराशि के ऋण स्वीकार किए गए। वितरित किए गये तथा उन पर कितनी राशि के ऋण बकाया हैं;

(ङ) इनमें से प्रत्येक संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दरें क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज की दरों में क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्था के लिए यदि बजट में कोई धनराशि नियत की गई है, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देश की तीन अखिल भारतीय सावधि ऋण दात्री सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ.सी.आई.) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) की स्थापना क्रमशः 1.7.48, 5.1.1955 और 1.7.1964 को की गई थी।

(ग) और (च) उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण–I में दी गयी है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध तथा कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सावधि ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई ऋण राशि तथा सरकार से प्राप्त बजट अंतरणों का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

भाग (ग) (करोड़ रुपए)

	आई.डी.बी.आई.	आई.एफ.सी.आई.	आई.सी.आई.सी.आई.
I. बड़े और मझोले उद्योग			
(क) मंजूरियां			
1983-84	1587.4	296.5	446.6
1984-85	2097.0	358.9	551.6
1985-86	2372.5	450.0	652.1
(ख) संवितरण			
1983-84	1134.2	218.5	321.6
1984-85	1225.2	268.4	380.3
1685-86	1735.0	398.6	471.6
II. लघु उद्योग			
मंजूरियां			
1983-84	580.0	आई.एफ.सी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. के संबंध में सूचना नगण्य है। लघु क्षेत्र की परियोजनाओं के वास्ते प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की आवश्यकताओं पर राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और आई. डी. बी. आई. की पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत मानदण्डों के अनुसार पात्र बैंकों द्वारा भी ध्यान रखा जाता है ।	
1984-85	894.8		
1985-86	1166.2		
संवितरण			
1983-84	578.5		
1984-85	727.1		
1985-86	795.1		
भाग (घ)			
III. विश्व बैंक ऋणों आदि के अन्तर्गत रुपया अन्तरणों सहित केन्द्रीय सरकार से प्राप्त बजट अन्तरण			
(क) शेयर पूंजी			
1983-84	130.0	—	—
1984-85	30.0	—	—
1985-86	30.0	—	—

(ख) अन्य			
1983-84	67.4	1.35	1.56
1984-85	18.0	2.00	2.19
1985-86	27.0	2.55	5.28

विवरण-II

1985-86 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा लिए गए ब्याज की दरों को दिखाने वाला विवरण। ब्याज दर में गत वर्ष के दौरान हुए किसी भी परिवर्तन को टिप्पणी में दिखाया गया है।

श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर	टिप्पणी
I. प्रत्यक्ष सहायता		
(क) मूल उधार दर	14.0	
(ख) पिछड़े क्षेत्र	12.5	
(ग) आधुनिकीकरण सहायता (4 करोड़ रुपये तक)	11.5	
(घ) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि		
(1) 6 करोड़ रुपये तक	12.5	
(2) 6 करोड रुपये से अधिक	14.0	
(ङ) तकनीकी विकास योजना के अंतर्गत	12.5	यह योजना केवल आई. डी. बी. आई. द्वारा चलाई जा रही है। 1983-84 में ब्याज दर 14.0 प्रतिशत वार्षिक थी।
II. अप्रत्यक्ष सहायता		
एस.एस.आई. एककों को ऋण		
(क) पिछड़े क्षेत्रों को ऋण	12.5	
(ख) पिछड़े क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों को ऋण		
(1) 25 लाख रुपए तक	13.5	
(2) 25 लाख रुपये से अधिक	14.0	1982-83 में ब्याज दर 13.5% वार्षिक थी।

1	2	3
(ग) मिश्रित ऋण		
(1) पिछड़े क्षेत्र (अनु०जाति/अनु० जन जाति/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित)	10.0	
(2) पिछड़े क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों को ऋण	12.0	
III. आई. डी. बी. आई. की हुन्डी पुनर्भुनाई योजना (असमाप्त मीयादी हुंडियां/वचनपत्र)		
(क) सामान्य		
1. 6 महीने–36 महीने	12.0	
2. 36 महीने से अधिक और 84 महीने तक	11.5	
(ख) राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सड़क परिवहन निगम		
1. 6 महीने–36 महीने	11.0	
2. 36 महीने से अधिक और 84 महीने तक	10.5	
(ग) लघु उद्योग एकक		
1. 6 महीने–36 महीने	11.0	1983-84 में ब्याज दर 10.9 प्रतिशत थी।
2. 36 महीने से अधिक और 84 महीने तक	10.5	1983-84 में ब्याज दर 10.4 प्रतिशत थी।
IV. विदेशी मुद्रा ऋण		
वित्तीय संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार समय-समय पर अलग-अलग होती है। आई. एफ. सी. आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.12.86 को ब्याज दर नीचे दी गई है :–		
1. के. एफ. डब्ल्यू. ऋण पर	9.5	

1	2	3
2. यूरो करेंसी बाजार से उधार पर		छमाही लन्दन अन्तर बैंक दर से 1.5 प्रतिशत अधिक
3. जापानी येन ऋण पर	8.5	

बाल सहायता ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव

4124. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में उपेक्षित बच्चों को उचित देखरेख के लिए बाल सहायता ब्यूरो की स्थापना करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में किशोर सहायता ब्यूरो की स्थापना करने का उनका प्रस्ताव है ।

(ख) आशा है कि ब्यूरो, किशोर अपराध की रोकथाम करने और जरूरतमंद किशोरों को संरक्षण देने में सहायता प्रदान करेगा ।

उड़ीसा में बैंकों द्वारा दिए गये ऋण

4125. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में विभिन्न बैंकों की कुल जमा राशि कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विभिन्न बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कृषि विकास के लिए किसानों को ऋण के रूप में कितनी धन-राशि दी गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये वाणिज्यिक ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सितम्बर 1986 को उड़ीसा में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां 1095.65 करोड़ रुपये की थीं ।

(ख) से (घ) उड़ीसा में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में दिए गए कुल अग्रिमों कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की स्थिति नीचे दी गई है :—

(राशि : करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल	कृषि	लघु उद्योग
दिसम्बर 1983	604	153	64
दिसम्बर 1984	744	183	86
दिसम्बर 1985	890	224	104

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि

4126. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के लिए कुल कितनी धनराशि एकत्र हुई;

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान इस कल्याण निधि में से जिन कल्याण योजनाओं पर धनराशि खर्च की गई, उनका ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान इस कल्याण निधि में से मध्य प्रदेश में जिन कल्याण योजनाओं पर धनराशि खर्च की गई उनका ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में मध्य प्रदेश में शीर्षवार कितनी धनराशि एकत्र की गयी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 (जनवरी तक) के दौरान बीड़ी कामगारों के कल्याण निधि के लिये एकत्र किए गये उपकर की कुल राशि क्रमशः 3.80 करोड़ रु० और 3.12 करोड़ रुपये (आंकड़े अनन्तिम) हैं ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) वर्ष 1985-86 और 1986-87 (जनवरी तक) के दौरान मध्य प्रदेश से उपकर के रूप में एकत्र की गई कुल राशि क्रमशः 79.76 लाख रुपये तथा 67.17 लाख रुपये (आंकड़े अनन्तिम) हैं ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	वर्ष 1985-86 के लिए कुल व्यय	वर्ष 1986-87 (जनवरी तक) के लिए कुल व्यय	मध्य प्रदेश के लिये वर्ष 1985-86 के लिए कुल व्यय	वर्ष 1986-87 (जनवरी तक) के लिए मध्य प्रदेश के लिए कुल व्यय
1	2	3	4	5
प्रशासन	43.10	32.97	3.63	3.65
स्वास्थ्य	155.86	148.46	16.63	16.14
शिक्षा	63.94	.88	8.92	—
मनोरंजन	2.57	.21	0.08	—

1	2	3	4	5
आवास	.94	.92	—	0.04
जल आपूर्ति	.11	—	—	—
कुल :	266.52	183.44	29.26	19.83

[अनुवाद]

अनुशासनात्मक अथवा फौजदारी मामलों के कारण दक्षतारोध का रोकना

4127. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय के अनुसरण में अनुशासनात्मक अथवा फौजदारी मामलों में जेल में बन्द रहे कर्मचारियों की पदोन्नति और दक्षतारोध रोकने के लिये अनुदेश जारी किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जारी किए जाने वाले आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 2-3-1987 को दिए गए निर्णय के विभिन्न प्रभावों की जाँच की जा रही है ।

शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण

4128. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान अब तक कितनी धनराशि के ऋणों का वितरण किया गया है;

(ख) क्या इन ऋणों की वापस अदायगी शुरू हो गई है, यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि देय और बकाया है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नये आवेदन आमन्त्रित किए गये हैं अथवा इसके लिए इच्छानुसार कभी भी आवेदन किया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में संवितरित ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों से पूरे आंकड़े मंगवाने की तारीख अभी दूर है । लेकिन, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 1987 के मध्य तक 2,42,906 मामलों में 79.44 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए थे । ऋणों के भुगतान के सम्बन्ध में पूरी तस्वीर पूरे वित्तीय वर्ष के आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही सामने आ सकेगी ।

(ख) यह कार्यक्रम हाल में 1 सितम्बर, 1986 से शुरू किया गया था और वसूली का हिसाब लगाना अभी समय पूर्व होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अधीन ऋणों की वापसी अदायगी 3 महीने की रियायती अवधि के बाद शुरू होती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख निर्धारित कर दी थी और पूरी तरह से भरे आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख शुरू में 15 अक्टूबर, 1986 रखी गई थी। लेकिन कुछ केन्द्रों में, जहां पर निर्धारित तारीख के अन्दर-अन्दर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये थे वहां 15 अक्टूबर, 1986 के बाद भी नये आवेदन स्वीकार किए गये थे।

केरल में जनजातीय लोगों की जनसंख्या

4129. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में जनजातीय लोगों की जनसंख्या कितनी है,

(ख) इसमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या कितनी है,

(ग) उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान क्या उपाय किये गये हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या 2.61 लाख हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि जनजाति के 40,000 परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे।

(ग) और (घ) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया आदिवासी, उपयोजना, दृष्टिकोण, आदिवासी विकास के लिए निरन्तर एक प्रमुख यंत्र है, जिसमें आई०आर०डी०पी० जैसे परिवारोन्मुखी उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०), जैसे रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल हैं। केरल में गरीबी रेखा पार करने हेतु आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त आदिवासी परिवारों की संख्या 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान (फरवरी 1986 तक) क्रमशः 6157, 3433 और 5679 है। 1987-88 के लिए लक्ष्य 4000 आदिवासी परिवारों का है।

काले धन पर रोक लगाने के उपाय

4130. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष महानगरों में रिहाइशी मकानों से किराये से पैदा हो रहे काले धन का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में काले धन पर रोक लगाने के लिये क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी नहीं। ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, वास्तविक सम्पदा के लेन-देन में शामिल काले धन की जाँच करने के लिए, सरकार को महानगरों में वास्तविक सम्पदा की खरीद के लिए अग्रक्रय अधिकार दिया गया है।

पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की राहत

4131. **श्री के. एस. राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू मंहगाई भत्ता पेंशनरों को भी राहत के रूप में उसी आधार पर भुगतान किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) तथा (ख) पेंशन भोगियों के लिए मंहगाई राहत योजना, केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों के मामले में लागू मंहगाई भत्ता योजना के नमूने पर होगी और उसके अधीन नीचे उल्लिखित सीमा तक निष्प्रभावन होगा :

(i)	1750/- रु० प्रतिमास तक की पेंशन	शत प्रतिशत निष्प्रभावन	
(ii)	1751/- रु० से 3000/- रुपये तक की पेंशन	75 प्रतिशत निष्प्रभावन	मामूली समायोजनों के अधीन
(iii)	3000/- रु० से ऊपर की पेंशन	65 प्रतिशत निष्प्रभावन	

पेंशनभोगियों की देय राशियों का भुगतान न किया जाना

4132. **श्री पी. एम. सईद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सेवा से कितने व्यक्ति सेवानिवृत हुए हैं;

(ख) ऐसेपेंशन भोगियों की संख्या कितनी हैं जिनकी पेंशन या सामान्य भविष्य निधि मामलों का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा हिमालय की पहाड़ियों में भूस्खलन को रोकने के लिये नई तकनीक का विकास

4133. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने हिमालय की पहाड़ियों के मिट्टी खिसकने वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए कोई आधुनिक तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन तकनीकों का अविलम्ब उपयोग किया जा सकता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री श्री (के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) भूस्खलन रोकने के लिए ढलान का छीजन भूस्खलन से उत्पन्न मलवां, मिश्रोडक (कोलुवियम्), टेलस या खाली बिटुमैन ड्रमों जैसे आसानी से उपलब्ध पात्रों में पैक किए गए कोई अन्य उत्खनित पदार्थों का प्रयोग कर कम लागत से निर्माण की जाने वाली धारक दीवारों की तकनीक केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी.बी.आर.आई.) रुड़की द्वारा विकसित की गई है। खाली ड्रम खड़े और पार्श्व रूप से एक दूसरे जुड़े होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उपलब्ध करने के लिए मलबे से भरे होते हैं और स्थायित्व के इच्छित स्तरों तक लाने के लिए ऐसी दीवारों को ढलवां स्थानों पर उपयुक्त ढंग से गाड़ा जाता है।

(ग) जी, हां लेकिन भूस्खलन नियंत्रण के उपायों पर यह तकनीक पैकेज का एक भाग बन सकती है और भूस्खलन रोकने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

अनिवासी भारतीयों को भारतीय कम्पनियों की स्थापना से संबंधित "संस्था के ज्ञापन पत्र" पर हस्ताक्षर करने की अनुमति

4134. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारतीय कम्पनियों की स्थापना के बारे में "संस्था के ज्ञापन पत्रों" पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं :

(ग) भारत में परियोजनाएं स्थापित करने के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों तथा अनिवासी भारतीयों को इससे कहां तक सहायता मिलेगी; और

(घ) इस निर्णय के बाद कितनी परियोजनाएं लगाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व

बैंक ने अनिवासी भारतीयों को कम्पनियों की संस्थान एवं उद्देश्यवाहक नियमावलियों को अभिहस्ताक्षरित करने और विमनन के प्रयोजन के लिए किसी कम्पनी के शेयर ग्रहण कर लेने की अनुमति प्रदान की है। इस अधिसूचना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य अनिवासी भारतीयों भारतीय मूल के व्यक्तियों के द्वारा भारत में उद्योग धन्धों में पूंजी का निवेश कर सकने से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल और मुक्तिसंगत बनाना है।

(घ) इस निर्णय के उपरांत संभावित रूप से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या का अनुमान नहीं किया जा सकता।

अनिवासी भारतीयों के लिए अलग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम बनाया जाना

4135. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :**
श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के लिए एक अलग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, ता प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं !

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नशीली दवाओं के सेवन को रोकना

4136. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय शिक्षा परिषद से नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाने के लिए उपायों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्ससंम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) यद्यपि कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है, फिर भी सरकार के कनिष्ठ सहयोग से इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सभी स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेल्ली हत्याकांड के अनाथों का पुनर्वास

4137. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने 1983 के हत्याकांड के अनाथों

के पुनर्वास के लिए असम में कुछ बालगृह और बालगांव स्थापित करने सम्बन्धी परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया था ।

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ।

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ।

(घ) क्या सोसाइटी विदेशों में स्थित अपने सहयोगी संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटी से प्राप्त दान की धनराशि का उपयोग नहीं कर सकी और उसे दान की धनराशि लौटानी पड़ी; और

(ङ) यदि हां, तो उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी, उसने कितनी धनराशि का उपयोग किया और कितनी धनराशि लौटाई ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी एक स्वायत्त संगठन है । उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने कुछ बच्चों की देखभाल के लिए, विशेषकर उनके लिए जो 1983 में असम के दंगों में अनाथ हो गए थे, एक गृह खोलने का प्रस्ताव किया था ।

(ख) से (ङ) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने स्विटजरलैंड रेड क्रास सोसाइटी से 8,29,600 रुपये की धनराशि प्राप्त की थी और जब उन्होंने स्वयं को स्थानीय साधनों से पूंजी लागत को पूरा करने की स्थिति में पाया तो वह धनराशि दान-कर्ता को वापिस लौटा दी ।

विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा

4138. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए विद्यमान आधारभूत व्यवस्था अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजनाएं तैयार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : कल्याण मंत्रालय में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये जाते हैं, जिनमें विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल भी शामिल हैं । 1986-87 में, इस योजना के अन्तर्गत विशेष स्कूलों को 178.34 लाख रुपये दिये गए हैं ।

मंत्रालय में विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी एक योजना है, जिसके अन्तर्गत विकलांग छात्रों को कक्षा 9 से एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम./एल.एल.एम./एम.एड. आदि तक छात्र-वृत्तियां प्रदान की जाती हैं । इसमें बी.ई./बी.टेक./एम.बी.बी.एस./एल.एल.बी./बी.एड व्यवसायिक

और इन्जीनियरिंग अध्ययन आदि में डिप्लोमा इन-प्लांट प्रशिक्षण जैसे व्यवसायिक शिक्षा शामिल है। 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत विकलांग छात्रों को 2,33,75,105.00 रुपये का भुगतान किया गया। 1986 में, छात्रवृत्ति की दरों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, इस योजना में संशोधन किया गया था।

(ख) और (ग) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत, सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के एकीकरण पर बल दिया गया है। इस नीति में विशेष स्कूलों की स्थापना, अध्यापकों का प्रशिक्षण और वर्तमान स्कूलों को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

कोच और राजबोंगशीश जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

4139. **श्री एस. जयपाल रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, असम के कोच और राजबोंगशीश जातियों द्वारा अनेक वर्षों से सरकार को भेजे जा रहे उन अनेक ज्ञापनों के विषय में जानकारी है जिनमें उन्होंने स्वयं को अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में अनुरोध किया है जबकि इन कोच और राजबोंगशीश जातियो को पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की अनुसूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में आवश्यक संरक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है क्योंकि उन्हें मूलसूची तैयार करते समय छोड़ दिया गया था ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) असम में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच और राजबोंगशीश समुदायों को शामिल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिर भी पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों की सूची में इन समुदायों को शामिल किया हुआ है और त्रिपुरा में, केवल कोच जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया हुआ है।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्ताव पर ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है।

बाल-बेयरिंग की तस्करी

4140. **वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बंगलादेश तथा नेपाल से बाल-बेयरिंग की भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या इसका कारण आयात शुल्क का अधिक होना है; और

(ग) देश में बाल-बेयरिंग की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता नहीं चलता है कि बंगलादेश और नेपाल से बड़ी मात्रा में बॉल बियरिंग्स तस्करी द्वारा देश में लाए जा रहे हैं।

(ग) पूरे देश में तस्करी-रोधी अभियान सामान्यतया तेज कर दिया गया है, विशेषतया अत्यन्त सुगम्य क्षेत्रों और भू-सीमा क्षेत्रों में इस पर अधिक जोर दिया गया है। तस्करी के तौर-तरीकों एवं किए गए अभिग्रहणों की सतत समीक्षा की जाती है ताकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकरियों के साथ घनिष्ठ ताल मेल रखकर उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

सिविल सेवाओं में सुधार

4141, **श्री उत्तम राठौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक परिवर्तनों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार का सिविल सेवाओं में कोई सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्हें कार्यान्वित करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) सामाजिक परिवर्तनों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सिविल सेवाओं में सुधार किया जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में हाल ही में, किए गए उपायों में भर्ती प्रक्रिया में सुधार, उनकी कार्यकुशलताओं और योग्यताओं को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजनाबद्ध स्थानन और कैरियर प्लानिंग, वस्तुनिष्ठ कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से जवाबदेही लागू करना आदि शामिल हैं।

भारत-बुल्गारिया वार्ता

4142. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1987 में दिल्ली में भारत और बुल्गारिया के बीच बुल्गारिया द्वारा भारत से इलेक्ट्रानिकी मदों का आयात किए जाने के बारे में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जी, नहीं। किन्तु, व्यापार से सम्बन्धित "भारत-बल्गेरियाई स्थायी कार्यदल" की दिनांक 5 तथा 6 मार्च, 1987 को नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसका उद्देश्य वर्ष 1986 में

हुए भारत-बल्गेरियाई व्यापार की समीक्षा करना तथा वर्ष 1987 में होने वाले व्यापार के लिए मार्गदर्शक योजना तैयार करना था। वर्ष 1987 में दौरान भारत से बल्गेरिया को वस्तुओं का निर्यात किया जाना था उस सूची में इलैक्ट्रॉनिक वस्तुऐं, कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा वैयक्तिक कम्प्यूटरों के मामले में कम्प्यूटरों के उपान्त उपरूप (फेरीफरल) शामिल हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाएं

4143. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**

श्री एस०एम० गुरड्डी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये नई योजनाएं बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के मौजूदा उपायों का पिछड़ेपन को दूर करने में कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो यह नये उपाय 1987 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास में किस प्रकार तेजी लायेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई स्कीमें तैयार करने का योजना आयोग में कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक स्कीमें पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका पिछड़ेपन को दूर करने में काफी प्रभाव पड़ा है।

यूरेनियम के कच्चे माल के भण्डार

4144. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खनिजों के खनन के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) जी, हां। देश के बहुत से राज्यों में यूरेनियम की विद्यमानता बताने वालीविसंगतियां पाई गई हैं। नीचे ऐसे राज्यों और उनके जिलों के नाम दिए जा रहे हैं जिनमें परमाणु खनिज प्रभाग ने यूरेनियम की विद्यमानता का पता हाल ही में लगाया है :—

राज्य	जिला
आन्ध्र प्रदेश	मेहबूबनगर, नालगोंडा, नेल्लोर और प्रकाशम।

राज्य	जिला
अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग ।
बिहार	सिंहभूम, पलामू
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर, शिमला तथा चम्बा
जम्मू-कश्मीर	ऊधमपुर
कर्नाटक	उत्तरी कनारा तथा दक्षिणी कनारा
मध्य प्रदेश	राजनन्दगांव, सरगुजा, बिलासपुर
मेघालय	पश्चिमी खासी पहाड़ियां और गारो हिल्स
राजस्थान	उदयपुर और अलवर
सिक्किम	पश्चिमी और पूर्वी सिक्किम
उत्तर प्रदेश	टिहरी गढ़वाल, सहारनपुर, देहरादून

(ग) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, यूरेनियम के सान्द्र तैयार करने के लिए जादुगुडा में एक खान से अयस्क निकालता है और मिल चलाता है। इस कारपोरेशन ने हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से निकली तांबे की पक्कोड़न को संसाधित करके उससे यूरेनियम अलग करने के लिए सूरदा और राखा के पास ही यूरेनियम अलग करने वाला एक संयन्त्र भी लगाया है। इसके अलावा, भाटिन में एक नई खान पर काम शुरू किया जा चुका है तथा कारपोरेशन का विचार चालू पंचवर्षीय योजना में नरवापहाड़ और तुरूमडीह में दो और खानें अपने हाथ में लेने का है। निकाले जाने वाला यूरेनियम हमारे देश के परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन

4145. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का विचार है जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सातवीं योजना के दौरान हरियाणा के लिए नई परियोजनाएं

4146. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली नई योजनाओं और परियोजनाओं का चयन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) हरियाणा में, सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली महत्वपूर्ण नई स्कीमों/परियोजनाओं का एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

हरियाणा में सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण किस्म की नई स्कीमों/परियोजनाओं की सूची

1. **राज्य योजना**

फसल संरक्षण

राष्ट्रीय बीज परियोजना।

बीजों का बफर स्टाक बनाना (सहभागिता आधार)

गैर-फैक्ट्री जोन में नई गन्ना विकास स्कीम।

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (सहभागिता आधार)

खाद्य प्रक्रमण तथा पोषाहार स्कीम केन्द्र।

कृषि इन्जीनियरी तथा बोरिंग प्रचालनों की नई स्कीम

गुड़गांव व महेन्द्रगढ़ जिलों में ब्लास्टिंग तथा रॉक ड्रिलिंग प्रचालनों पर सहायता मुहैया करने की स्कीम।

जिला मुख्यालयों में स्टोरेज काम्पलैक्सों के निर्माण की स्कीम।

बाजरा तथा बागवानी फसलों के लिए ट्रैक्टर द्वारा लगाये जाने वाले धन की एकीकृत कृषि विकास परियोजना स्कीम

मिट्टी तथा जल संरक्षण

क्षारीय मिट्टी सुधार स्कीम (सहभागिता आधार)

वर्षा-सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (सहभागिता आधार)

पशुपालन और डेयरी

हरियाणा पशु-चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार का संवर्धन

जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों सहित पशु-चिकित्सा अस्पतालों के स्तर में वृद्धि करना।

पशु प्लेग के उन्मूलन के लिए बीमारी की निगरानी और नियन्त्रण कार्यक्रम

पशुओं (गाय) और भैंसों की देशीय-नस्लों के विकास की स्कीम।

संकर नस्ल के सांडों की संतति परीक्षण की स्कीम।

शीतित वीर्य को द्रुत वीर्य से परिवर्तित करना।

मछली पालन

माहसीर हैचेरी के प्राकृतिक संवाधनों और पुर्नवास का संरक्षण और संवर्धन।

वन्य जीवन संरक्षण सहित वन

अरावली पर्वतीय परियोजना (एस० आई० डी० ए० द्वारा सहायता प्राप्त)

दमादमा (जिला गुड़गांव) में पक्षी विहार की स्थापना।

हिसार में चिड़ियाघर की स्थापना।

प्रक्रमण सहकारी समितियां

राज्य के धान उगाने वाले क्षेत्र में धान की भूसी के लिए ब्रिकेट प्लांट की स्थापना।

फैट्टी एसिड्स प्लांट।

डेयरी सहकारी समितियां

दूध परिवहन राज सहायता

कताई मिलें

एक कताई मिल की स्थापना।

सिंचाई

मुख्य परियोजनाएं

पुराने संवर्धन नलकूपों को नई संवर्धन नहर के साथ जोड़ना

लाडवा सिंचाई स्कीम

नालवी सिंचाई स्कीम

फत्तेहाबाद शाखा के पोषण के लिए तायल सिरसा शाखा का पुनुरुत्थान

मझौली परियोजना

पुरानी मौजूदा नहरों का सुधार/मरम्मत और पुनर्निर्माण

बाढ़ नियंत्रण

यमुना नदी पर कालान्तर से चन्दों तक तटबंध।

मार्कण्डा, तंगड़ी, घाघरा और उसकी सहायक नदियों पर तटबन्धों का निर्माण

जिला महेन्द्रगढ़ में तटबन्ध का निर्माण

सम्पर्क नालियों का निर्माण (जिला अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव)

सम्पर्क नालों पर पुलों का निर्माण व रिमॉडलिंग

नालों, सम्पर्क नालों की क्षमता को बढ़ाना तथा लिफ्ट ड्रेन के मुहानों की संवर्द्धन पम्पिंग क्षमता को बढ़ाना ।

जल–रोधी लॉगिंग स्कीम ।

यमुना नदी के साथ-साथ संरक्षण निर्माण कार्य ।

तगड़ी, मार्कण्डा, घाघरा और इसकी सहायक नदियों में संरक्षण निर्माण कार्य ।

बिजुत

पानीपत टी.पी. एस.—चरण-4 (2 × 210 मेगावाट)

यमुना नगर टी.पी.एस. — चरण-2 (2 × 210 मेगावाट)

पश्चिमी यमुना नहर एच.ई. परियोजना चरण-2 (2 × 8 मेगावाट)

उद्योग

ऑटो सेंटर, गुड़गांव (यू.एन.डी.पी.)

इलैक्ट्रॉनिक्स के लिए निर्यात प्रोसेसिंग जोन का सृजन ।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी

हरियाणा राज्य दूरगामी अनुप्रयोग केन्द्र ।
(एच.एस.आर.एस.ए.सी.)

लघु औद्योगिक एस्टेट में कॉमन ट्रीटमेंट संयन्त्रों को प्रोत्साहन ।

पर्यटन

पंचकूला में एक नये पर्यटन काम्पलेक्स की स्थापना ।

शिक्षा

क्वालिटी (उत्कर्ष) स्कूलों की स्थापना

हिसार में एक इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ।

समाज कल्याण

हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला कल्याण निगम ।

जल आपूर्ति

ग्रामीण निम्न लागत सफाई स्कीम ।

श्रम तथा श्रम कल्याण
औद्योगिक प्रशिक्षण

आई.टी.आई. बहादुरगढ़ (रोहतक) के लिए भूमि और भवन निर्माण की खरीद ।

आई.टी.आई. हांसी (हिसार) के लिए भूमि और भवन निर्माण की खरीद ।

स्वास्थ्य

पंचकूला और उपलाना में एक नए अस्पतालों की स्थापना ।

रोहतक के मेडिकल कालिज का स्नातकोत्तर संस्थान स्तर तक उन्नयन ।

2. **केन्द्रीय क्षेत्रक–दूर संचार विभाग**

स्थानीय स्वीचिंग क्षमता में अनुमानित वृद्धि 50,000 लाईन

टेलेक्स क्षमता में अनुमानित वृद्धि (लाईन) 300

लम्बी दूरी नेटवर्क में अनुमानित वृद्धि :

(क) कॉएक्सिअल : 470 रूट कि.मी. (रूट कि.मीटर)

(ख) रेडियो प्रसारण पद्धति : 335 रूट कि. मीटर (रूट किलो. मीटर)

सूचना तथा प्रसारण

आकाशवाणी—कुरूक्षेत्र तथा हिसार में ट्रांसमीटर इत्यादि की स्थापना ।

दूरदर्शन —हरियाणा की राजधानी में स्टूडियो केन्द्र (अभी निर्णय नहीं लिया गया है)

पैट्रोलियम मन्त्रालय

करनाल तेल शोधक

शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के संथाल परगना में ऋण देना

4147. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु 1986 में बिहार के संथाल परगना से प्राप्त कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे ;

(ख) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत केवल थोड़े से ही बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना और शहरी गरीबों के स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों का वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अंतर्गत एकत्र किए गए अन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1986-87 के लिए बिहार राज्य को दिए गए 29600 के वास्त-

विक लक्ष्य के मुकाबले बैंकों को जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा नवम्बर 1986 तक 7420 आवेदन भेजे गए थे जिनमें से 3224 आवेदन मंजूर कर दिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी, 1987 और फिर 27 फरवरी, 1987, को बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनमें उन्हें निर्धारित तारीख तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने तंत्र को चुस्त बनाने के लिए कहा है। लेकिन, वर्ष 1986-87 के दौरान हुई प्रगति का पता चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही चलेगा।

पहली सितम्बर, 1986 से आरम्भ किए गए शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास 30 नवम्बर 1986 तक उपलब्ध प्रारंभिक सूचना के अनुसार बिहार में अनेक केन्द्रों के लिए रखे गए 35769 आवेदन के कुल लक्ष्य के मुकाबले बैंकों को ऋण की मंजूरी के लिए 5040 आवेदनों की सिफारिश की गई थी जिनमें से 2316 ऋण मंजूर किए गए हैं। शहरी गरीबों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों की पूरी स्थिति का पता वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही चलेगा।

भूमिगत जल संसाधनों का प्रदूषण

4148. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में चमड़ा साफ करने वाले कारखानों, उर्वरक संयंत्रों, धातु पालिश चढ़ाने वाले उद्योगों तथा तांबा परियोजनाओं द्वारा भूमिगत जल प्रदूषित किया जा रहा है,

(ख) क्या ऐसे प्रदूषणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का विचार है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूमिगत जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां,

(ख) किये गए अध्ययनों के अनुसार कानपुर के कुछ कुओं के जल में क्रोमियम की अधिक मात्रा देखी गई है, कुछ मामलों में कैडमियम (टीन के समान एक धातु) मॉलीडेनम, निकेल तथा सीसा की उपस्थिति पायी गई है। तथापि इन पदार्थों की मात्रा विणावत सीमाओं से कम थी।

(ग) उठाये गए कदमो में ये सम्मिलित हैं :

1) प्रदूषक उद्योगों के बहिःस्राव मानक निर्धारित कर दिए गये हैं ;

2) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों को लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते है ; तथा

3) दोषी उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गये सीमा-शुल्क अधिकारी

4149. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1986 में विशाखापत्तनम कस्टम हाउस के कितने अधिकारी तस्करी में संलग्न होने के कारण गिरफ्तार किए गए ;

(ख) तस्करी में उनकी भूमिका का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिनांक 28/29 जून 1986 विशाखापट्टनम सीमा शुल्क गृह के सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारतीय नौवहन निगम के नौभार वाहक एम० वी० "सम्राट अशोक" की तलाशी ली जो स्थिरिक भार (बैलास्ट) में सिंगापुर होते हुए जापान से आया था परिणामतः निषिद्ध माल के 58। थैलों को जब्त किया गया था जिनमें वी० सी० आर०, टैक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिकी माल आदि था जिसका कुल मूल्य 1.19 करोड़ रुपए है।

इस मामले में की गई जाँच-पड़ताल से यह पता चलता है कि तीन सीमाशुल्क अधिकारयों (एक अधीक्षक और दो निवारक अधिकारियों) की तस्करी की गतिविधियों में सांठगाँठ है और इसलिए उन्हें नवम्बर, 1986 में विदेशी मुद्रा संक्षरण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद किया था उक्त तीनों अधिकारियों को निलम्बत कर दिया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ शुरू कर दी गई हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को रियायतें देना

4150. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं और बैंक रुग्ण औद्योगिक यूनिट को पर्याप्त रियायतें प्रदान करते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ऐसे ऋण देकर वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को कितना घाटा हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सावधि-ऋणदात्री संस्थानों और बैंकों द्वारा संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण एककों के गुण दोषों के आधार पर, अलग-अलग मामलो में पुनरुद्धार सहायता के मिले जुले कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। पुनरुद्धार सहायता में पिछली अतिदेय राशियों की वसूली का स्थगन, रियायती ब्याज दर, मूल ऋण और ब्याज के परिशोधन का पुनर्निर्धारण, आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी का दिया जाना, नकद हानि का निधीकरण आदि जैसी विभिन्न राहतें और रियायतें शामिल हो सकती हैं। अर्थक्षम एककों के पुनरुत्थान के वास्ते दी गयी रियायत की वित्तीय राशि अलग से नहीं रखी जाती है।

राष्ट्रीय पेंशन नीति

4151. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारियों को निश्चित आय का लाभ देने के लिये एक राष्ट्रीय पेंशन नीति बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी नहीं। पेंशन का ढांचा अभिन्न रूप से वेतन के ढांचे के साथ जुड़ा है। किसी राष्ट्रीय वेतन नीति के आभाव में किसी राष्ट्रीय पेंशन नीति के होने की सम्भावना नहीं है। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुसार जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संघ सरकार का विषय होती है वहां राज्य पेंशनें संबंधित राज्यों की अधिकारिता में आती है। विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन नीति तैयार करना सम्भव नहीं है।

पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर व्यय की गई धनराशि

4152. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूजित जनजातियों के विकास के लिए योजनावार कुल कितने प्रतिशत धनराशि व्यय की गई ;

(ख) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है ; और

(ग) विशेष रूप से उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1960-61 के 56.8 प्रतिशत के मुकाबले, 1983-84 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण व्यक्तियों की प्रतिशतता 40.4 थी।

(ग) ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर व्यय की गई धनराशि के संबन्ध में विवरण।

योजनावधि	कुल योजना परिव्यय में से, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आवंटन का प्रतिशत	कुल योजना परिव्यय में से, आदिवासियों के विकास के लिए आवंटन का प्रतिशत
पहली योजना	0.35	1.0
दूसरी योजना	0.61	0.9
तीसरी योजना	0.43	0.6
वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक	0.36	0.6*
चौथी योजना	0.37	0.5*
पांचवीं योजना 1974-79	0.81	3.01*
छठी योजना	4.55	5.7* (1980-85 तक की बाबत)

** ये आंकड़े वार्षिक योजना (1966-67) के हैं।

* अन्तिम

नोट : - आदिवासियों के मामले में चौथी योजना के अन्त तक तथा अनुसूचित जातियों के मामले में पांचवीं योजना के अन्त तक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विकास हेतु राशियों का कोई परिमाणन या निर्धारण नहीं था। आदिवासी उपयोजना नीति पहली बार पांचवीं योजना के दौरान बनाई गई तथा अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष कंपोनैंट प्लान की नीति छठी योजना के दौरान लागू की गई। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के वास्ते चौथी योजना के आबंटनों में केवल "पिछड़ा वर्ग क्षेत्र" के आवंटन ही प्रतिबिम्बित होते हैं। अनुसूचित जातियों के मामले में ऊपर बताए गए पांचवीं योजना के आवंटन केवल "पिछड़ा वर्ग क्षेत्र" में ही शामिल किए गए हैं अब आदिवासी उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना नीतियों को अमल में लाया गया है तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के राशि परिमाणन का काम पूरा किया गया है। इससे पश्चावर्ती अवधि का प्रतिशत बढ़ गया है।

थोक मूल्य सूचकांक

4153. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के पहले दिन और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इन्हीं तिथियों को थोक मूल्य सूचकांक कितना था ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही के पहले दिन और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की इन्हीं तिथियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था ;

(ग) इन दोनों सूचकांकों के आधार पर 1 अप्रैल, 1जुलाई और 1 अक्तूबर 1986 और 1 जनवरी 1987 को आंकी गई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कितनी थी ; और

(घ) मुद्रा स्फीति की दर पर नियंत्रण पाने के लिए यदि सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार द्वारा मांग और पूर्ति दोनों ही दिशाओं में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को खाद्यान्नों की पूर्ति करना, चीनी और खाद्य तेलों को नियमित रूप से जारी करना तथा प्रणाली से नकदी बाहुल्य को समेटना शामिल है।

विवरण

(क) थोक मूल्य सूचक अंक (1970-71 = 100)

1986-87		1985-86	
29.3.1986	359.3	30.3.1985	346.3
28.6.1986	374.5	29.6.1985	358.6
27.9.1986	383.2	28.9.1985	357.2
27.12.1986	378.3	28.12.1985	356.3
1984-85		**1983-84**	
31.3.1984	321.7	2.4.1983	297.2
30.8.1984	338.0	2.7.1983	311.0
29.9.1984	341.1	1.10.1983	319.1
29.12.1984	338.2	31.12.1983	320.1

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक(1960=100)

	1986-87	1985-86	1984-85	1983-84
मार्च	638	586	558	504
जून	658	606	574	533
सितम्बर	676	619	589	554
दिसम्बर	688	630	588	559

(ग) पहली अप्रैल, पहली जुलाई, पहली अक्तूबर, 1986 और पहली जनवरी, 1987 को मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

थोक मूल्य सूचक अंक (1970-71=100)		उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100)	
29.3.1986	3.8 प्रतिशत	मार्च, 1986	8.9 प्रतिशत
28.6.1986	4.4 प्रतिशत	जून, 1986	8.6 प्रतिशत
27.9.1986	7.3 प्रतिशत	सितम्बर, 1986	9.2 प्रतिशत
27.12,1986	6.2 प्रतिशत	दिसम्बर, 1986	9.2 प्रतिशत

टिप्पणी :- थोक मूल्य सूचक अंक, जिसे साप्ताहिक आधार पर तैयार किया जाता है, के लिए संबंधित तिमाही के पहले दिन की निकटतम तारीख को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए सूचक अंक दिया गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक, जिसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, के लिए प्रत्येक तिमाही के पहले महीने का सूचक अंक दिया गया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा सान फ्रांसिसको में बैंक खोलना

4154. **श्री शांताराम नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने सान फ्रांसिसको में एक बैंक खोला है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का इस मामले में किसी प्रकार का योगदान है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बताया जाता है कि कुछ अनिवासी भारतीयों ने सान फ्रांसिसको, संयुक्त राज्य अमेरिका में फर्स्ट इण्डो अमेरिकन बैंक, के नाम से एक बैंक खोला है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों को विदेश में बैंक के खोलने के लिए रिजर्व बैंक से किसी प्रकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती तथापि फर्स्ट इण्डो अमेरिकन बैंक की स्थापना से पूर्व सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे कि भारतीय बैंक "फर्स्ट इण्डो अमेरिकन बैंक" को वित्तीय/प्रबंध समर्थन प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रस्तावों के पक्ष में नहीं था।

[हिन्दी]

जल प्रदूषण

4155. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों से पीने के पानी के प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने जल प्रदूषण से निपटने के लिये राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा केरल राज्यों से पीने के पानी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन

4157. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे तथा कार्यकरण की जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है । कुछ मुख्य सिफारिशें हैं : शेयर पूंजी में वृद्धि, प्रायोजक बैंकों से पुनर्वित्त पर ब्याज की नीची दर, धनराशियों का कुशल प्रबन्ध आदि ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है :

(रुपये लाखों में)

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	जिलों की संख्या	शाखाओं की संख्या	जमाराशियां	बकाया अग्रिम
	1	2	3	4	5
जून, 1984	35	43	1899	20930.61	16007.30
जून, 1985	38	49	2688	27434.00	22316.00
जून, 1986	39	51	2767	36847.00	28852.00

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

4158. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों के सहयोग से देश में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी देश से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों को निवेशित पूंजी पर होने वाली आय को भारत प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में रियायतें

4159. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशियों को उद्योगों और शेयरों में लगे पूंजी निवेश पर होने वाली आय को भारत प्रत्यावर्तन करने के संबंध में रियायतें देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रिकता और भारतीय मूल के अनिवासियों से प्रेषणाओं और पूंजी निवेशों को आकृष्ट करने के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं दे रखी हैं । 1982 से शुरू की गयी सभी योजनायें अभी तक लागू एवं प्रवृत्त है । इन सुविधाओं का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाता है और जब कभी आवश्यकता होती है इनमें उपयुक्त परिवर्तन कर दिए जाते हैं ।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण

4160, **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, अरावली केमिकल्स

एण्ड फर्टिलाइजर्स और हल्दिया पेट्रो केमिकल्स परियोजना को ऋण मंजूर करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का ऋण दिया जायेगा और ऋण किन शर्तों पर देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, अरावली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वास्ते वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर विभिन्न चरणों में कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक कम्पनी के लिए वित्तीय सहायता की रकम और मंजूरी की शर्तों के बारे में परियोजना का मूल्यांकन और इन कम्पनियों द्वारा आवश्यकतानुसार सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने के बाद, अन्तिम रूप दिया जाएगा।

वित्तीय संस्थानों द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स कम्पनी के शेयरों की खरीद

4161. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों ने इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के बड़ी संख्या में शेयर खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा किये गये इस निर्णय के लाभ-हानि क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल कारपोरेशन लि० द्वारा जारी किए गए 80-85 करोड़ रुपये के कुल सार्वजनिक निर्गम में से 26.12 करोड़ रुपये की कीमत के शेयर सरकारी वित्तिय संस्थाओं को आबंटित किए गए थे और 54.73 करोड़ रुपये के शेष शेयर जनता द्वारा ले लिए गए थे।

सरकारी वित्तीय संस्थायें पूंजी बाजार को समर्थन प्रदान करने के उपाय के तौर पर इक्विटी पूंजी में चयनात्मक आधार पर धनराशियां लगाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

4162. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियां टेलीविजन सेटों की ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रही हैं और प्रति वर्ष कितना उत्पादन करती हैं;

(ख) क्या ये कम्पनियां मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं है और मांग पूरी करने के लिये प्रति वर्ष भारी संख्या में पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी संख्या में ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जाता है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाती है;

(घ) क्या भारत में पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने के लाइसेंस के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी ने आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1986 में श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, दोनों के अन्तर्गत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम तथा उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं : —

इकाई का नाम	वर्ष 1986 में उत्पादन(मात्रा लाख में)
मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	6.08
मेसर्स बेबेल वीडियो डिवाइसेज लि०	0.06

(ख) तथा (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयां कुल स्थानीय मांग की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं, जो वर्ष 986 में लगभग 21 लाख थी । किन्तु, श्याम श्वेत पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करने वाली कुल 8 इकाइयां हैं तथा वर्ष 1986 में 19.5 लाख का उत्पादन हुआ, जो मांग की अपेक्षा कुछ ही कम था । वर्ष 1986 के दौरान केवल थोड़ी ही मात्रा में लगभग 1.5 लाख श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया गया । आयातित 20 इन्ची श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूब की कीमत लगभग 250 रुपये है । अब स्वदेशी उत्पादन इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के आयात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

(घ) तथा (ङ) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करने वाली 6 यूनिटें निजी क्षेत्र में है । तथा उनके नाम नीचे दिए गए हैं;

1. मेसर्स टेलीट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स लि०
2. मेसर्स सैमटेल इंडिया लि०
3. मेसर्स अप्ट्रॉनिक्स वीडियो लि०
4. मैसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसेज लि०

5. मेसर्स मुल्लार्ड ट्यूब्स लि०

6. मेसर्स प्रकाश पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०

इसके अलावा, निम्नलिखित निजी क्षेत्र की इकाइयों ने अपनी श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं :

1. मेसर्स सुचित्रा ट्यूब्स लि०

2. मेसर्स कल्याण केयोनिक्स लि०

3. मेसर्स क्वालीट्रॉन काम्पोनैंट्स लि०

18 मार्च, 1985 से इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस-मुक्त करने के परिणाम-स्वरूप, कई इकाइयों ने भी औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस आई ए) से पंजीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति

4163. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में वनों की कटाई के लिए उड़ीसा सरकार को प्राप्त कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े है;

(ख) क्या ये प्रस्ताव काफी समय से लम्बित हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों को शीघ्र ही स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र सरकार के पास प्रमुख या मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के दिक्परिवर्तन के निर्णय हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है। तथापि, मध्यम सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित एक प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत न करने के कारण विभाग में समाप्त समझा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावों को तैयार करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालित किए हैं। यदि प्रस्ताव को पर्याप्त रूप से तैयार किया गया हो तथा उसमें समस्त सूचना दी गई हो तो तुरन्त निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सहायता

4164. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई और राज्य ने वस्तुतः कितनी धनराशि का प्रयोग किया है;

(ख) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1987-88 के दौरान इस राज्य को कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर करने के कार्यक्रम अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम [ए. ग्रा. वि. का]., राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम [रा. ग्रा. रो. का.] और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों [ग्रा. भू. रो. गा. का.] के लिए वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के लिए आवंटित राशि और राज्य द्वारा वास्तव में उपयोग में लाई गई राशि नीचे बताई गई है : —

	1984-85		1985-86		1986-87	
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
ए० ग्रा० वि० का०	7096.00	9244.04	6827.25	7814.29	10029.66	7828.40 [जनवरी 87, तक]
रा० ग्रा० रो० का०	7844.00	8321.00	7844.00*	9 85.78	8108.00*	7045.00 [जनवरी 87, तक]
ग्रा० भू० रो० गा० का०	8525.00	6546.90	8523.00**	9412.84	8738.00***	5766.34 [दिसंबर 86, तक]

*के अतिरिक्त, वर्ष 1985-86 और 86-87 में 6181 लाख रु. के मूल्य के खाद्यान्न जारी किए गए ।

**के अतिरिक्त, 2036.25 लाख रु. के मूल्य के खाद्यान्न भी दिए गए ।

***4145.10 लाख रु. के और खाद्यान्न भी दिए गए ।

(ख) राज्यों को आवंटन एक निर्धारित माप दण्ड के आधार पर किए जाते हैं और इनका निर्णय वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाता है ।

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए अन्तिम केन्द्रीय आवंटन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 5825.79 लाख रु. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 4500 लाख रु., ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 8437 लाख रु. हैं । यद्यपि, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को समान भाग की व्यवस्था

करनी होती है, तथापि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोनों ही के अन्तर्गत खाद्यान्न देने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा इस्तेमाल न की गई राशि

4165. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में कर्नाटक को कितनी राशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने आवंटित की गई पूरी राशि इस्तेमाल कर ली थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार उक्त अवधि के दौरान आवश्यक अतिरिक्त साधन जुटाने में असफल रही; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

	(करोड़ रु०) अनुमानित परिव्यय
पांचवीं योजना	997.67
छठी योजना	2265.00

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) पांचवीं योजना के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में 47.05 करोड़ रु० की गिरावट रही। लेकिन राज्य के अपने संसाधनों में सुधार के द्वारा कमी को इससे अधिक पूरा कर लिया गया। छठी योजना में अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कोई गिरावट नहीं रही।

जीवन बीमा निगम को अधिक सेवोन्मुखी बनाए जाने का प्रस्ताव

4166. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालिसीधारक सेवा और अनुसंधान संस्थान (पोलिसी होल्डर सर्विसिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट) ने हाल ही में जीवन बीमा निगम को जनता के लिए अधिक सेवान्मुखी बनाए जाने

के सम्बन्ध में दो अलग-अलग प्रस्ताव किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

लुप्त होती जा रही वन्य जीव जातियों के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनाएं

4167. **श्रीमती डी.के. भण्डारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन्य जीवन संस्थान द्वारा शुरू किये गए वन्य जीवन अनुसंधान कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं से दिसम्बर, 1986 तक क्या परिणाम प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या वन्य जीवन संस्थान द्वारा लुप्त होती जा रही वन्य जीव जातियों के व्यवहार के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और यह अनुसंधान किन क्षेत्रों में किया जायगा तथा इन अनुसंधान परियोजनाओं से अन्ततः क्या उपलब्धियां प्राप्त होने की आशा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) एक विवरण संलग्न है (विवरण-1)

(ख) परियोजना अवधि 2 से 3 साल की है, उत्तर-पश्चिम हिमालय क्षेत्र मे हिम तेंदुआ और इसकी शिकार की प्रजातियों के सम्बन्ध में एक पारिस्थितिक सर्वेक्षण परियोजना के सिवाए इनमें से कोई भी परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई। इस सर्वेक्षण में उत्पत्ति, स्तर, शिकार की उपलब्धता और स्थानीय समुदायों के साथ परस्पर सम्बन्धों के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य घोषित किये जाने के लिए क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है (विवरण – 2)

विवरण – I

लुप्त होती जा रही वन्यजीव जातियों के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजना के बारे में विवरण

संकटापन्न प्रजातियों के सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाए शुरू की गई हैं :

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक
1.	राजाजी अभयारण्य (उ०प्र०) के प्राकृतिक वासों की किस्मों तथा विशाल स्तनधारियों द्वारा उनमें वास करने की छानबीन करना ।
2.	भारत में दीर्घकालिक वन्यजीव संरक्षण नीति की आयोजना के लिए उपादेयता की जीव भौगोलिक पद्धितियों की जांच करना;
3.	राजाजी अभयारण्य में हाथियों की गतिविधियां;
4.	नेशनल चम्बल सेंचुरी में घड़ियाल की पारिस्थितिकी; साथी स्तनधारियों के साथ सम्बन्ध;
5.	निगरानी और दीर्घकालिक प्रबन्ध प्रभावों द्वारा मगर घड़ियाल रिस्टार्किंग का मूल्यांकन ।
6.	नेशनल चम्बल सेंचुरी में कछुओं के बीच पारिस्थितिक सम्बन्ध ।
7.	भारत में एशियाटिक लायन के सुधरे हुए प्रबन्ध के लिए प्रासंगिक पारिस्थितिक तथ्य ।
8.	श्री विल्लिपुथुर रेंज, तमिलनाडु संकटापन्न ग्रिज्लड जाइन्ट स्क्वीरल की जीविकी ।
9.	मुण्डनथुराई, तमिलनाडु में खतरें में पड़े नीलगिरि लंगूर की खाने की आदतें और रेंजिंग व्यवहार
10.	इन्डियन फ्लाइंग फाक्स की पारिस्थितिकी
11.	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे रखने पर निगरानी
12.	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के जीव संसाधनों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता ।

विवरण II

संकटापन्न प्रजातियों से सम्बन्धित अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में विवरण

भारतीय वन्यजीव संस्थान की निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं के व्यवहारीय पहलुओं और सम्भावित निष्कर्षों को नीचे दिया गया है : –

	परियोजना का नाम	अध्ययन क्षेत्र	सम्भावित निष्कर्ष
1.	राजाजी अभयारण्य में हाथियों की गतिविधियां	राजाजी अभयारण्य (उ०प्र०)	परियोजना और वन प्रबन्ध मानवीय गतिविधियों का हाथियों की संख्या पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करेगा और आवास

1	2	3
		स्थलों का मूल्यांकन करेगा जिसके कारण हाथियों के आवासीय प्रक्रिया और गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है।
2. स्तनधारी जीवों से सम्बन्ध रखते हुए राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में घड़ियाल की पारिस्थितिकी	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य (म.प्र.)	चम्बल अभयारण्य में घड़ियाल ऊदबिलाव और डॉलफिन की आबादी, वितरण और प्रवृत्ति-चारा खाने की आदतें पुनर्जनन प्रवृति ।
3. प्रबोधन और दीर्घावधि निहितार्थों द्वारा मगर घड़ियाल रिस्टाकिंग का मूल्यांकन	मंझीरा नल्लामाडुगु पाकल आन्ध्र प्रदेश के कोनारस्वामी और नागार्जुनसागर अभयारण्य	आन्ध्र प्रदेश के पांच अभयारण्यों के खुलने के कारण मगरमच्छों की जीविता गतिविधि छितराव, आवासीय प्राथमिकता और जनसंख्या प्रवृति का अध्ययन
4. चम्बल के राष्ट्रीय अभयारण्य में कछुओं में पारिस्थितिकी संबंध	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य (म०प्र०)	विभिन्न प्रजातियों का मुलायम आवरण वाले कछुओं के साथ पारिस्थतिकी सम्बन्ध । परियोजना कछुओं के खान-पान, प्रसव आदत का भी पता लगायेगी ।
5. भारत के एशियाटिक लायन के संशोधित प्रबन्ध के लिए प्रासांगिक पारिस्थितिकी घटक।	गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात	शेरों की आबादी की परभक्षी पद्धति, स्थानिक छितराव की आवश्यकता और बहुलता । वासस्थल की पारिस्थितिकी पर प्रबंध पद्धतियों का मूल्यांकन ।
6. श्री विल्लीपूथुर रेन्ज तामिलनाडु में संकटापन्न भूरे रीछ और बड़ी की गिलहरीयों जैविकी ।	श्री विल्लीपूथुर क्षेत्र, तमिलनाडु	तमिलनाडु के इस स्थानिक संकटापन्न गिलहरी की संख्या रेंज का अनुमान
7. तमिलनाडु के मुण्डन थुराई के नीलगिरि के समाप्त हो रहे लंगुरों के खान-पान आदत की और रेंजिंग व्यवहार।	मण्डुथुराई अभयारण्य तमिलनाडु	पर्वतों के निचले वनों में पाये जाने वाले नीलगिरि लंगूर के पारिस्थिक समस्याओं की सूझबूझ में आ रही समस्या और उनकी आबादी में लिंग और उम्र ढांचा

1	2	3
8.	दुधवा राष्ट्रीय पार्क में पुन: रखे गये गेंडों का प्रबोधन	दुधवा राष्ट्रीय पार्क (उ०प्र०)	रखे गये गैंडों की पारिस्थितिकी, व्यवहार और स्वास्थ्य की जानकारी ताकि उनकी आवश्यकताएं तथा अन्यत्र रखे गये बड़ी संख्या में स्तनधारियों के भावी प्रबन्ध की जानकारी प्राप्त हो सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण कार्यक्रम

4168. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में प्रत्येक राज्य में वनरोपण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि क्या रही ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1985-86 और 1986-87 के दौरान वनरोपण के राज्य-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान वनरोपण के राज्य-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

(रोपे गये बालपौधे लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	1985-86		1986-87	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (जनवरी, 87 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2600	3156	3000	2740
2.	असम	400	396	400	625
3.	बिहार	1500	1523	2600	2720
4.	गुजरात	2550	2497	1631	2280
5.	हरियाणा	950	937	725	640
6.	हिमाचल प्रदेश	550	672	625	560
7.	जम्मू व कश्मीर	350	467	522	240
8.	कर्नाटक	2500	2546	2500	2280
9.	केरल	600	1 66	1200	1520
10.	मध्य प्रदेश	3500	3501	3700	3920
11.	महाराष्ट्र	2000	2165	2400	2360
12.	मणिपुर	120	125	160	140

1	2	3	4	5	6
13.	मेघालय	130	131	150	160
14.	नागालैण्ड	180	269	350	400
15.	उड़ीसा	2142	1930	2400	2160
16.	पंजाब	527	590	550	500
17.	राजस्थान	820	958	1100	1320
18.	सिक्किम	82	82	110	120
19.	तमिलनाडु	1100	1215	2400	1720
20.	त्रिपुरा	150	200	320	260
21.	उत्तर प्रदेश	3250	3548	4500	4864
22.	प. बंगाल	1100	1115	1400	1363
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	93	95	120	120
24.	अरूणाचल प्रदेश	100	103	125	24
25.	चण्डीगढ़	2.9	1.52	3.40	3.59
26.	दिल्ली	25	25	50	44
27.	दादरा व नगर हवेली	30	31	30	31
28.	गोआ, दमन और दीव	32	45	75	68
29.	लक्षद्वीप	0.04	0.25	0.12	0.25
30.	मिजोरम	700	700	1128	1280
31.	पाण्डिचेरी	10	11	10	6.73
	योग	28095.94	30200.77	34284.52	34440

[हिन्दी]

बिहार में भूमि का विकास

4169. **श्री कुंवर राम :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा बिहार में विकास के लिए कितनी भूमि निर्धारित की है; और

(ख) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बिहार में 0.13 एम. हेक्टेयर में वनरोपण द्वारा विकास हेतु 2600 लाख बालपौधों की पौध-रोपण का लक्ष्य था।

(ख) बिहार में जनवरी, 1987 तक 0.136 एम. हेक्टेयर में 2720 लाख बालपौधे लगाए गए हैं।

[अनुवाद]

लघु बचत संग्रहों पर राज्यों को ऋण सहायता

4170. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु बचत संग्रहों पर राज्यों को ऋण सहायता देने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों को मानदण्डों के अनुसार ऋण सहायता नहीं दी गई है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन-किन राज्यों को मानदण्डों के अनुसार पूरी ऋण सहायता नहीं मिली और राज्यों को कितनी राशि नहीं दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राज्य में होने वाले निवल अल्प बचत संग्रह का दो-तिहाई भाग उस राज्य को ऋण के रूप में दे दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को इसी मानदण्ड के अनुसार ऋण दिया गया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न असंगतियों संबंधी समिति

4171. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न असंगतियों के बारे में सेवा संघों/एसोसिएशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर असंगतियों सम्बन्धी समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है;

(ग) अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और कितने अभ्यावेदन निपटाये गये हैं और विभाग-वार कितनी असंगतियां दूर की गई हैं; और

(घ) क्या कर्मचारियों की अधिक संख्या वाले मंत्रालयों/विभागों में, विशेष रूप से रेलवे, डाकतार, रक्षा आदि जैसे विभागों में, असंगतियों के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए असंगतियों सम्बन्धी विभागीय समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) तथा (ख) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से यदि कोई विसंगति उत्पन्न हुई हैं तो इन विसंगतियों पर विचार करने के लिए सरकार ने विसगति सम्बन्धी समिति का गठन किए जाने के बारे में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) उक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण

4172. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को दिए गए ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भविष्य में और अधिक ऋण के लिए अनुरोध करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बकाया ऋणों की कुल राशि 370.887 करोड़ एस० डी० आर० है ।

(ख) और (ग) जी नहीं ! फिलहाल यह जरूरी नहीं समझा गया है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण

4173. **श्री राम रतन राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की 49 प्रयोगशालाओं/संस्थानों में वर्ग-वार कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की वर्ग-वार प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और संस्थानों में उच्च वर्गीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिये कोई आरक्षण रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आइ.आर.) के अधीन 41 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान कार्य-रत हैं। सी.एस.आइ.आर. में विभिन्न श्रेणियों के 24,342 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इन प्रयोगशालाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का श्रेणीवार प्रतिशत इस प्रकार है :-

श्रेणी (वर्ग)	प्रतिशत
वैज्ञानिक	लगभग 4 प्रतिशत
तकनीकी	लगभग 17 प्रतिशत
प्रशासनिक	लगभग 19 प्रतिशत

पूर्ण सूचना शीघ्रातिशीघ्र सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी। इसमें उन कर्मचारियों की संख्या भी शामिल है जो आरक्षण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।

(ग) और (घ) चयन के मामलों में, सी.एस.आइ.आर. और इसकी प्रयोगशालाओं/संस्थानों में निम्नतम पदों सहित वर्ग-एक तक के पदों के लिए भारत सरकार के आरक्षण सम्बन्धी निर्देशों को लागू किया जा रहा है। सी.एस.आइ.आर. द्वारा लागू की गई मूल्यांकन पदोन्नति योजना, रिक्त पदों पर आधारित नहीं है, इसमें आरक्षण संभव नहीं है, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों का मूल्यांकन रियायती मानकों द्वारा किया जाता है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

4174. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना से सम्बन्धित नियमों में मृत स्त्री और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में अर्ध सक्षम रुग्ण यूनिटों का पता लगाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई समीक्षा

4175. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र में अर्ध सक्षम रुग्ण यूनिटों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन यूनिटों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वह मझोले और बड़े क्षेत्रों के औद्योगिक एककों की अर्थ क्षमता का तिमाही आधार पर समीक्षा करता रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1986 के अन्त में महाराष्ट्र में बड़े और मझोले क्षेत्र के कुल 68 रुग्ण एककों में से 29 एकक अर्थक्षम थे और 148.33 करोड़ रुपये की ऋण राशि बकाया थी।

होटलों और दुकानों द्वारा विदेशी मुद्रा का अवैध विनिमय

4176. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ होटलों तथा दुकानों को विदेशियों से विदेशी मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है लेकिन उन्हें नियमित रूप से विदेशी मुद्रा का विनिमय व्यापार करने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या कुछ होटल विदेशियों से विदेशी मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने के बजाए रुपये में भुगतान प्राप्त करते हैं और विदेशियों को या तो विदेशी मुद्रा देने के लिए कम दर पर शुल्क देने की अनुमति है अथवा उच्च विनिमय की दर पर विदेशी मुद्रा के बदले में रुपये में भुगतान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कुछ होटलों तथा दुकानों द्वारा विदेशी मुद्रा के ऐसे अवैध विनिमय व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्त्तन निदेशालय ने कुछ होटलों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में विदेशियों से रुपये में अदायगियां प्राप्त की थीं। विदेशी मुद्रा को सौंपने हेतु न्यून टैरिफ की प्राप्ति अथवा संपरिवर्तन की अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर विदेशी मुद्रा के बदले में रुपये की अदायगी के बारे में होटलों के विरुद्ध कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रवर्त्तन निदेशालय (फेरा) इस सम्बन्ध में सजग रहता है तथा उल्लंघन करने वालों को कानून के अध्यधीन दंडित करने तथा उन पर अभियोजन चलाए जाने के बारे में उपयुक्त कार्यवाही करता है।

फटे पुराने करेंसी नोटों को बदलना

4177. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने फटे पुराने करेंसी नोटों की समस्या की ओर ध्यान दिया है और देश के प्रत्येक जिले में विभिन्न स्थानों पर लोगों के लिए बिना किसी असुविधा के ऐसे नोट बदलने हेतु कोई संतोषप्रद तन्त्र/प्रक्रिया स्थापित की है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ स्थापित तन्त्र और प्रक्रिया का स्वरूप क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कम से कम सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल कर ऐसा कोई तन्त्र स्थापित किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को, जनता को गले-सड़े और कुछ प्रकार के फटे-पुराने नोटों को बदलने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1.6.86 को जिला मुख्यालयों में करेंसी चेस्ट रखने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को सभी प्रकार के कटे-फटे नोटों को बदलने का पूर्ण अधिकार देने की योजना भी लागू की थी। इसका सारे देश में सरकारी क्षेत्र की लगभग 3500 शाखाओं में विस्तार किया जा चुका है।

तमंग आदिम जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करना

4178. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के लोगों से तमंग आदिम जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिक्किम और पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में तमंग जाति और जम्मु और काश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में लाडाखीस जाति को शामिल करने के प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन करने के सन्दर्भ में, ऐसे ही अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वर्तमान सूची में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है।

लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता लाने हेतु शिक्षा देना

4179. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने के लिए जानकारी देने हेतु सरकार ने एक सूचना बैंक स्थापित करने की कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विभाग के पास पर्यावरण, शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक स्कीम है, जिसके तहत विभाग द्वारा संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, निबन्ध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं, प्रकृति अध्ययन दौरे, शैक्षणिक सामग्रियों इत्यादि के उत्पादन एवं वितरण को समर्थन दिया जाता है। सभी स्तरों पर पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभाग ने जुलाई, 1986 में एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान भी आरम्भ किया है। इन प्रयासों में विभाग की इसके दो संस्थान अर्थात् पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद, और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली और अन्य सहायता करते हैं।

ऋणों की वसूली के लिए दायर किए गए मुकदमें

4180. **डा० एस० जगतरक्षकन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऋणों की वसूली के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दायर किये गए मुकदमों का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंक कर्मचारियों द्वारा ऋण वसूल करने में चूक किए जाने अथवा अनारक्षित ऋण देने के कोई मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) क्या ऐसे मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रीजनल, डिवीजनल और जोनल कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा दायर किए गए मुकदमों की बकाया रकमों के बारे में प्रत्येक बैंक की स्थिति पर बराबर नजर रखता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत 1983, 1984 और 1985 के अन्त में दायर किये गए मुकदमों के सम्बन्ध बकाया राशियों का बैंकवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) से (घ) बैंकों द्वारा जो अग्रिम दिए जाते हैं, उनमें व्यक्तिगत गारंटी अथवा ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियों के दृष्टिबन्धन की प्रतिभूति के बिना ऋण देना कोई असाधारण बात नहीं है। कुछ मामलों में तो गैर-जमानती ऋण भी दे दिये जाते हैं। ऐसे ऋण देने में किसी प्रकार की चूक की कोई बात नहीं है। लेकिन, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और बैंकों द्वारा गत वर्षों में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर इन बैंकों ने अग्रिम मंजूर करने तथा अपनी बकाया रकमों की वसूली के मामले में कुछ मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। इन मानकों व प्रक्रियाओं के अनुपात में त्रुटियां करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। तथापि, बैंकों की वर्तमान आंकड़ा प्रणाली से अग्रिम देने अथवा वसूलियों के मामले में चूक के सम्बन्ध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

विवरण

20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दायर किए गए मुकदमों के सम्बन्ध में बकाया राशियां

(राशि लाख रुपए)

	बैंक का नाम	1983	1984	1985
	1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	2562	3778	5862
2.	आन्ध्रा बैंक	1488	1876	2548
3.	बैंक आफ बड़ौदा	8233	10816	उ.प.न.
4.	बैंक आफ इण्डिया	7758	9965	12936

	1	2	3	4
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3495	4655	9822
6.	केनरा बैंक	7272	9985	12104
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	16435	21468	26455
8.	कारपोरेशन बैंक	1737	1795	2402
9.	देना बैंक	2706	5768	5900
10.	इण्डियन बैंक	6776	5944	9946
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	255	3852	5503
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1670	2382	3683
13.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	314	1431	2160
14.	पंजाब नेशनल बैंक	10449	12759	17170
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3182	उ.प.न.	5924
16.	सिंडिकेट बैंक	8432	10611	13450
17.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	5006	8676	उ.प.न.
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	8240	9073	11970
19.	यूको बैंक	13065	11989	उ.प.न.
20.	विजया बैंक	2174	2483	3139

उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक उद्योग का विकास

4181. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से राज्य में वीडियो कैसेट रिकार्डस के लिए टेप डेक मेकेनिज्म तथा कुल अन्य उपग्रह पुर्जों का निर्माण करने के लिए एक यूनिट स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। किन्तु, भुवनेश्वर, उड़ीसा में वीडियो कैसेट रिकार्डर (वी० सी० आर०) तथा टेप डेक मैकेनिज्म यूनिट का विनिर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन (ई टी एण्ड टी) की परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, सरकार को उड़ीसा के संसद सदस्य से पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है।

(ख) उपर्युक्त उत्पादों का बड़े पैमाने पर विनिर्माण करने के लिए, अब तक किसी इकाई को कोई आशय-पत्र नहीं जारी किया गया है।

(ग) जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयों की स्थापना करने तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का सम्बन्ध है, सरकार की नीति सभी राज्यों जिनमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है, के लिए समान है। सामान्य नीति के रूप में, राज्य सरकारें उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने का प्रयास करती हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सामाजिक वानिकी योजना

4182. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों में, जहां 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने जन भागीदारी पर जोर देने वाले सभी राज्यों में सामाजिक वानिकी स्कीमों को लोकप्रिय बनाने के लिये अनेक नीति परिवर्तनों को प्रभावी बनाया है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित स्कीम एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :—

1. पारि-स्थितिकीय रूप से संवेदी हिमालय क्षेत्रों में भू-निगरानी संचालन (आपरेशन सायलवाच)
2. पारिस्थितिकीय संवेदी गैर-हिमालयी क्षेत्रों में ग्रामीण जलावन की लकड़ी के पौधों का रोपण
3. विकेन्द्रीकृत जन नर्सरियाँ एवं स्कूल नर्सरियाँ
4. वन-चरगाह खेतों की स्थापना
5. स्वैच्छिक अभिकरणों को प्रोत्साहन
6. वृक्ष उगाने वाली समितियों को प्रोत्साहन
7. वृक्ष पट्टा स्कीमों को प्रोत्साहन
8. विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं।

नशीली औषधों के सेवन की लत छुड़ाने का नया तरीका

4184. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधों के सेवन की लत छुड़ाने के लिए स्वीडन ने एक नया गैर-चिकित्सीय तरीका अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में नशीली औषधों के सेवन की लत छुड़ाने के लिए ऐसा कुछ तरीका अपनाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) भारत सरकार ने परामर्श, शिक्षा और प्रेरणा पर बल देते हुए पहले ही एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। नशीली दवाओं के व्यसनियों की रोकथाम, अनुवर्ती कार्यवाही और पुनर्वास हेतु, दिल्ली में 7 परामर्श केन्द्र खोलने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गई है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोहरे करों को समाप्त किया जाना

4185. **श्री जी० एस० बसवराजू** :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के मध्य दोहरे कर को समाप्त करने के समझौते पर सहमत हो गए हैं जिसमें लाभांश पर ब्याज, रायल्टी और पेंशन जैसी मदों को शामिल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह भारत की व्यापार नीति के लिए किस सीमा तक सहायक होगा; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत गणराज्य की सरकार तथा न्यूजीलैंड की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए दिनांक 17-10-86 को सरकारी स्तर पर एक अभिसमय पर हस्ताक्षर हुए हैं। उक्त अभिसमय दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 से प्रवृत्त हो गया है। इस अभिसमय के अन्तर्गत, भारत के किसी उद्यम द्वारा अथवा न्यूजीलैंड के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त व्यावसायिक-जन्य अभिलाभों पर उस स्थिति में कर केवल उसके निवासी देश में ही लगेगा जब तक कि उक्त उद्यम उस दूसरे देश में वहां स्थित किसी "स्थायी सस्थापन" के माध्यम से व्यापार नहीं करता है। यह अभिसमय, भारत में न्यूजीलैंड के उद्यमों के प्रधान कार्यालय के प्रशासनिक व्ययों से संबंधित छूट को हमारे देश के कानून में निर्धारित सीमा तक प्रतिबंधित करता है। इसमें, एक देश के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के प्रचालन से प्राप्त अभिलाभों को परस्पर छूट दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। अभिसमय में, स्रोत देश में नौवहन सम्बन्धी अभिलाभों पर उस दर पर कर लगाए जाने की व्यवस्था है जो कि इस अभिसमय के नहीं होने पर प्रभार्य कर की 0% की दर से अधिक नहीं होगा। लाभांशों तथा ब्याज से प्राप्त सकल आय पर कर इस अभिसमय में यथा-निर्धारित रियायती-दरों पर लगाया जाएगा। इस अभिसमय में रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं की फीस के सम्बन्ध में स्रोत देश के कर की अधिकतम दर भी निर्धारित की गई है। यह अभिसमय व्यवसाय, पेंशन तथा वेतन आदि से प्राप्त आय पर दो देशों के कर लगाने के सम्बन्धित अधिकारों को निर्धारित करता है। इसमें, न केवल इस अभिसमय के उपबन्धों का पालन किए जाने के लिए सूचना का आदान-प्रदान करने की अपितु कर की धोखा-धड़ी तथा करों के अपवंचन को रोकने के लिए भी सूचना का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था है।

भारत में यह अभिसमय दिनांक 1 अप्रैल, 1987 को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी लेखा-वर्ष के लिए प्रभावी होगा। इस अभिसमय से पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा कार्मिकों के भारत से न्यूजीलैंड को तथा न्यूजीलैंड से भारत को प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इससे ऐसे प्रवाह में आने वाली कर सम्बन्धी बाधाएं दूर हो जायेंगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने सम्बन्धी योजनाएं

4186. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की सलाह पर कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं किन-किन राज्यों ने शुरू की हैं और इसके लिए उन राज्यों ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शुरू किए गए इन कार्यक्रमों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसूचित जातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक व्यापक नीति विकसित कर उसे लागू किया गया, जिसमें तीन अंश शामिल थे, जैसे–1. राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष कंपोनेंट योजनाएं; (2) विशेष केन्द्रीय सहायता तथा (3) अनुसूचित जाति विकास निगम। इस नीति को सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी जारी रखा जा रहा है।

इसी प्रकार, आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के विचार से पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आदिवासी उपयोजना नीति को विकसित कर उसे लागू किया गया था। उक्त नीति को छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लागू कर, सातवीं योजनावधि के दौरान जारी रखा जा रहा है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की आदिवासी उपयोजनाओं को भी भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता से समर्थन दिया जाता है।

(ख) विशेष कंपोनेंट योजना/आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम चलाने वाले राज्यों तथा शासित प्रदेशों के नाम संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का समग्र उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सहायता देना है। चूंकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लक्ष्य, अनुसूचित जाति विकास की विशेष कंपोनेंट योजनाओं तथा आदिवासी विकास की आदिवासी उपयोजनाओं की वार्षिक चर्चाओं के बाद प्रतिवर्ष नियत किए जाते हैं, अतः, इस स्थिति में समग्र रूप से सातवीं योजना का लक्ष्य बताना संभव नहीं है।

(ग) मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की विशेष कंपोनेंट योजना तथा आदिवासी उप-योजनागत स्कीमें कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, वानिकी, मात्स्यिकी, कुटीर उद्योगों आदि जैसे कई एक क्षेत्रों में चल रही हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने संबंधी योजनाओं के संबंध में विवरण

क्रम सं०	विशेष कंपोनेंट योजनाएं चलाने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	क्रम सं०	आदिवासी उप-योजनाएं चलाने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम	2.	असम
3.	बिहार	3.	बिहार
4.	गुजरात	4.	गुजरात
5.	हरियाणा	5.	हिमाचल प्रदेश
6.	हिमाचल प्रदेश	6.	कर्नाटक
7.	जम्मू और कश्मीर	7.	केरल
8.	कर्नाटक	8.	मध्य प्रदेश
9.	केरल	9.	महाराष्ट्र
10.	मध्य प्रदेश	10.	मणिपुर
11.	महाराष्ट्र	11.	उड़ीसा
12.	मणिपुर	12.	राजस्थान
13.	उड़ीसा	13.	सिक्किम
14.	पंजाब	14.	तमिलनाडु
15,	राजस्थान	15.	त्रिपुरा
16.	सिक्किम	16.	उत्तर प्रदेश
17.	तमिलनाडु	17.	पश्चिम बंगाल
18.	त्रिपुरा	18.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
19.	उत्तर प्रदेश	19.	गोवा, दमन और द्वीप
20.	पश्चिम बंगाल		
21.	चंडीगढ़ प्रशासन		
22.	दिल्ली		
23.	गोवा, दमन और दीव		
24.	पांडिचेरी		

बिजली उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क

4187. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1978-79 से बिजली उत्पादन पर 2 पैसे प्रति किलोवाट की दर से उत्पाद शुल्क लगाया था ;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों में केन्द्रीय सरकार को राज्यों को दी जाने वाली शुल्क की निवल धनराशि का अन्तरण करने के लिए अभ्यावेदन दिया था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों को उक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है ; और

(घ) ऐसे शुल्क के रूप ने महाराष्ट्र सरकार से अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है और महाराष्ट्र राज्य को अब तक कितनी धनराशि वापस की गई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उत्पादित विद्युत पर 1-3-1978 से 2 पैसे प्रति किलोवाट की दर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया था । तथापि, इस शुल्क को 1-10-1984 से समाप्त कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) संघ उत्पादक-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विद्युत पर (संघ राज्य क्षेत्रों में शुल्क को छोड़कर) संघ उत्पाद शुल्क की सम्पूर्ण निवल प्राप्तियों को 7वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्यों में वितरित करना अपेक्षित था ।

(घ) विभागीय रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1979-85 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादित विद्युत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में 159.71 करोड़ रु. एकत्रित किये थे । संशोधित अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा 131.57 करोड़ रुपये बैठता था जिसका भुगतान कर दिया गया था ।

अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रबन्ध योजनायें

4188. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में किन्हीं और क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिये विशिष्ट प्रबन्ध योजनायें तैयार करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई सुझाव मांगे गये हैं/प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय

उद्यानों, अभयारण्यों और रिजर्वों की घोषणा और उनके लिए प्रबन्ध योजनाओं के बनाने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा इन प्रबन्ध योजनाओं के बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिये गये हैं।

उपग्रह की लागत में कमी के लिए नई प्रौद्योगिकी

4189. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार सिगनलों के सम्प्रेक्षण की लागत में कमी करने के लिए अब नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना प्रणाली के नेटवर्क में इस प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने उपग्रह और स्थलीय नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से सम्प्रेक्षण के सम्बन्ध में लागत लाभ सम्बन्धी अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) उपग्रह नेटवर्क बनाम स्थलीय नेटवर्क प्रणालियों के लिए, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) ने अन्य देशों द्वारा किए गये अध्ययनों की जाँच हड़ताल की थी। ये अध्ययन परस्पर सक्रिय एवं जुड़े उपग्रह नेटवर्क पर आने वाली लागत तथा टेलीफोन लाइन नेटवर्क पर आने वाली लागत की तुलना करते हैं। इसने इसकी जाँच (विश्वसनीयता, भरोसा तथा इसके प्रसार की गति की दृष्टि से भी की थी। एक मिले जुले अभिकरण दल ने, जिसमें दूर संचार विभाग (डी. ओ. टी.), इलेक्ट्रानिकी विभाग (डी. ओ. ई.), अन्तरिक्ष विभाग (डी. ओ. एस.) बेतार आयोजना समन्वय (डब्लू. पी. सी.) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.) के प्रतिनिधि लिए गये थे, उपग्रह पर आधारित विभिन्न प्रौद्योगिकीय विकल्पों की लागत की दृष्टि से प्राप्त होने वाले लाभों की जांच की थी।

(घ) लम्बी पूरी तथा अनेक स्थापना स्थलों के लिए, उपग्रह पर आधारित नेटवर्क किफायती बैठता है। सुदूर तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए, आंकड़ा सम्पर्क स्थापित करने के लिए उपग्रह काफी द्रुतगामी तथा सबसे आसान उपाय सिद्ध होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना

4190. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तर को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की खरीद/आयात के लिए एक स्वायत्तशासी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिषद में किस-किस का प्रतिनिधित्व होगा और अनावश्यक लालफीताशाही के बिना वास्तव में यह कैसे कार्य करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा उद्योगपतियों को सशर्त अनुदान

4191. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योगपतियों को 5 लाख डालर अथवा परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक के सशर्त अनुदान की पेशकश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्यमों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी की उन्नति के कार्यक्रम (पी०ए० सी० टी०) के अन्तर्गत, जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जा रहा है, विकास की संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है लेकिन यह राशि 5 लाख अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी । इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए जिन परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है, उनमें नवोन्मेषी उत्पाद अथवा प्रक्रिया के अनुसंधान और विकास के जरिए प्रगति निहित होनी चाहिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में प्रत्यक्ष रूप से ठोस लाभों की आशा हो सके । परियोजनाओं का प्रस्ताव किसी भारतीय कम्पनी और किसी अमेरिकी कम्पनी द्वारा एक दल के रूप में किया जाना चाहिए जिसमें प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण में प्रत्येक सदस्य की विशेष भूमिका और क्षमता निर्धारित की गई हो । इस कार्यक्रम के अधीन किसी उत्पाद/प्रक्रिया के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है और इस प्रयोजन के लिए किन्हीं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का संकेत नहीं किया गया है लेकिन शर्त यह है कि परियोजना रक्षा शस्त्रास्त्र, निगरानी, मौसम संशोधन या गर्भपात से सम्बद्ध उपकरणों और सेवाओं से सम्बन्धित होनी चाहिए ।

दिल्ली में प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययन

4192. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री सुभाष यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पर्यावरण की स्थिति में सुधार करने के लिए हाल में वायु प्रदूषण

के संबंध में किए गये अध्ययन की तरह भूमि और जल प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) जल तथा भूमि प्रदूषण के लिए अध्ययन किए गए हैं। उठाये कदमों में ये सम्मिलित हैं :-

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यमुना नदी के विभिन्न भागों में जल गुणवत्ता प्रबोधन स्टेशनों की स्थापना की गई है; तथा

(2) भूमि पर अपशिष्ट जल के निपटान के लिए एक स्कीम शुरू का गई है।

तटवूर समुद्र-तल विद्युत-चुम्बकीय अध्ययन

4193. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियो-मैग्नेटिज्म (आइ० आई० जी०) ने समुद्र-तल के नीचे तेल की खोज के लिए तटवूर समुद्र-तल विद्युत-चुम्बकीय अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर अध्ययन किया गया है अथवा किये जाने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया की पगड़ा नवादा, दलसिंह सराय शाखा में धोखाधड़ी

4194. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च, 1982 को यूनियन बैंक आफ इण्डिया की बिहार में पगड़ा नवादा दलसिंह सराय शाखा में धोखाधड़ी का पता लगा था;

(ख) क्या 4 मार्च, 1982 को दलसिंह सराय, जिला-समस्तीपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि इसकी पगड़ा नवादा शाखा के भूतपूर्व शाखा प्रबन्धक ने दिनांक 4 मार्च, 1982

को बैंक की तजौरी (कैश सेफ) से 1.90 लाख रुपये की राशि भारतीय स्टेट बैंक, दलसिंह सराय शाखा में जमा करने के वास्ते निकाली थी। लेकिन उसने 1.90 लाख रुपये के बजाय, केवल 70 हजार रुपये ही जमा करवाए और बाकी 1.20 लाख रुपये की राशि हड़प ली।

(ख) से (घ) बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 4 मार्च, 1982 को दलसिंह सराय पुलिस स्टेशन, समस्तीपुर में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस समय भूतपूर्व शाखा प्रबन्धक, उसके भतीजे और शाखा के प्रधान रोकड़िए को 1.20 लाख रुपये के गबन के मामले में चार्ज शीट किया है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि शाखा प्रबन्धक और प्रधान रोकड़ियां दोनों को बैंक सेवा से निलम्बित कर दिया है।

गुजरात में आयकर छापे

4195. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान गुजरात में जिले-वार कितने आयकर छापे मारे गये; और

(ख) इनमें कितनी धनराशि पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1986 के दौरान गुजरात में 668 तलाशियां ली गई थीं, जिनके परिणाम-स्वरूप प्रथम दृष्टया, 621.17 लाख रुपये की लेखा बाह्य परिसम्पतियां पकड़ी गईं। तलाशियों की इतनी बड़ी संख्या के कारण जिले-वार ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है।

बदोदरा में रासायनिक उद्योगों से होने वाला वायु प्रदूषण

4196. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदोदरा और उसके आस-पास वायु प्रदूषण पर और नियंत्रण रखने के लिए मौजूदा रासायनिक एककों का और विस्तार न करने और रसायनों पर आधारित नए एककों की स्थापना को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, लाइसेंस जारी किए जाने से पूर्व, विद्यमान रसायनिक इकाईयों के विस्तार या नई रसायनिक इकाईयों की स्थापना के लिए वायु प्रदूषण मुद्दों सहित पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण

4197. **डा० चिंता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर लोगों को राज्यवार और बैंक वार कुल कितना धनराशि के ऋण दिए गए और कितनी धनराशि वसूल होने की आशा है/वसूल हुई है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए और कितनी धनराशि वसूल होने की आशा है/वसूल हुई है; और

(ग) क्या सरकार की शत प्रतिशत वसूली करने की योजना है और यदि हां, तो कितने समय में ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों और इन अग्रिमों से होने वाली प्रत्याशित वसूलियों की रकम का ब्यौरा प्रश्न में पूछे गए ढंग से प्राप्त नहीं होता। अलबत्ता, जून 1985 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया अग्रिमों का अद्यतन उपलब्ध राज्य-वार और बैंकवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और विवरण II में दिया गया है।

गत 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त तक की स्थिति के अनुसार लघु, मझोले और बड़े औद्योगिक एककों के नाम बकाया बैंक ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

दिसम्बर के अंत में	लघु एकक	मझोले एकक	बड़े एकक
1	2	3	4
1980	358.77	178.42	1324.47
1981	359.07	187.63	1478.84
1982	568.97	225.76	1790.60
1983	728.99	357.97	2014.33
1984	879.69	428.58	2330.12
1985	1070.67	220.02	2980.24

(ग) बैंकों द्वारा दिऐ जाने वाले उधारों में कुछ अग्रिमों के वसूल होने में कठिनाई का जोखिम तो होता ही है। अतः किसी भी एक समय बैंकों के अग्रिमों की शत-प्रतिशत वसूली संभव नहीं है।

विवरण–I

जून 1985 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों* द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए राज्य-वार अग्रिम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(राशि लाख रुपये) बकाया अग्रिम
1	2
I. उत्तरी क्षेत्र	
1. हरियाणा	16638.45
2. हिमाचल प्रदेश	7686.27
3. जम्मू और कश्मीर	4222.68
4. पंजाब	26166.33
5. राजस्थान	26073.69
6. चण्डीगढ़	14817.85
7. दिल्ली	3050.66
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र	
8. असम	12448.93
9. मणिपुर	212.53
10. मेघालय	2401.35
11. नागालैंड	519.20
12. त्रिपुरा	465.67
13. अरुणाचल प्रदेश	177.78
14. मिजोरम	373.94
15. सिक्किम	287.83
III. पूर्वी क्षेत्र	
16. बिहार	50076.19
17. उड़ीसा	18193.38
18. पश्चिम बंगाल	24056.27
19. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	48.14

1		2
IV.	मध्य क्षेत्र	
20.	मध्य प्रदेश	54007.65
21.	उत्तर प्रदेश	71058.97
V.	पश्चिमी क्षेत्र	
22.	गुजरात	42349.17
23.	महाराष्ट्र	51015.86
24.	गोआ, दमण और दीव	847.33
25.	दादरा और नागर हवेली	26.01
VI.	दक्षिणी क्षेत्र	
26.	आन्ध्र प्रदेश	58016.40
27.	कर्नाटक	46715.25
28.	केरल	25147.02
29.	तमिलनाडु	43169.00
30.	पांडिचेरी	2711.57
31.	लक्षद्वीप	90.92
	अखिल भारत	603072.29

*यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की सूचना सम्मिलित नहीं है ।

विवरण–II

जून 1985 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों* द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए बैंक-वार अग्रिम

बैंक का नाम	(राशि लाख रुपये) बकाया अग्रिम
1	2
1. भारतीय स्टेट बैंक	191021.47
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	12341.15
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7110.96
4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4601.63
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	7395.92

1	2
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	12450.52
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4566.14
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकौर	4997.48
9. इलाहाबाद बैंक	15766.05
10. आन्ध्रा बैंक	18701.89
11. बैंक आफ बड़ौदा	30829.76
12. बैंक आफ इण्डिया	17605.67
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	8875.92
14. केनरा बैंक	39960.07
15. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	44562.49
16. कार्पोरेशन बैंक	1975.21
17. देना बैंक	14467.67
18. इण्डियन बैंक	10430.90
19, इण्डियन ओवरसीज बैंक	17737.07
20. न्यू बैंक आफ इण्डिया	3319.44
21. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	3028.73
22. पंजाब नेशनल बैंक	43501.64
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	5185.98
24. सिंडिकेट बैंक	44685.34
25. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	18861.15
26. यूको बैंक	15360.12
27. विजया बैंक	3731.92
जोड़	603072.29

*यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की सूचना सम्मिलित नहीं है।

नरौरा परमाणु संयंत्र परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

4198. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री जी० एस० वसवराजू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरौरा परमाणु संयत्र परियोजना के यूनिट-एक के योजनानुसार वर्ष 1988 में चालू हो जाने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसमें बार-बार विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस संयंत्र को शीघ्र चालू करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना में निर्माण सम्बन्धी, विशेषत: वाष्प जनित्रों के निर्माण सम्बन्धी जो समस्याएं सामने आई थीं उनका समाधान किया जा चुका है तथा आशा है कि बिजलीघर का पहला यूनिट 1988 के उत्तरार्द्ध में चालू कर दिया जायेगा।

परती भूमि विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

4199. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बंजर भूमि विकास संबंधी किसी परियोजना के लिए सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जाएंगी ; और

(ग) इसके लिए राज्यों का किस आधार पर चयन किया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी है जिसमें वनरोपण/परती भूमि का विकास शामिल है।

(ख) पश्चिम बंगाल, हरियाणा जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों को सहायता दी जा रही है।

(ग) विदेशी सहायता के लिए सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का चयन राज्य की निधि देने की क्षमता, तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता और परियोजना से होने वाले संभावित लाभों के आधार पर किया जाता है।

कर्नाटक में बैंक कर्मचारियों द्वारा धन का दुर्विनियोग

4200. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों द्वारा कुल कितनी धन राशि का दुर्विनियोग/घोटाला किया गया है; और

(ख) उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से 1986 के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्विनियोजन/गबन से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक में धोखाधड़ी के बारे में बैंक-वार, राज्य-वार, आंकड़े एकत्र और संकलित किए जाते हैं। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार भारत ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ी के के मामलों की कुल संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि, घटना की तारीख चाहे कुछ भी रही हो, नीचे दी गई है:—

धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1822	44.42 करोड़ रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उसे दी गई सूचना के अनुसार 1986 में धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त उन लापरवाह कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। नीचे दी गई है :—

1. धोखाधड़ी के मामले में दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	22
2. बड़े/छोटे दण्ड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	449
3. उन कर्मचारियों की संख्या जिसके विरुद्ध अदालत में मामले लम्बित हैं	275 (31-12-86 तक)
4. उन कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध कार्रवाई लम्बित है	431 (31-12-86 तक)

स्तनधारी, रेंगकर चलने वाले और जलस्थलचर जन्तुओं का लुप्त होना

4201. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में स्तनधारी जन्तुओं की 70 से अधिक जातियां तथा जल-स्थलचर और रेंगकर चलने वाले जन्तुओं की 17 जातियां लुप्त होने के कगार पर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) जन्तुओं की इन जातियों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) व (ख) भारत में स्तनधारी जन्तुओं की 81 प्रजातियां, सरीसृपों की 15 प्रजातियां और जल-स्थलचर जन्तुओं की तीन प्रजातियां खतरे में पड़ी हुई समझी जाती हैं। यह बात भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने "थ्रीटन्ड एनिमल्स आफ इंडिया" नामक अपने प्रकाशन में रिकार्ड की हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्तनधारी सरीसृप और जल स्थली जन्तुओं के लुप्त होने के बारे में विवरण
खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए मुख्य कदम

भारत में वन्य जीवन संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं :–

(क) देश में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक समान कानून प्रदान करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 नामक एक व्यापक कानून बनाया गया है। तथापि, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं है जिसका जम्मू व कश्मीर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 नामक अपना अधिनियम है ।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 198 : गैर-वन प्रयोजनों के लिए बनों जो देश में वन्य जीवों के मुख्य प्राकृतिक वासस्थल है, के अन्धाधुन्ध उपयोग पर रोक लगाता है।

(ग) देश के सुरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में 60 राष्ट्रीय उद्यानों और 258 अभयारण्यों को शामिल करके उसका विस्तार किया गया है। यह कुल भूमि के 4 प्रतिशत पर और वन क्षेत्र के 15 प्रतिशत भाग में फैला हुआ है।

(घ) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना और घड़ियाल परियोजना जैसी विशेष परियोजनायें चलाई गई हैं और ये सफल सिद्ध हुई हैं।

(ङ.) वन्य पशुओं, पक्षियों, पौधों और उनके व्युत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा आयात और निर्यात पर कड़ा नियन्त्रण है।

(च) संरक्षण जागरूकता, गन्दी अवस्था में प्रजनन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों (बाघ बाड़ों सहित) तथा चिड़ियाघरों के विकास को सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की गई हैं। वन्य पशुओं के चोरी छिपे शिकार के नियंत्रण और संकटापन्न प्रजातियों के बन्दी अवस्था में प्रजनन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई स्कीमें शुरू की गई हैं।

(छ) वन्यजीवी प्रबन्ध, वन्य जीव शिक्षा तथा अनुसंधान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान नामक राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान स्थापित किया गया है।

(ज) भारत से पांच महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय अभिसमयों पर हस्ताक्षर किए हैं। वे हैं :—प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी अभिसमय, नम-भूमि, व्हेलिंग, प्रवासी प्रजातियां तथा रूस के साथ प्रवासी पक्षियों से सम्बन्धित अभिसमय।

(झ) एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना अपनाई गई है जिसमें नीति का ढांचा और भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। इसके मुख्य घटक नीचे दिए गए हैं

—सुरक्षित क्षेत्रों के एक प्रतिनिधि नेटवर्क की स्थापना ।

- सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्ध और प्राकृतिक वास स्थलों की बहाली ।

– बहु-उपयोग क्षेत्रों में वन्यजीव सुरक्षा ।

—संकटापन्न और खतरे में पड़ी प्रजातियों का पुनर्वास ।

– बन्दी प्रजनन कार्यक्रम ।

—वन्य जीव शिक्षा और व्याख्या -

—अनुसंधान और प्रबोधन ।

—देशीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ।

- राष्ट्रीय संरक्षण नीति ।

—स्वयंसेवी निकायों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग ।

वैसे तो कार्ययोजना के अधिकांश घटकों पर कार्य शुरू कर दिया गया है, निम्नलिखित कदम उल्लेखनीय हैं :—

—देश में सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ और विस्तृत करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा अन्य सुरक्षा योग्य क्षेत्रों का एक सर्वेक्षण किया गया है। वन्यजीव रिजर्वों की प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिए गए हैं तथा सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं ।

—वन्यजीव संरक्षण के लिए जन सहयोग हासिल करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित किए गए हैं। इनको भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है ।

—वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विचारों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा और संशोधन का कार्य हाथ में लिया गया है ।

—वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में और संशोधन किए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

—बन्दी प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर दिए गये हैं ।

– कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघरों में आदर्श प्रदर्शन सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं ।

—भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव के क्षेत्र में वन्यजीव प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिए हैं ।

राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग

4202. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति उप-योजना और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान उपयोग किए गए धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन राज्यों ने इस धन का पूर्ण उपयोग किया है और किन-किन राज्यों ने इस धन का पूर्ण उपयोग नहीं किया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग के संबंध में विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	आदिवासी उप योजना		विशेष कम्पोनेंट योजना	
		प्रदान की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	प्रदान की गई धनराशि (रु० लाखों में)	उपयोग की गई धनराशि
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4000.96	3449.26	12064.00	10565.00
2.	असम	5243.82	5005.28	1044.00	386.00
3.	बिहार	21377.41	23213.26	6727.00	5421.00
4.	गुजरात	9599.66	9262.79	2587.00	2492.00
5.	हरियाणा	...	...	3033.00	2911.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1742.31	1666.32	1949.00	1949.00*
7.	जम्मू और कश्मीर	..	...	956.00	956.00*
8.	कर्नाटक	518.'0	573.81	67›3.00	6717.00
9.	केरल	438.36	694.95	2958.00	2885.00
10.	मध्य प्रदेश	24116.98	23374.50	6332.00	6340.00*
11.	महाराष्ट्र	887 .61	10454.63	4287.00	6232.00
12.	मणिपुर	2866.26	2866.30	142.00	142.00*
13.	उड़ीसा	15762.03	15743.85	3651.00	3885.00*
14.	पंजाब	...	...	2187.00	1776.00
15.	राजस्थान	6863.96	6676.20	6647.00	6647.00*
16.	सिक्किम	69.40	68.79	46.00	46.00*
17.	त्रिपुरा	2372.05	2591.86	755.00	686.00
18.	तमिलनाडु	620.62	618.31	12616.00	12616.00*

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तर प्रदेश	173.75	137.27	17267.00	17582.00*
20.	पश्चिम बंगाल	1309·05	2956.18	6542.00	6541.00*
21.	दिल्ली	....	...	1643.00	1583.00
22.	चण्डीगढ़		....	198.00	198.00*
23.	पांडिचेरी	...	...	520.00	478.00
24.	गोवा, दमन और दीव	35.96	35.95	83.00	63.00
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	369.48	217.78	...	...

*अनन्तिम

क्षेत्रीय आयोजना आरम्भ करना

4203. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभागीय आयोजना की वर्तमान संकल्पना के स्थान पर क्षेत्रीय आयोजना आरम्भ करने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो क्या एक एकीकृत योजना और समन्वित कार्यवाही शुरू करने के लिए विभिन्न सम्बद्ध विभागों के कार्यक्रमों का समन्वय करके इसे पहले पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ग) इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो आयोजना की इस परिवर्तित संकल्पना को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) : सरकार ने क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक क्षेत्रीय नीति अपनाई है। सूखा प्रवृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के डकैती प्रवृत्त क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कार्यक्रम और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम जैसे विभिन्न विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना

4204. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है कि सभी पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन/निष्पादन के संबंध में वित्तीय लक्ष्यों की बजाय वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) राज्य योजनाओं के आकार राज्यों के अपने संसाधनों और उन्हें देय केन्द्रीय सहायता के स्तर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के आधार-स्वरूप तथा प्राथमिकताओं के अन्तर्गत, और आवश्यकता तथा संसाधन उपलब्धता के अनुरूप, यथा व्यवहार्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिनमें नामित पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी राज्य शामिल हैं, विभिन्न क्षेत्रकों/उप-क्षेत्रकों/परियोजनाओं के लिए वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

सार्वजनिक निर्गमों का कुछ भाग अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पूंजी-निवेशकर्ताओं के लिए आरक्षित करना

4205. **श्रीमती वसवराजेश्वरी :**
श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डिबेंचरों और साम्य-पूंजी के चुनींदा सार्वजनिक निर्गमों का कुछ भाग केवल अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए आरक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सभावना है और इन योजनाओं की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) क्या पूंजी में निवेश को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को उनका प्रतिलाभ सुनिश्चित करने की अन्य कोई योजनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) फिलहाल कोई भी ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) ग्रामीण निवेशकों के लिए पहले ही काफी विकल्प और सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आवश्यक आशोधन और सुधार करने के लिए इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

आय-कर निर्धारितियों के लिए लेखा-वर्ष

4206. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न श्रेणियों के आयकर निर्धारितियों के लिए चार भिन्न- भिन्न लेखा-वर्ष निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नकली इलेक्ट्रानिक सामान का निर्माण

4207. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री टी० बालगौड : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नकली टेलीविजन सैट, रेडियो सैट तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर बनाने के कितने मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) दिल्ली में उपरोक्त सामान बनाकर उसे आयातित बताकर बेचने के कितने मामले में लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को ऐसी कोई आम शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बैंकों द्वारा रुग्ण एककों को ऋण

4208. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा लघु रुग्ण एककों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है और उस प्रत्येक औद्योगिक एकक का नाम क्या है जिसे एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ख) क्या इन ऋणों की वसूली हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1986 के अन्त में 1,28,674 रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के नाम 1182.58 करोड़ रुपए के ऋणों की रकम बकाया थी । दिसम्बर 1985 के अन्त में (अद्यतन उपलब्ध सूचना) एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि की कुल बैंक ऋण सीमा वाले रुग्ण एककों (मझौले और बड़े एककों सहित) की संख्या 637 थी । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रित करने वाली संविधियों के अनुसार बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

(ख) और (ग) संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण एककों के वास्ते तैयार किए गए मिले जुले पुनरुद्धार सहायता कार्यक्रमों में बैंक ऋणों की चुकौती के वास्ते इन कार्यक्रमों में निर्धारित परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार ऋणों की चुकौती की व्यवस्था की जाती है गैर-अर्थक्षम एककों से अपनी अतिदेय राशियों की वसूलों के वास्ते भी बैंकों द्वारा प्रयास किये जाते हैं । वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से रुग्ण एककों से अलग से वसूल की गई अग्रिमों की राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती ।

[हिन्दी]

मॉरफीन बनाने के लिए संयंत्र

4209. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन स्थानों पर अफीम से मॉरफीन बनाने के लिए संयन्त्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या इन संयंत्रों के लगाये जाने के परिणामस्वरूप अफीम का उत्पादन बढ़ा है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्यस्थान के चित्तौड़ जिले में ऐसा एक बड़ा संयन्त्र शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राजीपुर (यू० पी०) तथा नीमच (म० प्र०) स्थित सरकारी अफीम और अल्कालॉयड वर्क्स में अफीम से, कतिपय अन्य अल्कालॉयड पदार्थों के अलावा मार्फीन भी प्राप्त की जाती है ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास

4210. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के आत्म-निर्भर आधार की स्थापना करने तथा जन-साधारण तक अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुंचाने से सम्बन्धित प्राथमिक उद्देश्य के अनुपालन में एक सुगठित, समाकलित अन्तरिक्ष कार्यक्रम का निम्न तीन चरणों में विकास किया गया है :

1. अवसंरचना की स्थापना तथा विशेषज्ञता का विकास ।
2. उपग्रहों, प्रमोचक रोकेटों के विकास में तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोगों में योजनाबद्ध प्रायोगिक मिशनों की शृंखलाएं प्रारम्भ करना ।
3. अन्तरिक्ष सेवाओं का प्रचालनीकरण करना ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने परिष्कृत राकेटों की श्रृंखला का तथा 150 कि.ग्रा. भार की श्रेणी तक के उपग्रहों के प्रमोचन की सन्तुलित क्षमता का, सात प्रायोगिक उपयोग उपग्रहों का विकास, तथा संचार, रेडियो संचारजाल, मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बन और भारत के प्राकृतिक संसाधनों का सुदूर संवेदन सम्बन्धी कार्य सफलता पूर्वक किया है। इनमें से लगभग 40 कि.ग्रा. भार के तीन उपग्रह स्वदेशी रूप में विकसित उपग्रह प्रमोचक राकेट, एल.एल. वी. 3, का उपयोग करते हुए छोड़े गये। प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी का पृथ्वी की निम्न कक्षा में 150 कि.ग्रा. भार के नीतभार को स्थापित करने के लिए संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी) के लिए बन्द पार्श्व मार्गदर्शन प्रणाली और स्टैप-ऑन वर्धकों के विकास के माध्यम से आगे उन्नयन किया गया। इसके अलावा, 1989-90 तक 900 कि.मी. की सूर्य तुल्यवालिक कक्षा में 1,000 कि.ग्रा. भार के सुदूर सवेदन उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता सहित ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का विकास कार्य प्रगति में है। उपग्रहों की इन्सैट श्रेणी को द्वितीय पीढ़ी के प्रमोचन में स्ट्राम जी. एस.एल.वी. की 1994 तक प्राप्ति के लिए निम्नतापी द्रव प्रणोदक ऊपरी खण्ड के विकास के लिये अग्रिम कार्रवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उपग्रहों और उपग्रह उपयोगों के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष सेवाओं का राष्ट्रव्यापी प्रचालनीकरण पहले ही प्रारम्भ हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप देश को व्यापक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

संचार :

नासा के ए.टी.एस.-6 उपग्रह का प्रयोग करते हुए उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण (साइट) कार्यक्रम के माध्यम से तथा फ्रांस-जर्मन उपग्रह "सिफोनी" का उपयोग करते हुए उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (स्टेप) के माध्यम से साफ्टवेयर भू-प्रणाली प्रबन्ध और उन्नत संचार परीक्षणों में अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ आर्यभट और भास्कर के सफल प्रमोचन के बाद स्वदेशी भू-स्थायी संचार उपग्रह "एप्पल" के विकास के लिये सत्तर दशाब्द के अन्त में समानान्तर प्रयास किये गए। 1981 में छोड़े गए एप्पल उपग्रह का उपयोग उन्नत संचार परीक्षणों को करने के लिए दो वर्षों से अधिक समय तक किया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप अद्वितीय प्रचालनात्मक इन्सैट प्रणाली की परिभाषा सम्भव हुई। 1983 में इन्सैट-1 बी० के सफल प्रमोचन से राष्ट्र को अधिक लाभ प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण संचार सेवा पूरी तरह प्रचालन में लाई गई। इनमें सुदूर क्षेत्र संचार सहित लम्बी दूरी का घरेलू दूर संचार, रेडियो संचारजाल, राष्ट्र की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को आवृत करते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र में दूरदर्शन प्रसारण, प्रत्येक दिन आध-आध घन्टे में मौसमविज्ञानीय प्रतिबिम्बन, चक्रवातग्रस्त क्षेत्रों में स्वचालित क्षेत्र विशिष्ट आपदा चेतावनी प्रणाली शामिल है। कई नयी और नूतन सेवाएं जैसे आंकड़ा संचारजाल, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण टेलीग्राफी, राष्ट्र की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को आवृत करने के लिए दूरदर्शन का विस्तार तथा आपदा में फंसे जहाजों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए खोज और बचाव यांत्रिकी इत्यादि सेवाएं क्रमिक रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं। इन्सैट-1 बी. के बाद 1988 में इन्सैट-1 सी को तथा 1989 में इन्सैट-1 डी को छोड़ा जायेगा। द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट-II का विकास स्वदेशी रूप में किया जा रहा है, जोकि जटिलता में दोगुणा है तथा इन्सैट-1 प्रणाली की क्षमता की तुलना में भी दोगुणा है और यह 1990 के बाद से मुख्य धारा मे चलना शुरू करेगा।

सुदूर संवेदन :

भास्कर-I और II का उपयोग करते हुए हवाई सुदूर संवेदन और प्रायोगिक सुदूर संवेदन मिशनों से प्रारम्भ करते हुए सुदूर संवेदन के क्षेत्र में पूर्ण प्रचालनात्मक स्थिति, वर्ष के उत्तरार्द्ध में

स्टेट-आफ-आर्ट सुदूर संवेदन उपग्रह, आई.आर.एस.-1 के प्रमोचन से पूरी होगी। पहले से प्राप्त आंकड़ों से और भास्कर, लैण्डसैट और स्पॉट उपग्रहों से प्राप्त दिए जा रहे आंकड़ों से कई महत्वपूर्ण सुदूर संवेदन उपयोगों को प्रचालन में लाया गया है। इनमें हिमगलन को नियमित रूप में भविष्य-वाणी करना, जोकि उत्तर भारत में मुख्य जल संसाधन है, परती भूमि को उपजाऊ बनाने की दिशा में प्रथम कदम के रूप में ग्रामीण स्तर पर परती भूमि का संरेखण करना, वन-आच्छादन और वनस्पति का नियमित मानीटरन करना, सूक्ष्म स्तर पर भूमिजल की संभावना का पता लगाना तथा बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करना शामिल हैं। खनिज संसाधनों का पता लगाना, नियमित आधार पर प्रमुख कृषि फसलों का मानीटरन सूखा प्रबन्ध, शहरी अध्ययन और राष्ट्र के पर्यावरण का नियमित मानीटरन ऐसे कुछ अध्ययन हैं जो आगामी दो अथवा तीन वर्षों में प्रचालनीकरण के लिये समयबद्ध मिशन के रूप में उपयुक्त प्रयोक्ता एजेन्सियों के साथ पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। आई.आर.एस.-1 के बाद नियमित रूप में अन्य समतुल्य संभवतया अधिक शक्तिशाली सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़े जायेंगे। नब्बे दशाब्द में आई. आर. एस. श्रृंखला के उपग्रहों को हमारे अपने स्वदेशी प्रमोचक राकेट, पी.एस.एल.वी. के उपयोग द्वारा छोड़ा जायेगा।

एक आन्तर विभागीय राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) की स्थापना की गई है; जिसमें वानिकी, भूमिजल, खनिज, पेयजल, मृदा मानीटरन, कृषि, परती भूमि, मानचित्रण तथा समुद्री संसाधन जैसे राष्ट्र के तात्कालिक विकास से सम्बद्ध सुदूर संवेदन उपयोगों के पूर्ण प्रचालनीकरण और समन्वय के लिये अन्तरिक्ष विभाग को एक नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

अन्तरिक्ष विज्ञान :

अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऊपरी वायुमण्डल और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण में बैलूनों और परिक्षापी राकेटों से कई परीक्षण आयोजित किए गये हैं। भारतीय मध्यवायुमण्डलीय कार्यक्रम (आईमेप) के भाग के रूप में नियमित साप्ताहिक सिनाप्टिक परिक्षापन किए जा रहे हैं। 100 कि.मी. के सम्पूर्ण वायुमण्डल के अन्वेषण के लिये वैज्ञानिकों को एक सशक्त साधन प्रदान करने के लिए एम.एस.टी. राडार के रूप में एक सशक्त आन्तर-विभागीय सुविधा स्थापित की जा रही हैं। ए.एस.एल.वी. पर छोड़े जाने वाले श्रोस-3 और 4 उपग्रहों को खगोलीय और वायुविज्ञानीय अन्वेषण करने के लिये निर्धारित किया गया है।

अन्तरिक्ष-उद्योग अन्तरापृष्ठ :

अन्तरिक्ष और उद्योग के बीच एक और तथा अन्तरिक्ष और शैक्षिक संस्थानों के बीच दूसरी और उपयुक्त सम्पर्क स्थापित किए गए है। ये इस प्रकार है : (1) इसरो से उद्योगों को प्रौद्योगिकी का अन्तरण, (2) इसरो द्वारा प्रौद्योगिकियों परामर्श सेवा प्रदान करना, (3) इसरो द्वारा उद्योग में प्रौद्योगिकी सम्भावना का उपयोग करना तथा (4) उद्योग से इसरो को साज-सामान और सेवाओं की सप्लाई इसरो द्वारा विकसित 100 से अधिक प्रौद्योगिकियां उद्योगों को सफलतापूर्वक अन्तरित करने के अलावा भारतीय उद्योग पर वर्तमान योजना में योजना आवटंन की लगभग 50 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है।

सारांश :

संक्षेप में, अन्तरिक्ष कार्य ने दो दशाब्दों में संचार, मौसमविज्ञान और देश के प्राकृतिक संसाधनों के सुदूर संवेदन के क्षेत्रों में राष्ट्र को महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करते हुए पहले ही अन्तरिक्ष सेवाओं के प्रचालनीकरण को आगे बढ़ाया है। राकेट प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी और उपग्रह और अन्तरिक्ष उपयोगों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर आधार स्थापित किया गया है। राष्ट्र की मुख्य-धारा में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रवाहों के पूरे लाभ को स्वदेशी प्रयासों के माध्यम से सुनिश्चित करने के किए आगामी दशाब्द में अन्तरिक्ष सेवाओं की बढ़ती मांग की पूर्ति की सुनिश्चितता के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच प्रभावी अन्तरापृष्ठों की स्थापना की जा रही है।

राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान द्वारा प्राचीन शहरों का उत्खनन

4211. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
श्री के० राममूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान ने डूबे हुए प्राचीन शहरों के उत्खनन की परियोजनायें शुरू कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्री पुरातत्वविदों द्वारा किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इस सम्बन्ध में कितनी धन-राशि व्यय की जानी है; और

(घ) क्या प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का देश में ही विकास किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारतीय महासागर में समुद्र सम्बन्धी पुरातत्वीय अध्ययनों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) द्वारा धन प्रदत्त परियोजना की आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात तट पर द्वारका के प्राचीन नगर बम्बई से दूर एलीफेंटा द्वीप में धारापुरी, तमिलनाडु तट पर काबेरीपत्तनम् और आन्ध्र समुद्र तट पर कलिंगनगरा की खुदाई करने के अतिरिक्त कुछ नष्ट पोतों के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए अन्वेषण करना है।

2. जिन स्थानों का कुछ भाग उत्खनित और प्रलेखित किया गया है वे द्वारका और बेट द्वारका के जलमग्न नगर हैं।

3. अब तक व्यय की गई राशि लगभग 14.5 लाख रुपए हैं। आगामी तीन वर्षों में अग्रिम उत्खनन कार्य के लिए अपेक्षित धनराशि 54 लाख रुपये आंकी गई है।

(घ) जी, हाँ। प्रौद्योगिकी पूर्णतः स्वदेशी है। यह कम गहरे पानी और गहरे पानी में लक्ष्य खोजने, उत्खनन और प्रलेखन के लिए है। औजारों के सम्बन्ध में, पानी के अन्दर कैमरों और उप-सतही प्रोफीलर-कम-साईड स्केन सोनार को छोड़कर अन्य सभी उपकरण/औजार भी स्वदेशी हैं।

नई मुक्त विदेशी मुद्रा परमिट योजना

4212. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई नई मुक्त विदेशी मुद्रा परमिट योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई ब्लैंकिट एक्सचेंज परिमिट स्कीम आरम्भ नहीं की है।

सिंचाई परियोजनाओं का पता लगाने और उनका चयन करने संबन्धी समिति

4213. **श्री के० राममूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं का पता लगाने और उनके चयन के लिये मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर ये अध्ययन किए गए हैं/सप्तवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान किए जायेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सिंचाई परियोजनाओं के कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययनों से संबंधित कार्यक्रम के संदर्शन तथा समीक्षा के विषय में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(ख) इस स्थायी समिति के कार्य संचालन के दौरान, राज्यों की वार्षिक योजना 1987-88 में मूल्यांकन अध्ययनों के लिए धनराशि के निर्धारण के विषय में निर्णय लिया गया था। तदनुसार प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 87-88 की वार्षिक योजना में निर्धारण किया गया है।

(ग) हरियाणा, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्यों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं और अब कुल मिलाकर सभी राज्यों द्वारा सांतवीं योजना के दौरान मूल्यांकन अध्ययन किए जाएगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वनारोपण कार्यक्रम

4214. **श्री राज कुमार राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन रोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन स्वरूप उत्तर प्रदेश को कोई अतिरिक्त सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चलन में करेंसी नोटों का मूल्य

4215. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने मूल्य के करेंसी नोट चलन में हैं ;

(ख) इस समम कुल कितने मूल्य के नोट चलन में हैं ;

(ग) इस समय एक रुपये के कुल कितने सिक्के चलन में हैं ;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में अधिक मूल्य के सिक्के चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :

		(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
(क)	(i) चलन में (13.3.87 को) बैंक नोटों का कुल मूल्य	29,141
	(ii) चलन में (26.12.86 को) 1/- रुपए के नोटों का कुल मूल्य	287
(ख)	(i) चलन में (26.12.86 को) 1/- रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का कुल मूल्य	287
	(ii) चलन में (31.5.85 को) 2/- रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का कुल मूल्य	601

(ग) चलन में (26.12.86 को) एक रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 31570 लाख अदद हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वातावरण के संबन्ध में दीर्घकालिक नीति

4216. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिकों द्वारा दी गई इस भविष्यवाणी की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि 60 वर्ष के बाद भूमि का तापमान 30 डिग्री सेन्टीग्रेड बढ़ जाएगा और वातावरण इतना गर्म हो जायेगा जिससे बहुत से खतरे पैदा हो जायेंगे ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबन्ध में एक दीर्घकालीन नीति बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, अंतरिक्ष और महासागर विकास विभागों के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) जी हां। विकसित देशों में किये गये अध्ययनों से पूर्वानुमान लगाया गया है कि विश्व के तापमान में लगभग 30 सी की वृद्धि होगी। किन्तु, इन पूर्वानुमानों की यथार्थता अभी सिद्ध की जानी है।

(ख) और (ग) विश्व के सतही तापमान में लगभग 30 सी की वृद्धि हो जाने से विश्व में होने वाली वर्षा में औसतन लगभग 7 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इससे भारत में कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है तथा कोई दीर्घकालीन नीति निर्णय लेने की इस समय आवश्यकता नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां

4217. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वाणिज्यिक बैंकों में 31 दिसम्बर, 1986 तक जमा की गई राशियों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत पांच वर्षों में जमा की गई राशि की तुलना में इस वर्ष जमा की गई राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1981, दिसम्बर, 1982, दिसम्बर 1983, दिसम्बर 1984, दिसम्बर, 1985 और दिसम्बर, 1986 के अन्तिम शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) क्रमशः 43793.74 करोड़ रुपये 51577.74 करोड़ रुपए, 60539.76 करोड़ रुपए 70769.12 करोड़ रुपए, 84201.13 करोड़ रुपए तथा 100710.79 करोड़ रुपए थीं।

(ख) दिसम्बर महीने के अन्तिम शुक्रवार को गत 5 वर्षों की जमाराशियों की तुलना में इस वर्ष की जमाराशियों में हुई प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

प्रतिशत

	दिसम्बर 1982	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984	दिसम्बर 1985	दिसम्बर 1986
प्रतिशत वृद्धि	+17.77	+17.38	+16.9	+18.98	+19.61

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सेवा प्रभारों में वृद्धि

4218. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी बैंकों के सेवा प्रभार राष्ट्रीयकृत बैंकों के सेवा प्रभार से कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के सेवा प्रभारों में की गई वृद्धि सरकार द्वारा अनुमोदित है ; और

(घ) यदि हां तो इसका मूलाधार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अलग-अलग बैंकों के सेवा प्रभार स्वयं उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सेवा प्रभारों से संबन्धित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन संभव है कि बैंकों के सेवा प्रभार अलग-अलग हों।

(ग) और (घ) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा सेवा प्रभारों की एक समान अनुसूची अपनाई गई है। इसके लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सेवा प्रभारों में ये संशोधन, बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं के खर्च को आंशिक रूप से पूरा करने के उद्देश्य से किए गए हैं। संशोधित सेवा प्रभार बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं पर होने वाली लागत के अनुरूप हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण

4219. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यवार कितने व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल कितनी धनराशि के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या बैंकों का इन ऋणों की वापस अदायगी पर निगरानी रखने के और इस संबन्ध में रिपोर्ट देने की कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, न कि ऋण राशि का। ऋण की राशि का वास्तविक उपयोग योजना के अन्तर्गत निर्धारित ऋण राशि की अधिकतम सीमा के अन्दर-अन्दर ऋणकर्त्ताओं द्वारा शुरू किए जाने वाले धंधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

(ग) बैंकों से उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी ऋणों के संबन्ध में धनराशियों के अन्तिम उपयोग और उनकी वापसी अदायगी पर निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती है। विभिन्न कार्यक्रम के अधीन दिए जाने वाले अलग-अलग ऋणों की वापसी अदायगी पर निगरानी रखना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1986-87 के लिए लक्ष्य
1. आन्ध्र प्रदेश	17300
2. असम	6200
3. बिहार	29600
4. गुजरात	10700
5. हरियाणा	4600
6. हिमाचल प्रदेश	1600
7. जम्मू और कश्मीर	1400
8. कर्नाटक	12400
9. केरल	20000
10. मध्य प्रदेश	17600
11. महाराष्ट्र	15500
12. मणिपुर	1500
13. मेघालय	300
14. नागालैण्ड	200
15. उड़ीसा	9300
16. पंजाब	15000

1	2
17. राजस्थान	10300
18. सिक्किम	100
19. तमिलनाडु	18100
20. त्रिपुरा	900
21. उत्तर प्रदेश	31300
22. पश्चिम बंगाल	24300
23. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	100
24. अरुणाचल प्रदेश	100
25. चंडीगढ़	500
26. दादर और नागर हवेली	100
27. गोवा, दमन और द्वीव	350
28. मिजोरम	250
29. पांडिचेरी	450
कुल लक्ष्य	2,50,000

सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी की स्थापना

4220. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**
डा० ए० के० पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्टानिकी सॉफ्टवेयर निर्यातकों ने अपनी कठिनाइयां सरकार को बताई हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ग) क्या सरकार का कोई सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग ने निम्नलिखित के बारे में चिन्ता व्यक्त की है :—

1. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विपणन ।
2. सॉफ्टवेयर उपादानों का उपलब्ध न होना ।
3. लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र पर कार्यवाही में विलम्ब ।

नई सॉफ्टवेयर नीति की घोषणा के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. निर्यातकर्त्ताओं द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा में से विपणन सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए 30 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का प्रावधान उपलब्ध है।

2. वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

3. इलेक्ट्रानिकी विभाग में गठित अन्तर्मंत्रालयी स्थायी समिति (आई. एम. एस. सी.) सॉफ्टवेयर निर्यात से सम्बन्धित सभी मामलों पर एक ही स्थान से कार्यवाही करने में एक प्रभावी तन्त्र के रूप में कार्य कर रहा है।

(ग) तथा (घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने एक सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण (एस. डी. ए.) की स्थापना की है ताकि घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजारों के लिए भी सॉफ्टवेयर उद्योग एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता के लिए कृषिवानिकी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला

4221. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री अमर सिंह राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रेणी में रहने वाले लोगों की आवश्यकता के लिए कृषिवानिकी के सम्बन्ध में हाल ही में नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में देश में और विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कृषिवानिकी का विकास करने के लिए क्या सुझाव दिए गये हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ईंधन की लकड़ी और चारा उपलब्ध कराने हेतु दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। इण्डियन सोसाइटी ऑफ ट्री साइंटिस्ट ने 22-24 फरवरी, 1987 तक विज्ञान भवन में ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषिवानिकी पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

(ख) और (ग) आयोजकों ने अभी तक कार्यशाला की कार्यवाही या सिफारिशों को नहीं भेजा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में मोटर सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति

4222. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कठपुडिया छीना-सेराघाट मोटर सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में वनरोपण कार्यक्रम

4223. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में परती भूमि का कुल कितना क्षेत्र है जहां वन नहीं हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लिए कोई वनरोपण कार्यक्रम तैयार गया किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत परती भूमि में वृक्ष लगाए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) परती भूमि विकास संबर्द्धन हेतु सोसायटी (सोसायटी फौर प्रमोशन ऑफ वैस्टलैण्ड डवलपमेंट) के वर्ष 1984 के प्रकाशन में भारत में परती भूमि के दिए गए आकलनों के अनुसार उत्तर प्रदेश में (वर्तमान बंजर भूमि के अलावा) 6.07 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है ।

(ख) तथा (ग) बंजर भूमि के वनरोपण के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है । तथापि सामाजिक वानिकी में कृषि वानिकी घटक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम बंजर भूमि के वनरोपण में किसानों की सहायता करते हैं ।

उत्तर प्रदेश द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां

4224. **श्री हरीश रावत** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश द्वारा 1986-87 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण तथा वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : 1986-87 के 11 महीनों (अप्रैल, 86 से फरवरी, 1987) के दौरान, उत्तर प्रदेश द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्रों/मदों के कार्यान्वयन के निष्पादन का विवरण संलग्न है । जैसा कि मासिक प्रगति रिपोर्ट में दिखाया गया है । शेष मदों के बारे में सूचना वर्ष समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी ।

विवरण

वर्ष 1986-87 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का निष्पादन

सूत्र सं०	सूत्र	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
3क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पुराना)	हजार	309.0	352.5	347.0	98
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (नया)	हजार	223.0	205.8	207.0	101
3ख	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख	382.0	331.1	404.0	122
3ग	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	लाख	390.0	338.0	409.6	121
4	फालतू जमीन	एकड़	2000	1753	4111	235
6	बन्धुआ मजदूर	संख्या	4000	3427	3238	94
7क	अनुसूचित जाति कल्याण	हजार	300.0	272.0	263.6	134
7ख	अनुसूचित जनजाति कल्याण	हजार	3.2	2.9	2.9	100
8	गांवों के लिए पेय जल की पूर्ति	संख्या	5515	4816	9688	201
9क	आवास स्थल	हजार	50.0	45.3	81.2	179
9ख	निर्माण सहायता	हजार	28.8	26.1	29.3	112
10क	गंदी बस्तियों की आबादी	हजार	162.0	146.9	202.7	138
10ख	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान	हजार	24.0	20.8	18.7	90
11क	विद्युतिकृत गांव	संख्या	3610	3020	2837	94
11ख	नलकूपों को बिजली देना	हजार	30.0	25.7	20.3	79
12क	वृक्षारोपण	लाख	4500.0	4335.0	4865.0	112
12ख	बायो-गैस संयन्त्र	संख्या	20000	16000	19732	123
13	नसबंदी	हजार	650.0	574.2	574.6	100.06
14क	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	500	367	शून्य	शून्य
14ख	उपकेन्द्र	संख्या	1500	1100	शून्य	शून्य
15	ए० बी० वि० यो० खंड	संख्या	27	25	24	96
17	उचित दर दुकान	संख्या	4000	2667	3904	146
18	स्थापित लघु उद्योग यूनिट	हजार	18.0	12.0	17.8	148

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नई शाखाएं खोलना

4225. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अगले दो वर्षों में नई शाखाएं खोलने के लिए स्थान का चयन करने सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान नैनीताल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की नई शाखाएं खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत अग्रणी बैंकों की नीति में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर केन्द्रों का पता लगाना होता है और उनका जिला परामर्शदात्री समितियों से अनुमोदन करवाना होता है। इसके पश्चात् राज्य सरकारों की पता लगाये गए केन्द्रों की सूची का अनुमोदन करके उसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में शाखाएं खोलने के वास्ते 13 केन्द्र और पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पिथौरागढ़ जिले में शाखाएं खोलने के वास्ते 22 केन्द्र आबन्टित किए हैं। बैंकों को शाखाएं खोलने के वास्ते वर्ष-वार लक्ष्य नहीं दिए गए हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि शाखा लाइसेंसिंग नीति की बाकी अवधि में बराबर-बराबर शाखाएं खोलें।

विवरण

नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आबंटित केन्द्रों के नाम दिखाने वाला विवरण

1. **नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

जिले का नाम	केन्द्रों का नाम
नैनीताल	1. पतवाडनगर
	2. जन्नकत
	3. मल्धाचौर
	4. सतबुंगा
	5, नाथुआखान
अल्मोड़ा	6. छिना
	7. भोला
	8. कनारीछिना
	9. हरसिमा

1	2
	10. भराड़ी
	11. बसौत
	12. मछोढ़
	13. कंधार
II. पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
पिथौरागढ़	1. क्विटी
	2. धुनाघाट
	3. पिपली
	4. भागीचौरा
	5. अमोडी
	6. सुखीढांग
	7. तवाघाट
	8. बल्म
	9. मदमनले
	10. चहज (दुनी)
	11. जौरासी
	12. बड़सेन
	13. तेजम
	14. मदकोट
	15. भुवानी
	16. डिगाली चोड
	17. चेठी
	18. चौदमान्या
	19. पलेटा
	20. गुर्ना
	21. बलुवाकोट
	22. मोवानी

[अनुवाद]

खनन कार्यों के बारे में पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन

4226. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद स्थित इन्डियन स्कूल आफ माइन्स में खनन कार्यों में पर्यावरण के अध्ययन के लिए केन्द्र द्वारा तैयार किये गए वैज्ञानिक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण सलाहकार समिति के कार्य क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य आरम्भ करेगा और सकेन्द्रित करेगा :—

(1) पूर्व-निर्धारित भूमि उपयोग पद्धति सहित भूमि सुधार।

(2) खनन गतिविधियों के कारण जल और वायु मंडलीय प्रदूषण और उनके नियंत्रण की नीतियाँ।

(3) अवशिष्ट का सुरक्षित निपटान।

(4) हरा-भरा करना और प्राणिजात वास स्थलों का सृजन।

(5) खनन के पहलुओं से सम्बन्धित पर्यावरण में अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) समिति का कार्यकाल 15-1-86 को समाप्त हो गया है। इसकी पुनर्स्थापन नहीं की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय सलाहकार समिति के कार्य ये थे :-

(1) पर्यावरणीय मुद्दों को विशिष्टता देना और उपचारी कार्यवाही पर सलाह देना,

(2) पर्यावरण महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना,

(3) सार्वजनिक प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ावा देना, और

(4) राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं पर जनता के ज्ञान में वृद्धि करना।

(ग) समिति की तीन बैठकें हुई और इसके सदस्यों ने पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने-अपने ज्ञान प्रस्तुत किये। ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई, जिन पर कार्यवाही की जाए।

पर्यावरण कार्यक्रम

4227. **श्रीमती डी०के० भण्डारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति परिरक्षण संघ और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 (दिसम्बर, 1986 तक) के दौरान इन कम्पनियों द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम और परियोजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 (दिसम्बर, 1986 तक) के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति परिरक्षण संघ और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम और परियोजनाएं देश की पर्यावरणीय स्थितियों को सुधारने में किस प्रकार सहायक होंगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) प्रकृति संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.) तथा दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एस.ए.सी.ई.पी.) को वित्तीय योगदान प्रदान करता है ।

2.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चलाए जा रहे वार्षिक कार्यक्रम/परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) पर्यावरणीय मूल्यांकन (अर्थ वाच)
(2) पर्यावरणीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण ।
(3) शुष्क तथा अर्ध-शुष्क भूमि पारि-तंत्र तथा मरूस्थलीकरण का नियंत्रण ।
(4) पर्यावरणीय कानून ।
(5) प्राकृतिक आपदा ।
(6) उष्ण कटिबन्ध वन पारि-तंत्र ।
(7) मानव आवास ।
(8) विश्व समुद्र पर्यावरण ।
(9) क्षेत्रीय समुद्र ।
(10) वन्य जीव एवं सुरक्षित क्षेत्र ।

2.2 दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यक्रम/परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) दक्षिण एशियाई समुद्र कार्यक्रम ।

(2) पर्यावरणीय शिक्षा ।

(3) 1988 को दक्षिण एशिया के लिए वृक्षों के वर्ष की घोषणा ।

(4) कच्छ वनस्पति का संरक्षण ।

(5) मूंगा तथा द्वीप पारि-तन्त्र ।

(6) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन ।

(7) पर्यावरणीय शिक्षा ।

(8) मरुस्थलीकरण ।

(9) समन्वित विक्टर नियंत्रण ।

(10) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्ध ।

2.3 प्रकृति संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ के कार्यक्रम/परियोजनाएं निम्नलिलित हैं :-

(1) संरक्षण आयोजना ।

(2) शिक्षा सूचना तथा प्रशिक्षण ।

(3) पारिस्थितिकी ।

(4) प्रजातियों को उत्तरजीविता के लिए उद्यान तथा सुरक्षित क्षेत्र ।

(5) क्षेत्र आधारित संरक्षण ।

(6) पर्यावरणीय कानून तथा नीति ।

3. इन संगठनों द्वारा तैयार किये गए कार्यक्रम/परियोजनाएं, सूचना के आदान प्रदान, कार्यशालाओं तथा संगोष्टियों के द्वारा देश की सहायता करती हैं ।

जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए आवेदन-पत्र

4228. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86,1986-87 (जनवरी 1987 तक) में जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, कितने रद्द किए गए हैं और कितने आवेदन पत्र छः महीने से अधिक और एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) आवेदन पत्रों को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभा पटल पर रख दी जायगी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

4229. **श्री के० कुम्भम्बु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा राज्य-वार कितनी पूंजी निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : पिछले तीन वर्षों में; अनिवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गए निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

	31-12-84 को	31-12-85 को	31-12-86 को
1. प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)	224.88	477.23	941.72
2. पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों और डिबेन्चरों की वास्तविक खरीद)	46.63	53.03	58.32(अ)
3. बैंक जमा (एन०आर०ई०/एफ०सी० एन०आर० खातों में शेष)	3502.87	5027.88	7388.92(अ)

(अ) अनंतिम

इस समय राज्यानुसार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

4230. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खोली गई इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देता रहा है;

(ग) यदि हां; तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि के ऋण दिए गये; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि इस समय उड़ीसा में उसकी 5 शाखायें कार्यरत हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में लघु, मझोले और बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में इन्डियन ओवरसीज बैंक के बकाया अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	(लाख रुपये) बकाया राशि
1984 के अन्त तक बकाया	1340.47
1985 के अन्त तक बकाया	1486.16
1986 के अन्त तक बकाया*	1543.64

*टिप्पणी - आंकड़े अनन्तिम

राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र खोलना

4231. **श्री राधाकांत बिंगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ; तो क्या सरकार का विचार एक ऐसा केन्द्र उड़ीसा में खोलने का भी है; और

(ग) वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के कितने क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी; नहीं। वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखना

4232. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सरकार ने देश में पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और अनुरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम अपनाए हैं :

— पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर और जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और प्रस्तावित जीव मंडल रिजर्वों के रूप में सुरक्षित रखा जा रहा है।

— पौधों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनके वास-स्थलों की सुरक्षा हेतु सरकार ने 60 राष्ट्रीय उद्यानों और 258 वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की है। 13 स्थानों को "जीव मंडल रिजर्वों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जिनमें सजीव संसाधनों को उनके वास-स्थलों में संरक्षित किया जाएगा। नीलगिरी जीवमंडल की स्थापना 1 सितम्बर, 1986 को की गई।

— वनों की सुरक्षा के अतिरिक्त अवक्रमित भूम में वनरोपण के लिए ठोस उपाय अपनाए गए हैं। सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी भू-संरक्षण और पारिपुनर्जनन कार्यक्रमों को तेज किया गया है।

— वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अधिनियमित किया गया है और इससे गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने में कमी हुई है। गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को 1.5 लाख हेक्टेयर से घटाकर प्रतिवर्ष 6500 हेक्टेयर (औसत) तक लाया गया है।

— कार्यकारी (प्रबन्ध) योजनाओं को तैयार करने और क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं।

— देश के अधिकांश क्षेत्रों में अभिकरण/ठेकेदारी पद्धति को समाप्त कर दिया गया है।

— केन्द्र में पर्यावरण विभाग तथा 18 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश मुख्य विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय दृष्टि से जांच करते हैं तथा प्रतिकूल प्रभावों को रोकने/कम करने के लिए निरोधक तथा उपशामक उपायों को शामिल करने के लिए सुझाव देते हैं।

— एक व्यापक संरक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए देश में महत्वपूर्ण नम भूमियों का पता लगाया गया है।

— राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना तैयार की गयी है तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बेहतर प्रबन्ध के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

— बाघ रिजर्वों के रूप में चुने गये 15 क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जा रही है।

— गैण्डा, हिमतेंदुआ; व्हाइट-विगंड वुड डक, घड़ियाल व कछुए जैसी संकटापन्न और खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

— केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्यों के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न प्रदूषक स्रोतों से होने वाले जल और वायु प्रदूषण को अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर ही रखा जाए।

— बड़े और मझौले पैमाने के 4054 उद्योगों में से 2076 ने बहिस्राव शोधन सन्यन्त्र स्थापित कर लिए हैं।

— पारि विकास शिविर, कार्यवाही के उन्मुख पारिविकास अनुसंधान परियोजनाएं और क्षेत्रीय कार्यवाही परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

— स्वयं सेवी अभिकरणों, नागरिक दलों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के प्रयासों के माध्यम से सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

— भारत सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की पर्यावरण से सम्बन्धित कार्य की पुनरीक्षा करने, जाँच पडताल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में बहाली से सम्बन्धित कार्य की समीक्षा करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा परिषद गठित करने का सुझाव दिया है।

— पिछले चार वर्षों के दौरान कृषि वानिकी के लिए 1056 करोड़ पौध वितरित किये गये।

— हवाई बीजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले साल 52,192 हेक्टेयर भूमि को आच्छादित किया गया।

— पाँच राज्यों के 256 गांवों में वृक्ष उगाने वालों की सहकारिताएँ स्थापित की गई हैं।

— परती भूमि विकास कार्यक्रम की प्रदर्शनी. ब्लाक पौध-रोपण, नर्सरी उगाने, वितरण तथा जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों के लिए 75 स्वयंसेवी अभिकरणों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

— एक व्यापक पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है तथा पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसके अधीन नियम बनाए गये हैं।

— विद्यमान जल और वायु प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण अधिनियमों को संशोधित किया जा रहा है ताकि इसका बेहतर और प्रभावशाली कार्यान्वयन किया जा सके।

— ईंधन की लकड़ी, चारा और घास के उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महानगरों में जीवन बीमा निगम के भवन

4232. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में जीवन बीमा निगम के भवनों की संख्या कितनी है, उनके कितने फर्श-क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के अपने कार्यालय हैं, कितने क्षेत्र में किराएदार के रूप में जीवन-बीमा निगम के कर्मचारी रह रहे हैं, कितने क्षेत्र में उसके सेवा-निवृत्त कर्मचारियों तथा उसके कर्मचारियों के ऐसे रिश्तेदारों का कब्जा है, जिनका जीवन बीमा निगम से कोई सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) इन भवनों को जीवन बीमा निगम के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों के कब्जे में रहने देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना

4234. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिन्डलेज बैंक अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में और क्या इसके अन्तर्गत देश में और अधिक शाखाएं खोला जाना भी शामिल है;

(ग) क्या बैंक का विचार अनिवासी भारतीय के लिए 15 मिलियन डालर की एक पूंजी निधि स्थापित करना है;

(घ) यदि हां, तो यह निधि किस देश में स्थापित की जाएगी; और

(ङ) क्या इस निधि का उपयोग भारत में किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रिन्डलेज बैंक पी.एल.सी. ने भारत में अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । तथापि, मर्चेन्ट बैंकिंग सम्बन्धी अपने कार्यों के विस्तार की योजना के अंग के रूप में ग्रिन्डलेज बैंक पी.एल.सी. ने भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें सहायक कम्पनियों का गठन, भारतीय निवेश निधि की स्थापना आदि शामिल हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने इन प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है ।

जनजातियों के विकास के लिए योजना

4235. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातियों के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1986-87 से आदिवासी उपयोजना नीति का 5000 की कुल जनसख्या वाले समूहों और 50 प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी समूहों और विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों से बाहर रहने वाले आदिवासियों को शामिल करने हेतु विस्तार किया गया है । वर्ष 1986-87 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 3199 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई । 1987-88 के दौरान इस संबंध में राज्य योजना प्रयासों को बढ़ाने हेतु 1250 लाख रुपये अन्तिम रूप से निर्धारित किये गए हैं ।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा यूरो-करेंसी ऋण जुटाने के संबंध में मार्गनिर्देश

4236. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा यूरो-करेंसी ऋण जुटाने के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ऋणों को समुचित ढंग से खर्च करने, इन पर ब्याज के भुगतान और इनकी वापसी के सम्बन्ध में किस तरह का नियन्त्रण, यदि कोई है, रखा जाता है; और

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1986-87 (1 मार्च 1987 तक) के दौरान उक्त ऋणों को लेने की अनुमति प्रदान की गई, इन कम्पनियो ने कितना ऋण लिया, किन-किन देशों से ऋण प्राप्त किया गया है और उस राशि को किस परियोजना पर खर्च करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) निजी क्षेत्र की कम्पनियों को मुख्यत: पूंजीगत सामान के आयात के लिए विदेशों वाणिज्यिक ऋण जुटाने के लिए चयनात्मक आधार पर अनुमति दी जाती है । उधार लेने की स्वीकृति अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से रियायती निधि की उपलब्धता और ऋण परिशोधन देनदारी को विवेकपूर्ण सीमाओं के अन्दर रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रदान की जाती है । जहां तक व्यवहार्य हो यह भी सुनिश्चित करने की सावधानी बरती जाती है कि ऋण का करार प्रतिकूल शर्तों पर न किया जाए ।

(ख) निजी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने की अनुमति देने के पूर्व प्रस्तावों की कम्पनियों को सरकार द्वारा दी गई विभिन्न अन्य स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए जांच-पड़ताल की जाती है । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की स्वीकृति की शर्तों को पूरा किया जाए और इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की लिखित या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है । भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से ऋण की निकासी और उसकी वापसी-अदायगी तथा ब्याज व अन्य प्रभारों की अदायगी पर भी नजर रखता है ।

(ग) निजी क्षेत्र की कम्पनियों को 1 अप्रैल, 1986 से 1 मार्च, 1987 तक की अवधि के दौरान दी गई विदेशी मुद्रा ऋण की अनुमति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

निजी क्षेत्र की उन कम्पनियों का नाम जिन्हें 1-4-1986 से 1-3-1987 की अवधि में ब्यूरो-मुद्रा ऋण जुटाने की अनुमति दी गई थी

क्रम सं०	कंपनी का नाम	विदेशी मुद्रा में ऋण की राशि (लाख रुपए)	ऋण देने वाले का नाम	ऋण का उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स असाही इंडिया सेफ्टा ग्लास लि०,	2186.00 येन	असाही ग्लास कंपनी टोकियो	पूंजीगत सामान का आयात
2.	मैसर्स टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) प्रा० लि०,	23.79 अमेरिकी डालर	टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंक, यू.एस.ए.	पूंजीगत सामान का आयात
3.	मैसर्स साउथ दिल्ली कैंसर डिटेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूशन	614.20 जापानी येन	एम.टी.बी.एल. लीजिंग (हांगकांग) कंपनी लि०,	आधुनिकतम उपकरणों का आयात
4.	मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०,	270.00 ड्यूश मार्क	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंगापुर	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
5.	मैसर्स लॉयन कैंसर डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट	0.64 अमेरिकी डालर के बराबर ड्यूश मार्क	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंगापुर	आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों का आयात
6.	मैसर्स अपार प्रा० लि०	9.35 अमेरिकी डालर	ओलिवेल्टो एस पी ए, इटली	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
7.	मैसर्स पशुपति एक्रीलीन लि०,	168.07 अमेरिकी डालर	एस.एच.आई.ए. विस्कोसो एस. पी. ए. इटली	—तदैव—

1	2	3	4	5
8.	मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लि०,	0.95 अमेरिकी डालर	सिटी बैंक, एन.ए.	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
9.	मैसर्स सायन क्लब ऑफ पूना	1150.88 जापानी येन	मितराविशी कारपोरेशन सिंगापुर	आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों का आयात
10.	मैसर्स यू० पी० ग्लाइकोल लि०,	8760.00 जापानी येन	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
11.	मैसर्स फोर्ब्स फोर्ब्स काम्फेल एण्ड कंपनी लि०,	14.31 अमेरिकी डालर	इंडस्ट्री आटची, रिडराइट	—तदैव—
12.	मैसर्स हीरो होंडा मोटर्स लि०,	66.50 स्विस फ्रांक 34.00 अमेरिकी डालर	आई.एफ.सी. (डब्ल्यू)	—तदैव—
13.	मैसर्स भास्कर ग्राफिक एण्ड प्रिंटिंग आर्ट्स प्रा० लि०.	5.40 अमेरिकी डालर	क्रेडिट डू नोर्ड, फ्रांस	प्रिंटिंग मशीनों का आयात
14.	मैसर्स राइटर्स एण्ड पब्लिकेशन्स प्रा० लि०,	5.35 अमेरिकी डालर	—तदैव—	—तदैव—
15.	मैसर्स इंडियन फाइन ब्लैंक लि०,	11.42 स्विस फ्रांक	हैनरिक स्मिड ए. जी. स्विटजरलैंड	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
16.	मैसर्स इंडियन फाइन ब्लैंक लि०,	4.36 स्विस फ्रांक	—तदैव—	—तदैव—
17.	मैसर्स कुणाल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लि०	3.00 ड्यूशमार्क	इंडस्ट्री सर्क, पश्चिम जर्मनी	—तदैव—

1	2	3	4	5
18.	मैसर्स रिशमैन शिपिंग कं० लि०,	2.46 अमेरिकी डालर	के.पी.आर. ट्रान्सो केनी फिशरीज (प्रा०) लि०,	मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का आयात
19.	मैसर्स कोपिन्को बिनाती जिंक लि०,	3.75 ड्यूश मार्क	लुर्गी फ्रैंकफर्त, पश्चिम जर्मनी	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
20.	मैसर्स उडयन मेरिन प्राडक्ट्स (प्रा०) लि०	2.05 अमेरिकी डालर	मैसर्स क्रशटेक लि०, इंग्लैंड	मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का आयात
21.	मैसर्स प्रशांत पोली कंक्रीट प्राडक्ट्स	20.40 ड्यूश मार्क	मैसर्स एनलेजन फर डोजीरन एन्ड मिशेम, पश्चिम जर्मनी	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
22.	मैसर्स कोठारी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०,	2.94 स्विस फ्रांक	पी. एन. बी.	—तदैव—
23.	मैसर्स समूरा मेरीटाइम ट्रेडर्स लि०,	4127.99 जापानी येन	औरियेन्ट लीजिंग कं०, जापान	मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का आयात
24.	मैसर्स पजाब पोलीफाइबर्स लि०	136.12 ड्यूश मार्क	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
25.	मैसर्स इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स बम्बई (प्रा०) लि०	412.06 एफ. एफ.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
26.	मैसर्स बैनेट कौलमैन कं० लि०	36.61 पौण्ड	—तदैव—	प्रिंटिंग मशीनों का आयात
27.	मैसर्स ग्रेट अटवुड लि०	120.00 अमेरिकी डालर	अटवुड ओसियनिक इंक, यू. एस. ए.	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
28.	मैसर्स रिवीनन सिप्स लि०	4346.39 जापानी येन	निकिमन कारपोरेशन, जापान	—तदैव—

1	2	3	4	5
29.	मैसर्स थामसन प्रेस (इण्डिया) लि०	15.5 अमेरिकी डालर के बराबर स्विस फ्रांक	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	प्रिंटिंग मशीनों का आयात
30.	मैसर्स लिबिंग मोड़िया इन्डिया (प्रा०) लि०	10.5 अमेरिकी डालर के बराबर स्विस फ्रांक	---तदैव---	---तदैव---
31.	मैसर्स इन्डियन क्रानिकल (प्रा०) लि०	2.19 अमेरिकी डालर	हांग हुआ मशीनरी वर्क्स लि०, ताइवान	---तदैव---
32.	मैसर्स इण्डियन क्रानिकल (प्रा०) लि०	4.60 अमेरिकी डालर	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का आयात
33.	मैसर्स के. एस. के. फिशरीश (प्रा०) लि०	700.00 जापानी येन	शिराजुफ कं० लि०, जापान	मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का आयात
34.	मैसर्स एक्सिडेंट कैपर यूनिट ऑफ भुवनेश्वरी नर्सिंग होम	9.22 स्विस फ्रांक	एलशिट इंक, यू. एस. ए.	आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों का आयात
35.	मैसर्स साउथर्न पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	87.5 अमेरिकी डालर	सेमुअल मौटैग एण्ड कं० लंदन-मिडलैंड बैंक	पुराने जहाजों का अभिग्रहण
		52.5 अमेरिकी डालर	सेमुअल मौटिंग एण्ड कं०	---तदैव---
36.	मैसर्स चौगले एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	66.00 अमेरिकी डालर	ब्रेव इन्टरप्राइसेस इन्क जापान	पुराने जहाजों का अभिग्रहण
37.	मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड	38.69 अमेरिकी डालर डेनमार्क क्रोनर के बराबर	बैंक आफ इण्डिया न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	---तदैव---

1	2	3	4	5
38.	मैसर्स वरूण शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	71.20 जापान येन	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पुराने टैंकर का अभिग्रहण
39.	दी ग्रेट ईस्ट्रन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	80.00 अमेरिकी डालर	आई.एफ.सी.(डब्ल्यू)	—तदैव—
40.	मैसर्स हेडे नेवीगेशन लिमिटेड	17.5 अमेरिकी डालर	हेम्लटन मैरीटाइम लिमिटेड	—तदैव—
41.	मैसर्स ग्राफाईट विकार्ब लिमिटेड	231.67 नार्वे क्रोनर	एन.ओ.आर.ए.डी.	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
42.	मैसर्स ज्योति सी. फूडस	12.32 अमेरिकी डालर	निर्यात वित्त और बीमा निगम आस्ट्रेलिया	मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात
43.	मैसर्स इन्डियन रेयन्स कारपोरेशन	32.00 अमेरिकी डालर	आई.एफ.सी. (डब्ल्यू)	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
44.	मैसर्स पब वेबीवैल इण्डिया लिमिटेड	5.23 स्विस फ्रैंक	पनपैन बोइस के.जी. पश्चिम जर्मनी	—तदैव—
45.	मैसर्स फिनर्पक इण्डिया लिमिटेड	5.56 स्विस फ्रैंक 3.65 अमेरिकी डालर	केन्सली इन्टरनेशल बैंक (एशिया पेसीफिक) लिमिटेड, सिंगापुर	तदैव—
46.	मैसर्स फिसकार्स इण्डिया लिमिटेड	32.00 फिन	औद्योगिक विकास निगम के लिए फिनिश निधि	—तदैव—
47.	मैसर्स इंदुस फूड लिमिटेड	320.00 रुपए के बराबर अमेरिकी डालर	बैंक आफ इण्डिया	मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का आयात
48.	मैसर्स इण्डिया न्यूजपेपर बम्बई लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.ए.)	20.07 अमेरिकी डालर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	पूंजीगत वस्तुओं का आयात

1	2	3	4	5
49.	मैसर्स कैंसर इन्स्टीट्यूट, मद्रास	10.56 एच.एफ.एल. 5.50 अमेरिकी डालर	नीदरन ट्रेडिंग बी.वी, नीदरलैंड	आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों का आयात
50.	मैसर्स सरलक्स डायगनोसटिक लि०	10.4.48 येन	मित्शुबीशी कारपोरेशन सिंगापुर	—तदैव—
51.	मैसर्स गुजरात फुशिन ग्लास लि०	75.25 अमेरिकी डालर	आई.एफ.सी. (डब्ल्यू)	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
52.	मैसर्स भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान	7.88 ड्यूश मार्क	मैसर्स शोमेंस ए.जी. पश्चिम जर्मनी	चिकित्सा उपकरणों का आयात
53.	मैसर्स गुजरात नर्बदा वेली फर्टिलाइजर्स कम्पनी	574.00	चेस मानहट्टन एण्ड स्टेट बैंक आफ इण्डिया	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
54.	मैसर्स प्रिमियर एक्सट्रेक्शन लि०	400.00 जापानी येन 4.99 स्विस फ्रैंक	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	—तदैव—
55.	मैसर्स मद्रास मेडिकल मिशन	8.12 ड्यूश मार्क	साइमेन ए.जी. पश्चिम जर्मनी	चिकित्सा उपकरणों का आयात
56.	मैसर्स हाउस आफ कम्पयूटर सोफ्टवेयर सिसटम	6.45 पौंड	मैसर्स कोपरो (यू.के.) लंदन	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
57.	मैसर्स चेम्पियन सिवी एण्ड कम्पनी	1.96 फ्रैंक	ए.आई.बी.ई.एस.ए. स्वोटजरलैंड	—तदैव—
58.	मैसर्स बम्बई यूरोलोजिकल इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर बम्बई	31.15 ड्यूश मार्क	बैंक आफ इण्डिया	चिकित्सा उपकरणों का आयात
59.	मैसर्स टिटेनी वाचेज लिमिटेड	66.56 यूरोपीयन करेंसी 4560.00 जापानी येन 69.60 फ्रैंक	आई.एफ. सी. (डब्ल्यू)	पूंजीगत वस्तुओं का आयात

बजट में दी गई राहत के फलस्वरूप सामान्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य

4237. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य उपभोग की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जो 1987-88 के बजट प्रस्तावों में दी गई राहतों के फलस्वरूप सस्ती हुई हैं; और

(ख) क्या इसका लाभ आम आदमी को मिलने लगा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शुल्क दरों में सीधे कटौती करके अथवा संशोधित मूल्य वर्धित काराधान प्रणाली (मोड़वैट) के विस्तार के माध्यम से 1987-88 के केन्द्रीय बजट में सामान्य उपभोग की उन मदों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। जिनके संबंध में उत्पाद शुल्क में राहत प्रदान की गई है।

(ख) सरकार ने सम्बन्धित व्यापार और उद्योग पर आम आदमी को राहत देने के लिए जोर दिया है। प्रारम्भिक रिपोर्टों से प्रकट होता है कि विनिर्माताओं द्वारा इन मदों में से कुछेक की कीमतें कम की जा रही हैं।

विवरण

उत्पाद	बजट से पहले शुल्क की दर	शुल्क में कटौती करके अथवा मोडवैट के जरिए राहत की सीमा
1	2	3
1. मक्खनियां दूध का पाउडर (जैसे अमूल मिल्क पाउडर)	15 प्रतिशत	3 प्रतिशत
2. सघनित दूध (जैसे मिल्क मेड)	15 ,,	2 ,,
3. पैकज बन्द मक्खन (जैसे अमूल मक्खन, विजय मक्खन पराग मक्खन आदि)	10 ,,	5.7 ,,
4. पैकज बन्द सुखाई हुई सब्जियां (जैसे फल आदि)	10 ,,	3 ,,
5. पैकज बन्द फल (जैसे अनानास के टुकड़े, मिले-जुले फल आदि)	10 ,,	3 ,,
6. शोधित तेल (पोस्टमैन, डालडा और अन्य शोधित तेल आदि)	1500 रुपये प्रतिटन	20 रुपये प्रतिटन

1	2	3
7. चटनियाँ	15 प्रतिशत	3 प्रतिशत
8. ग्लूकोज	15 ,,	1.9 ,,
9. डेक्स्टरोज	15 ,,	1.9 ,,
10. चबाने के गम	10 ,,	4 ,,
11. चीनी की मिठाई (चाशनी की मिठाई)	10 ,,	4 ,,
12. चाकलेट (केडबरी, अमूल आदि)	10 ,,	4 ,,
13. बिस्कुट	10 ,,	5 ,, औसत
14. जैम्स	10 ,,	5 ,,
15. स्क्वेश	10 ,,	5 ,,
16. तुरन्त तैयार हो सकने वाली कॉफी	26 ,,	7 ,,
17. चटनी/अवलेह	10 ,,	3 ,,
18. जैव गैस लाइट	18 ,,	15 ,,
19. जैव गैस चूल्हे	15 ,,	15 ,,
20. जैव गैस हाट-प्लेट	15 ,,	15 ,,
21. कागज लेखन सामग्री	12 ,,	12 ,,
22. ट्यूब लाइटें	20 ,,	2 रुपये प्रति ट्यूब
23. ट्यूब लाइटों के हिस्से	12 प्रतिशत	5 प्रतिशत
24. 10000 रुपये और 12000 रुपये प्रतिटन के बीच के मूल्य के लान्डरी साबुन	15 ,,	10 ,,
25. सस्ते प्रसाधन साबुन (जैसे हमाम, लक्स, रेक्सोना)	15 ,,	शुल्क में कोई वृद्धि नहीं (शुल्क केवल मंहगे प्रसाधन साबुनों पर बढ़ाया गया है)
26. जूते और चप्पल (60 रुपए प्रति जोड़ा तक का कर निर्धारण योग्य मूल्य जोकि लगभग 100 रुपया प्रति जोड़ा खुदरा मूल्य के बराबर है)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

1	2	3
22.	हाथ के बने सूती कपड़े	छूट की सीमा को 35 लाख वर्ग मीटर से 50 लाख वर्ग मीटर कर दिया गया है।
28.	पोलिएस्टर ऊन मिश्रित यार्न	30 रुपये प्रति वर्ग मीटर — 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर
29.	सिन्थेटिक चिथड़े (आयात शुल्क)	80 प्रतिशत — 30 प्रतिशत
30.	ऊन के गोले	8.43 रुपए प्रति किलोग्राम — 9.43 रुपए प्रति किलोग्राम
31.	शोडी उन के कपड़े	छूट की सीमा को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रतिवर्ग मीटर कर दिया गया है।
32.	टूथ ब्रस हेण्डलों के लिए प्लास्टिक की सामग्री	40 प्रतिशत — 20 प्रतिशत
33.	कंघियों के लिए प्लास्टिक की सामग्री	40 ,, — 20 ,,
34.	ऐनकों के फ्रेमों के लिए प्लास्टिक की सामग्री	40 ,, — 20 ,,
35.	साबुन तथा वस्त्र उद्योग के लिए प्लास्टिक की सामग्री	40 ,, — 20 ,,
36.	एल. डी. पी. ई. से बने उत्पाद (जैसे कि प्लास्टिक के थैले आदि) (आयात शुल्क)	100 ,, — 25 ,,
37.	पी. वी. सी. से बने उत्पाद (जैसे जूते, पाइप, तार और केबल (आयात शुल्क)	10.500 रुपए प्रतिटन — 3000 रु० प्रतिटन
38.	एल्यूमीनियम कार्टस	15 प्रतिशत — 15 प्रतिशत
39.	क्षय रोग नाशक औषधियों के लिए मध्यवर्ती औषधियां आयात शुल्क)	141.5 प्रतिशत — 71.5 प्रतिशत
40.	एंटीबायोटिक सल्फा औषधियों तथा दर्द नाशक औषधियों में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती औषध	141.5 प्रतिशत — 81.5 प्रतिशत
41.	पापड़	विद्यमान छूट जारी रहेगी

1	2	3
42. छोटे रेफ्रिजिरेटर—100 लीटर तक की क्षमता वाले	30 प्रतिशत	प्रति रेफ्रीजिरेटर 250 रुपए से 450 रुपए के बीच
43. सुलभ साड़ी	ब्यौरे अभी घोषित किए जाने हैं	
44. सोडा ऐश	विद्यमान आंशिक छूट जारी रहेगी	
45. विकलांगों की गाड़ियों के लिए आयातित हिस्से	188 प्रतिशत	188 प्रतिशत

केरल के पालघाट जिले में जीवन बीमा निगम का कार्यालय खोलना

4238. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल के पालघाट जिले में अलाथुर में जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय खोलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1986-87 में महंगाई भत्ते का भुगतान

4239. **श्री० वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 1986-87 के दौरान महंगाई भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ख) इसमें से अनुमानतः कितनी राशि आय कर के रूप में सरकार को वापस प्राप्त हो जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) 1986-87 में अभी तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर किए गए व्यय का अनुमान

(करोड़ रुपए में)

	समूह क	समूह ख ग और घ	जोड़
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिनमें रक्षा कार्मिक भी शामिल हैं।	128.25	174.09	302.34
संघ शासित क्षेत्र	4.75	6.45	11.20
	133.00	180.54	313·54

(ख) स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को एक पृथक मद नहीं माना जाता है। यह "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत आय का एक भाग होता है लेकिन संघ की परिलब्धियों में से अर्थात "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत, स्रोत पर काटे गए कर के कारण (उपलब्ध अद्यतन वेतन रिपोर्ट के अनुसार) अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान वसूल किए गए आयकर का अनंतिम रूप से 15.17 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

सोफ्टवेयर पब्लिशिंग हाउस

4241. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 'साफ्टवेयर पब्लिशिंग हाउस' स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य शहरों में ऐसे हाउस स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) साफ्टवेयर की कुल लागत में निम्नलिखित संघटक-पुर्जों की लागत शामिल है :

—रायल्टी/साफ्टवेयर विकासकर्ताओं को 10 से 20 प्रतिशत तक की धनराशि।

— थोक विक्रेता/प्रकाशनकर्ता को 30 से 40 प्रतिशत तक की धनराशि।

—शेष लाभ फुटकर विक्रेता को।

चूंकि लागत का अधिकांश भाग थोक विक्रेता/प्रकाशक के पास चला जाता है, अत: यदि यह कार्यकलाप स्वदेश में ही किया जाता है तो इसका आन्तरिक लाभ हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

(ग) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

4242. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कौन कौन सी कम्पनियां दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रही हैं ;

(ख) क्या दूरसंचार उपकरण निर्माता एककों की स्थापना के लिए कोई विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है ; यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में दूर संचार उपकरणों का निर्माण करने वाली कम्पनियों की स्थापना करने के लिए किसी गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनी ने अपनी सेवाएं प्रदान करने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम संलग्न विवरण I में दिए गए हैं ।

(ख) जी हाँ, । विदेशी सहभोग से संबन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं ।

(ग) तथा (घ) निजी क्षेत्र की कुछ इकाईयों ने दूर संचार उपस्करों के विनिर्माण की दृष्टि से इकाइयों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ।

निजी क्षेत्र की इकाइयों के नाम की एक सूची तथा जिन उत्पादों के लिए उन्हें आशय-पत्र प्रदान किए गए हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं ?

विवरण I

दूर संचार उपस्कर का विनिर्माण करने में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम

1. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० बंगलौर ।
2. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० नैनी ।
3. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० राय बरेली ।
4. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० पालघाट ,
5. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० श्रीनगर ।
6. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० मनकापुर ।

7. भारत इलैक्ट्रॉनिकी लि० बंगलौर ।
8. भारत इलैक्ट्रॉनिकी लि० गाजियाबाद ।
9. भारत इलैक्ट्रॉनिकी लि०, कोटद्वार ।
10. भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लि० हैदराबाद ।
11. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०, मद्रास ।
12. केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिकी लि०, साहिबाबाद ।
13. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा ।
14. एन्ड्रयू यूल एण्ड क० लि०, कलकत्ता ।
15. गुजरात संचार तथा इलैक्ट्रानिकी लि०, बड़ौदा ।
16. महाराष्ट्र इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, बम्बई ।
17. समुद्र संचार तथा इलैक्ट्रानिकी लि०, विशाखापत्तनम ।
18. उड़ीसा राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लि०, भुवनेश्वर ।
19. आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लि०, हैदराबाद ।
20. तमिलनाडु इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लि०, मद्रास ।
21. केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०, त्रिवेन्द्रम ।
22. गोवा दूरसंचार लि०, गोवा ।
23. कर्नाटक इलैक्ट्रानिक विकास निगम लि०, बंगलौर ।
24. कर्नाटक दूर संचार लि०, बंगलौर ।
25. पंजाब बेतार प्रणाली लि०, चंडीगढ़ ।
26. पंजाब संचार लि०, चंडीगढ़ ।
27. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, जयपुर ।
28. राजस्थान संचार लि०, जयपुर ।
29. हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, शिमला ।
30. जम्मू तथा कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निमम लि०, श्रीनगर ।
31. अपट्रांन संचार तथा उपकरण लि०, लखनऊ ।
32. उत्तर प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लि , लखनऊ ।
33. मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, भोपाल ।
34. बिहार राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, पटना ।
35. पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, कलकत्ता ।

विवरण II

दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग के ब्यौरे

पार्टी का नाम	उत्पाद का नाम	विदेशी सहयोग
1	2	3
1. इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड ।	उच्च शक्ति की एम्पलीफायर प्रणाली	एन. ई. सी. जापान
2. इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड ।	उपग्रह स्टेशन ऐन्टेना	एन. ई. सी. जापान
3. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एफ. ई. टी. कमध्वनि के एम्पलीफायर	एन. ई. सी. जापान
4. गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	अति उच्च आवृति/परा उच्च आवृति-अभिवम रेडियो टेली-फोन प्रणाली	इटलटेल मिलानो इटली
5. इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	यथोपरि	कांकुसई इलैक्ट्रोनिक्स
6. पंजाब कम्यूनिकेशंस लिमिटेड चंडीगढ़	डी. टी. एल. बहु उपस्कर	ग्रेरांजर एसोसिएट्स अमरीका
7. पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लि०, चंडीगढ़	उच्च आवृति ट्रांसमीटर, रिसीवर तथा ट्रांसरिसीवर	हैरिस करपोरेशन अमरीका
8. गुजरात कम्यूनिकेशन तथा इलैक्ट्रॉनिकी लिमिटेड	वर्धित रेंज अतिउच्च आवृति संचार प्रणालियां	जेनेल कॉम लिमिटेड कनाडा
9. भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड	सूक्ष्म तरंग ऐन्टेना	नेरा, नार्वे
10. आ० प्रदेश इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड	अलालोंग अंशदाता कैरियर प्रणालियां	सिस्कांर टेक्नोलो-जिज इन कार्पोरेटिड
11. पंजाब वायरलेस सिस्टम लिमिटेड चंडीगढ़	अति उच्च आवृति ट्रांसरिसीवर	रेप्को, अमरीका

1	2	3
12. जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,	रेडियो पेजिंग प्रणालियां	रीच इलैक्ट्रानिकी इनकॉरपोरेटिड अमरीका
13. समुद्री संचार तथा इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड	समुद्री अनुपयोग तथा रेडियो दूरसंचार फोन के लिए रेडियो स्टेशन	इन्टरनेशनल मेरिन रेडी
14. भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड	उच्च आवृति रिसीवर	साइंटिफिक रेडियो सिस्टम इनकॉरपोरेटिड
15. भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड	(1+4)अति उच्च आवृति रेडियो लिंक	तोशिबा जापान
16. पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड	अति उच्च आवृति ट्रांस रिसीवर	फिलिप्स, हालैंड
17. अपट्रान कम्यूनिकेशंस इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	बहुत अभिगम दूरसंचार प्रणालियां	फ्यूजीत्सु, जापान
18. यथोपरि	एकल तथा बहु अभिगम दूर संचार प्रणाली	यथोपरि
19. गुजरात संचार तथा इलैक्ट्रानिकी, लिमिटेड	बहु अभिगम रेडियो टेलीफोन	इटलटेल, इटली
20. इंडियन टेलीफोन उद्योग, नैनी	एम. ए. आर. आर.	काकुसई इलैक्ट्रानिक्स. जापान
21. कर्नाटक इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम	टू-वे रेडियो संचार उपस्कर	मर्कोनी कम्यूनिकेशन सिस्टम, ग्रेट ब्रिटेन
22. तमिलनाडु इलैक्ट्रानिकी विकास निगम	यथोपरि	यथोपरि
23. राजस्थान संचार लिमिटेड	यथोपरि	पैट कम्यूनिकेशन अमरीका

1	2	3
24. बिहार राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड	यथोपरि	शिन्वा शारशिक, जापान
25. मेक लिमिटेड, विशाखापत्तनम	यथोपरि	यथोपरि
26. अप्ट्रॉन संचार तथा उपकरण लिमिटेड	ट्रू-वे रेडियो संचार उपस्कर	बुड एर्वाक्स, हंगरी
27. महाराष्ट्र इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम	यथोपरि	बी. बीं. सी. ब्राउन बावेरी, स्वीटजरलैंड
28. भारतीय इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड	वायरलेस संचार उपस्कर	पार्क एअर इलैक्ट्रानिकी अमरीका
29. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड	एफ. डी. एम. उपस्कर	एरिक्सन, स्वीडन
30 अप्ट्रॉन संचार तथा उपकरण लिमिटेड	यथोपरि	एरिक्सन, स्वीडन
31. पंजाब संचार लिमिटेड	ट्रांस मल्टीप्लेक्सर	ग्रेंचर एसोसिएट्स अमरीका
32. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड मनकापुर	ई. एस. एस. स्थानीय (लोकल)	सी. आई. टी. अल्काटेल फ्रांस
33. भारतीय टेलीफोन उद्योग रायबरेली	फ्रांसबार स्विचन उपस्कर	बी. टी. एम. बेल्जियम
34. भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड हैदराबाद तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर	एस.जी.सी. टेलेक्स एक्सचेंज (जिसमें टाइम डिवीजन प्लेक्सर शामिल हैं)	सीमेंस पश्चिमी जर्मनी
35. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, पालघाट	डी. टी. ए. एक्स.	सी. आई. टी अल्काटेल फ्रांस

1	2	3
36. अप्ट्रान अंकीय प्रणाली लिमिटेड	ई.पी.ए.एक्स/ई.पी.ए.एक्स.	जे.एस. फ्रांस
37. भारटेल संचार लिमिटेड	ई.पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.एक्स.	जे.एस. फ्रांस
38. पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम	यथोपरि	यथोपरि
39. लार्सेन एण्ड टोबरो लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
40. क्षमा कम्प्यूटर्स एण्ड पेरीफेरल्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
41. एस्कोर्ट्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
42. ब्लू-स्टार लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
43. यूनीटेल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
44. डैल्टन केबल्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
45. नार्दर्न डिजीटल एक्सचेंज	यथोपरि	यथोपरि
46. टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
47. जे.के. विजनेस मशीन्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
48. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
49. टेक्सटॉन टेलीकाम प्रा० लि०	इलैक्ट्रानिकी पुश बटन टेलीफोन	सीमेंस पश्चिम जर्मनी
50. रेमिंग्टन रैंड आफ इंडिया	इलैक्ट्रानिकी पुश बटन टेलीफोन	सीमेंस पश्चिम जर्मनी
51. क्राम्प्टन ग्रीवज लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि

1	2	3
52. केल्ट्रॉन टेलीफोन उपकरण लिमिटेड	इलैक्ट्रानिकी पुश बटन टेलीफोन	सीमेंस, पश्चिम जर्मनी
53. टेलीमैटिक्स सिस्टम्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
54. पल्सर इलैक्ट्रानिकी (प्रा०) लि०	यथोपरि	यथोपरि
55. एस. ई. टी. टेलीकम्यूनिकेशंस लि०	यथोपरि	यथोपरि
56. वेबल-टेक्समैको इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
57. भारत टेलीकॉम लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
58. गुजरात कम्यूनिकेशंस एण्ड इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
59. लेवेनीर टेलीकॉम लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
60. आई.आई.ए.सी. इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
61. श्री गोपाल के. केजरीवाल	यथोपरि	यथोपरि
62. हरियाणा टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
63. दी प्रियराज एंटरप्राइज	यथोपरि	यथोपरि
64. हिमाचल टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि

1	2	3
65. श्री जैसाल इलैक्ट्रॉनिकी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इलैक्ट्रानिकी पुश बटन टेलीफोन	सोमेंस, पश्चिमी जर्मनी
66. सुनील कम्यूनिकेशंस प्रा० लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
67. श्री सुनील खारिया	यथोपरि	एरिक्सन स्वीडन
68. राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
69. स्वीड (इंडिया) टेलीट्रॉनिक्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
70. यूनीटेल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
71. डिजीकॉम सिस्टम्स प्रा० लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
72. यूनाइटेड टेलीकॉम प्रा० लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
73. पंजाब वायरलैस सिस्टम लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
74. फ्यूजबेस इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	यथोपरि	फेस आई,टी.आई इटली
75. बिनाटोन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
76. डी.बी.के. इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
77. यूनीरेक्स माउल्ड्स प्रा० लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
78. आई.टी.पी. टेलीकॉम्स प्रा० लिमिटेड	यथोपरि	यथोपरि
79. श्री के. के. जोशी	यथोपरि	यथोपरि

1	2	3
80. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड	इलैक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोन	फेस आई. टी. आई. ईटली
81. भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड	प्रतिचित्र उपस्कर	एन.ई.सी. जापान
82. स्कैन-टेल (प्रा०) लिमिटेड	यथोपरि	डायल-ए-कॉपी इनका पोरेटिड, कनाडा
83. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०	यथोपरि	सेगम, फ्रांस

विवरण–

दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस शुदा निजी क्षेत्र की इकाइयों की सूची

निजी क्षेत्र की इकाइयों का नाम	विनिर्माण की वस्तु
1	2
1. सैन इलेक्ट्रॉनिक्स [प्रा] लि०	टेलीफोन डायलर
2. सैन इलेक्ट्रानिक्स [प्रा] लि०	टेलीफोन उत्तर देने वाली मशीन
3. श्री के० आर० प्रभु	टेलीफोन उत्तर देने वाली तथा अभिलेखन मशीन
4. डॉ० लीला प्रसाद रेड्डी	टेलीफोन उत्तर देने वाली तथा अभिलेखन मशीन
5. डॉ० लीला प्रसाद रेड्डी	हल्के वजन के हैड सेट्स
6. बी० पी० एल० सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्ट्स लि०	पावर लाइन संरक्षणात्मक रिले उपस्कर
7. क्लियर इण्डिया मल्टीट्रॉनिक्स [प्रा] लि०	पुश बटन डायलर
8. श्री सत्यव्रत गुप्ता	की टेलीफोन सिस्टम
9. श्री ए०बी०पी०के० सत्यनारायण राव	सूक्ष्मतरंग उपस्कर सब-ए.एस.एस.बी
10. हिन्दुस्तान ब्राउन बॉवरी लि०	पी.एल.सी.सी. उपस्कर

1		2
11.	वाडप्रो इनफोरमेशन टेक्नॉलोजी प्रा०लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
12.	आरलेम ब्रेवरीस प्रा०लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
13.	बेस्ट एण्ड क्राम्प्टन इन्जीनियरिंग प्रा० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
14.	डिजिटल टेलिकॉम	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
15.	कान्टिनेंटल डेवाइसिस इण्डिया लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
16.	अरविन्द मिल्स लि०	128 पोर्ट ई.पी,ए.बी.एक्स
17.	डेल्टा हेमलिन लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
18.	हिन्दुस्तान ब्राउन बोवरी लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
19.	डी.वी.के. इनफोरमेशन टेक्नॉलोजी लि०	128 पोर्ट ई.पी. ए.बी.एक्स
20.	राजस्थान टेलीमैटिक्स इण्डिया लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
21.	कैपिटल रेडियो कम्पनी	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
22.	श्री के० सी० राजाराम	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
23.	इंडचेम इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
24	सुजाता टेलीकम्यूनिकेसन्स लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
25.	राणे ब्रेक लाइनिंस लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
26.	ऑटो कन्ट्रोल्स प्रा० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
27.	हिमाचल इन्टरलिंक टेक्नोलोजी लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए,बी.एक्स
28.	बुर ब्राउन इण्डिया प्रा० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
29.	नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कं० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
30.	कालिन्दी रेल निर्माण (इन्जी) लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
31.	मैग्नाविजन इलेक्ट्रानिक्स लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी एक्स
32.	दी इण्डियन ट्रान्सफोरमर्स लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
33.	रेडिएन्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	128 पोर्ट ई,पी.ए,बी.एक्स
34.	डब्ल्यू० एस० इन्सुलेटर्स ऑफ इण्डिया लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
35.	जेनेसिस टेलीकम्यूनिकेन्स (लि०)	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स

1	2
36. पेरिमाल पीलीमर्स लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
37. दी ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्यू० कं० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
38. ओमनी फाइनेंस एण्ड इन्डस्ट्रीस लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
39. श्री प्रकाश जैन	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
40. कोसमो कम्यूनिकेशन्स प्रा० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
41. पेनटेक्स इन्जीनियरिंग (प्रा०) लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
42. यूनाइटिड टेलीकॉम प्रा० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
43. सुपर फोन इण्डिया लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
44. ईसेन टेलीकम्यूनिकेसन्स प्रा० लि०	128 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स
45. आरटेल कम्यूनिकेसंस लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
46. लारसेन एंण्ड ट्यूब्रो लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
47. ऊषा कम्प्यूटर्स एण्ड पेरीफरल्स लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
48. एस्कोर्टस लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
49. ब्लू स्टार लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
50. डेल्टन केबल्स लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
51. टाटा इण्डस्ट्रीज लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
52. जे० के० बिजनेस मशीन्स लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
53. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०	ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स
54. टेक्सटन टेलीकॉम प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
55. रेमिंगटन रेन्ड ऑफ इण्डिया लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
56. क्राम्प्टन ग्रीव्स लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
57. पल्सर इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
58. सेट टेलीकम्यूनिकेसन्स प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
59. भारती टेलीकॉम (लि०)	इले० पुश बटन टेलीफोन
60. आईटीएसी इण्डिया मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
61. श्री गोपाल के० केजरीवाल	इले० पुश बटन टेलीफोन

1		2
62.	हरियाणा टेलीकम्यूनिकेसन्स लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
63.	दी प्रियराजा इन्टरप्राइसिस	इले० पुश बटन टेलीफोन
64.	हिमाचल टेलीफोन इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
65.	श्री जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
66.	सुनील कम्यूनिकेसन्स प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
67.	श्री सुनील खारिया	इले० पुश बटन टेलीफोन
68.	डिजिकॉम सिस्टम्स प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
69.	यूनाइटिड टेलीकॉम प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
70.	फ्यूजवेस इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
71.	बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
72.	डी.वी.के. इनफोरमेशन टेक्नॉलोजी लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
73.	यूनीरेक्स मोडल्स प्रा. लि.	इले० पुश बटन टेलीफोन
74.	आई पी टी टेलीकॉम प्रा० लि०	इले० पुश बटन टेलीफोन
75.	श्री के० के० जोशी	इले० पुश बटन टेलीफोन
76.	बेलबाल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
77.	हिन्दुस्तान ब्राउन बोवरी	प्रतिचित्रण उपस्कर
78.	मनधारी इलेक्ट्रॉनिक्स	प्रतिचित्रण उपस्कर
79.	जे० के० सिन्थेटिक्स प्रा० लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
80.	डी.वी.के. इन्फोरमेशन टेक्नॉलोजी लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
81.	कम्प्यूटेक इन्टरनेशनल	प्रतिचित्रण उपस्कर
82.	बी. इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स (प्रा) लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
83.	फेक्सकॉम सिस्टम्स लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
84.	मरफी इंडिया लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
85.	स्केन-टेल (प्रा) लि०	प्रतिचित्रण उपस्कर
86.	सीयर इण्डिया मल्टीट्रॉनिक्स (प्रा) लि०	पे फोन्स
87.	श्री राजेश कुमार	पे फोन्स
88.	श्री विपिन कुमार अग्रवाल	पे फोन्स
89.	ओमनीटेल इन्डस्ट्रीज लि०	पे फोन्स
90.	हिन्दुस्तान टेलीकम्यूनिकेशन्स	इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर
91.	सीयर इंडिया मल्टीट्रॉनिक्स (प्रा लि०	पे फोन्स

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

4243. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पास 1 जनवरी, 1986 को कितने मामले थे। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने वर्ष, 1986 के दौरान कितने मामलों पर कार्यवाही शुरू की और वर्ष 1986 के दौरान कितने मामलों में कार्यवाही पूरी की और 1 जनवरी 1987 को कितने मामले हाथ में थे;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई जाँच के आधार पर कितने मामलों में मुकद्दमा चलाया गया और कितने मामले गत वर्षों के है; और

(ग) वर्ष 1986 के दौरान कितने मामलों में निर्णय लिया गया और कितने मामले वर्ष 1987 के लिए लम्बित रहे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) (i) 1-1-86 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पास जाँच-पड़ताल/जाँच के लिए लम्बित पड़े मामले : 1194

(ii) 1986 के दौरान जाँच के लिए हाथ में लिए गए मामले : 1301

(iii) 1986 के दौरान जिन मामलों में जाँच पूरी कर ली गई : 1351

(iv) 1-1-87 की स्थिति के अनुसार जाँच के लिए लम्बित मामले : 1144

(ख) (i) 1986 के दौरान केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जिन मामलों में अभियोजन की कार्यवाई की गई : 632

(ii) गत वर्षों में विचारण के लिए लम्बित पड़े मामले जो अग्रेनीत किए गए : 586

(ग) (i) वर्ष 1986 के दौरान जिन मामलों पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया : 287

(ii) ऐसे अदालती मामले जो 1987 में अग्रेनीत किए गए : 2931

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वियन

4244. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के उपभोग में सुधार के लिए समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम करने हेतु किन-किन राज्यों का प्रायोगिक परियोजना के रूप में चयन किया गया है;

(ख) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम और अधिक राज्यों में कार्यान्वित किया जायगा;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कब और उस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) छठी योजना अवधि, 1981-85 में विकास तथा प्रायोगिक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के परीक्षण के लिए नौ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चुने गए थे। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु उड़ीसा व दिल्ली थे। सातवीं योजना (1985-86 के बाद) से इस कार्यक्रम का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है।

(ख) अभी तक किया गया राज्य-वार व्यय (वर्ष 1986-87 के अन्त तक प्रत्याशित) संलग्न है (विवरण–1)।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना परिव्ययों के आधार पर खर्च की जाने वाली सम्भावित राशि संलग्न है (विवरण–2)।

विवरण–1

योजना आयोग

(ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग)

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर अभी तक किया गया राज्यवार व्यय

(1986-87 के अंत तक प्रत्याशित)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रु०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.67
3.	असम	12.00
4.	बिहार	—
5.	गुजरात	27.00*
6.	हरियाणा	73.00
7.	हिमाचल प्रदेश	74.00

1	2	3
8.	जम्मू व कश्मीर	5.00
9.	कर्नाटक	51.00*
10.	केरल	25.00
11.	मध्य प्रदेश	35.00
12.	महाराष्ट्र	151.00
13.	मणिपुर	8.00
14.	मेघालय	10.00
15.	मिजोरम	12.20
16.	नागालैंड	—
17.	उड़ीसा	35.00
18.	पंजाब	17.00
19.	राजस्थान	—
20.	सिक्किम	10.00
21.	तमिलनाडु	118 00
22.	त्रिपुरा	10.00
23.	उत्तर प्रदेश	253.00
24.	पश्चिम बंगाल	25.00
25.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8.00
26.	चंडीगढ़	—
27.	दादरा व नगर हवेली	4.05
28.	दिल्ली	165.00
29.	गोवा, दमन और दीव	15.50
30.	लक्षद्वीप	0.40
31.	पांडिचेरी	10.00

* 1986-87 के दौरान हुआ व्यय शामिल नहीं है क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है।

(क) केन्द्रीय योजना 93.00

विवरण–2

योजना आयोग

(ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग)

सातवीं योजना परिव्यय के आधार पर सातवीं योजना के दौरान
एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर व्यय की जाने वाली सम्भावित राशि

क्रम संख्या	(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रु० में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	50
3.	असम	50
4.	बिहार	200
5.	गुजरात	250
6.	हरियाणा	100
7.	हिमाचल प्रदेश	400
8.	जम्मू व कश्मीर	50
9.	कर्नाटक	100
10.	केरल	150
11.	मध्य प्रदेश	300
12.	महाराष्ट्र	300
13.	मणिपुर	35
14.	मेघालय	125
15.	मिजोरम	20
16.	नागालैंड	20
17.	उड़ीसा	150
18.	पंजाब	90
19.	राजस्थान	120
20.	सिक्किम	50
21.	तमिलनाडु	500

1	2	3
22.	त्रिपुरा	—
23.	उत्तर प्रदेश	600
24.	पश्चिमी बंगाल	75
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20
26.	चंडीगढ़	—
27.	दादरा न नगर हवेली	10
28.	दिल्ली	350
29.	गोआ, दमन और दीव	50
30.	लक्षद्वीप	10
31.	पांडिचेरी	20
	जोड़	4185
	(ख) केन्द्रीय योजना	591

[हिन्दी]

बिहार को परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए धनराशि

4245. **श्री कुंवर राम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में परिवहन और संचार प्रणाली के विकास के लिए वर्ष 1986–1987 और 1987–1988 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : बिहार की राज्य योजना में, 'परिवहन' क्षेत्रक के लिए वर्ष 1986–87 और 1987–88 के लिए क्रमशः 91.50 करोड़ रु० और 114.05 करोड़ रु० के परिव्यय अनुमोदित किए गये हैं। राज्य योजना में 'संचार' के लिए कोई परिव्यय नहीं है। केन्द्र के 'परिवहन' और संचार के लिए परिव्यय देश के लिए समग्र आधार पर निर्धारित किए जाते है न कि राज्यवार ।

[अनुवाद]

पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाकर वनों का संरक्षण

4246. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में तम्बाकू संसाधन कार्यों के कारण पेड़ों की अवैध कटाई से वनों के संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाये हैं :

(ख) क्या जलाने वाली लकड़ी की कीमत कम होने के कारण पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में किसान लकड़ी के स्थान पर कोयले का उपयोग करने से इन्कार करते हैं;

(ग) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों द्वारा वनों का इस प्रकार दुरुपयोग किये जाने के बारे में जानकारी मिली है; और

(घ) पर्यावरण का संरक्षण करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तम्बाकू संसाधन कार्यों के लिए की जा रही वृक्षों की अवैध/छिट-पुट रूप से कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों में कोयला डिपुओं की स्थापना करके तम्बाकू संसाधन के लिए कोयले के उपयोग को प्रोत्साहन देना ।

(2) तम्बाकू की खेती करने वालों को जलाने की लकड़ी की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के विशेष वार्षिक पातनांश (कूप भण्डार) तैयार करना ।

(3) वनों में सघन गश्त लगाना तथा उनके द्वारा उपयोग की ईंधन की लकड़ी के लिए तम्बाकू खत्तों को जांचना ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी, हां । भारत सरकार को कुछ सूचना प्राप्त हुई है । आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की विस्तृत जांच करे तथा तम्बाकू कृषकों द्वारा भण्डार की गई लकड़ी का रख-रखाव/उनके द्वारा प्रयुक्त लकड़ी के लिए उन पर पूर्ण जिम्मेदारी डालते हुए ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताए अनुसार कदम उठाए हैं ।

हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण

4247. श्री पी० एम० सईद : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र के बहु- आयामी विकास के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकरण की रचना क्या है और इस प्राधिकरण के निर्देशन में किन-किन क्षेत्रों को विकास हेतु सम्मिलित किया जाएगा; और

(ग) उपयुक्त कार्य में राज्य सरकारों की भूमिका क्या होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता से हिमालय क्षेत्र के समन्वित पारिस्थितिक विकास के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है जिसके ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

चलते फिरते वाहनों से गैस रिसाव रोकना

4248. श्री हुसैन दलवाई : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के बाद नये उद्योगों को लाइसेंस देते समय प्रदूषण, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक खतरों से बचने के लिये पर्याप्त सावधानियां बरती जा रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का सड़क परिवहन द्वारा खतरनाक गैस का टैंकरों द्वारा ले जाया जाना रोकने का विचार है, जिससे मार्ग में गैस के रिसाव के कारण उत्पन्न होने वाली किसी दुर्घटना से बचा जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हाँ।

महंगाई भत्ते पर आयकर से छूट देना

4249. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर आयकर से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते पर आयकर से छूट देने के प्रस्ताव की सरकार ने जांच की थी और वह स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

ग्रामीण विकास के लिए उद्योग को प्रोत्साहन

4250. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रमीण विकास के लिए प्रोत्साहन स्वरूप उद्योग क्षेत्र को आयकर पर दिये गये ग्रामीण विकास भत्ते के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि इसका कोई असन्तोषजनक परिणाम रहा है तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का ग्रामीण विकास के कार्य में उद्योग को शामिल करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां । राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अध्ययन किया गया था ।

(ख) इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण विकास के स्वीकृत कार्यक्रमों पर किए गए व्यय की कटौती के जरिए निगमित क्षेत्र को प्रदान किए गए प्रोत्साहन से अधिक उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ है । आरम्भ में प्रतिक्रिया बहुत शिथिल रही और कुछ वर्षों में यह नगन्य हो गई । इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि यह आशा करना यथार्थ नहीं है कि कर-दाताओं को केवल कुछ कर राहत देने मात्र से उनके कारोबार से पूर्णतया असम्बद्ध लोकहितैषी कार्यकलाप करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है । इससे यह संकेत मिलता है कि व्यापार कार्यकलापों में लगी हुई निजी एजेंसियों को स्वयं लोकहितैषी कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रेरित करने हेतु कर-प्रोत्साहन सही साधन प्रतीत नहीं होते हैं ।

(ग) शिथिल-प्रतिक्रिया और उद्योग को ग्रामीण विकास के कार्य के लिए प्रेरित कर पाने में असफल रहने का मुख्य कारण यह है कि बहुतसी कम्पनियां स्वयं ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने में निहित प्रबन्धकीय और अन्य समस्याओं का मुकाबला करने में असमर्थ और अनिच्छुक रही हैं । इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ी गई धारा 35 ग ग क अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय साबित हुई है । इस उपबंध के अनुसार कम्पनियां, उन मान्यताप्राप्त संगमों और संस्थाओं को चुकाई गई राशि पर पूर्ण कटौती उपलब्ध कर सकी हैं, जिन्होंने अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का दायित्व लिया था और कम्पनियों को अपने आप कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं करने पड़े । इस समय देश के ग्रामीण विकास के कार्य में उद्योग को शामिल करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर कानूनों में कोई विधायी परिवर्तन करने का विचार नहीं किया जा रहा है ।

चंदन का तेल निकालना

4251. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये सुझाव दिया गया है कि अब चन्दन के पेड़ों से, सामान्य स्थिति की बजाए आरम्भिक स्थिति में, तेल निकाला जा सकता है ;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा या गैर-सरकारी निकायों द्वारा कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) यद्यपि चन्दन का तेल निकालने के लिए चन्दन के छोटे वृक्षों के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई

विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, इस क्षेत्र में किया गया अनुसंधान दर्शाता है कि 20-30 साल पुराने चन्दन के पेड़ से तेल का उत्पादन मात्र 0.2 से 2 प्रतिशत है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। 30 से 50 वर्ष पुराने वृक्षों से उत्पादन 2.8 से 5.6 प्रतिशत है और इन वृक्षों से प्राप्त तेल बेहतर क्वालिटी का है।

कर्नाटक में चन्दन के वृक्ष लगाना

4252. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में बड़ी संख्या में चन्दन के वृक्ष लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार "चन्दन पुनर्उत्पादन" के स्कीम को क्रियान्वित करती है जिसमें राज्य के आठ जिलों में चन्दन की पौध उगाने की परिकल्पना की गई है। सामाजिक वानिकी स्कीमों के तहत किसानों को चन्दन के बालपौधे भी वितरित किए जाते हैं। चन्दन के पौधों की उचित देखभाल और संभाल के लिए प्रोत्साहन के रूप में निजी पौधे उगाने वालों को वृक्षों के मूल्य का 75% हिस्सा (विभागीय कर्षण प्रभार घटाकर) दिया जाता है। एक चन्दन विकास निधि की स्थापना की गई है।

सरकारी उपक्रमों में मुख्य अधिकारियों के रिक्त पद

4253. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के कितने पद रिक्त थे ;

(ख) रिक्त पदों को भरने में औसतन कितना समय लगता है ;

(ग) 1 जनवरी, 1980 से 1 जनवरी 1987 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य अधिकारी औसतन कितनी अवधि तक पदासीन रहे ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य अधिकारयों में चयन के लिए कोई विशेषज्ञ समिति/पैनल है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1.1.1987 को नए सृजित पदों के अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (स्तर-I) के 26 पद तथा कार्यकारी निदेशक (स्तर-II) के 49 पद खाली थे।

(ख) बोर्ड स्तर के पूर्णकालिक पद को भरने के लिए औसतन अनुमानतः 12 सप्ताह का समय लगता है।

(ग) प्रश्न में उल्लिखित अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारयों की औसत कार्यावधि अनुमानतः तीन वर्ष है।

(घ) बोर्ड स्तर के इन पूर्णकालिक पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों पर की जाती हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कल आपकी अनुपस्थिति में नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया था जो विदेशों में गैर कानूनी ढंग से धनराशि के संचय और वित्त मंत्रालय द्वारा अमरीकी एजेंसी की नियुक्ति के बारे में था। उन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। आज पता चला है कि भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री वी०पी० सिंह ने प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर इस प्रकार से चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे समस्या और भी विकट हो जाती। क्या आप इस मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति प्रदान करेंगे ? इस सम्बन्ध में कई सदस्यों ने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यथाशीघ्र इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह बाल्डविन की जीवनी है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जब बाल्डविन इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री थे, तब यह प्रश्न उठा था कि क्या राजा के विवाह का मामला संसद में उठाया जा सकता है। एटली ने यह प्रश्न उठाया था और बाल्डविन ने उसका उत्तर दिया और अन्ततः यह मुद्दा हल हो गया। मैं यह इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि हम हाउस ऑफ कामन्स की प्रक्रिया अपना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल संगत बातों पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया बाल्डविन और एटली के पूर्व निर्णयों का अनुकरण करें। कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। (व्यवधान) वे बाल्डविन और एटली के सम्बन्ध में भी आपत्ति उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं नियमों के अनुसार चलूंगा और मैं इस पर अतिशीघ्र सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इस पूर्व निर्णय पर भी विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। यदि इसमें सम्बन्धित कोई बात होगी तो मैं उस पर गौर करूंगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आंध्र प्रदेश में तम्बाकु उत्पादक बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसमें आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। इस मुद्दे पर यहां चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को ले रहा हूं।

श्री विनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैंने भी एक मूल प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री विनेश गोस्वामी : फेयरफैक्स के विषय में।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा करेंगे।

श्री विनेश गोस्वामी : यह आरोप भी लगाए गए हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ..

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं इस विषय पर सदन में चर्चा कराऊंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैंने भी नोटिस दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : सत्र के समाप्त होने से पहले इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, महोदय, इसी सप्ताह में। आप चिंता न करें नियमानुसार जो भी अनुमति दी जा सकेगी, अनुमति दी जायेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : मुझे अभी इसका पता चला है। मुझे खेद है कि मैं लिखित सूचना नहीं दे सका। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं। ताकि आप इस पर विचार करें। यह गम्भीर मामला है बिना मुकद्दमे के गिरफ्तार करना और नजरबन्द करना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग है।

अध्यक्ष महोदय : इसे चुनौती दी जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा किया जा रहा है। यह अधिनियम इस सभा में इस आश्वासन के आधार पर पारित किया गया था कि....

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। ऐसा नहीं चलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में मजदूर संघ के एक अधिकारी पर डेढ़ महीने तक मुकद्दमा चलाया गया और फिर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मन्त्री को इसकी जांच करनी चाहिए और इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। इसे चुनौती दी जा सकती है। मैं कोई न्यायालय नहीं हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ?

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कुछ पत्रों के बारे में प्रधान मंत्री ने बताया है कि ये पत्र उनके कार्यालय से लीक नहीं हुए थे। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, महोदय, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। मैंने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा है । मैंने कुछ नहीं देखा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी राय में इस मामले पर किसी को चर्चा नहीं करनी चाहिए । वे इस आशय का वक्तव्य क्यों नहीं देते कि इस पत्र के लीक होने के बारे में .. **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं देखा है । मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा । अगर मैंने पढ़ा है तो मैंने पूरा पढ़ा है । नाट अलाउड ।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता । मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई निष्कर्ष निकाले जाएं । उनकी कोई बात कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जाएगी ।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ए. एस. एल. वी. मिशन के असफल होने के सम्बन्ध में सरकार के वक्तव्य का क्या हुआ । सरकार को वक्तव्य देना चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी आपका आ रहा है ।

(व्यवधान)

डॉ० ए०के० पटेल (मेहसाना) : गुजरात में किसानों पर गोली चल रही है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए, कालिंग अटेंशन करवा देते हैं । आप लिख कर दे दीजिए, मैं करवा दूंगा ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह डिस्कशन के लिए फ्लोर पर आ रहा है। अभी हम एग्रीकल्चर की प्राइस पालिसी पर डिस्कस करेंगे तब वह आ जायेगा। बाकी कोई और जरूरी हुआ तो वह भी देख लेंगे।

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : किसानों की स्ट्राईक की वजह से अहमदाबाद में दूध नहीं मिल रहा है, तरकारी नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ! क्या कह रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

12.06 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई, और भारतीय विनिधान केन्द्र के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित प्रतिवेदन

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 283 (अ), जो 13 मार्च 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सभी किस्म के अभ्रक को, जिसके अन्तर्गत अभ्रक स्क्रेप और अपशिष्ट नहीं हैं, जब उसका भारत के बाहर निर्यात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी. -4056/87]

(2) राष्ट्रीय कृषि, और ग्रामीण विकास बैंक-अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बंबई के वर्ष 1985-

86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. ए.एल टी. -4057/87]

(3) (एक) भारतीय विनिधान केन्द्र के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विनिधान केन्द्र के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. -4058/87]

(4) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 4059/87]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1987-88 की और अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 1 87-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और महासागर विकास, परमाणु-ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी.-4060/87]

(2) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी.-4061/87]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना और पेंशन भोगियों के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की कतिपय सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बारे में संकल्प

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1987, जो 13 मार्च, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.284 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम 1987, जो 13 मार्च 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.285 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1987, जो 13 मार्च, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 286 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं. एल. टी. -4062/87]

(2) संकल्प संख्या 2/13/ 87-पी.आई.सी., जो 18 मार्च, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पेंशन भोगियों के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की कतिपय सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी. -4063/87]

गृह कल्याण केन्द्र का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) गृह कल्याण केन्द्र के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी. -4064/87]

12.07 म०प०

लोक लेखा समिति

छियासठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : मैं पश्चिम रेलवे-डाबला से सिंघाना तक छोटी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में 162वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 66 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्ण गिरि) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग संगनात्मक ढांचा और परियोजना-मंजूरी के संबन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.08 म० प०

24-3-87 को संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट डी-1 के छोड़े जाने के बारे में वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : श्रोस-1 उपग्रह सहित संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.डी. 1) की प्रथम विकासात्मक उड़ान मार्च 24, 1987 को श्रीहरिकोटा से हुई। स्ट्रैप-ऑन बूस्टर मोटरों को दागने के साथ ही यह उड़ान भारतीय समयानुसार 12.09 बजे हुई। राकेट का कार्य-निष्पादन 48.5 सैकण्ड तक, तब तक सामान्य रहा जब तक कि कोर मोटर का प्रज्वलन शुरू हुआ। दो स्ट्रैप-ऑन मोटरें भी डिजाइन के अनुसार 52.4 सैकण्ड पर पृथक हुईं। प्रारम्भिक विश्लेषणों से पता चलता है कि कोर मोटर में सन्दिग्ध खराबी के कारण राकेट का नियन्त्रण टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप 107 सैकण्डों के बाद उड़ान समाप्त हो गई। सम्पूर्ण उड़ान अवधि के दौरान दूरमिति आंकड़े प्राप्त किए गये। श्रोस-1 उपग्रह के प्रमोचक राकेट के कार्य-निष्पादन की जांच करने वाले नौ भारों से भी आंकड़े प्राप्त किए गए। असफलता के सही कारणों का पता लगाने के लिए इन आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है।

ए. एस. एल. वी. में शामिल की गई दो महत्वपूर्ण नई प्रौद्योगिकियों में से स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रौद्योगिकी विकास का कार्य-निष्पादन सन्तोष प्रद रहा । यद्यपि बन्द-पाश मार्गदर्शन प्रणाली, जो कि केवल द्वितीय खण्ड के बाद ही प्रचलित होती है, का मूल्यांकन उड़ान की असामयिक समाप्ति के कारण पूरी तरह नहीं किया जा सका, तथापि समाप्ति के समय तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनसे जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली पैकेज के संतोषप्रद कार्य-निष्पादन का स्पष्ट रूप में पता चलता है ।

भावी राकेटों के लिए आवश्यकतानुसार सुधार करने के उद्देश्य से असफलता के जटिल कारणों को समझने के लिये आंकड़ों का और विश्लेषण किया जायेगा । ए. एस. एल. वी. प्रमोचनों का कार्यक्रम योजनानुसार जारी रहेगा ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में दे देना, अगर आप डिस्कशन चाहते हो । ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकता ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या हम कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में दे देना अगर आप डिस्कशन चाहते हैं, ऐसे बीच में नहीं हो सकता ।

12.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा भारत की यात्रा पर आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के पर्यटन स्थलों की सूची में बिहार राज्य को शामिल करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, बिहार में, कुम्हार स्थान पर जहां पर खुदाई के बाद मौर्य काल की काफी सामग्री मिली है, भारत के प्राचीन इतिहास को दिखाने के लिए प्रकाश

और ध्वनि का प्रबन्ध शुरू करने का सुझाव था। यह वही स्थान है जहां पर महान श्री अशोक की राजधानी स्थित थी। बुद्ध सर्किट पर स्थानों के सुधार करने के बारे में भी सुझाव था। अहिल्या स्थान, गौतम ऋषि आश्रम और जयमगल स्थान जैसे स्थानों का भी अच्छे पर्यटक स्थलों के रूप में विकास किया जाना चाहिए। गंगा नदी के साथ सड़क बनाने के और पटना में उस सड़क पर पिकनिक सुविधाओं का विकास करने के भी सुझाव थे ऐसा लगता है कि इस दिशा में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। हाल ही में, थाइलैंड की राजकुमारी ने बिहार के विभिन्न स्थानों का दौरा किया था जो कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा पता लगा है कि विदेशों से आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के पर्यटन स्थलों की सूची में बिहार को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार का निर्णय संभवतः विदेश मंत्रालय द्वारा पर्यटन विभाग के साथ परामर्श के बाद लिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस सूची में बिहार को शामिल किया जाए।

(दो) वर्तमान वर्ष को "सहकारिता वर्ष" घोषित करने की मांग

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं।

इस देश के महान नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के आर्थिक विकास के लिए सहकारिता को आधार माना था उनके जीवन-काल में सहकारिता का विकास तो हुआ ही, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी सहकारिता को काफी बल मिला। आज यह आन्दोलन पूर्ण सफल सिद्ध हुआ है। गांवों से लेकर शहरों तक मानव समाज के हर क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहा है गांवों में ऋण वितरण एवं शहरों के लिए आज इस देश का सबसे बड़ा कारखाना इफ्को सहकारिता के क्षेत्र में चल रहा है एवं लाभ में चल रहा है। देश के कुल खाद बिक्री का 42 प्रतिशत सहकारिता के माध्यम से वितरण होता है। चीनी का उत्पादन भी सहकारी क्षेत्र में प्रशंसनीय है।

युवा प्रधानमन्त्री जी के नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कई सूत्र सहकारिता से जुड़े हुए हैं और इसे पूरी तरह कार्यान्वित भी आंदोलन का रूप देकर किया जा सकता है। इस वर्ष को बिहार सरकार ने सहकारिता वर्ष घोषित किया है और बिहार के मुख्यमन्त्रीजी सभी सहकारी समितियों को सबल बनाने की योजना बना रहे हैं।

हम सरकार से मांग करते हैं कि इस वर्ष को सहकारिता वर्ष घोषित करें साथ ही पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर के समान को-आपरेटिव सेक्टर भी बनाया जाय।

(तीन) कर्नाटक में कैगा में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री वी० कृष्णराव** (चिकबल्लापुर) : महोदय, कुछ वर्ष पहले कर्नाटक राज्य अपनी जरूरत से अधिक बिजली पैदा कर रहा था। इन दिनों बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है और उसके परिणामस्वरूप

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

बंगलौर और मैसूर जैसे शहरों में 12 घंटे से अधिक बिजली की कटौती की जा रही है । इससे इस राज्य में उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

इन परिस्थितियों में, यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि बिजली उत्पादन के लिए राज्य में एक बड़ी परियोजना की स्थापना की जाए । राज्य सरकार ने उत्तरी केनारा जिला में 'कैगा' म परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है । राज्य ने इस प्रयोजन के लिए 3500 एकड़ भूमि की पहले ही स्वीकृति दे दी है ।

कैगा में, वहां केवल एक ही गाँव था और इस गाँव के लोगों को पहले ही किसी अन्य स्थान पर बसा दिया गया है । इस सम्बन्ध में सभी सुरक्षा उपाय किये गए हैं । इस परियोजना को पूरा होने के बाद, यह संयंत्र 3000 मिलियन वाट बिजली पैदा कर सकता है । काली नदी पन-बिजली परियोजना इसके लिए कूलिंग स्टेशन के रूप में कार्य कर सकती है ।

अतः मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए और कैगा में परमाणु विद्युत सयंत्र स्थापित किया जाए ।

12.15 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(चार) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : नियम 377 के अधीन मैं वक्तव्य दे रहा हूं ।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने देश में परती भूमि के उचित और उपयुक्त उपभोग करने की बहुत सी अन्य सिफारिशों को साथ-साथ देश में परती भूमि पर वाणिज्यिक आधार पर पेड़ लगाने की सिफारिश की है, यदि इसको कार्यान्वित किया जाता है तो इससे न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था का सुधार होगा बल्कि इससे देश के पर्यावरण को अच्छी हालत में बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी । बोर्ड की सिफारिश का मुख्यतः उद्देश्य, मूलतः उद्योग को प्रोत्साहन देने पर आधारित है जिससे परती भूमि पर वनरोपड़ द्वारा पेड़ लगाने से वन पर आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के प्रभावी वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सके । इसके अतिरिक्त, उद्योग को परती भूमि पर वन लगाने और ग्रामीण जनता के लिए ईधन की लकड़ी और चारे के सप्लाई के के लिए भी प्रोत्साहित करना है । निजी उद्योगों द्वारा ऐसा करने पर वन और भूमि उपभोग नियम के अन्तर्गत विशेष अनुमति देने, आसान शर्तों पर ध्रन उपलब्ध कराने और अन्य वित्तीय उपायों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का विचार है ।

राष्ट्रीय परती भूमि बोर्ड की सिफारिशों से प्रोत्साहित होकर देश में कई निजी उद्योगों ने वाणिज्यिक आधार पर पेड़ लगाने के लिए इस प्रकार की परती भूमि का पट्टे पर लेने और वन उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कई राज्य सरकारों से अनुरोध किया है, यदि

उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और न केवल इस प्रकार की परिवर्तित परती भूमि के आस-पास बल्कि पूरे देश में पर्यावरण को को सुरक्षित रखने में दूरगामी परिणाम होंगे। राज्य सरकारों के इन प्रस्तावों को स्वीकृति न मिलने के कारण, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के पूर्णतयाः रुकावट का डर है।

इसलिए, मैं माननीय पर्यावरण और वन मन्त्री से निष्ठापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करें और राष्ट्रीय परती भूमि की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सदन में आवश्यक निर्णय की घोषणा की जाए।

(पांच) चौथे वेतन आयोग द्वारा केन्द्र सरकार के फार्मासिस्टों के लिए जिन वेतनमान की सिफारिश की गई है वही वेतनमान केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे फार्मासिस्टों को दिए जाने की मांग

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

केन्द्र सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों फार्मासिस्टों के वेतनमान एक जैसे थे और चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले भी एक जैसे थे। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि केन्द्र शासित प्रदेशों के फार्मासिस्ट भी वही वेतनमान लेंगे जैसे कि केन्द्रीय सरकारी फार्मासिस्टों के लिए सिफारिश की गयी है जबकि सभी फार्मासिस्टों के लिए भर्ती नियम, कार्य का स्वरूप ओर अर्हताएं एक समान हैं। सभी बातों के ठीक होते हुए यह असमानता बहुत अधिक है जिससे कर्तव्यनिष्ठा में कमी होगी। यद्यपि फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण और फार्मेसी के व्यवसाय में प्रैक्टिस के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा न्यूनतम आवश्यकता है–"वर्ष 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के इस बहुत बड़े विषय में इस व्यवसाय को शामिल करके उसे अच्छी तरह मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य डिप्लोमाधारियों की तुलना में फार्मासिस्टों के साथ वेतनमान और पदोन्नति के अवसरों के मामले में सौतेला व्यवहार किया है। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "उनको अपने कार्य में लगाए रखने के लिए उनका वेतन संतोषजनक होना चाहिए और उनको अपनी सेवा में अपनी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वेतनमान ऐसे होने चाहिए जिसमें कि कर्मचारियों को अपने बराबर वाले कर्मचारियों की तुलना में हानि अथवा निराशा न होने लगे। ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए कि कर्मचारियों को जहां तक सम्भव हो सके तुलनात्मक कार्य के लिए बराबर परिलब्धियां प्रदान की जाएं।"इस सदर्भ में केन्द्रीय सरकारी विभागों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य करने वाले फार्मासिस्टों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोनों के वेतनमान एक जैसे होने चाहिए। मेरा केन्द्रीय सरकार से निष्ठापूर्वक अनुरोध है कि इस असंगति के बारे में अध्ययन किया जाए और शीघ्र ही इस असंगति को समाप्त किया जाए।

[हिन्दी]

(छः) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन लगाने के लिए वित्तीय सहायता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा यमुना के मैदान या उसके समान अन्य मैदानी क्षेत्रों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने, नदियों को सतित सल्वा बनाए रखने व बांधों को

[श्री हरीश रावत]

भराव के खतरे से बचाने के लिए इन नदियों के उद्गम स्थलों में सघन वनीकरण व भूमि संरक्षण के कार्यों की महत्ता को प्रायः सभी लोग स्वीकारते हैं परन्तु इन कार्यों हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने की दिशा में अभी तक प्रयास अत्यधिक तुच्छ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इन कार्यों हेतु नाममात्र का बजट है और वह भी अन्य मदों के लिए निर्धारित खर्चों में कटौती करके उपलब्ध करवाया जाता है जबकि इन क्षेत्रों में वनीकरण आदि का लाभ इन क्षेत्रों के बजाए समस्त प्रान्त व राष्ट्र को होता है। राज्य सरकार राज्य के खर्च की मद से इन कार्यों हेतु अतिरिक्त धन नहीं देती है और न योजना आयोग ही इसकी आवश्यकता को देखते हुए इन कार्यों के लिए अलग योजना बनाकर धन उपलब्ध करवाता है।

अतः यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में सघन वनीकरण व भू-वर्धन हेतु योजना आयोग एक राष्ट्रीय योजना बनाए व आवश्यकता अनुरूप नेशनल एक्सचैकर से धन उपलब्ध करवाया जाए।

(सात) राजस्थान में फसल बीमा योजना को पुनः लागू करने की मांग

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : केन्द्रीय सरकार ने फसल बीमा योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है और राज्य सरकारें इसको कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं। फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है और यह हमारे राष्ट्र के किसानों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है इस योजना से ठंडी हवा, ओला वृष्टि, कीटाणुओं से होने वाली बीमारी अथवा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। आम तौर पर यह देखा गया है हमारे देश में किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण औसतन तीन वर्षों की अवधि में नष्ट हो जाती हैं।

हमारे देश में वर्तमान परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होने वाली फसलों के लिए समय पर आर्थिक सहायता के लिए फसल बीमा योजना को लागू करना एक गारंटी है। राजस्थान सरकार ने राज्य में फसल बीमा योजना शुरू की थी लेकिन इस वर्ष योजना को समाप्त कर दिया है।

इसलिए, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है वह राजस्थान सरकार को तत्काल राज्य में फसल बीमा योजना पुनः लागू करने के लिए कहे।

(आठ) जिलों को इकाइकों के रूप में मानकर सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए बिहार को अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): बिहार सिंचाई के मामले में देश में अत्यधिक पिछड़ा राज्य है। यहां प्रति हेक्टेयर पैदावार देश के औसत पैदावार से बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा कारण उपजाऊ जमीन का केवल नगण्य प्रतिशत ही यहां सिंचित हो पाया है। वह भी सालों भर नहीं।

केन्द्रीय भूगर्भीय जल बोर्ड सिंचन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार के विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण कर रहा है। अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई सम्बन्धी आबंटन राज्य को यूनिट मानकर दी जाती रही है जिससे सिंचाई क्षमता बढ़ाने की अभी तक घोर असफलता ही प्राप्त हुई है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय भूगर्भीय जल बोर्ड द्वारा सिंचन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों के हो रहे सर्वेक्षण के आधार पर केन्द्रीय सरकार जिलों को यूनिट मानकर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए अवंटन की पद्धति अपनाये और ज्यादा आवंटन प्रदान करे।

12.23 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1987-88 [—जारी]

ऊर्जा मंत्रालय [—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की मद सं० 8 पर चर्चा करेंगे। अब माननीय मन्त्री वाद विवाद का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : हमें बुलवायें, एक दो मिनट ही बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हो गया।

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : मैं आपके सारे मुद्दे कहूँगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हमारे एन० टी० पी० सी० वाले जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे अब इसकी घोषणा करने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमें चांस क्यों नहीं देते हैं।

श्री बसन्त साठे : मेरी तरफ से दो मिनट देदें। मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा हूँ।

श्री हरीश रावत : मिनिस्टर के साथ-साथ यह डाक्टर भी हैं, हमारी बीमारी का भी इलाज करेंगे .....

श्री बसन्त साठे : आप पहले बोल लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय मैं बोलने से इनकार करता हूँ। उन्हें बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बोलिये। हमारे अपने ही सहयोगियों को अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप वाद विवाद का अपना उत्तर देना शुरू करें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांग से सम्बन्धित वाद विवाद में भाग लिया। महोदय बहुत उपयोगी सुझाव दिये गये हैं और टिप्पणियां की गई हैं। सर्वप्रथम मैं मंत्रालय के कोयला विभाग और ऊर्जा विभाग के अच्छे कार्य निष्पादन के लिये उनकी प्रशंसा किये जाने के लिये सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। अच्छे कार्य निष्पादन का श्रेय पूर्णतः कामगारों और उन लोगों को है जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है।

महोदय हमारा सदैव यही विश्वास रहा है कि यदि सहयोग की भावना से काम किया जाये तो हम श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी भी क्षेत्र में परिणाम दर्शाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि कामगारों और अधिकारियों में भी उस क्षेत्र से जुड़े होने की भावना होनी चाहिये। महोदय मैं ने सदैव यह महसूस किया है कि यदि एक साथ सहयोगियों के रूप में मिलकर काम करने की भावना पैदा कर दी जाये, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकें। और हम सभी जानते हैं कि कोयला और बिजली, दोनों क्षेत्रों में, विशेषकर कोयला क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में परिस्थितियां बहुत खराब थी, किन्तु पिछले दो वर्षों से, बल्कि मुझे कहना चाहिये कि पिछले तीन वर्षों से हमारे लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे आप देखेंगे कि सभी बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाया गया है, उत्पादकता में सुधार हुआ है, कामगारों की प्रतिक्रिया और औद्योगिक सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं और हड़तालों की संख्या जो 1981-82 में लगभग 700 रही थी, इस वर्ष दिसम्बर तक घटकर मुश्किल से 49 तक रही। फिर भी यह सत्य है और दुखद सत्य है कि इस क्षेत्र में अकारण दो आम हड़तालें हुई, एक कोयला उद्योग में हुई और दूसरी समस्त सरकारी क्षेत्र में हुई थी जिनके फलस्वरूप भी कोयला क्षेत्र के उत्पादन में कमी हुई और इसका नतीजा यह रहा कि हमें कोयले के उत्पादन में लगभग 9 करोड़ रुपये की हानि हुई। कामगारों को केवल प्रतिष्ठा की खातिर अपनी डेढ़ करोड़ रुपये की मजूरी से हाथ धोना पड़ा क्यों कि उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। अखिल भारतीत श्रमिक संघों, विशेषकर वामपन्थी पक्ष ने हड़ताल का आवाहन किया था। मैं पहले उस मामले को उठाना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी इस सम्पूर्ण विवाद के बारे में मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि हम इस देश में लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य स्थापित करने के सिद्धान्त के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिये कि वह क्या है जिस के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। महोदय हमारी योजना के प्रवर्तक पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने समाजवाद के सिद्धान्त को जिस रूप में प्रचारित किया है, यदि हम उसे जानते हैं तो इसका अर्थ है एक ऐसे समाज की स्थापना जहां मानव द्वारा मानव का शोषण न हो, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों और जहां इस प्रकार

से सन्तुलित विकास हो जिससे कि हमारे सभी नागरिकों को अवसरों की समानता प्राप्त हो। इस प्रकार समाजवाद की मूल परिकल्पना यही है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी मतवादी परिकल्पना के प्रति समर्पित नहीं है। भारतीय संदर्भ में हम लोकतान्त्रिक ढांचे को बनाये रखने के प्रति वचनबद्ध हैं और इस लोकतान्त्रिक ढांचे के भीतर हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं जहां अवसरों की समानता हो और शोषणमुक्त समाज विकसित हो। समाजवाद का यही सार था। इसके लिये जब उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा, तो उसकी परिकल्पना क्या थी, सरकारी क्षेत्र इसलिए बनाया गया था क्यों कि हमने सोचा कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ सरकारी धन का निवेश किया जायेगा और इस सरकारी धन का विशेषकर अवसंरचना तैयार करने और ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों का निर्माण करने के लिये उपयोग किया जायेगा जिनमें निवेश करने के लिये गैरसरकारी क्षेत्र के पास ससाधन अथवा क्षमता न हो। इसलिये हम राष्ट्र के धन, राष्ट्र के संसाधनों के, गरीबों द्वारा मेहनत से जुटाये गये संसाधनों का निवेश करेंगे। यदि हम सरकारी धन का इस्पात, कोयले, एल्युमिनियम, सिचाई और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों में निवेश करना था, तो हमारे लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि निवेश की गई हर दमड़ी का उचित रूप से उपयोग किया जाये ताकि उस निवेश से संसाधन तैयार किये जा सकें। दुर्भाग्यवश कुछ लोग यह समझते हैं कि सरकारी क्षेत्र का अर्थ यह है कि संसाधन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि संसाधन तैयार नहीं किये जायेंगे, तो आप सारी पूंजीनिवेश कहां से करेंगे। समाजवादी दर्शन में भी पूंजी निर्माण करना होता है। किन्तु वे क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण का कार्य सरकार के हाथ में है। इसीलिये वे समाजवाद की दिशा में पहले चरण को राज्य का पूंजीवाद कहते हैं। राजनीति की दृष्टि से यह मजूरवर्ग का अधिनायकवाद है। आर्थिक दृष्टि से यह राज्य का पूंजीवाद है जिसका अर्थ है राज्य निर्मित पूंजी पर नियंत्रण रखता है। किन्तु पूंजी निर्माण अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश हममें से कुछ सोचते हैं कि सरकारी क्षेत्र के सामाजिक उद्देश्य होते हैं, इसलिये इसे अधिशेष, पूंजी निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। हम 60,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं और सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध संचालन करने वाले कुछ लोगों की इस भ्रान्तिपूर्ण धारणा के कारण और कुछ ऐसे लोगों के कारण जो हमेशा यही सोचते हैं कि सरकारी क्षेत्र जो चाहे करे, हमें अवश्य ही उसका बचाव करना चाहिये, हमें अनिवार्यतः उसका समर्थन करना चाहिये, हमें निवेश करते रहना चाहिये, वास्तविक परिणाम यह कि हमारा सरकारी क्षेत्र संसाधन तैयार करने की बजाय घाटा उठाने वाला क्षेत्र बन गया है। कभी किसी ने नहीं कहा और कोई भी अपने सही विवेक से कभी यह नहीं कह सकता कि सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिये अथवा गैरसरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। गैरसरकारी क्षेत्र स्वयं में एक पूंजीवादी क्षेत्र है, अर्थात उसका उद्देश्य निजी लाभ के लिये, निजी हित के लिये शोषण करना है। अर्थात वहां किसी भी कीमत पर दूसरों का शोषण करके निजी लाभ के लिये पूंजी का निर्माण करना है। इसीलिये हम गैरसरकारी क्षेत्र द्वारा शोषण किये जाने के विरोधी रहे हैं। इसीलिये हमने सोचा कि सरकारी क्षेत्र क्रमिक रूप से अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि वह लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। हमने अन्तोत्पाद उद्योग, उपभोक्ता उद्योग आदि में गैरसरकारी क्षेत्र के लिये बहुत कार्यक्षेत्र रखा है। किन्तु महोदय, इस बीच क्या हुआ? जैसाकि मैंने कहा है, यदि हम सरकारी क्षेत्र का ठीक प्रकार से संचालन नहीं करते, तो किसे दोष दिया जाये? क्या हम किसी और को दोष दे सकते हैं? यदि हम सरकारी धन का निवेश करने दें और सरकारी धन से एक नया क्षेत्र, एक ठेकेदार क्षेत्र,

[श्री बसन्त साठे]

बनायें, तो यह हमारे धन से समृद्ध होगा और देश में यही काला धन अर्जित किया जा रहा है। क्या यह इसका समय नहीं है ? ठीक है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र (सिवनी) : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमने सरकारी धन किस प्रकार गंवाया।

श्री बसन्त साठे : सरकारी क्षेत्र में हम जो धन व्यय करते हैं, उससे हम औरों को ठेके देते हैं कि ठेकेदार हमारी कीमत पर धनी हो गये।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : माफिया के बारे में क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री एक पहलू के बारे में बता रहे हैं। सुनिये, इस तरह की अनेक बातें हैं।

श्री बसन्त साठे : ठेकेदारों के माध्यम से, यह नया वर्ग, जिससे हमारे मित्र भली-भांति परिचित हैं, माफिया वर्ग भी चलता है।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : आप कह रहे हैं भली भांति परिचित, वह स्वयं उससे सम्बद्ध हैं।

श्री बसन्त साठे : वह भली भांति परिचित है।

इसकी गम्भीरता पर विचार कीजिये। अपने देश में हमने यह दिखाया कि थोड़े से अनुशासन से सुधार ला सकते हैं। यही काफी है। इस सभा को इस पहलू पर अवश्य ही गम्भीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि आप पर जिम्मेदारी है, इस सभा पर जिम्मेदारी है। यदि इस देश का कोई आर्थिक विकास होगा, तो यही 544 लोग है जो देश के लिए जिम्मेदार हैं।

मैं आपके माध्यम से सभा से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम उपचार करके यहां वहां थोड़ा सुधार ला सकते है। हमने यह सुधार किया है। किन्तु क्या उससे परिणाम प्राप्त होंगे ? यदि आप वास्तविक विकास चाहते हैं तो आपको यह देखना ही होगा कि हमें सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार बढ़ना होगा और हमें कितनी विस्मयकारी छलांग लगानी होगी। कोयले के क्षेत्र में, जैसा कि सदस्यों ने बताया है, चीन जैसे कुछ अन्य देशों ने जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था हमारे साथ ही शुरू की थी, उत्पादन 9000 लाख टन तक होता है। कोयले के उत्पादन का अर्थ है अधिक ऊर्जा। यदि आज हम 165 पर भी टिके रहें हालांकि 165 भी अच्छा है, तो हम स्वयं ही शाबाशी दे सकते हैं, किन्तु उससे उतनी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। इस्पात के बारे में भी यही सच है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, सभी जानते हैं कि बिजली के बिना कृषि अथवा उद्योग का विकास नहीं हो सकता।

आज ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि आपके पास संसाधन नहीं होंगे, तो ऊर्जा कैसे तैयार होगी और जैसा कि मैं सभा में निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं—जब तक आधारभूत विकास नहीं होता किसी जादू की छड़ी से संसाधन नहीं जुटाये जा सकते, योजना आयोग अथवा

वित्त मन्त्रालय या आप घाटे की अर्थ व्यवस्था कर सकते हैं, नोट छाप सकते हैं किन्तु विकास नहीं होगा । विकास अवश्य ही आधारभूत वस्तुओं के अधिक उत्पादन के रूप में होना चाहिए । यदि विकास करना है, तो मैं इसके लिये पूर्णत: नई कार्य संस्कृति अपनाने का समर्थन करता हूँ जिसे न केवल सरकारी क्षेत्र में, बल्कि देश के प्रत्येक आर्थिक कार्य कलाप में अपनाया जाना चाहिये और इस कार्य संस्कृति के लिये अवश्य ही परिणामोन्मुखी और उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए । प्रत्येक का परिणामों के आधार पर निर्धारण कीजिए । चार बार जांच कीजिए । एक तो प्राधिकार है और दूसरे उत्तरदायित्व है जिस व्यक्ति को प्राधिकार दिया जाता है उसे परिणामों के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए । तीसरी बात निरंतरता है । विश्व में किसी भी समाजवादी साम्यवादी अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको ऐसी अद्भुत बात देखने को नहीं मिलेगी जहाँ व्यक्ति के कार्यकाल का निर्धारण उसकी आयु के अनुसार किया जाता हो । कहीं भी नहीं ।

यह एक अनोखा देश है जहाँ हम कार्यकाल निर्धारण इस प्रकार कर रहे हैं । आयु का इससे क्या सम्बन्ध है ? क्या संसद में व्यक्ति के कार्यकाल का निर्धारण आयु के अनुसार किया जाता है ? नहीं । लेकिन यदि आप कहें कि एक व्यक्ति जो कि मुख्य कार्यपालक है, आपको उसे अमुक आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर ही देना चाहिए ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : ब्रिटिश काल के दौरान इस पर विचार किया गया था ।

श्री बसन्त साठे : यह ब्रिटिश सरकार ने विचार किया था । आप से यह कहा जाता था कि आप काफी बूढ़े हैं और आपको सेवानिवृत्त किया जाता है । लेकिन यदि आप परिणाम चाहते हैं, तो आपको अपने साथ के उस व्यक्ति को सेवानिवृत्त करते हुए तब तक सोचना पड़ेगा जब तक कि वह उपयोगी है । जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है आप उसे सेवा निवृत कर देते हैं । इसे सिद्धान्त कहना पड़ेगा । यदि हम अपने देश के आर्थिक कार्यकलापों में इस सिद्धान्त (फिलासफी) को अपनाने हैं तो अन्तिम जांच कार्य प्रणाली से सबन्धित होनी चाहिए । आप किसी के प्रति ऐसा व्यवहार न करें जैसा कि विदेशियों के प्रति किया जाता है । शीर्षस्थ प्रबंध मंडल से लेकर नीचे श्रमिक वर्ग तक यह एक परिवार है, एक टीम है । एक प्रजातांत्रिक देश में आप केवल सहयोग की भावना से ही कार्य करा सकते हैं । आप इसे डंडे से नहीं करा सकते । आप इसे गोली अथवा बंदूक के बल पर नहीं करा सकते । हमारी जनता से आप केवल एक ही तरीके से कार्य ले सकते हैं--और उन्होंने इसे बार-2 दर्शाया है---वह तरीका है उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न की जाए और तब देश में आपके श्रमिक, आपका श्रमिक वर्ग आपको आश्चर्य जनक परिणाम उपलब्ध कराएगा । हमने इसे कोयला क्षेत्र में देखा है, हमने इसे बिजली क्षेत्र में देखा है । मेरा अनुरोध है कि ऐसी ही कार्य व्यवस्था शुरू की जाए । मुझे पता है कि इसका निहित स्वार्थों पर प्रभाव पड़ेगा । हमारी अनेक ट्रेड यूनियनें यह नहीं चाहतीं कि ऐसी कार्य व्यवस्था हो, भागीदारी की कार्य व्यवस्था हो । वे केवल अपनी यूनियनों और अपनी यूनियनों के निहित स्वार्थों को ध्यान में रखना चाहती हैं । मेरा उनसे अनुरोध है कि पहले वे अपने श्रमिकों के हित की बात सोचें न कि किसी यूनियन विशेष अथवा किसी राजनैतिक दल विशेष के हित की बात । मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है । जब लोग राजनैतिक दलों और राजनैतिक व्यक्तियों की बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं, तो नुकसान उठाते हैं । एक दिन की हड़ताल से लगभग 9 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन घाटा होता है । इससे किसको लाभ होता है ? इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सहयोग की भावना उत्पन्न करें । मैं चाहता हूँ कि श्रमिकों की प्रबन्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी हो--प्रत्यक्ष ।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : यहां तक कि बोर्ड स्तर पर भी ।

श्री बसन्त साठे : हर जगह । बोर्ड स्तर पर भी ।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : हम इसका समर्थन करते हैं । (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : महोदय हम इसकी कोशिश कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके सुझाव का स्वागत कर रहे हैं । वे विरोध नहीं कर रहे हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : हम इस बारे में विचार कर रहे हैं । हम इसके बारे में गत दो वर्षों से बात कर रहे हैं मैंने प्रत्येक से बात की है । हम इसके समाधान का उपाय खोज रहे हैं । (**व्यवधान**)

मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंतिम विश्लेषण में, हमारे यहां एक घण्टे में प्रति व्यक्ति 170 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है । अंतर देखिये । इस तथ्य के बावजूद, हमें गर्व हो सकता है । हम गर्व करें कि हमने कितना अच्छा कार्य किया है । गत 38 वर्षों के दौरान हमने बिजली का उत्पादन 1700 मेगावाट से बढ़ाकर 50000 मेगावाट कर दिया है । वर्ष 1951 में जब योजना शुरू की गई थी---आपको आश्चर्य होगा---तब केवल 306। गांवों का विद्युतीकरण किया गया था । 1951 में, केवल 3061 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था । आज लगभग 4 लाख गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां बिजली के बिना.....

श्री बसन्त साठे : मुझे मालूम है कि उनमें से कुछ गांवों को पर्याप्त बिजली नहीं मिली है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 4 लाख गांवों का विद्युतीकरण हो गया है । विकास की गति देखिये । वर्ष 1951 में मुश्किल से 21,000 पम्पसेट थे । आज पम्प सेटों की संख्या 68 लाख है । (**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : आप 24 घंटों में एक घंटे के लिए बिजली दे रहे हैं....

श्री बसन्त साठे : मैं स्वयं ही इस बात का उल्लेख करने वाला हूं । हालांकि इसमें सुधार हुआ है, फिर भी एक प्रश्न का उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में देते हुए मैं कह स्वयं ही बता रहा था कि प्रति वर्ष एक घण्टे में मुश्किल से प्रति व्यक्ति 40 किलोवाट बिजली उपलब्ध होती है । पूरे देश में इसका औसत 17.) किलोवाट है जबकि विकासशील देशों के 7000 किलोवाट के औसत से बहुत ही कम है । स्वीडन, कनाडा और अमरीका जैसे कुछ देशों में इसका औसत 8,000 अथवा 10,000 से भी अधिक है । यदि हम इसमें वृद्धि चाहें, यदि अपने पूरे देश का सन्तुलित विकास चाहें तो हमें बिजली के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि करनी पड़ेगी ? कृपया कल्पना कीजिए । विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को इतनी अधिक बिजली प्रदान करने के लिए, जो कि विकास का आधार है, हमें कितने विकास की आवश्यकता होगी ? यहां तक कि वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता को दुगना करने के लिए, ताकि कृषि क्षेत्रों को एक घण्टे में 40 किलोवाट बिजली के बजाए 80 किलोवाट बिजली उपलब्ध हो

सके, बिजली का दुगना उत्पादन करने हेतु मान लीजिए यह 50,000 मेगावाट है-आप को इस समय 60,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी ।....

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या यह इस शताब्दी के दौरान सम्भव होगा ?

श्री बसन्त साठे : हमारे सदस्यों से हमारे देश से कुछ भी छिपा नहीं है। यदि विकास करना है....

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : इसमें असफलता स्वीकार करना ही बेहतर होगा ।

श्री बसन्त साठे : श्री अमल दत्ता, आप सभी आए हैं । मैं समाजवाद और साम्यवाद के बारे में बताता रहा हूं । यदि विकास करना है, तो इसके लिए पूर्णरूप से नई कार्य प्रणाली अपनानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषकर सरकारी क्षेत्र में जहां हम सरकारी धन व्यय कर रहे हैं, निवेश किया गया कोई भी पैसा व्यर्थ न जाए । यह नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए । यदि हम स्वयं को हर समय झूठ-मूठ धोखा देते रहे तो यह नैतिक उत्तरदायित्व नहीं आ सकता । मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं । किसी ने कभी भी यह कहीं भी नहीं कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र का गैर सरकारीकण करना चाहते हैं । यह 'गैर सरकारीकरण' शब्द निराधार शब्द है । यह किसी ने भी कभी नहीं कहा है । हम आज जो कह रहे हैं कि वह हमारे औद्योगिक नीति-संकल्प की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत है । मैंने अभी कहा है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो 10,000 मेगावाट का अन्तर है वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 20,000 मेगावाट हो जाएगा । इसके लिए संसाधनों की किस प्रकार खोज की जाएगी ? हम प्रत्येक संसाधन का विदोहन कर रहे हैं । जैसा कि मैंने बताया है, एक मेगावाट बिजली के लिए आपको लगभग 1½ करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है । मान लीजिए 1,000 मेगावाट क्षमता को सुपर ताप बिजली केन्द्र की स्थापना की जानी है, तो ट्रांसमिशन सहित आपको लगभग 1,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । और हमें अपने योजना संसाधनों का पता ही है । सातवीं योजना में बिजली के लिए अधिकतम धनराशि अर्थात 34,000 करोड रुपए की धनराशि नियत की गई है। प्रधानमन्त्री ने सभी संसाधनों का विस्तार किया है और योजना आयोग से इसके लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने को कहा है; 32,000 करोड़ रुपए के बजाए उन्होंने 34,000 करोड रुपए देने की सिफारिश की है । लेकिन 34,000 करोड़ रुपए में आप केवल 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं । अतः राष्ट्र के समक्ष यह प्रश्न है । क्या हम बिजली का उत्पादन चाहते हैं अथवा नहीं ? यदि हम बिजली का उत्पादन चाहते हैं, यदि आप चाहते कि इसको पूरा किया जाए, तो आपको संसाधन कहां से प्राप्त होंगे ? यह एक आम प्रश्न है, संसाधन तीन प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं । एक है घाटे की अर्थव्यवस्था अर्थात् नोटों की छपाई । इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी और आप यह नहीं चाहते । अथवा लोगों पर कर लगाए जाएं । आपने प्रयास किया है । आप को पता है कि धन कहां से प्राप्त होता है । करधान के जरिए आप जन सामान्य से कितनी धनराशि एकत्र कर सकते हैं ? लोगों के पास बिना हिसाब किताब का धन है । छापे, आदि मारकर बिना हिसाब किताब के धन का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं । आप देखते हैं कि आपको कितना धन मिला । ठीक है । अन्य क्या उपाय किया जा सकता है ? क्या आप बता सकते हैं: जो लोग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूंजी निवेश करते हैं, वे आगे आ सकते हैं और इंदिरा पत्र अथवा अन्य बांड खरीद सकते हैं ? आखिरकार, कोई व्यक्ति बिजली का उत्पादन करने के पश्चात् उसका क्या करेगा ? वह इसकी जमा-

[श्री बसन्त साठे]

खोरी नहीं कर सकता, वह इसे चुरा नहीं सकता, वह इसे ले जा नहीं सकता । इसका उपयोग विकास कार्य के लिए करना होगा । दूसरा स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय है । विश्व बैंक धन दे सकता है, एशियाई विकास बैंक धन दे सकता है । जिसका हमने पूर्णरूपेण उपयोग किया है । वे जो भी देने को तैयार हैं, हम लेने को तैयार हैं। धन प्राप्ति के अन्य स्रोत द्विपक्षीय समझौते से जुटाए जा सकते हैं। यदि हमारे आदिवासी भारतीय अपना धन लाना चाहते हैं और उसका निवेश करना चाहते हैं, तो क्या हमें उनको इसकी अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं देनी चाहिए ? इस बात पर विचार करना सभा का काम है, इस देश का काम है, संसद का काम है, क्या हम उन्हें पूंजी निवेश की अनुमति देंगे ? आखिरकार जब बिजली उत्पादन के लिए कोई पूंजी निवेश किया जाता है, तो कोई व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है ?

ये प्रस्ताव हैं। द्विपक्षीय पेशकशें की जाती हैं। पश्चिम में मन्दी के कारण, प्रस्ताव करने वाले अन्य देश इसके लिए तैयार हो जाएंगे ।

हमारे सामने एक मूल सिद्धान्त यह है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी स्वदेशी क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने देंगे । उदाहरण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और ए. बी. एल. । ए. बी. एल. भी एक राष्ट्रीय क्षमता का संयंत्र है ।

श्री अमल दत्त : आपने इसे बरबाद होने दिया है।

श्री बसन्त साठे : आप अनुरोध कर रहे थे । जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमने कहा है कि हम आर्डर देने को तैयार है । यदि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया जाए तो सभी योजना संसाधनों से हमें जो पैसा मिलता है, उसे हम अपने राष्ट्रीय क्षेत्र के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को आर्डर देने में लगाएंगे । किन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या हम न खाएं न खाने दें वाली नीति अपना सकते हैं ? यदि द्विपक्षीय पेशकश की जाती है, तो क्या मैं दूसरे पक्ष वाले को यह कह सकता हूँ कि देखिये, यदि आप भारत में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो आप अपने उपकरण नहीं ला सकते, यदि आप पूंजी लगाना चाहते हैं, तो आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को आर्डर देने होंगे ? यदि हमने इस प्रकार की शर्त रखी होती, तो वे कहते कि ठीक है, तब हम पूंजी नहीं लगायेंगे ? इस प्रकार, आपको संसाधन नहीं मिलते, आपको बिजली नहीं मिलती और तब आप मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछते ।

हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते । एक के पश्चात् दूसरे सदस्य यह कहते आ रहे हैं कि राजस्थान में इस परियोजना को, उड़ीसा में उस परियोजना, उदाहरणार्थ इंब घाटी, तालचेर, पुरी, पल्लन लिग्नाइट, बक्रेश्वर, को आरम्भ करें । किसी राज्य का नाम बतायें जहां मैत्तूर, पेंच आदि जैसी परियोजनाएं हैं। मैं कह सकता हूं कि प्रति सदस्य एक परियोजना हो जायेगी । (व्यवधान)··· आप मुझे यह भी बतायें कि इन परियोजनाओं के लिए मैं कहां से संसाधनों को प्राप्त करूं ।

[हिन्दी]

राव बीरेन्द्र सिंह : जब बिजली मांगते हैं, तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज दिलाने के लिए भी मांग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : क्या आप यह कह रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को तथा आपके जितने अन्य उद्योग हैं, उनको पूरी तरह से काम पर लगाये रखने के लिए आपके पास योजनागत, संसाधन पर्याप्त नहीं है ?

श्री बसंत साठे : ये पर्याप्त नहीं हैं ।

श्री अमल दत्त : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के पास मात्र 5000 मेगावाट क्षमता है····

श्री बसंत साठे : यह पर्याप्त नहीं है । यह वार्षिक क्षमता है ।

श्री अमल दत्त : 5000 को 5 से गुणा करने पर पांच वर्षों में यह 25000 मेगावाट हो जायेगा । (व्यवधान)....कृपया मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें । यह अत्यन्त ही भ्रामक है ।

श्री बसंत साठे : यह भ्रामक नहीं है ।

श्री अमल दत्त : अभी हाल ही में हमें यह बताया गया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की क्षमता का मात्र 33 प्रतिशत ही इस वर्ष उपयोग में लाया जायेगा । अगले वर्ष अगर कोई नये आर्डर नहीं आते हैं, तो यह अगले वर्ष और भी कम हो जायगा । इस विशेष स्थिति से किस प्रकार निपटा जायेगा, कृपया इसे स्पष्ट करें । इतनी बड़ी मात्रा में बाहर आर्डर दिये गये और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की स्थिति खराब हो रही है ।

श्री बसंत साठे : अब तक 75 से 80 प्रतिशत तक आर्डर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० को दिये गए हैं । किंतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की स्थापना ताप और पनबिजली दोनों के उत्पादन तथा अतिरिक्त क्षमता के उत्पादन के लिए की गई है अब तक यह उत्पादन क्षमता का लगभग 3000 मेगावाट उत्पादन करने में समर्थ हो सका है । किन्तु इनकी उत्पादन क्षमता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है । अब तक इस योजना के पिछले कुछ वर्षों में हम लगभग 3000 मेगावाट की दर से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता संस्थापित कर चुके हैं । किन्तु जैसा कि मैंने कहा, ये जो सारे आर्डर हम दे रहे हैं, इसमें से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को दिये गये 80 प्रतिशत आर्डर केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों से हैं। महोदय प्रश्न यह है कि हम अपने निजी संसाधनों से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की पूर्ण क्षमता का भी उपयोग करलें, फिर भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को पूरी तरह काम पर लगाये रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे । इसी बात को मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं । केवल बी.एच.ई.एल. ही नहीं, ए.बी.एल. भी है ।

श्री अमल दत्त : हमें यह बतायें कि हम कितने प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं :

श्री बसंत साठे : इसके लिए आप हमारे पास आयें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें । इन्हें बोलने दें ।

श्री बसंत साठे : मैं श्री अमल दत्त को निराश नहीं करना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री वसंत साठे : मैं उन्हें वे सारी जानकारी दूंगा जो वे चाहते हैं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक सदस्य को उत्तर न दें अन्यथा मैं कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकूंगा । मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

(**व्यवधान**)*

श्री अमल दत्त : यह क्या व्यवस्था है ? क्या हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे अभी बोल रहे हैं । वे छोड़कर जा नहीं रहे हैं । मैं अनुमति नहीं दे सकता आप प्रश्न-काल में प्रश्न पूंछ सकते हैं । कृपया बाधा न डालें ।

श्री वसंत साठे : महोदय, माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन पूरे भाषण के दौरान उपस्थित थे । वे ऐन मौके पर आकर बीच में प्रश्न पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं उसका उत्तर दूं । उन्हें सभा में बैठे रहना चाहिए था बाद विवाद में भाग लेने का यह कोई तरीका नहीं है । उन्होंने वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है । व्यक्तिगत रूप से मांगे गये स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से दिये जायंगे । (**व्यवधान**)

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, मेरे माननीय सहयोगी मंत्री ने कल प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है । मैं मूल रूप से आधारभूत नीति के सम्बन्ध में कह रहा हूं । व्यक्तिगत बातों एवं व्यक्तिगत मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ही विचार किया का सकता है । मुख्य बात यह है कि इन परियोजनाओं को किस प्रकार पूरा दिया जाये तथा बिजली की कमी को कैसे पूरा किया जाये । जहां तक परम्परागत तरीकों का सम्बन्ध है, चाहे ताप बिजली हो या पन बिजली, मैंने बताया है कि इनकी लागत प्रति मेगावाट लगभग 1.5 करोड़ रुपये आती है । इसलिए पूंजी निवेश के संसाधनों का पता लगाना होगा । जहां तक पन बिजली क्षमता का सम्बन्ध है, उत्तरी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा दक्षिण में भी इसकी प्रचुर क्षमता है । हमारे पास विशाल क्षमता है । हम इसका उपयोग नहीं कर पाये क्योंकि पन बिजली संयन्त्रों को पूरा होने में आठ-दस वर्षों का बहुत लम्बा समय लग जाता है । किन्तु नई प्रौद्योगिकी से अब इसमें कुछ कमी आई है । फिर भी, अन्ततः संसाधनों को प्राप्त करना आवश्यक होगा । जैसाकि मैंने कहा, इन सभी परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय पेशकश किये जा रहे हैं । ऐसा कहने वाले देश सामने आ रहे हैं कि वे पांच वर्षों में परियोजना को पूरा कर देंगे । किन्तु हमें अपने उपकरण लगाने होंगे । यह स्वाभाविक है कि कोई भी दान करने के लिए तो आता नहीं । अब हमें एक राष्ट्र के रूप में निर्णय करना है कि हमारे राष्ट्रीय हित में क्या उचित है । मैंने कहा है कि इस देश के भीतर कोई भी, चाहे वह सरकारी क्षेत्र से हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से, यदि वे कुछ अतिरिक्त चीज देने को इच्छुक हैं, यदि वे आवश्यक संसाधन और धन की व्यवस्था करने के इच्छुक हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ठीक है, यह परियोजना है, इसे आप पूरा करें ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

1.00 म.प.

श्री अमल दत्त : किन्तु आपने पश्चिम बंगाल में एक परियोजना को अस्वीकार कर दिया है।

श्री बसंत साठे : मैंने नहीं... (व्यवधान)

महोदय, बक्रेश्वर पर अभी विचार किया जा रहा है। इसे नकारा नहीं गया है...(व्यवधान) श्री अमल दत्ता; क्या आप नहीं चाहते कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें तथा सर्वोत्कृष्ट प्रस्ताव प्राप्त करें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री बसंत साठे : महोदय, मुझे लगभग 15 मिनट का समय चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया इसे समाप्त करें।

श्री बसंत साठे : महोदय, बक्रेश्वर जैसे मामले में निर्णय लेने में थोड़ा भी समय क्यों लग रहा है जबकि सोवियत संघ और दूसरे देश जापान द्वारा द्विपक्षीय प्रस्ताव किया गया है तथा एक अन्य देश भी इसमें इच्छुक है। महोदय बिलम्ब इसलिए होता है क्योंकि हम राष्ट्रीय हितों में सबसे अच्छे करार करना चाहते हैं। हम केवल इसलिए पीछे नहीं पड़ना चाहते कि किसी ने कह दिया आप इसे जल्दी-जल्दी कर लो। तब यह हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम अच्छे करार करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि विलम्ब हुआ है। किन्तु इस दृष्टिकोण को देखें यदि यह पश्चिम बंगाल में है, तो साम्यवाद, समाजवाद, बहुराष्ट्रीयता का दर्शन सब एक किनारे कर दिया जाता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चाहे यह जापान और अमरीका से संयुक्त रूप से आ रहा हो, बक्रेश्वर में परियोजना को पूरा करो। उन्हें यह दे दो, जल्दी करो, इसे शीघ्र पूरा करो। अब यह किस प्रकार का दर्शन है ? भारत और भारत सरकार इस दर्शन को नहीं मानने जा रही है। हमारा तो केवल एक ही सर्वोपरि हित है और वह है राष्ट्रीय हित। इसलिए जो कुछ भी राष्ट्रीय हित में है, हम उसे पाने का प्रयास करेंगे। अब इस दर्शन और इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए जब लोग बहुराष्ट्रिकों, गैर-सरकारीकरण तथा इन सब बातों को सहज रूप से समझे बिना इनके बारे में बातें करते हैं। उन्हें यह जानना चाहिये कि हम इसे अपने औद्योगिक नीति सकल्प तथा सामाजिक दर्शन के ढांचे के भीतर कर रहे हैं। हम उन संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं हैं तथा इससे हमें बिजली मिलेगी और हम मालिक बन जायेंगे। इसलिए महोदय, जहां तक तापबिजली और पनबिजली के ज्ञात क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यह सब बिजली क्षेत्र के बारे में ही है। अब मैं गैर- परम्परागत स्रोतों पर विचार करूंगा।

एक माननीय सदस्य : महोदय, परमाणु बिजली के बारे में क्या विचार है ?

श्री बसंत साठे : यह मेरे पास नहीं है। महोदय, मैंने कहा है कि परम्परागत स्रोतों से, यदि हम संसाधनों को प्राप्त करते हैं तथा जहां से हमें इसे प्राप्त करना चाहिए यदि हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अधिक बिजली प्राप्त होगी। किन्तु, महोदय वास्तव में हमारे जैसे देश में ऊर्जा की समस्या के समाधान का भविष्य छिपा हुआ है जिसे हम प्राकृतिक ऊर्जा कहेंगे वे इसे गैर-

[श्री बसन्त साठे]

परम्परागत ऊर्जा कहते हैं। वस्तुतः मैं कहूंगा कि यह प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। सूर्य से इस पृथ्वी को प्रचुर मात्रा में धूप मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे समुद्री किनारों के साथ-साथ पवन ऊर्जा और हिमालय की ऊंचाइयों पर भी ऊर्जा मिलती है देश में पर्याप्त पवन ऊर्जा विद्यमान है। यदि हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हम बायो-मास और बायो-गैस का उपयोग कर पायें, तो हम पारस्थितिक संतुलन को भी बनाये रख पायेंगे। हमने उदाहरणों के द्वारा इन्हें दर्शाया है। वास्तव में, मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं। अब तक किसी न किसी प्रकार हम परम्परागत चीजों से बहुत दूर हट गये हैं, दुर्भाग्यवश, योजना आयोग अथवा अन्य स्थानों में इस अति महत्वपूर्ण स्रोत पर पर्याप्त जोर और ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत तीन वर्षों के दौरान मुश्किल से 238 करोड़ रुपये निवेश करके केवल उर्वरकों के रूप में और वह भी जैव उर्वरकों तथा ईंधन और गैस के रूप में, हमने 230 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरक और ईंधन की बचत की है। इसके मूल्य को देखिये, विशेष रूप से उस गांव में जहां परम्परागत ऊर्जा-बिजली नहीं पहुंची है, वहां गैर-परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना सबसे अच्छा तरीका है। इसकी लोकप्रियता के विषय में कल मैंने बताया था कि उन्नत चूल्हे, बायो-गैस संयत्र, बायो-मास कितने लोकप्रिय हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकाटा झील में हायासिन्थ बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। यह बायोमास के लिए उत्तम पदार्थ हो सकता है। यदि बायोमास, खोई, धान की भूसी आदि का प्रयोग गैसीफायर से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सके तो इससे उक्त स्थान पर केवल ऊर्जा की प्राप्ति ही नहीं होगी अपितु इससे विद्युत ट्रांसमिशन की लागत में भी कमी होगी। इसलिए हम राजस्थान में 30 मेगावाट क्षमता के सौर ताप ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : ये केन्द्र बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्थापित किये जाने चाहिए।

श्री बसन्त साठे : हम देखेंगे कि ये केन्द्र किस जगह स्थापित करने संभव हैं फोटोवोल्टेक और ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों में किए जा रहे नए विकास कार्यों, और अन्य क्षेत्रों के विकास से यदि अक्रिस्टलीय सिलिकन और सौर्य प्रणाली में वास्तविक सफलता प्राप्त होती है तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति आ जायेगी। यही एक वास्तविक आशा है और मुझे विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक इस अवसर का लाभ उठायेंगे। मैं इस सभा से निवेदन करता हूं। आपने गैर-परम्परागत स्रोतों के लिए केवल 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जबकि परम्परागत स्रोतों के लिए 34000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। और आप इस 100 करोड़ रुपए से आश्चर्यजनक प्रगति की उम्मीद करते हो। बायोगैस प्रदान करने वाला प्रत्येक ऊर्जाग्राम, समेकित ऊर्जा गांव इन स्थानों पर करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और आंखों की रक्षा करेगा।

एक दिन चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि एक महिला चूल्हे से अपनी सांस में सिगरेट के दो पैकेट के बराबर धुंआ सांस के साथ अन्दर लेती है। जिससे उनके फेफड़ों और उनकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त हमारे गरीब बच्चों को ईंधन एकत्र करने के लिए जंगलों में भटकना पड़ता है। और परम्परागत ऊर्जा के प्रयोग से इस सब से छुटकारा मिल

सकता है । आपको केवल यह देखना है कि खन्डिया जैसे आदिवासी गांव में यह ऊर्जा का प्रयोग दो सालों में क्या चमत्कार लाया है । यह सम्भव है । लेकिन इसके लिए मैं पूंजी निवेश कहां से प्राप्त कर सकता हूं । माना मैं इस सभा से कहूं कि मुझे इस ऊर्जा के लिये 100 करोड़ रुपए के बजाय 500 करोड़ रुपया दिया जाय तो योजना आयोग और वित्त मंत्रालय पूछेगा कि 500 करोड़ रुपया कहां से आएगा । महोदय मैं पूरी सभा को विश्वास में लेकर एक सुझाव देना चाहता हूं ग्रामीण समेकित ऊर्जा का यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए है । इसके द्वारा ग्रामीण विकास लाना है । अब बैंक धन देने की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह धन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता । इसके बजाय यदि उक्त कार्यक्रम को ग्रामीण विकास के अनुरूप बनाया जाय तो, चाहे वह सौर पेनल हो या बायोगैस अथवा बायोमास संयंत्र, इसका प्रयोग ऊर्जा में निवेश के लिये किया जा सकता है । इससे जीवन का ढांचा ही बदल जाएगा । इसलिए मैं सभा से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जब भी विभिन्न विषयों तथा विभिन्न मंत्रालयों के मामलों पर बोलें उस समय गैर-परम्परागत ऊर्जा के कुछ स्रोतों को प्राप्त करने पर भी ध्यान दें तो इससे हमें सहायता मिलेगी । जहां तक हमारे देश की ऊर्जा समस्या सम्बन्धित है मैं समझता हूं इसी में उक्त समस्या का निदान निहित है । इस प्रकार मैं इन दो क्षेत्रों का मामला उठाना चाहता था । जहां तक अन्य विषयों का सम्बन्ध है प्रत्येक माननीय सदस्य ने अपना-अपना विषय उठाया है ।

श्री वी०शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैंने एक समान टैरिफ के बारे में मामला उठाया है । यह व्यक्तिगत समस्या नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों में टैरिफ की अलग-अलग दरें हैं जिसके कारण सभी दक्षिणी राज्यों को नुकसान हो रहा है ।

श्री वसन्त साठे : पहले मुझे इस समस्या पर बोलने दें । राज्य विद्युत बोर्ड टैरिफ दरें निर्धारित करते हैं । प्रत्येक राज्य इसके लिए स्वतन्त्र है....

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यहां तक केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरों पर प्रभार ले रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : प्रत्येक राज्य का अपना टैरिफ है । दूसरा जब हमारे पास अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग विद्युत केन्द्र हैं, तो टैरिफ की दर विद्युत उत्पादन लागत पर निर्भर करती है । अभी तक कोई राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है । यदि एक बार हम देश में एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय ग्रिड बना लें और एक स्थान से विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई कर सकें तो शायद एक समान टैरिफ की संकल्पना उत्पन्न हो सकती है । टैरिफ का सम्बन्ध उत्पादन लागत से है ।

राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है । व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है । कि इस देश में किसानों को विद्युत की निःशुल्क सप्लाई होनी चाहिए । मैं बड़ी ईमानदारी से यह कहता हूं कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे उम्मीद है कि सारी सरकार आपके विचार से सहमत होगी ।

श्री वसन्त साठे : अब हम ऐसा किस प्रकार करें। क्या हम राज्य विद्युत बोर्डों से कहें कि वे इसके लिए भुगतान करें ? ऐसी स्थिति में आपके राज्य विद्युत बोर्ड नहीं चल पाएंगे अथवा इसके लिए कोई भी विद्युत शायद ही ऊर्जा संसाधन जुटा सकें। वे उनका आधुनिकीकरण कैसे करेंगे ? वे उनका विस्तार किस प्रकार करेंगे ? इसलिए न्यूनतम उत्पादन लागत से हमें अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन करना चाहिए। हमारे केन्द्रीय विद्युत केन्द्र काफी अच्छे संयंत्र भार गुणक से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु नवैली लिग्नाइट कोरपोरेशन जैसे कुछ राज्य विद्युत बोर्डों में भी विश्व के सबसे अच्छे संयंत्र भार गुणक हैं। इतना होते हुए भी यदि आप कहेंगे कि आप उन्हें उनकी उत्पादन लागत भी नहीं देना चाहते तो फिर वे विद्युत बोर्ड क्या करेंगे ? मैंने विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक सुझाव दिया था और राज्य मंत्री भी उससे सहमत हुए थे। जहां तक राज्य विद्युत बोर्डों का सम्बन्ध है मैंने उन्हें बोर्डों को उनकी उत्पादन लागत तथा 3 प्रतिशत अतिरिक्त देने को कहा ताकि वे अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम तीन प्रतिशत प्राप्त कर सकें। आप इन्हें इतना दे दें। उसके बाद आप उन्हें निशुल्क देना चाहें वह दें। यदि आप उद्योगपतियों अथवा उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं पर प्रभार लगाकर, उच्च लागत से इसकी पूर्ति करना चाहें तो ऐसा करें आप विभेदक रूप से प्रभार लें, लेकिन इसके लिए विद्युत बोर्डों को घाटा न पहुंचाएं। यह पहला मुद्दा है।

दूसरा सरकार का राज्य विद्युत बोर्डों से क्या सम्बन्ध है ? वे कहते हैं कि हमने आपको ऋण दिया है आप ब्याज का भुगतान करें। ब्याज का भुगतान जरूर होना चाहिए क्योंकि वे घाटे में चल रहे हैं। क्या आपको इस देश में राज्य विद्युत बोर्डों के संचित घाटों का पता है ? यह घाटा 11,000 करोड़ रुपये का है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : यह खराब किस्म के कोयले के कारण हैं।

श्री वसन्त साठे : यह आप क्या कह रहे हैं ? आपने कोयले का कारोबार किया है। आपको बेहतर पता होना चाहिए। यह खराब किस्म के कोयले के कारण नहीं है। अपितु यह कुप्रबन्ध के कारण है। यह पहला कारण हैं। दूसरा कारण विभेदक है। इसलिए हमें एक राष्ट्रीय नीति के रूप में राज्य सरकारों से यह कहना चाहिए कि यदि आप चाहते हो कि टैरिफ की दर भिन्न-भिन्न न हो इत्यादि और राज्य सरकारें राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा न होने दें क्योंकि वे निम्न दर पर किसी को बिजली देना चाहते हैं, तो यह एक राष्ट्रीय नीति के रूप में किया जाना चाहिए और यह नीति हमें निर्धारित करनी चाहिए।

जहां तक कोयले की सप्लाई का सम्बन्ध है यह अच्छी बात है कि मिश्र जी ने यह मुद्दा उठाया। पहले काम जो हमने किया वह कोयले के स्तर में सुधार करना था। जहां तक राख की मात्रा का सम्बन्ध है दिन पर दिन भारत में कोयले में अधिक राख का अंश होगा। आप इसे अलग नहीं कर सकते। क्योंकि यह कोयले में अन्तर्निहित है। इसलिए बाइलरों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें उच्च राखांशों युक्त कोयले का प्रयोग किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड ने सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने अत्याधिक राख अंश युक्त कोयले का प्रयोग किया और सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप भारतीय कोयले से बहुत अच्छी बिजली का उत्पादन

नहीं कर सकते। जहां तक बाह्य मामलों का सम्बन्ध है आप देखेंगे कि विद्युत केन्द्रों से कोयले की शिकायतों में कमी आई है। ये 105 से घटकर 10 हो गई हैं, अर्थात 15 प्रतिशत से घटकर 1 प्रतिशत हो गई है, इस प्रकार स्तर में सुधार आ रहा है।

महोदय, एक मुद्दा जो कल श्री कृष्ण अय्यर ने उठाया....(व्यवधान)

श्री गार्गी शंकर मिश्र : डीजल की खपत बढ़ गई है। कोयले के साथ वे डीजल का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : जहां तक श्रमिक पारी उत्पादन का सम्बन्ध है...(व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, आप मेरी बात को दोहरा रहे थे।

श्री वसन्त साठे : हां, तूतीकोरोन में, जैसा यहां श्रीकृष्ण अय्यर ने कहा था, वहां 35000 मीट्रिक टन पत्थर थे। राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में मैंने कहा कि यदि हमें वे पत्थर मिलते हैं तो हम उसकी लागत वहन करेंगे और कोयले की कम्पनी उसका भुगतान करेगी। लेकिन हमने कहा कि हम वहां अपना दल भेजेंगे। आप जानते हैं कि उन्हें क्या मिला ? अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाया कि अक्तूबर 1983 से फरवरी 1987 तक एक स्थान पर केवल 10,574 मीट्रिक टन पत्थर का ढेर लगाया गया था। कुल सप्लाई किए गए कोयले का यह 0.13 प्रतिशत था। प्रतिशत के रूप में आप इसे कई टन मानते हैं तो इसे आदमी ढो नहीं सकता, किन्तु कुल कोयले के प्रतिशत के रूप में क्या आप मुझसे वास्तव में यह कहलवाना चाहते हो कि बहुत बड़ी मात्रा में पत्थर पाये गए हैं और इस संबंध में शिकायत करना चाहते हो।

राव बीरेन्द्र सिंह : दल की रिपोर्ट हमें दें।

श्री वसन्त साठे : मैं आपको दल की रिपोर्ट दे रहा हूं। इस प्रकार कोयले की किस्म में सुधार हो रहा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस योजना के अन्त तक कोयले की शत प्रतिशत सप्लाई कोयले की धरा-उठाई करने वाले संयंत्रों के माध्यम से हो ताकि बाह्य माल के रूप में आपको अच्छी किस्म का कोयला प्राप्त हो सकें।

संक्षेप में, स्थिति में सुधार लाने के लिए हम ये कदम उठा रहें हैं परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि कार्य निष्पादन को बेहतर बनाना हमारा मुख्य ध्येय होगा। प्रत्येक श्रमिक पारी उत्पादन में जो कि कोयला और अन्य क्षेत्रों में विश्व में सबसे कम है, सुधार करना पड़ेगा तथा इसे विश्व मानकों के स्तर तक लाना होगा। ऐसा करने पर ही कोयले की उत्पादन लागत तथा ऊर्जा की उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है और इससे देश में संसाधन उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करता हूँ, प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17 से 19 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1987-88 के लिए ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1987 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
ऊर्जा मंत्रालय					
17.	कोयला विभाग	21,81,00,000	1,98,00,00,000	1,09,02,00,000	9,90,00,00,000
18.	विद्युत विभाग	43,26,00,000	2,72,09,00,000	2,16,29,00,000	11,35,18,00,000
19.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	16,92,00,000	61,00,000	80,00,00,000	3,04,00,000

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है तथा सभा 2.20 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होगी।

1.22 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.20 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.23 बजे म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

*अनुदानों की मांगें, 1987-88–जारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 44 से 47 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिये 6 घंटे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये माने गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 44 से 47 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबन्ध में 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1987 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
44.	शिक्षा विभाग	1,81,83,00,000	8,00,000	10,25,48,00,000	42,00,000
45.	युवा कार्य और खेल विभाग	14,02,00,000	58,00,000	70,11,00,000	2,92,00,000
46.	कला और संस्कृति	22,84,00,000	....	82,91,00,000	20,50,00,000
47.	महिला और बाल विकास विभाग	43,80,00,000	....	1,90,97,00,000	....

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर विचार कर रहे हैं। परन्तु मैं एक बात अनुभव करता हूं कि जहां तक विकास का संबंध है राज्यों में मानव संसाधन को इतना महत्व नहीं दिया गया है, यह एक ऐसा विषय है जो बहुत ही नीरस है तथा इसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी कोई इसके प्रति उत्साही नहीं प्रतीत होता है, इसके क्षेत्र विस्तृत है और जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है उनकी संख्या भी बहुत अधिक है अत एव मैं अपने आपको कुछ बातों तक ही सीमित रखते हुए शिक्षा के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ।

ऐतिहासिक दृष्टि से शिक्षा का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दि में लार्ड मैकाले द्वारा बनाई शिक्षा नीति से हुआ। उसने आधुनिक शिक्षा के लिए आधार भूमि तैयार की जिसका आज तक अनुकरण किया जा रहा है। परन्तु हमें शास्त्रीय शिक्षा को अवैज्ञानिक कह कर नकारना नहीं चाहिए। सामान्यत: आज यह विचार धारा पाई जाती है कि शिक्षा का नौकरी से जुड़ा होना या उसके व्यवसायीकरण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और शास्त्रीय शिक्षा को महत्वहीन करार दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति अपने दृष्टिकोण व भावना को व्यक्त करने तथा किसी ऐसे तथ्य को समझने के लिए जिसे मात्र वैज्ञानिक भाषा में अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता है। शास्त्रीय शिक्षा का आज भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है।

इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है। प्रशासक, राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, और बहुत से व्यक्ति मूल रूप से सामान्य व्यक्ति होते हैं जो जटिल मामलों को व्यक्त करने की उन पर निर्णय लेने-में सफल होते हैं। यद्यपि हम शास्त्रीय शिक्षा के विरुद्ध भले ही हो पर फिर भी पाठ्यक्रम में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

विशेषीकरण की भी अपनी हानियां हैं जैसे अल्प आशावादिता और चकाचौंध पैदा करना जिसके पास हम एक स्थान विशेष से आगे या अपने आस पास देखने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए शास्त्रीय शिक्षा की होड़ नहीं करनी चाहिए। फिर भी व्यवसायीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन व्यवसायीकरण की बात करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को कितनी श्रम शक्ति की आवश्यकता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तकनीकी अभाव का सामना करना पड़ रहा है, आज हम देखते हैं कि रोजगार नियोजन की हमारी योजना बहुत अवैज्ञानिक सिद्ध हुई है, कुछ आंकड़े एकत्र किए गए हैं कुछ जानकारी दी गई है और कुछ लोगों को इस बारे में नियुक्त किया गया है। इसके फलस्वरूप जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है वह कुछ ऐसा नहीं कि जिसमें सुधार की गुंजाइश है या ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर हम लोगों को खपा सकें, और अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार दे सकें, हम देखते हैं कि कभी 40 मिलियन लोग बेरोजगार हैं या 5 मिलियन युवक बेरोजगार हैं या 16 मिलियन शिक्षित बेरोजगार हैं, यहां तक कि इस संबंध में भिन्न-भिन्न आंकड़े दिए जाते हैं परन्तु उन्हें कहां और कैसे नियोजित किया जा सकता है जैसे मसलों पर कभी विचार नहीं किया जाता क्योंकि श्रमशक्ति नियोजन संबंधी इकट्ठे किए गए आंकड़े अपर्याप्त होते हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

आज हम सूचना युग में हैं, पश्चिमी राष्ट्र सूचना युग में और सघन औद्योगिक जानकारी के युग में हैं, इस स्थिति में जब हमारे देश की जानकारी प्रधान उद्योग और सूचना अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रिया और इसकी सोच आदि का महत्वपूर्ण अंग बन जाती है तब हमारी व्यवस्था में सुधार आना चाहिए ताकि हम चिमनी के धुंए उगलती फैक्टरियों के स्तर से सूचना और सघन शिक्षा जानकारी के स्तर तक पहुंच सकें इस प्रकार हम पाते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं हमारी मौजूदा तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है और उसमें काल संबंधी दोष आ गए है इसलिए इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रक्रिया की बड़ी आवश्यकता है। और फिर यह उद्योग पूंजी प्रधान है या यह उद्योग श्रम प्रधान है जैसी परिभाषाओं का अब कोई महत्व नहीं रहा है, इसलिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये पुरानी परिभाषाएं समाप्त हो जाएं और उनके स्थान पर नई परिभाषायें स्थापित करने के लिए शिक्षा और मानव संसाधन विकास प्रक्रिया के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, आज हम देखते हैं कि शिक्षा और मानव संसाधन विकास पुरानी हो गई हैं और अगर अर्थव्यवस्था समाज आगे बढ़ता है और शिक्षा और विकास पीछे रह जाता है तो यह एक ऐसा अभाव है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें इस अन्तर को समाप्त करना होगा।

हम देखते हैं कि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नवीन प्रयत्न किए गए हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। सदन में और विभिन्न समितियों में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है, परन्तु इस बारे में नये-नये प्रयास करना ही काफी नहीं है क्योंकि हम अर्थविज्ञान को अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार में ला रहे हैं। यह एक श्रेष्ठ व्यवस्था है, हम ब्लैकबोर्ड क्रांति की बात करते हैं। हम विद्यालयों के लिए अच्छे चॉक की बात करते हैं। हम विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर सुविधाओं के बारे में

[श्री आनन्द गजपति राजू]

बातें करते हैं। लेकिन हम यह देखते हैं कि जब इसका कार्यान्वयन करते हैं तब यह सब कुछ नहीं होता क्योंकि हर बात सामान्य रूप से होती हुई प्रतीत होती है अथवा उस तरीके से होती हुई प्रतीत होती है जैसे इन सभी वर्षों में हुआ करती थी। अतः प्रक्रिया में कुछ तेजी लाने तथा विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा पुनः केन्द्रीय घटक बन सके, और यह विकास के लिए प्रेरणा देने वाला घटक बन सके। अतः इन सभी बातों के अतिरिक्त आजकल इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या वित्तीय नियतन की है। यद्यपि हम यह देखते हैं कि शिक्षा के लिए बजट में 800 करोड़ अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है तथापि यह धनराशि पूर्णतः अपर्याप्त है और इससे शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है।

यहां तक कि जो वृद्धि की गई है उससे शिक्षा के अतिरिक्त अनुसंधान और विकास कार्य को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह वृद्धि अपर्याप्त है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए यहां तक कुछ उपकरों से धन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा किया जा सकता है क्योंकि हम यह जानते हैं कि प्रारम्भिक नियतन अपर्याप्त है। कभी-कभी आप उस तरह भी उपकर लगा सकते हैं जिस प्रकार गत वर्ष सभा ने विपक्ष की युक्ति के आधार पर अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक उपकर लगाये थे। इसी प्रकार कुछ उपकर लगाये जाने चाहिए जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ किया गया है यह कभी बेकार न जाये और इससे हमेशा देश का विकास हो। यद्यपि यह अप्रत्यक्ष है, तथापि इससे प्राप्त होने वाले लाभों को वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार की उन्नति होनी चाहिए। हम हमेशा शिक्षा के बारे में यह सोचते हैं कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके लिए धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिससे हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने में समर्थ हैं, यदि हम युवा स्नातकों को प्रशिक्षण देने में समर्थ हैं, यदि हम उन्हें उचित दिशा निर्देश देने में समर्थ हैं तब उनके द्वारा देश के विकास के लिए दिया गया योगदान निश्चित रूप से उन पर व्यय की गई धनराशि से अधिक होगा।

अब मैं उन मुख्य मुद्दों पर आता हूं जिन पर बार-बार चर्चा की जाती है लेकिन इन दिनों प्रायः हुई चर्चा से हम यह देखते हैं कि चॉकों और सूचना-पटों की पूर्णतया कमी है। गांवों में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें खुली जगहों में पढ़ाया जाता है। उन्हें छप्परों के नीचे पढ़ना पड़ता है। उन्हें ऐसी इमारतों में पढ़ना पड़ता है जिनमें पानी टपकता है। उनके विद्यालयों में उचित ब्लैक-बोर्ड भी नहीं होते हैं। उनमें चॉक भी नहीं होते हैं। उनको लिखने के लिए कागज और स्लेटें भी उपलब्ध नहीं हैं। जब आप शिक्षा के विकास के बारे में बातें करते हैं और आप इन महत्वपूर्ण मामलों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में भी सक्षम नहीं हैं तब शिक्षा का कम्प्यूटरीकरण, शिक्षा की उन्नति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो सकेगा क्योंकि इन मूल सुविधाओं के बगैर कुछ भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, यह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। आंकड़ों से यह दिखाया गया है कि शिक्षा की ओर विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करने की ओर अधिक

ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि महिलाओं के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई हैं और महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा ही शिक्षा को साधारण व्यक्ति तक पहुंचा सकती है। शिक्षा को साधारण व्यक्तियों तक पहुंचाने के प्रयास में हमें उन सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध हैं। आज हम यह देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पाई है वह अन्यत्र शिक्षा पाने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक योगदान देगा। उसमें कुशलता, कार्य करने की इच्छा और कार्य करने का मार्ग प्रशस्त होगा। वह समाज के लिए उससे अधिक योगदान देगा जिसकी उससे अपेक्षा की गयी थी। अतः अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह शिक्षा का केन्द्र है और उसके लिए कुछ अतिरिक्त नियतन किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ और नया परिवर्तन लाने वाली योजना लायी जानी चाहिए।

मेरा विचार है कि अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिये क्योंकि छोटे बच्चे भेड़ और बकरियों की देखभाल करने हैं फार्मों पर जाते हैं जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं और उनको यह देखने के लिए समाज की वास्तविक प्रायोजना और सहायता की आवश्यकता होती है कि वे उस स्थिति में आने में समर्थ है जिसमें वे कार्य करने के लिए शिक्षित हैं। आज वे केवल अशिक्षित ही नहीं हैं बल्कि वे कार्य करने में भी पूर्णतः अशिक्षित हैं और वे किन्हीं प्रक्रियाओं में भाग लेने में समर्थ नहीं हैं जिनका आयोजन सरकार या समाज अथवा जनता करती है। अतः अनौपचारिक शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है।

एक अन्य विषय जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं की शिक्षा के मामले में विशेष रूप से स्थिति अत्यधिक असाभप्रद है उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वे केवल कागजों और योजनाओं तक सीमित रहती हैं और व्यवहार में उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन जब उनको कार्यान्वित किया जाता है तो पता लगता है कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा नहीं किया जाता है और वस्तुतः सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उनकी अपेक्षा की जाती है और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में नहीं मिलाया जाता है। अतः उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में मिलाने के विचार से कुछ अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिये अतिरिक्त नियतन किया जाना चाहिए।

मैं यहां त्रिभाषा सूत्र की पुष्टि के सम्बन्ध में पुनः उल्लेख करना चाहूंगा। बुनियादी रूप से हम एक राष्ट्र बने रहना चाहते हैं, हम मिलकर रहना चाहते हैं और सभी उद्देश्यों के लिए एक रहना चाहते हैं अतः त्रिभाषा सूत्र अर्थात हिन्दी अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा की अत्यधिक आवश्यकता है। क्या हम इसे पूरी तरह से कार्यान्वित करने में समर्थ हैं और यदि हम यह देखने में समर्थ हैं कि ऐसा लगभग सभी राज्यों में किया गया है। हम यह देखेंगे कि अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों के

[श्री आनन्द गजपति राजू]

राज्य अलग-अलग तरीकों से चलते हैं लेकिन भावनात्मक और राष्ट्रीय विचारधाराओं से प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के साथ है और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत ही तुच्छ दिखाई दे सकता है लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाते हैं और जब हम देश के विभिन्न राज्यों को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि इसका अत्यधिक महत्व है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा को जारी रखने का विचार शिक्षा और समाज में निहित होना चाहिए क्योंकि हम यह देखते हैं यद्यपि स्नातक और स्नातकोत्तर भी हों वे शिक्षित हो सकते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से वे अशिक्षित हैं। वे अपने को उन कठिनाइयों और दबाव का मुकाबला करने में असमर्थ हैं जिसे समाज उन पर डालता है। इसलिए यहां शिक्षा को जारी रखने का मामला बनता है। शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार किया जाना चाहिए यदि हम ये सभी बातें करने तथा इस सभा के सभी पार्टियों के सदस्यों की राय लेने में तथा इसे मंत्री महोदय और उनके अधिकारियों के समक्ष रखने और इसका निर्णय उनके ऊपर छोड़ने में समर्थ हैं, तो मेरे विचार से हमको एक अच्छे समाज और एक अच्छे भारत का निर्माण करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस डिमाण्ड को मैं सपोर्ट करने लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो शिक्षा की नयी नीति हमारे सामने आई है उसमें एक विश्वास भी है, राष्ट्रीय आत्मविश्वास लोगों में जगा है, इसका एक दर्शन है और इसकी एक रूपरेखा है। इस दर्शन और रूपरेखा को बनाने में राव साहब, आपने जितनी मेहनत की है, एक राजनेता की हैसियत से, उसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब कभी भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में अनेक तरह की बातें कही जाती हैं। दुर्भाग्य से इस देश में मेकाले कब जिन्दा हुआ, कब मर गया, उसका नाम बराबर लिया जाता है। मेरी राय से तो उसका नाम हमें भूल जाना चाहिए क्योंकि एक नए दर्शन और परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हमने किया है वह कम नहीं है। हम केवल इस बात को कहते है- जैसा कि कहा जाता है समाहित, कोलेट, इंटिगरेट करलें- निश्चित रूप से हमें यह देखना चाहिए कि राष्ट्र ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। यदा-कदा लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे देश में 30-35 करोड़ लोग निरक्षर हैं। लेकिन यह कभी नहीं बोलते कि इतने लोग हमारे देश में साक्षर हुए हैं। साक्षरों की संख्या भी हमारे देश में बहुत बढ़ी है, स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है और शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। (व्यवधान) जो भी सच्चाई है उसको हमें उजागर करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र के सामने जनसामान्य को अगर बता दिया जाए कि आपने जो कुछ किया है, आपके लिए जो कुछ हुआ है वह निराशावादी है, सब बेकार की चीजें हैं। आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है ऐसे में राष्ट्र भटक जाएगा। राष्ट्र को भटकाव की स्थिति में ले जाने की कोशिश न कीजिए। इसकी जो फिलासॉफी है, हमको उसकी तरफ जाना होगा।

श्री नारायण चौबे (मिथनापुर) : फिलोसॉफी तो बताइए। (व्यवधान)....

श्री डी० पी० यादव : फिलोसॉफी यही है, यदि आप संख्या में जायें। फिलोसॉफी यही है कि 1950-51 में इस देश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या मात्र 2,09,676 थी अब यह संख्या

5,50,000 है। क्या इसमें वृद्धि नहीं है। जहां मॉडल स्कूल मात्र 13 हजार थे, वहां अब 1,40,000 है। जहा हाई-स्कूल मात्र 7,288 थे, आज करीब-करीब 60 हजार हाई-स्कूल हैं। कालेज जहां 48 थे, वहां आज करीब-करीब 4 हजार कालेज हैं। टैक्नीकल कालेज 147 थे, आज 1,500 टेक्नीकल इन्स्टीटयूट्स और कालेजेज हैं। यूनिवर्सिटीज जहां 28 थीं और आज उनकी संख्या 135 है। ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि निश्चित रूप से इस देश में शिक्षा के मामले में आगे काम हुआ है। इसलिए इस बारे में बहुत दुःखी होने का कोई कारण नहीं। ···(व्यवधान)····

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : नालन्दा यूनिवर्सिटी ···(व्यवधान)

श्री डी० पी० यादव : आप जब से वहां से एम०पी० हुए हैं, तब से हो गई है ····(व्यवधान) मेरे पास सारे आंकड़े हैं। छात्रों की संख्या उस समय 2,40,00,000 थी, आज छात्रों की संख्या 13,20,00,000 है। प्राइमरी शिक्षकों की संख्या उस समय 3,40,000 थी और आज करीब 15 लाख है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया हमारा ध्यान भंग न कीजिए। आप पीठासन को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : टोटल शिक्षकों की संख्या इस देश में उस समय पांच लाख थी लेकिन आज शिक्षकों की संख्या 38 लाख के आसपास है। इसके बावजूद भी माननीय चौबे जी प्रसन्न नहीं हैं। हमने जो काम किए हैं, उसको एक तरफ रख दीजिए और अपना एक आइडिया बनाकर देश के सामने कहते चले जाइए कि देश में निरक्षर की संख्या बढ़ गई है। साक्षर की संख्या कितनी बढ़ी है, इस पर भी आपको जाना होगा। इसी सिस्टम में यहां साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, फिलोसफर पैदा हुए हैं। इस प्रकार हम शिक्षा नीति को दोषा-रोपित करके अपने आपको हम डिमॉरलाइज करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं।

अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी हमारी आज की स्थिति क्या है ? इसका आत्मनिरीक्षण हमको खुद करना चाहिए। मैं सत्ताधारी दल का सदस्य हूं ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच०ए० डोरा (श्री काकुलम) : विस्तार हुआ है, समेकन नहीं।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : वैसे मैं उन लोगों में से हूं, अगर आज मेरी कमजोरी होगी तो राव साहब के सामने उनकी अदालत में कहूंगा कि राव साहब मैं इस कमजोरी को अनुभव करता हूं और उसको ठीक करना चाहिए ··(व्यवधान)···संसद में कहूंगा और अभी भी कहने के लिए तैयार हूं। आप सुनने की कोशिश कीजिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : *आप कमजोरियां बताइए, तो सुनेंगे ।*

श्री डी०पी० यादव : शिक्षा की मद में अगर सभी दूसरे विभागों को लें, तो करीब-करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए हम लोगों ने सातवें प्लान में दे रहे हैं। अभी हम लोग केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजट को डिस्कस कर रहें हैं। एक बात के लिए निश्चित रूप से हमें राव साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय में प्लान फंड मुश्किल से 352 करोड़ रुपये था पिछले साल, इस बार 825 करोड़ रुपये की उपलब्धि है और इस में हम एक नया रास्ता और नया आयाम चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन राव साहब से एक विनती जरूर करता हूं कि पिछले साल जो 352 करोड़ रुपये के आसपास पैसा हमारे पास था, किसी न किसी कारण से कुछ पैसा हम को सरन्डर करना पड़ा । इसलिए यह देखना चाहिए कि सरन्डर कौन सी आइटम में किया गया और अगले साल किसी भी हालत में वह सरन्डर न हो ।

इस नई शिक्षा की नीति के संदर्भ में हम ने कौन कौन से एक्शन प्लान दिये हैं, जिस के लिए मंत्रालय को ध्यान देने की आवश्यकता है । सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने जो रिसोर्स मोबेलाइजेशन किया है, कहीं से उसको इकठ्ठा किया है, उसके लिए आप को धन्यवाद दे रहा हूं । आप ने काफी मेहनत कर के सारे साधनों को जुटाया है और ऐसे अंग को भी आप ने लेने की कोशिश की है, जो शुद्ध राज्य का विषय है । इस तरह से आप एक नई परिपाटी शुरू करने जा रहे हैं । आपरेशन ब्लैक बोर्ड की एक स्कीम है । उस के लिए आपने 100 करोड़ रुपया दिया है । 100 करोड़ रुपये में सभी पांच लाख और साढ़े पांच लाख प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगें बन जाएगी और सभी में लेबोरटरीज हो जाएंगीं, यह संभव नहीं लेकिन यह एक नया स्टार्ट है । सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी इम्पलीमेन्टेशन आथेरिटी कौन होगा । इम्पलीमेंटेशन अगर ईमानदारी से नहीं करियेगा, तो चौबे जी आप राव साहब को दोषी न ठहराइए क्योंकि इम्पलीमेन्टेशन के लिए आप के यहां पैसा जाएगा और आपको इसको करना होगा । किसी न किसी तरह से इम्पलीमेन्टेशन न कर सकिएगा, तो उसका दोषारोपण राव साहब के माथे पर नहीं होना चाहिए । इनका जो अपना क्षेत्र है, सेन्ट्रल स्कूल कैसे चल रहे हैं, इसकी डाइरेक्ट रेस्पोंसीबिलिटी इन की है । नवोदय विद्यालयों में थोड़ी रेस्पोंसीबिलिटी इन्होंने राज्य सरकारों को दी है । मेरा इसमें सुझाव यह है कि नवोदय विद्यालय की रेस्पोंसीबिलिटी भी अगर ठीक उसी तरह से रखें जैसे कि सेन्ट्रल स्कूलों की है, तो उस से ज्यादा फायदा होगा । आपके मन में इसको एपेक्स इन्स्टीट्यूशन बनाने की तमन्ना है । आप चाहते हैं कि यह मॉडल हो और अन्य राज्य सरकारें और अन्य प्राइवेट स्कूल भी इस मोडल को अख्तियार करें । चाहे जो कुछ हो अगर कुछ राज्य इस को राजनीति का अखाड़ा भी बनाना चाहें, तो उन के सामने हाथ जोड़ लीजिए कि राजनीति से आप शिक्षा नीति को अलग रखिए । जो लोग शिक्षा में राजनीति लाना चाहेंगें वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और आने वाली जेनरेशन यही कहेगी कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया । यह मैंने नवोदय विद्यालयों के बारे में निवेदन किया ।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : जिम्मेवारी नहीं योगदान की अपेक्षा होती है और योगदान मिल रहा है कई राज्यों से और हम संतुष्ट हैं ।

श्री डी०पी० यादव : यह बहुत ही संतोषजनक उत्तर आपने दिया है। योगदान की ही हम अपेक्षा रखते हैं। कहीं जमीन नहीं मिली, तो 15, 20 लाख रुपये में जमीन खरीद दी लेकिन नवोदय विद्यालय आप मन से चलाइये यह मेरा आप से निवेदन है।

एक बात और मैं राव साहब से कहना चाहूँगा। हम लोगों ने चर्चा की है। नेशनल सिस्टम आफ एजूकेशन की पालिसी की।

उसके काम में कुछ देर लग रही है हालांकि रिपोर्ट में आया है कि वह फाइनल स्टेज में है लेकिन मुझको यह फीलिंग है कि फाइनल स्टेज में कहे जाने के बावजूद भी, यह जो नेशनल सिस्टम आफ एजूकेशन है, इसकी तैयारी कुछ कमजोर पड़ रही है।

उसके काम में कुछ देर लग रही है हालांकि रिपोर्ट में आया है कि वह फाइनल स्टेज में है लेकिन मुझको यह फीलिंग है कि फाइनल स्टेज में कहे जाने के बावजूद भी, यह जो नेशनल सिस्टम आफ एजूकेशन है, इसकी तैयारी कुछ कमजोर पड़ रही है। या उसके बनाने में, फोरमूलेट करने में कुछ देरी हो रही है जो कि न हो। नेशनल केरीकुलम भी उससे सम्बन्धित है। यह एकेडेमिक मेटर है। इसमें थोड़ा समय भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह ठोस रूप में बने जैसे कि आपने एजूकेशनल पालिसी बनाई है। समूचे देश में एक बात पता चले कि हमारी परम्परा क्या है, हमारा राष्ट्रीय आब्जक्टिव क्या है। राष्ट्र का जो आब्जेक्टिव होगा, उसका ज्ञान, हमारी परम्पराओं का ज्ञान, हमारी कल्चर का फैलाव सब नेशनल केरीकुलम से ही होगा।

एक बात और है जिसके बारे में राजु साहब ने भी कहा है। कम्प्यूटर एजूकेशन के बारे में मेरा सुझाव है कि इस पर थोड़ा सा मजबूती से कदम उठाना होगा। हम देख रहे हैं कम्प्यूटर एजूकेशन पर जो थ्रस्ट होना चाहिए उस थ्रस्ट में कमी आयी है। उसमें किस कारण से कमी आयी है, इस पर थोड़ी सी तहकीकात कर लेनी चाहिए।

रह गयी बात वोकेशनल एजूकेशन की। मैं बार-बार कहता आया हूं कि बजाए इसके हमें वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन करना चाहिए। वह ज्यादा अच्छा होगा। इस देश की कुछ व्यावसायिक परम्पराएं हैं। इस देश के राज मिस्त्री का बेटा राज मिस्त्री होगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई होगा, लोहार का बेटा लोहार होगा। कुछ इस प्रकार की परम्पराएँ रही हैं। मेरा कहना यह है कि लोहा पीटने वाला लोहा पीटने तक ही सीमित न रह जाय। उसको इंस्टीच्यूट आफ टैक्नोलौजी की टैक्नोलौजी इम्पार्ट कीजिये। ह्यूमन रिसोर्स डवलमेंट का यह सबसे आवश्यक काम होगा। देश के मानस को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि साइन्स और टैक्नोलौजी के माध्यम से हम इस देश की दशा को कैसे सुधार सकते हैं, देश के स्वास्थ्य को कैसे बना सकते हैं। टोटल कोआरडिनेटिड प्लान जो शिक्षा के लिए है, उसमें रूरल डवलपमेंट का भी प्लान करना होगा। रूरल डवलपमेंट के अलग-अलग विभाग हैं। ह्युमन रिसोर्सिज एण्ड रूरल डवलपमैंट में जो रिसोर्सिस जायेंगे उनमें टैक्नोलोजिकल रिसोर्सिस, साइंटिफिक रिसोर्सिस, एकेडेमिक रिसोर्सिस का समन्वय करना होगा। यह एक विषय है जो कि छूटा रहा है। इसको भी हमें पूरा करना होगा।

साइंस और टेक्नोलौजी को अगर आप मासिज के लिए कर देंगे, लर्निंग बाई डुइंग। लर्निंग बाई सीईंग कर देंगे तो इससे भी बहुत काम होने वाला है। हम फोरमल एजूकेशन की बात करते हैं,

[श्री डी० पी० यादव]

छोटे-2 बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन कुट्टी काटने वाले, ईंट बनाने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, गाय भेड़ पालन करने वाले लोगों में हम विज्ञान और टेक्नोलौजी को इन्फ्रेगनेट करके बढ़ावें और उनकी इनकम को बढ़ावें। यह काम भी डिपार्टमेंट आफ ह्यूमन रिसोर्सिस को लेना होगा।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विभिन्न प्रयोगशालाओं और विभिन्न विभागों के इंस्टीच्यूशंस को जोड़ कर के एक नेशनल प्लान बनाएं। जिसमें आपको ट्रान्सफर आफ टेक्नोलौजी के बारे में भी देखना होगा। यह सब से जरूरी है। ट्रांस्फर आफ टेक्नोलोजी के बारे में मैं आपको बताऊं। पंजाब में खाद पर एकड़ में 150 किलो व्यवहार में आता है और असम, बिहार और बंगाल में केवल 8, 10 और 12 किलो आता है। इसका व्यवहार पंजाब में 150 किलो पहुंचाने की स्थिति कैसे आवे और बिहार, असम और बंगाल में 25 किलो की स्थिति कैसे आवे यह सब ट्रान्सफर आफ टेक्नौलौजी से होगा।

आज शिक्षा में शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, यह स्थिति आ गई है। यह बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि 38 लाख शिक्षक पढ़ावें और 13 करोड़ बच्चे कैसे पढें। इसका हमें प्लान करना होगा। 30 लाख टीचर हैं और 13 लाख 20 हजार बच्चे हैं इस देश में, ये सब कैसे पढ़े यह देखना होगा। ट्रेनिंग के बारे में भी बात की जाती है, हर बार बात करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, मेरा कहना यह है कि टीचर्स एजूकेशनल स्टेंडर्ड प्रोग्राम आपको करना होगा। टीचर का अगर एजूकेशनल स्टेंडर्ड नहीं हैं तो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार जैसा नही होना चाहिए कि 7-8 करोड़ रुपया खर्च हो गया, टीचर्स को 3-4 दिन के लिए बुला लिया, मीटिंग हो गयी और चले गए, इसमे काम होने वाला नहीं है। इसके अलावा छुट्टियों को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी निश्चित रूप से सोचा जाना चाहिए और मैंने जो अन्य सुझाव दिये हैं, उन पर भी विचार किया जाए।

अंत में मैं समझता हूं कि जो बजट हमारे सामने रखा गया है, वह निश्चित रूप से हम सब के लिए सुख का विषय है।

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह बड़ा भारी विभाग है, शिक्षा, संस्कृति, महिला कल्याण बाल कल्याण, कला, युवा कल्याण आदि विषय हैं। सब पर तो चर्चा करना सम्भव नहीं है, शिक्षा के बारे में, शिक्षा नीति के सम्बन्ध में चर्चा करते समय मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रधान मन्त्री जी ने बहुत दिनों बाद एक ऐतहासिक निर्णय लिया इस देश की शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए और इस निर्णय का कार्यान्वयन भी प्रारम्भ हो गया है। इस नीति को बनाने में हमारे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री और उनके सहयोगी तथा सहयोगिनो, सबने बहुत कठोर परिश्रम किया है और नीति सामने आ गई है। नई शिक्षा नीति सामने आ गई है और उसके अमल का काम भी प्रारम्भ हो गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सहयोगिनी कौन हैं ?

श्री उमाकांत मिश्र : एक सहयोगी है एक सहयोगिनी हैं। (व्यवधान)

2.58 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति पर अमल हो रहा है, उसमें नवीनता है, नवोदय विद्यालय का कार्यक्रम है, यह बहुत स्वागत योग्य है और हर जिले में यह विद्यालय खुलेगा । लेकिन मेरा कहना यह है कि एक विद्यालय से काम कैसे चलेगा । (व्यवधान)

कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस प्रकार के विद्यालय इस प्रणाली के विद्यालय, इस प्रकृति के विद्यालय राज्य सरकारें भी खोलें और जिले में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक-2 विद्यालय खुलना चाहिए तभी प्रतिभावान छात्रों को इससे लाभ होगा । एक जिले में एक विद्यालय होने से काम होने वाला नहीं है । मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाएं कि हर जिले में विकास खण्ड स्तर पर नवोदय विद्यालय खोला जाना चाहिए, तभी एक विकास खण्ड में 1000-500 विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा और पर्याप्त लोगों तक यह सुविधा पहुंच सकेगी । जिले में एक विद्यालय खोलने से काम नहीं चलेगा ।

दूसरी बात की तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह प्राइमरी शिक्षा के बारे में है । प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है, जबकि प्राइमरी शिक्षा की बुनियाद है, राष्ट्र की बुनियाद है, लोकतन्त्र की बुनियाद है, सारे ज्ञान विज्ञान की बुनियाद है । अगर प्राइमरी शिक्षा का स्तर ठीक नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे लोग शिक्षित होंगे, कैसे ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान होगा ।

3.00 म० प०

फिर देश का विकास कैसे हो पाएगा । देश के विकास के लिए बुनियादी शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है जब हम राज्यों की ओर देखते हैं तो वहां इसकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, शोचनीय है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की बुनियाद है, जब तक बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो महल कैसे सुदृढ़ बनेगा, परन्तु आज बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सरकारों के हाथ में है इसलिए आप कहेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, परन्तु देश के हित में, जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की बात सोच रहे हैं तो कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए ताकि प्राइमरी शिक्षा की राज्यों में जो दुर्दशा है, उसको ठीक बनाया जा सके, उसका स्तर ऊंचा उठाया जा सके । आज तो यह स्थिति हो गयी है कि स्कूल नाममात्र के हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, यदि हैं भी तो जाते नहीं, कहीं भवन नहीं हैं, यदि हैं भी तो उनकी हालत बहुत जर्जर है । कुछ समय पूर्व जब प्राइमरी शिक्षा देने का कार्य जिला प्रशासन, जिला परिषदों अथवा नगरपालिकाओं के अधीन था, वे ही सारी व्यवस्था करती थीं, तब भी कुछ ठीक काम चलता था परन्तु जब से यह विषय राज्य सरकारों के अधीन आया है, इसका राज्यीकरण हो गया है, तब से बेसिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब दयनीय और शोचनीय हो गयी है । इसलिए आप कोई ऐसी नीति बनायें, रास्ता निकालें या मार्ग प्रशस्त करें ताकि प्राइमरी शिक्षा की स्थिति राज्यों में सुधर सके । क्योंकि राष्ट्र की बुनियाद इसी पर आधारित है । नहीं तो हमारा शिक्षा का आधार नष्ट

]श्री उमाकान्त मिश्र]

हो जाएगा, लोकतन्त्र का आधार नष्ट हो जाएगा, और विकास का काम रुक जाएगा। इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठायें, यह आपके विचार का विषय है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का कार्य राज्य सरकारों के पास है और केन्द्रीय सरकार केवल मात्र निर्देश दे सकती है, नीति बना सकती है या कुछ और व्यवस्था कर सकती है परन्तु आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार हो। इसी संदर्भ में, मैं आपका ध्यान देश के आदिवासी बाहुल्य, हरिजन-बाहुल्य या निर्धन वर्ग बाहुल्य पिछड़े इलाकों की ओर दिलाना चाहता हूँ जहां 6-6 या 8-8 किलोमीटर तक कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। जब हमने शिक्षा पर आधारित डाक्यूमैंट देखा तो उसमें यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि आप ऐसे तमाम आदिवासी बाहुल्य, हरिजन बाहुल्य या निर्धन पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ कार्य करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों में आप प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की दिशा में कोई न कोई प्रावधान अवश्य करें।

महोदय, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार हेतु भी आपने कई कदम उठाये हैं जो स्वागत योग्य और प्रशंसनीय हैं क्योंकि जो लोग स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनकी उम्र ज्यादा हो गयी है, लोकतंत्र की सफलता के लिए उनको शिक्षित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वे लोग अब स्कूलों में जा सकते हैं और इससे उनके जीवन स्तर को सुधारने में काफी सहायता मिलेगी। इसलिए सरकार का यह कदम स्वागत व प्रशंसा के योग्य है। परन्तु मेरा निवेदन है कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार हेतु हमारी सरकार जितना धन व्यय कर रही है, उससे उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जितना मिलना चाहिये, उसमें फर्जी आंकड़े ज्यादा दिए जा रहे है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के अधीन यह कार्य होने के कारण ऐसी स्थिति है। इसलिए आप इस दिशा में भी कोई ऐसा रास्ता निकालें और हमेशा आपसे यही निवेदन रहा हैं कि जिन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार का पैसा लगे उनके निरीक्षण और देखभाल की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, अन्यथा राज्यों में जाकर उस धन के दुरुपयोग होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं, और जितना धन केन्द्रीय सरकार उस योजना के लिए उपलब्ध करवाती है; उस अनुपात में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती।

वैसे सरकार देश में शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार हेतु जितने कदम उठा रही हैं, पैसा खर्च कर रही है, वह स्वागत योग्य प्रशंसनीय है, जिसके लिए मैं सरकार को प्रधान मन्त्री जी को और मानव संशाधन मंत्री को धन्यवाद देता हूं बधाई देता हूं परन्तु जहां तक व्यवसायिक शिक्षा का सम्बन्ध है, एकदम तो उसका ढांचा बदल नहीं सकता, क्योंकि जो पद्धति चली आ रही है, उसे एकदम से बदला नहीं जा सकता परन्तु जब सरकार ने उसको बदलने का निश्चय कर लिया है, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे राष्ट्रीय खजाने के द्वारा अथवा राज्यों के खजाने से, आप हर विकास खण्ड में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, अथवा एक व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जो भी सम्भव हो, एक हजार की आबादी पर अवश्य शीघ्र खोलने की व्यवस्था करायें ताकि जो लोग प्रतिभाशाली नहीं हैं, ज्ञानविज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वे इन स्कूलों में आठवीं या दसवीं पास करके, किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, और अपनी जीविका का आधार ढूंढ सकें।

श्रीमन्, व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार जरूरी है। उसको शीघ्र प्रारम्भ करना है। संस्कृत के सम्बन्ध में आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, के उसका स्वागत करता हूं प्रशंसा करता हूं। आपने संस्कृत की शिक्षा के लिए व्यवस्था की है, लेकिन संस्कृत के लिए नहीं। आपने इस सम्बन्ध में क्लासिफिकेशन किया है और तीन वर्गों में इसको बांटा है—संस्कृत तथा अन्य क्लासिकल भाषाएं, हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भाषाएं और अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाएं। आपका यह जो शीर्षक है। यह बहुत प्रशंसनीय है। मुझे यह बहुत पसन्द आया है। आपने अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में देखा है यह बहुत प्रशंसा योग्य है। भले ही आज हम उसको राजभाषा के रूप में रखे हुए हैं, लेकिन वह है, तो विदेशी भाषा। इसके अतिरिक्त और समृद्ध देशों की विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच, रशियन, चीनी तथा जापानी भाषाएं हैं, उनकी भी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिएं। इस पर आपने ध्यान दिया है यह बहुत ही प्रशंसनीय है। संस्कृत के साथ-साथ जो और क्लासीकल भाषाएं हैं, उनका भी विकास हो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। मुझे तो क्या किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। किन्तु संस्कृत के जो आदर्श हैं, जो ज्ञान-विज्ञान है, खासतौर से संस्कृत में जो दार्शनिक आदर्श हैं उनकी तो पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था हो। जो उच्चकोटि का ज्ञान है, जो मूल्य हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था हो, लेकिन संस्कृत में विज्ञान भी है ज्योतिष विज्ञान है, और विज्ञान हैं, गणित विज्ञान है, मेरे विचार में संस्कृत में जो प्राचीनकाल के विज्ञान हैं, उन विज्ञानों को दुनिया के देशों ने ग्रहण किया है, विकसित किया है। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि संस्कृत में जो उच्च कोटि के विज्ञान हैं उनके पढ़ाने एवं लिखाने की सघनरूप से व्यवस्था की जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि सभापति जी का आदेश है, इसलिए हम समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : मान्यवर, मैं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा अभी हमारे मित्र मिश्र जी ने बताया कि हमारे देश की प्राइमरी शिक्षा की बड़ी अधोगति है और मुख्यरूप से ग्रामीण अंचलों में जो हमारे विद्यालय हैं, उनमें अधिकांश की हालत खराब है। वहां पर दोहरा प्रशासन है। जहां तक रख-रखाव और सुविधाएं देने का सम्बन्ध है, वह तो स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाता है, लेकिन जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति का संबन्ध है, उनकी नियुक्तियां राज्य सरकार करती हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज ग्रामीण अंचलों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय की ओर शासन को ध्यान देना चाहिए और इसमें एकरूपता आनी चाहिए। खासतौर से हमारी प्राइमरी शिक्षा, जो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंश है, उसकी ओर शासन को अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अलग से धनराशि निर्धारित करनी चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं—आज एक ओर हम प्राइमरी शिक्षा की ओर कम ध्यान दे पा रहे हैं दूसरी ओर हमारे तकनीकी शिक्षा के, खासतौर से जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनकी ओर भी हमें जितना ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दे पा रहे हैं। इस संबन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आई० आई० टीज० की तरफ आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू जी की कृपा से हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए 5 संस्थान कायम किए, लेकिन आज स्थिति यह है कि यहां से जो प्रतिभाएं निकलती हैं, उनका उप-

[श्री जगदीश अवस्थी]

योग हम देश के लिए नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये प्रतिभाएं विदेश में चली जाती हैं। इन संस्थानों की प्रतिभा का लाभ इस प्रकार से देश को नहीं मिल पाता है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं खासतौर से आई० आई० टीज० में जो शिक्षा पद्धति है, उसका ग्रामीण अंचलों से क्या संबन्ध है, इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उसमें एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि आई० आई० टीज० में जो रजिस्ट्रार की पोस्ट है उसको हटाकर के एक प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाय, लेकिन आपने उसको कोई पावर नहीं दी हैं। जितने भी आपके विश्व विद्यालय हैं, संस्थान हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव होते हैं। लेकिन इसमें उनकी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप उसको देखें। और आपका कुल सचिव होना बहुत आवश्यक है। इस पद का बहुत महत्व होता है. इसको आप रखें।

हमारे क्षेत्र कानपुर में आई०आई०टी० हैं, वहाँ पर 2,3 बार विज्ञापन किया गया एक पद के लिए और अच्छे लोग आये भी, लेकिन उनको रखा नहीं गया। कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने वहां पर कुछ लोगों को काम दे रखा है। जिसकी वजह से वहाँ की व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है। इस संबन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है। आई०आई०टी०कानपुर आज सबसे अच्छी संस्था है, वहां पर जो एक पद सृजन किया गया है, वहाँ पर उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाये। इसकी उचित व्यवस्था करें।

इसके साथ ही हमारे आई०आई० टीज० की जो गवर्निंग बॉडी है इसमें भी सुधार होना चाहिए। आप उसमें चाहे कानून बनाकर कोई व्यवस्था करें, नामिनेट करें लेकिन उसमें एक जन-प्रतिनिधि होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि आप जन-प्रतिनिधि की नियुक्ति के बारे में अवश्य विचार करेंगे ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हों सके।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे माननीय मिश्रजी ने बहुत कुछ कहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि आज 40 वर्षों के बाद भी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संरक्षण नहीं कर पाये हैं। आप योजना चलाते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन जो उनकी उपयोगिता होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए उसके लिए समाज और शासन की ओर से उनको प्रश्रय नहीं दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय की यह एक कसौटी होगी, मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप योजना बनाकर 5 वर्षों के अन्दर अगर सारे देश को साक्षर कर पायेंगे तो उपयुक्त होगा। चीन जैसा देश हमसे बाद में आजाद हुआ है, उसने योजना बनाकर 5 वर्ष में सारे चीन को साक्षर कर दिया। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इसे हम अपने देश में नहीं कर पाये। आपने लक्ष्य रखा है कि हम केवल दो योजनाओं मे 10,12 करोड़ लोगों को साक्षर कर देंगे, मेरा निवेदन है कि आप इनको बढ़ाइये। अगर आपने यह काम कर दिया तो इस शासन का देश में नाम होगा कि हिन्दुस्तान में सारे लोग साक्षर हुए। इस तरह से आपने कम से कम लोगों को तो साक्षर ज्ञान तो दे दिया। जहां आप अपनी योजना चलाते हैं, सिविल संस्थाओं से अध्यापकों से सहयोग लेकर उच्च स्तर पर इसे चलाइये ताकि यह देश इस मामले में दृढ़ हो जाये। इससे आपका नाम होगा।

भाषा के संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि किस भाषा के माध्यम से शिक्षा देंगे। अभी तक आप यह निश्चय नहीं कर पाये। अंग्रेजी शिक्षा अच्छी है; इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन दुनिया के आजाद देश वहां अपनी देशी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं उनका अपनी भाषा में राजकाज होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी का पल्ला नहीं छोड़ पाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम शिक्षा मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज हमारी शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से न होकर अपनी देशी भाषा के माध्यम से होनी चाहिये। तभी हमारा ज्ञान विकसित हो सकेगा। केवल मात्र यह कह देना कि अंग्रेजी भाषा को अगर हम हटा देंगे तो ज्ञान की सीमा कम हो जायेगी लेकिन यह सदन जानता है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, चाहे फ्रांस हो, जापान हों, रूस हो इन सब ने अपनी भाषा के माध्यम से ही ज्ञान-विज्ञान के साहित्य की रचना की है और उनके देश आगे बढ़े हैं। यहां हमारी हीन भावना है जिसकी बजह से हम समझते हैं कि अगर अंग्रेजी की खिड़की हम बन्द कर देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षाविद् हैं विद्वान हैं, योग्य हैं, वह इस पर विचार करें। शिक्षा का माध्यम, चाहे उच्च शिक्षा हो; मध्यम शिक्षा हो, वह भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। जब हम अपनी भारतीय भाषाओं का विकास नहीं करेंगे तब तक यह नहीं कह सकेंगे कि हमारी आजादी प्राप्त हुई। अगर हम विदेशी भाषा के माध्यम से ही देखते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता है गांधी जी ने कहा था कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं है, उस देश का विकास नहीं हो सकता है।

मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने सर्व प्रथम इस ओर ध्यान दिया है और एक अक्षर नीति अपनाई है मुझे अभी मालूम हुआ है मिश्रजी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा नहीं रहेगी, हिन्दी के प्रश्न पत्र में ही संस्कृत रहेगी, अलग भाषा के रूप में नहीं रहेगी आप देखें कि संस्कृत भाषा हमारी अन्य भाषाओं की जननी है, उसका उचित स्थान होना चाहिए तभी हम भाषा की प्रतिष्ठा कर सकेंगे।

आज खेल कूद के बारे में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक खेल का नाम है क्रिकेट। हम उस क्रिकेट को प्राथमिकता देते हैं। आप जानते हैं कि जब हम गुलाम थे उस समय यह खेल खेला जाता था। इसके अलावा यह खेल केवल यहीं पर खेला जाता है चीन, रूस और अन्य कई देशों में अभी भी यह खेल नहीं खेला जाता है हम चाहेंगे कि जो देशी खेल-कूद हैं आप उनको बढ़ावा दे और मानसिक दासता से दूर रहें। क्रिकेट खेल में समय भी बहुत नष्ट होता है और जिस समय यह खेल खेला जाता है उस समय बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अतः मंत्रालय इस ओर अवश्य ध्यान देकर देशी खेल-कूद को बढ़ावा दे। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर यह खेल नहीं होगा तो हमारा नाम नहीं रहेगा अतः माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान दें।

अतः मैं कहूंगा कि मैंने जो कुछ भी सुझाव दिए हैं आप उन पर अवश्य विचार करें। आपने इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा है जो कि बहुत ही अच्छा नाम है। अतः आप इस पर आचरण भी करें। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

[डा० सुधीर राय]

पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री जी ने अपने चुनाव भाषणों में पश्चिम बंगाल की सरकार की यह कहकर निन्दा की कि वे नयी शिक्षा नीति के मूल्यों का आकलन करने में विफल रहे हैं, परन्तु, महोदय पश्चिमी बंगाल की जनता ने हाल के चुनावों में यह दिखा दिया है कि वे नयी शिक्षा नीति के मूल्यों की परवाह नहीं करते हैं और यही बात केरल में भी हुई है।

वास्तव में, ये नई शिक्षा नीति नई बोतल में पुरानी शराब के समान है क्योंकि इसमें वही सम्भ्रांतों की परम्पराएं, वही औपनिवेशक शिक्षा नीति जिसे लार्ड मैकाले ने प्रारम्भ किया था; क्योंकि हम देखते हैं कि नीति निर्माता उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति से भय होता है।

संविधान निर्माताओं ने निर्देश दिये थे कि संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अब स्थिति यह है कि वर्ष 2000 के बाद अनपढ़ लोगों की संख्या 500 मिलियन से भी अधिक हो जाएगी। यह वर्तमान सरकार की महानतम उपलब्धि है।

अगर हम उदाहरण के लिए निकारागुआ को देखें जो कि विरोधी क्रांतिकारी शक्तिओं से घिरा हुआ है जहां लगभग गृह युद्ध की सी स्थिति हैं, वहां उन्होंने एक वर्ष के भीतर ही साक्षरता को 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत कर दिया है, इसका कारण है कि उन्होंने सारे उपलब्ध पाठ्यक्रमों का उपयोग किया। परन्तु हमारे यहां सत्ताधारी सार्वभौमिक शिक्षा से भय खाते हैं क्योंकि अगर शुरू से ही सार्वभौमिक शिक्षा रही होती तो राजनीति का वर्तमान ढांचा जो अन्याय और शोषण पर आधारित है, चरमरा जाता, क्योंकि अगर सार्वभौमिक शिक्षा रही होती तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के आधार पर शासन नहीं होता और अगर सार्वभौमिक शिक्षा होती तो लोग अधिक सजग, सचेत और स्पष्टवादी होते। इसलिए वे सार्वभौमिक शिक्षा के आदर्श को लागू करने का प्रयत्न नहीं करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपने इस लक्ष्य को अपने राज्य में प्राप्त क्यों नहीं किया है?

डा० सुधीर राय : मुझे ज्ञात हुआ है कि केवल 49,40,00,000 रुपये ही प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के इस लक्ष्य को अनौपचारिक स्कूलों तथा दूर जाकर शिक्षा प्राप्त के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अनौपचारिक स्कूल की सत्ता मात्र होती है। यह वस्तुओं को प्रदान नहीं करता है। यह मेरा निजी अनुभव है (व्यवधान)..... परन्तु महोदय प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि अगर सार्वभौमिक शिक्षा हो तो फैक्टरियों में इससे उत्पादकता बढ़ेगा और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे और वे अपनी बात को अधिक स्पष्टता से कहेंगे जिसके परिणामस्वरूप लोकतन्त्र और सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा, परन्तु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने 'आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' के बारे में खूब बढ़ा-चढ़ा के कहा है। 'आप्रेशन ब्लैकबोर्ड' नाम की इस योजना के अन्तर्गत कहा गया है कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में दो अध्यापक होंगे जिनमें से कम से कम एक महिला अध्यापिका होगी और छात्रों

को पुस्तकें और अन्य शैक्षिक उपादान आदि मुफ्त दिए जाएंगे। इस समय भारत में लगभग 7 लाख प्राइमरी स्कूल हैं और इस वर्ष इस कार्य हेतु 99.80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आप इस 'आप्रेशन ब्लैकबोर्ड' नाम की योजना को इतनी कम धनराशि से कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं।

महोदय वार्षिक रिपोर्ट में समेकित बाल विकास योजना की बात कही गई है। यह एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है परन्तु केवल 201.26 करोड़ रु० इसके लिए आवंटित किए गए हैं। हमारे पास दो वर्ष के लिए अनाज का भंडार है। अनाज के इस भंडार को समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों और गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सकता है।

हम देखते हैं कि इस वर्ष खेलों आदि के लिए कम धनराशि आवंटित की गई है। पिछले साल 129.93 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जबकि इस वर्ष केवल 87.73 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से भली-भांति परिचित है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में शिक्षा प्रदान करनी है तो इसके लिए खेलों और शारीरिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, हमारा विश्वास है कि आम स्कूलों में जहां हमारे अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए योजना बनाने वालों ने नवोदय विद्यालयों को खोल दिया है और 69 करोड़ रुपये नवोदय विद्यालयों के लिए आवंटित किए गए हैं। इन नवोदय विद्यालयों में अमीर लोगों के बच्चे ही जाएंगे क्योंकि प्रत्येक बड़े सरकारी अधिकारी और अमीर आदमी का ही गांव का पता भी होता है, इसलिए, हालांकि आप कहते हैं कि नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा परन्तु वास्तव में धनी लोगों के बच्चों को ही इसमें प्रवेश मिलेगा। इन विद्यालयों को इसलिए स्थापित किया जा रहा है क्योंकि हमारे शासक वर्ग को टैक्नोक्रैट, ब्यूरोक्रैट सरकारी अधिकारियों और कम्प्यूटर जानने वालों की आवश्यकता है। इसीलिए वे आम स्कूल व्यवस्था को नकार रहे हैं। आम स्कूलों के करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद होने दें तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अमीरों के बच्चों को सबसे बढ़िया शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, न केवल इतना बल्कि इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी होगा तथा बेचारी मातृभाषा तीसरे नम्बर पर आएगी। एक स्वतन्त्र लोकतंत्र में मातृ भाषा को कितना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है।

इसके बाद हम पाते हैं कि कार्यवाही योजना में यह कहा गया था कि दस प्रतिशत छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी, उस अनुमान के अनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के लिए कम से कम 1200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी, परन्तु इस वर्ष, शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए केवल 49.80 करोड रुपए ही नियत किये गये हैं।

उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में, सरकार समेकन और उत्कृष्टता के नाम पर उच्चतर शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, इसलिए वह कालेजों को अधिक स्वायत्तता दिये जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। महोदय, इनके लिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम परेशानी का कारण है

[डा० सुधीर राय]

क्योंकि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों का पालन करना पड़ता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर इसके लोकतंत्र सम्बन्धी लगाव के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि विश्वविद्यालय नाम की संस्था को जहां तक संभव हो छोटा होना चाहिए और इसमें अच्छा हो कि अनुभवहीन नामित और पदेन सदस्य हों, वे इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि अध्यापकों छात्रों और अन्य कर्मचारियों के चुने हुए सदस्य विश्वविद्यालयों के निकायों में अपना बहुमत बनाएं।

महोदय, वे अगले तीन वर्षों के अन्दर पूरे भारतभर में 500 स्वायत्त कालेज प्रारम्भ करने के इच्छुक हैं। ये स्वायत्त कालेज आखिर क्या हैं ? यह कहा गया है कि वे अपनी पाठ्यचर्या स्वयं तैयार करें, वे अपने कार्यों की विषय वस्तु स्वयं तैयार करें, वे परीक्षाएं भी स्वयं आयोजित करें तथा छात्रों को डिग्रियां प्रदान करें। यदि कुछ सर्वदेशीय कालेज स्वायत्त बन जायेंगे तो विश्वविद्यालय की डिग्रियों का महत्व घट जायेगा और ग्रामीण कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों तथा नगरों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ निश्चित रूप से भेदभाव बरता जायेगा। केवल इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि ये स्वायत्त कालेज अपने लिए धन की व्यवस्था भी कर लेंगे। तब क्या होगा ? शिक्षा में धोखाधड़ी करने वाले तथा राजनीति से बहिष्कृत लोग सदा नये कालेज खोलने की ओर प्रवृत रहेंगे। महोदय, मैं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक संघ का एक उपाध्यक्ष हूं। हमें आशंका है कि ये स्वायत्त कालेज अध्यापकों को किराये पर लेंगे तथा उन्हें भडकायेंगे। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होगी। शिक्षा में धोखाधड़ी करने वाले लोग नये स्वायत्त कालेज खोलने का प्रयास करेंगे। महोदय यही कारण है कि हम चाहते हैं जैसा डा० कोठारी ने तर्क दिया था शिक्षा राज्य सूची में ही रखी जानी चाहिए।

हमारी यह भी मांग है कि केन्द्रीय सरकार को अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के०एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि नई शिक्षा नीति एक ठोस नीति है; जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं बनी थी। इन हालात में इतना पिछड़ा हुआ राष्ट्र होते हुए उसके बहुमुखी विकास को सामने रखकर ऐसी नीति किसी देश ने नहीं बनाई है। माननीय श्री राजीव गांधी जी ने इस नीति को बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। उन पर निश्चित ही इस देश के लोगों को न केवल विश्वास है, बल्कि गर्व महसूस करते हैं। हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों को कुछ तो अपनी बात कहनी है, लेकिन मैं राव साहब से कहूंगा कि इस नीति में हमारे देश में बहुत सी कहावत हैं और वे उन कहावतों का संकलन कर दें। और किसी व्यक्ति की अगर वह दे दो, तो वह बहुत अकलमन्द हो सकता है और उसमें कम-अकलमन्दी की जो बात है, वह खत्म हो सकती है। हमारे देहात में एक कहावत है :

भैंस के आगे बीन बजाए,
भैंस खड़ी खड़ी पगराय ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो नीति है वह बहुमुखी विकास की है और उससे हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को आधार मिलेगा । नवोदय विद्यालय के बारे में बात कही जाती है । मैं आप से कहता हूं कि ऐसी अनूठी योजना किसी मामूली आदमी के दिमाग में नहीं आ सकती थी । हमारे देश के जो हालात थे और हमारी जो मानसिकता थी, उसके बारे में इस देश के लोगों के अन्दर एक जबरदस्त भावना यह थी कि आजादी के बाद से हमारे देश में हमारी इस नौकरशाही ने दो तरह की नागरिकता पैदा की थीं । एक वह, जो प्रिविलेज्ड क्लास है । उन्होंने शासकीय शिक्षा नीति की पद्धति से उसको इतना ऊंचा कर दिया कि सामान्य नागरिकों के बच्चे कभी भी ऊंचे नहीं उठ सकते थे किसी भी दिशा में और केवल बड़े बड़े आफिसर बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े राजनीतिज्ञ के बच्चे इस देश में एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे व्यापारी, अच्छे डाक्टर और इंजीनियर हो सकते थे । इन नवोदय विद्यालयों से कम से कम समय के अन्दर इस देश के अन्दर जो प्रतिभाएं हो सकती हैं, उनको मौका दिया है । इस बात को इसके रखने वाले ही समझ सकते हैं और हर एक की समझ में यह बात नहीं आएगी । मैं राव साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना देश के सामने रखी है और आम नागरिकों में जो जलन कई वर्षों से चली आ रही थी, उसको खत्म कर दिया ।

मैं आपका ध्यान 1986 की शिक्षा नीति के पृष्ठ 2 पर 1.8 पैराग्राफ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिस में यह कहा गया है :

> "यद्यपि ये उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किन्तु यह भी सच है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बनी, न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए, और न ही वित्तीय एवं संगठन सम्बन्धी व्यवस्थाएं हो सकीं । नतीजा यह है कि विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाने, उसका स्तर सुधारने और विस्तार करने और आर्थिक साधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए, और आज इन कमियों ने एक बड़े अम्बार का रूप धारण कर लिया है । इन समस्याओं का हल निकालना वक्त की पहली जरूरत है ।"

यह निचोड़ है । आज यह संजोग की बात है कि 1968 में वह नीति बनी थी और 1986 में यह नीति बनी और 6 और 8 का अन्तर हुआ है लेकिन विषय के अन्दर और आज के परिपेक्ष्य में बहुत बड़ा अन्तर हुआ है । आप ने निश्चित रूप से पक्की योजना बनाई है और आप ने दायित्व निर्धारित किये हैं लेकिन वित्तीय साधनों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी जो व्यवस्था है, वह आज भी मशकूक लगती है । मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन मध्यप्रदेश की जो स्थिति है, आपने जो नीति बनाई है, आपने जो कार्यवाही योजना बनाई है, उसको सामने रखना चाहता हूं । 3 और वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हमारे मध्य प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शालाएं जो हैं वे 650 हैं । इन में सिर्फ एक लाख बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और आज हमारे प्रदेश में तकरीबन 60 लाख बच्चे 3 और 6 वर्ष की आयु के हैं । आप ने चाहा है कि 70 प्रतिशत तक बच्चे स्कूल में पहुंचें । इसका मतलब यह हुआ कि 45 लाख बच्चे हमारी सातवीं

[श्री के० एन० प्रधान]

पंचवर्षीय योजना में इन पूर्व माध्यमिक शालाओं के अन्दर जाएं, जिनके लिए 80 प्रतिशत खर्च आप देंगे और 20 प्रतिशत राज्य देगा। 80 प्रतिशत आप तो दे देंगे लेकिन इन पूर्व माध्यमिक शालाओं में बच्चों को भेजने में जो खर्च होगा, उसको राज्य सरकार नहीं उठा सकती।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, हमारे प्रदेश में 1 लाख 60 हजार बस्तियां हैं जिनमें 62 हजार 500 से ज्यादा वे बस्तियां हैं जिनकी आबादी 300 से कम हैं। तीन सौ से ज्यादा जो बस्तियां हैं उनमें 25 प्रतिशत बस्तियां ऐसी हैं जिनके बच्चों को एक किलोमीटर के घेरे के अन्दर प्राथमिक-शालाएं उपलब्ध नहीं हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा वे बस्तियां हैं जिनके लिए तीन किलोमीटर के घेरे में उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार आपकी नीति है कि 6 से 11 वर्ष के सब बच्चों को आप स्कूलों में पहुंचाएं। लोकव्यापीकरण की आपकी योजना है। लेकिन मैं वर्तमान परिस्थितियों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप नये बच्चों को छोड़ दीजिए, नयी शालाओं को छोड़ दीजिए। लेकिन जो बच्चे आजकल पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों की शालाओं के लिए यदि आप कमरे देना चाहते हैं, भवन देना चाहते हैं तो श्रीमन् कम से कम एक लाख कमरों की जरूरत अकेले मध्य प्रदेश में पड़ेगी जिन पर 300–400 करोड़ रुपया खर्च होगा।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड बड़ी अच्छी योजना है। बड़ा प्रभाव डालने वाली है, उससे बहुत लाभ मिलने वाला है। उसमें 16 वस्तुएं आपने रखी हैं कि ये दी जानी चाहिए। आपने 1986-87 में 10 प्रतिशत विकास खंडों में, 1987-88 में 20 प्रतिशत, 1988-89 में 30 प्रतिशत और 1989-90 में 40 प्रतिशत विकास खंडों में इस योजना को लागू करने का प्लान बनाया है। आपने कहा है कि 1990 तक इस आप्रेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को सभी विकास खंडों में लागू करना चाहते हैं। लेकिन 1986-87 वर्ष में क्या हुआ? वह गुजर चुका है। क्या आप इसे लक्ष्य के अनुसार लागू कर सके हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकेले मध्य प्रदेश में इसको लागू करने में 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार से शिक्षकों की संख्या भी बहुत अधिक है। आप ने दस जमा दो प्रणाली में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय बनाया है। अभी तक वे वैकल्पिक विषय थे। जब आपने इनको अनिवार्य किया है तो इनके लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी; उनके प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इस पर अकेले मध्य प्रदेश में 40 करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्रीमन् इसी तरह से आपने व्यावसायी शिक्षा को रखा है, इस पर वर्ष 87-88 में 25 करोड़ रुपए लगेंगे तब जाकर यह होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने में जो सब से प्रमुख बात है वह है साधन जुटाने की। हमारे यहां साधनों की कमी है। हमारा जो 1964 से 66 का शिक्षा आयोग था उसने यह सुझाव दिया था कि हमारे पास जो कुल साधन हैं उनका 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। आपने इसके लिये वृद्धि कर के; इसे 3 प्रतिशत तक ला पाए हैं। मेरा निवेदन है कि आप राज्य सरकारों को यह निर्देश दें कि वे अपने वित्तीय साधनों का 6 प्रतिशत साधन शिक्षा पर खर्च करें। वे 6 प्रतिशत साधन आऊटराईट शिक्षा के लिए कर दें। अन्यथा यह होगा कि हमारे राव साहब जब तक एफर्ट्स कर लेंगे लेकिन

अगर राज्यों में राव साहब के स्तर का शिक्षा मंत्री होगा —मैं किसी पर रिफ्लेक्शन डालना नहीं चाहता तो वह भी एफर्ट्स करेगा वरना यह काम होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि बिजली; पानी, सड़कें और दूसरी चीजों के लिए शिक्षा के बजट में कटौती होती जाती है। हम बेशक जोश में कुछ साल निकाल दें लेकिन आगे जा कर बाधा ही उत्पन्न होगी।

इसी प्रकार से हमें इस देश में जन सहयोग लेने की योजना बनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे यहां बहुत से दानदाता हैं। उनकी हम ठीक से चेनेलाईज नहीं करते। अगर कोई दानदाता बिल्डिंग बनाकर देता है; अगर वह किसी के नाम पर बना कर देता है तो बना कर हमें दे दें।

सभापति महोदय, मैं दो तीन सुझाव दे कर खत्म करना चाहता हूं। स्वैच्छिक संस्थाओं का हमारे देश में बहुत महत्व है। लेकिन पिछले इतिहास को देख लीजिए। चाहे एडल्ट एजूकेशन हो; अनौपचारिक एजूकेशन हो, लेकिन उसकी जो असलियत है, वास्तविकता है, उसको हम जरूर देख लें कि वह सही मायनों में है या नहीं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्यूशन को किसी तरह से समाप्त कीजिए। जिस तरह से प्राइवेट प्रेक्टिस ने डाक्टरों को बरबाद कर दिया है, इसी तरह से ट्यूशन ने अध्यापकों को बरबाद कर दिया है। इसी तरह से लोकव्यापीकरण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने व्यावसायिक शिक्षा प्लस टो में करने की बात की है, श्रीमन जो आपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में लाने की बात की है; लेकिन इस देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, वे अपने बच्चों को काम में लगाना चाहते हैं, उनकी आमदनी के साधन में योगदान होता है; चाहे खेत में हो, ढोर चरवाएं या कोई भी काम करवाएं; तो मेहरबानी करके प्राथमिक शिक्षा से इस चीज को शुरू कीजिए और काम करो और पढ़ो की योजना लागू कीजिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में टाट-पट्टी और चाक स्कूल में तैयार करवाते हैं इसी तरह से पालियामेंट में जिन लिफाफों का इस्तेमाल होता है वे भी उनसे बनवाए जा सकते हैं, इससे उनकी कुछ आमदनी भी हो सकती है और वे दोनों काम कर सकते हैं।

एक बात और कालेज के शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूं, जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, शिक्षक में आत्म-विश्वास नहीं होगा, वह देश ऊंचा नहीं उठ सकता। आज शिक्षकों की बुरी स्थिति है। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए आयोग बन जाता है; राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए भी आयोग बन जाता है और उनके वेतनमान लागू हो जाते हैं, लेकिन शिक्षकों को जो शिक्षा अनुदान आयोग वेतनमान देता है, वे तब तक लागू नहीं होते जब तक राज्य सरकारें आधा पैसा नहीं देतीं, इसको हल करना बहुत आवश्यक है। जैसे ही वेतनमान मंजूर हो; इनको मिलने चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं; मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत अच्छा नाम है, यह देश के विकास के लिए सबसे बड़ा साधन है; लेकिन इसमें से भौतिकवादिता की जबरदस्त बू आती है कि हम मानव का साधनों के रूप में विकास करना चाहते हैं, इसमें मानव का विकास सेकण्ड्री चीज हो जाती है, इसको अगर चेंज कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[-'आपरेशन ब्लैकबोर्ड" की योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता] (1)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[महाविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करने की आवश्यकता] (2)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[राष्ट्रीय कोर पाठ्चर्या के क्रियान्वयन की आवश्यकता] (3)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा को परस्पर जोड़ने की आवश्यकता] (4)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[नवोदय विद्यालयों में प्रादेशिक भाषाएं पढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (5)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।
[सभी महाविद्यालयों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता] (6)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।
[सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के मध्याह्न भोजन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (7)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[संस्कृत सीखने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता] (8)

कि 'शिक्षा विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।
[ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (9)

[अनुवाद]

***डा० फूलरेणु गुहा** (कन्टई) : समापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता राष्ट्र की मूल प्रगति शिक्षा पर निर्भर करती है। प्रौढ़ शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की बुनियादी

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बहुत महत्वपूर्ण है। धनराशि आवंटित कर दी गई है और शिक्षा केन्द्र भी खोल दिये गए हैं लेकिन मुख्यतः यह देखना तथा इस पर निगरानी रखना बहुत आवश्यक है कि ये केन्द्र उपयुक्त रूप से चल रहे हैं या नहीं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने यह पाया कि ये सभी केन्द्र उचित ढंग से नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है इन केन्द्रों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। महोदय कुछ धनराशि महिला शिक्षा के लिए आवंटित की गई है और इस क्षेत्र में कुछ कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। मेरा विशेषतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बात पर निगरानी रखें कि इस धनराशि का उपयोग समुचित ढंग से किया जाय तथा विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन उपयुक्त रूप से किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लड़कियां नियमित रूप से शिक्षा केन्द्रों में जाती हैं तथा समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। अन्यथा यह सब निरर्थक हो जायेगा। केवल धनराशि ही व्यय की जायेगी तथा लड़कियां और महिलाएं कोई प्रगति नहीं कर पायेंगी।

महोदय, नवोदय स्कूलों की काफी आलोचना की गई है। यहां अपने अनुभव की एक घटना को बताने के लिए मैं एक मिनट का समय लूंगी। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। उस समय हमने कई निराश्रित बच्चों के लिए 'आश्रय' खोले थे। हमारे पास गलियों से कई ऐसे बच्चे आये। यह मेरा अनुभव है कि उनमें से आज कई बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं।

मैं आपको एक और घटना बताती हूं कि उस समय एक लड़का जो गली में पड़ा था उठा लिया गया और वह कुछ दिन मेरे घर पर रहा। उस समय उस लड़के की उम्र 7 या 8 वर्ष की थी कुछ साल बाद हमने उसी लड़के को पुनः देखा उस समय उसकी उम्र 11 या 12 वर्ष की थी। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लड़का काफी प्रतिभावान था। वह गा सकता है, वह नाच सकता है और वह पेंटिंग बना सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हम उसकी पेन्टिंगों को नन्दलाल बोस के पास ले गये तो उन्होंने आश्चर्य से कहा कि आप यह पेन्टिंग कहां से लाये। मैं इस बच्चे को गोद लूंगा। उन्होंने उस लड़के को प्रशिक्षण दिया और पढ़ाया। बाद में स्वतन्त्र भारत में उस लड़के को एक कालिज में नौकरी मिली। इस तरीके से कई लड़के लड़कियां हमारे पास आये। इन 'नवोदय स्कूलों' में छात्रों को बिना किसी भेदभाव के केवल उनकी बौद्धिक क्षमता तथा उनमें अन्तर्निहित प्रतिभा के आधार पर भर्ती करना चाहिए। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने यह संकेत दिया कि इन स्कूलों में अन्ततः केवल सम्पन्न तथा प्रभावशाली अभिभावकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जायेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नवोदय स्कूलों में प्रवेश के लिए मानदण्ड प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता ही होने चाहिए। केवल तभी गरीब बच्चों की प्रतिभा जो आज बेकार जा रही है, विकसित हो पायेगी और देश को उससे लाभ होगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक राज्य में शिक्षा की केवल एक समान पद्धति होनी चाहिए। मुझे खेद है कि मेरे अपने ही राज्य में प्राथमिक स्तर पर दो अलग-अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक शिक्षा पद्धति अंग्रेजी युक्त है और दूसरी अंग्रेजी रहित है। इससे दो प्रकार के नागरिक पैदा होंगे। अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे समृद्ध अभिभावकों के हैं। उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश मिल जायेगा क्योंकि वे शिक्षा पर अधिक व्यय वहन कर सकते हैं। वे जीवन में बढ़ते जायेंगे, वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार उच्च पद आदि हथिया लेंगे। दूसरी प्रकार की शिक्षा से निकले गरीब बच्चे अपेक्षित रहेंगे और वे कहीं भी अपना आधार नहीं पायेंगे।

[डा० फूलरेणु गुहा]

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विधान पारित किए गए हैं। इन सामाजिक विधानों का परम महत्व है तथा इन्हें हमारे समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में लागू किया जाना चाहिए। किन्तु एक कार्यकर्त्ता के रूप में मैंने देखा है कि इन सामाजिक कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है अथवा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मसले को एक जन आन्दोलन के रूप में लिया जाना चाहिए। इस आन्दोलन को नगरों और शहरों से जिला, उप-मण्डलों में तथा तत्पश्चात गांवों में फैलाना चाहिए। जब तक हम इसे एक जन आन्दोलन के रूप में नहीं लेंगे; तब तक सामाजिक कानूनों से विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकेगा।

महोदय, हमारे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की थोड़ी व्यवस्था है। कुछ और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सम्भवतः व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो छात्र किसी विशेष व्यवसाय के योग्य हैं अथवा प्रतिभा रखते हैं, उन्हें केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें केवल नाम के लिए ही प्रवेश दिया जाता है; तो भविष्य में वे उन व्यवसायों में रुचि नहीं लेंगे और उनका सारा प्रशिक्षण एवं उन पर किया गया व्यय बेकार चला जायेगा।

महोदय, प्राथमिक वैज्ञानिक शिक्षा अभी तक हमारे आम लोगों तक नहीं पहुंची है। हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में मानव-शक्ति की आयोजना वैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। मैं स्पष्ट रूप से माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। हमारे देश की महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत-कुछ किया जाना बाकी है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्यक्रम है। किन्तु, हमें उसमें और सुधार करने के लिए कोशिश करनी होगी तथा यह देखना होगा कि यह ठीक ढंग से कार्य करे। महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों को और सुधारना तथा सुदृढ़ करना होगा। जब तक महिलाओं के लिए अधिक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक वे अपने पैरों पर कभी-भी खड़ी नहीं हो पायेंगी। जब तक हमारे देश की महिलाओं की प्रगति एवं उन्नति नहीं होगी, तब तक हमारे देश की कोई प्रगति नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं तथा अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री मौरिस कुजूर (सुन्दरगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बजट मांग का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए, मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में विस्तार पूर्वक नहीं कहना चाहता अथवा इस मामले में, विषय के ब्यौरे नहीं देना चाहता। आरंभ में, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विगत की तुलना में इस समय शिक्षा के लिए बजट में अधिक धनराशि की व्यवस्था की है। निस्संदेह, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं तथा नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने की गुंजाइश है, किन्तु, अभी भी वहां कुछ खामियां हैं, तथा मैं उन मुद्दों अथवा उन क्षेत्रों के बारे में बोलूंगा जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार, देश में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को अपनी क्षमता का पूरा विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ये विद्यालय ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाने चाहिए ताकि वे खतरनाक सामाजिक अलगाव को समाप्त करने में मदद कर सके जो इस समय अमीरों के स्कूलों और गरीबों के स्कूलों के बीच विद्यमान है।

निर्धन माता-पिता बड़ी उम्मीदों और बड़ी आकांक्षाओं के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। किन्तु अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् ये बच्चे कोई भी रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। शिक्षा की एक निश्चित अवस्था पूरी कर लेने के पश्चात् न तो वे अपने पैतृक व्यवसाय को अपना पाते हैं और न ही खेतों में काम कर पाते हैं। इस प्रकार, वे अपने वृद्ध माता-पिता पर वित्तीय भार बन जाते हैं।

इसलिए, स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि शिक्षा केवल डिग्री उन्मुख नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोजगार उन्मुख भी होनी चाहिए ताकि शिक्षा की समाप्ति के पश्चात् हमारे लड़के लड़कियां स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकें। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जायेगा।

मैं बड़ी चिंता के साथ, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं : ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अनेक लड़के और लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने वालों में आदिवासी लड़कों और लड़कियों की संख्या अधिक है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांशतः छात्र सातवीं कक्षा के पश्चात् पढ़ना छोड़ देते हैं। इसके विभिन्न कारण हैं, किन्तु, इसका मुख्य कारण परिवार अथवा माता-पिता की वित्तीय स्थिति है। माता-पिता या तो बच्चों को ऊंची शिक्षा के लिए भेजने में असमर्थ होते हैं अथवा वे उन बच्चों को ऐसे कुछ काम में लगा देते हैं जिससे परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए आय हो सके। इस प्रकार बच्चों द्वारा बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए तथा इसके लिए मैट्रिक-पूर्व बजीफों में वृद्धि की जानी चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अधिक आवासीय स्कूल खोले जाने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को मध्याह्न भोजन, पुस्तकें एवं वर्दियां मुफ्त दी जानी चाहिए ताकि ये छात्र स्कूल जाने में समर्थ हो सकें, और कम-से-कम उनका स्कूल जाने मात्र की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ : उड़ीसा में, केवल एक कृषि विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में है।

पश्चिमी उड़ीसा में जहां लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, वहां राउरकेला अथवा सम्बलपुर, में एक और कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। आदिवासी लड़के और लड़कियां पिछड़े तथा ग्रामीण परिवेश से आते हैं तथा उन परिवारों में अधिकांश माता-पिता विशेष रूप से आदिवासी परिवारों में

[श्री मौरिज कुजूर]

अशिक्षित होते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि अथवा परिवेश अत्यन्त पिछड़ा है और यही कारण है कि शिक्षा की एक निश्चित अवस्था पूरी करने के पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्रों अथवा गाँवों से आने वाले आदिवासी लड़के एवं लड़कियाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफल होने में समर्थ नहीं होते हैं। निस्संदेह, सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये गए हैं तथा जहाँ-तहाँ कोचिंग सेन्टर खोले गए हैं। किन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें तथा कुछ और कोचिंग संस्थान खोलें। तथा वे कोचिंग संस्थान आवासीय होने चाहिए जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं अन्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने का अवसर मिल सके। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि राउरकेला, सुन्दरगढ़ और सम्बलपुर में इस प्रकार के कुछ कोचिंग सेन्टर खोले जायें। इससे आदिवासी छात्रों को अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान प्रौढ़ शिक्षा की कुछ खामियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने कुछ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देखा हैं एवं उनका दौरा किया है। मैंने पाया है कि वे बहुत पहले खोल दिए जाते हैं किन्तु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री बहुत विलम्ब से मिलती हैं अर्थात् तीन-चार महीने बाद इसलिए इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा के प्रभारी निरीक्षकों को बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अतः कृपया उनके परिश्रमिक में वृद्धि की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्ध अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। मानव संसाधन, सम्भवतः विकास के अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्धारक हैं फिर भी उनके विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। मानव संसाधनों के गुणात्मक पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें खुशी है कि बजट प्रावधान 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें 127 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे शिक्षा के महत्व और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर उचित ही जोर दिया गया है। छठी योजना में कुल धनराशि की आधी राशि स्वीकार किए जाने से इस बात का निश्चित रूप से पता लगता है कि इसमें सद्भाव दिखाया गया है और इसे प्राथमिकता दी गई है। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार की मंशा समन्वित प्रशासनिक कार्यवाही के अनुकूल होनी चाहिए।

4.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यह मैं इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि 'माध्यमिक शिक्षा' मद के अन्तर्गत केन्द्रीय और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए चालू वर्ष में 59 करोड़ रुपए नियत किए हैं किन्तु

संशोधित अनुमानों के अनुसार स्पष्टत: केवल 42 करोड़ रुपए का उपयोग किए जाने की संभावना है। इस कार्य निष्पादन को देखते हुए, इसमें कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए कि वर्ष 1987-88 में इसी प्रयोजन के लिए नियत किए गए 258 करोड़ रुपए का सार्थक उपयोग नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि वित्तीय प्रावधानों का नियतन प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

महोदय, हमें वर्ष 1995 तक प्राथमिक शिक्षा का सर्वत्र प्रसार करना है। यह सर्वविदित है कि 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही-कार्यक्रम में संभवत: यह आशा की गई थी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का पहला कार्य अपेक्षित भवनों का निर्माण करना होगा। इसमें भी कोई आशंका नहीं की जानी चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस शीर्ष के अन्तर्गत नियत की गई 600 करोड़ रुपए की धनराशि का सार्थक उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि क्या प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण की भारी मांग पूरी की जाएगी अथवा नहीं क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अपनी ही प्राथमिकताएं हैं।

हालांकि प्राथमिक स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या वर्ष 1950-51 में 42 प्रतिशत थी जो वर्ष 1983-84 में बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई, फिर भी, जहां तक स्कूल-सुविधाएं उपलब्ध कराने का संबंध है, राज्यों में और राज्य के भीतर जिलों के बीच व्यापक असमानताएं हैं, स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है और बीच में ही स्कूल छोड़ देने की गम्भीर प्रवृत्ति है।

प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ कराने की आवश्यकता पर जोर देने सम्बन्ध में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए दो स्तरों पर ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। पहले, शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में, जहां कुल मिलाकर 75 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, वर्ष 1990 से पहले स्कूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक संकट योजना (क्राइसिस प्लान) तैयार करनी ही चाहिए ताकि 6-12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के दाखिले का राष्ट्रीय औसत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। दूसरे, इस आयु समूह के इन सत्तर लाख अतिरिक्त बच्चों के लिए मूल-भूत सुविधाओं की स्पष्ट कमी और इसके फलस्वरूप उपेक्षित वर्ग को उपलब्ध प्राथमिक शिक्षा की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में भी मैं यह कहूँगा कि आंकड़ों पर आधारित योजना तैयार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक शैक्षिक योजनाओं के आंकड़ों में सुधार नहीं होता, तब तक सुधारात्मक प्रयास के क्षेत्र का निर्धारण करना संभव नहीं होगा, जो आवश्यक है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें बच्चे को उपयोगी वातावरण उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्राइमरी, स्कूल-भवनों की जीर्ण शीर्ण स्थिति में सुधार किया जाए। इसके लिए, स्कूल भवन को सामाजिक कार्य-कलापों का केन्द्र बनाना चाहिए। पाठ्यचर्या में प्रमुख प्रसंग और सामाजिक कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और ये समाज की आवश्यकताओं से सम्बन्धित होने चाहिए। इसका सामुदायिक शिक्षा केन्द्र के रूप में विकास किया जाना चाहिए जिनमें औपचारिक और अनौपचारिक योजनाओं के अन्तर्गत स्कूल जाने की आयु से कम आयु के बच्चों और 6-11 वर्ष तथा 11-14 वर्ष आयु समूहों के बच्चों और इसके साथ ही 15-35 वर्ष के आयु समूह के अशिक्षित प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

अब मैं स्कूल छोड़ने की समस्या पर आती हूं जो कि अधिकतर लड़कियों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में और अधिक आवासीय स्कूल खोलने पड़ेंगे। आदिवासी लोगों से बातचीत की सुविधा के लिए, इन क्षेत्रों के लिए भर्ती किए गए शिक्षकों को आदिवासी बोलियों से अवगत कराया जाना चाहिए और आदिवासी लोकाचार से अवगत कराने के लिए उन के लिए एक प्रबोधन पाठ्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए। जो शिक्षक अच्छा कार्य करते हैं उन्हें आवास-सुविधाएं और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। इसका कारण आर्थिक पिछड़ापन है क्योंकि बच्चों से प्रायः यह आशा की जाती है कि वे परिवार की आय के साधनों में सहयोग दें अथवा घर के कामकाज में हाथ बटाएं ताकि ऐसे आर्थिक कार्य-कलापों में माताएं भाग ले सकें।

इसके अतिरिक्त लड़कियों का समाज में नीचा दर्जा माने जाने और ये घर का कामकाज करने अथवा छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस मामले में स्कूल के खुलने और छुट्टी के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे अपना अन्य कार्य करने के पश्चात स्कूल जा सकें और उनके स्कूल जाने से उनके अन्य अपरिहार्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्हें आवश्यकतानुसार निशुल्क पाठ्यपुस्तकों, यूनीफार्म की सप्लाई और भोजन की व्यवस्था के रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त, लड़कियों को उनके छोटे भाई-बहनों की देखभाल में सहयोग देने के लिए आंगनवाड़ियों को स्कूलों के साथ सम्बद्ध करना भी बहुत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में, प्रारम्भिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए। अन्यथा और अधिक आंगनवाड़ियां खोली जानी चाहिए और उन्हें स्कूलों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

अनौपचारिक शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर इस बजट में भी जोर दिया गया है। लेकिन समाज में हमारी पहले ही यह धारणा बन गई है कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का ही विकल्प है। यह धारणा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के आदर्श में औपचारिक और अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई गई विभिन्न पर्यवेक्षण प्रणालियों में एकरूपता लाने की आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार के एकीकरण से ब्लाक स्तर पर पर्यवेक्षण तन्त्र सुदृढ़ होगा। पर्यवेक्षी आर्थिक मार्गदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से स्कूल कम्पलैक्स प्रणाली को फिर से लागू किया जाना चाहिये। अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षकों को परिवर्तन के प्रभावशाली माध्यम और विस्तार अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

मैं प्रौढ़ शिक्षा के विषय में भी कहूंगा। हमें यह जानकर खुशी है कि प्रौढ़ों की कार्यात्मक साक्षरता को महत्व प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्र सेवा योजना के दो लाख विद्यार्थियों को आमन्त्रित करने के लिये शुरूआत कर दी गई है। ऐसा होना चाहिये। किन्तु श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिये जो अच्छा काम करते है। यह परीक्षा में अन्तिम ग्रेडों के रूप में ही दिया जाना चाहिये और स्वैच्छिक एजेंसियों को भी स्थायी भवन के निर्माण के लिये अनुदान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा प्रशिक्षकों को भी प्राथमिक स्कूलों में भरती करके अथवा पर्यवेक्षक कर्मचारियों के रूप में प्रदोन्नत करके प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

पाठ्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। विशिष्ट क्षेत्र और व्यवसाय विशिष्ट के लिए मानदण्ड विकसित करने की आवश्यकता है। महिलाओं में निरक्षरता को समाप्त करने के लिये साक्षरता और सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम को जोड़ा जाना चाहिये और विकास कार्यक्रमों में निम्नतम स्तर पर नेतृत्व के विकास को प्रमुखता दी जानी चाहिये। विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों को प्रौढ़ शिक्षा दिये जाने वाले अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि इस कार्य में रुकावट न आये।

नवोदय विद्यालय एक विशेषता है। हमें मानव संसाधन के रूप में सर्वोत्तम संसाधन जुटाने हैं। हमें ऐसे सर्वोत्तम और सर्वाधिक मेधावी विद्यार्थियों का चयन करना है जिनके बारे में हम यह महसूस करते हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार नवोदय विद्यालय केवल शहरी बच्चों को ही नहीं, बल्कि ग्रामीण बच्चों को भी, केवल धनी बच्चों को ही नहीं, निर्धन बच्चों को भी यह अवसर प्रदान करेंगे। इनका ध्येय समानता के आधार पर गुणवत्ता की तलाश करना है। शिक्षा बजट की 90 प्रतिशत धनराशि मुख्यतः वेतन और अन्य स्थापना सम्बन्धी प्रभारों पर व्यय हो जाती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुये क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावनायें सीमित हैं। इसलिये उन्हें नई शिक्षा नीति बनाये जाने के कारण अतिरिक्त साधन जुटाने में अत्यधिक कठिनाइयां हो रही हैं। उन्हें जब तक पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी और केन्द्र द्वारा महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं दिये जायेंगे, अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों और अल्पविकसित राज्यों में यह अन्तर बढ़ता ही जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं और वे कल्पनाशील और दूरदृष्टा हैं। किन्तु मेरी उनके प्रति सहानुभूति भी है क्योंकि उन्हें बहुत जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया है। उन्हें ऐसा कार्य क्षेत्र मिला है जो असमानताओं और क्षेत्राधिकार की अतिव्याप्ति, असंगति और विरोधों से पूर्ण है। इन्हे उन्होंने पैदा नहीं किया है, किन्तु स्वतंत्रता के बाद जो लगभग विवेकहीन प्रयोग किये गये हैं, उनके कारण उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुतः व्यवस्थाहीन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है वे शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति लेकर हमारे पास आये हैं और पिछले एक वर्ष में संभवतः यह उनके मंत्रालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने रिपोर्ट में हमें किसी घोषणापत्र से कम महत्वपूर्ण नहीं बताया है। सभापति महोदय मुझे यह आशंका है। कि अभी भी यह एक घोषणापत्र से अधिक कुछ नहीं है। अभी उनके पास कोई साधन ही नहीं हैं। मुझे मालूम है कि अधिक धनराशि आवण्टित न किये जाने के कारण उन्हें कठिनाई हो रही है किन्तु उससे भी उन्हें उतने साधन प्राप्त नहीं हो सकते जिससे वे अपने सपनों को, अथवा उन नीतियों के उद्देश्यों को मूर्त रूप दे सके, जिन्हें उन्होंने सरकार की ओर से निरूपित किया है। मेरे उनसे मतभेद हैं। शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण से, जिसमें सरकार के सर्वोत्कृष्ट पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित हो रहे हैं, शिक्षा के स्तर और उसके प्रसार में असमानताओं को ही बल मिलेगा। इससे मानदण्डों की असमानता दूर नहीं होगी, यह हम सभी को समानता और सम्मान वाले उस देश में नहीं ले जायेगी जिसका गांधीजी ने स्वप्न देखा था। सम्पूर्ण शिक्षा नीति गांधीजी की विचारधारा से हट रही है। जिसे आम जनता के साथ बांटा नहीं जा सकता, वह प्रत्येक के लिये निषिद्ध है। सभापति महोदय प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिये सबसे बड़ी

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

चुनौतियां हैं। आज हम कम्प्यूटर लगाने की सोच सकते हैं। किन्तु हमारे पास ब्लैकबोर्डों के लिये धन नहीं है ? सभी को शिक्षित करने का स्वप्न तेजी से धूमिल होता जा रहा है शीघ्र समाप्त प्रतिशतता की दृष्टि से पंजीकृत छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। किन्तु आप किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं और आप ने किस प्रकार की आधारभूत सुविधायें प्रदान की हैं ? सभा में इस स्थिति के दोनों पहलुओं के बारे में भली भांति बताया जा चुका है और इसलिये मेरे पास कहने के लिये कोई नई बात नहीं है। सच्चाई यह है कि पंजीकृत की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया से, जिस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षा अधूरी छोड़ जाते हैं, और ऐसे प्रोत्साहनों के न होने से जिससे गरीबों को ऊपर उठाया जा सके, यदि हम कहीं पंहुचेंगे भी तो वह ऐसी स्थिति होगी जिसे मैं वर्ग भेद की स्थिति कहता हूं। यहीं से अन्तर प्रारम्भ हो जाता है। यहीं से व्यवस्था में तरफदारी शुरू हो जाती है और मुझे नहीं लगता कि सरकार आगामी वर्ष में अथवा निकट भविष्य में इस अन्तर को कम करने वाली है।

सभापति महोदय, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये से आप क्या क्या प्राप्त करेंगे ? ऐसे देश हैं जिन्होंने इस कार्य को एक चुनौती के रूप में प्रारंभ किया और वे थोड़े ही समय में परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे। हम 40 साल गवां चुके हैं और मैं नहीं जानता कि हमारे देश में पैदा हुये, हमारे कितने और लाखों देशवासी निरक्षर रह जायेंगे। सभापति महोदय माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी विशिष्ट वर्ग के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने और शिक्षा के व्यवसायीकरण में प्रगति न होने का रोना रोते हैं।

जहां तक इन नवोदय स्कूलों का सम्बन्ध है, मुझे अभी इनके परिणाम देखने हैं। इनके बारे में मुझे सन्देह है। सभापति महोदय सभा में इस विषय में वाद-विवाद के समय मैंने अपना सन्देह प्रकट किया था। किन्तु नवोदय विद्यालय कुछ गिने चुने विशेष व्यक्ति तैयार करने के सिवाय और क्या करेंगे। हो सकता है वे विभिन्न श्रेणियों के हों, हो सकता हैं कि वे विशिष्ट वर्ग में नई पीढ़ी को प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हों, फिर भी इससे जनता के बहुत ही छोटे भाग को लाभ पहुंचेगा। और जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उनमें पूर्णतः अशान्तिपूर्ण स्थिति है। उनमें वितरण की असमानता है और उनके मानदण्डों में बहुत गिरावट आई है। इनका अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ है जिससे यह लगता है कि जैसे हमें अपनी मंजिल का ही पता नहीं है। हम लाखों बेरोजगार स्नातक तैयार कर रहे हैं, ऐसे बेरोजगार स्नातक जिन्हें यह नहीं मालूम कि वे किस तरह आगे बढ़ें। सभापति महोदय कभी कभार मैं यह सोचने के लिये बाध्य हो जाता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा की सारी योजना युवाशक्ति को शिथिल करने, युवाशक्ति को दुर्बल बनाने और उन्हें ऐसी व्यवस्था का सेवक मात्र बनाने के लिये एक राष्ट्रीय षड़यन्त्र है जिसमें यहां-वहां नौकरियां तलाशने के बाद, अन्ततः वे हतोत्साहित हो जाते हैं, वे उस स्तर तक नहीं पंहुच पाते जिसके लिये उनकी शिक्षा को उन्हें तैयार करना चाहिये। वे केवल रोजी रोटी जुटा पाते हैं।

सभापति महोदय, अब हम स्वायत्तशासी कालेजों के बारे में सुनते हैं। क्या हम शिक्षा की दो श्रेणियां, शिक्षा के दो मानदण्ड अपनाने जा रहे हैं ? स्पष्टतः स्वायत्तशासी कालेजों से रोजगार के बाजार में विश्वविद्यालय की शिक्षा का मूल्य घट जायेगा और नियोक्ता उन्हीं को लेंगे जो विख्यात कालेजों से पढ़े हुये होंगे। सभापति महोदय, मैं निस्सन्देह प्रौद्योगिकीय शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति की प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा के विषय के बारे में चन्द एक शब्द अवश्य कहूँगा। भारतीय शिक्षा की महान असफलता यह रही है कि उनमें एक भारतीय मस्तिष्क, एक राष्ट्रीय जागरूकता, एक मानवीय जागरूकता विकसित नहीं की गई है, एक ऐसी जागरूकता जिसमें एक दूसरे के मतभेदों को सहन कर सकें; जिसमें हम विविधाताओं को स्वीकार कर सकें। आइये हम अपनी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करें। मुझे मालूम है कि उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। लेकिन ऐसा व्यापक तौर पर और पहले से अधिक रुचि लेकर करना होगा। हम अपने अध्यापकों के वेतन की ओर देखें। उनकी सेवा की शर्तों; उनके रहन-सहन के स्तर और उनकी कार्य करने की शर्तों: की ओर देखें। क्या हम यह नहीं चाहते कि हमारी शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले व्यक्ति आएं ?

सभापति महोदय; मैं आपका ध्यान एक ऐसे प्रश्न की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो कि हम बहुत से लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार दिया गया है। उसको धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस स्थिति को देखें; इस संबंध में अल्पसंख्यक लोगों के दिमाग में जो बेचैनी है, उसे दूर करें।

शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर भी, मातृभाषा को दूसरा स्थान और कभी-कभी तीसरा स्थान दिया जा रहा है। मेरे विचार में यह सही नहीं है अथवा हमारी शिक्षा प्रणाली अथवा हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन अथवा हमारी संस्कृति की भावना के अनुरूप नहीं है। हमें अपनी मातृ-भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में चुनकर उसे गौरवपूर्ण स्थान देना चाहिये और उसे स्कूल स्तर पर प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूं कि त्रिभाषा फार्मूला सर्वश्रेष्ठ फार्मूला है; यदि इसको ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्यान्वित किया जाता है। मैं जानता हूं कि इससे गैर-हिन्दी राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए समस्या फिर भी रहेगी, लेकिन यह ऐसा मामला है जिनका सम्बन्ध केवल लोगों के बहुत छोटे वर्ग से है। जिसको अन्य तरीके से निबटाया जा सकता, है लेकिन मातृ-भाषा के प्रश्न पर यदि हम इस समय कुछ सही कदम नहीं उठाते तो, उसमें राष्ट्रीय समस्या पैदा होने का खतरा है।

सभापति महोदय, मैं कुछ मिनट और लूंगा। इस संस्कृति विभाग के बारे में, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने संस्कृति को तमाशा, अन्तर्राष्ट्रीय तमाशा और यहां तक कि अब इनको स्थानीय तमाशा बना दिया है। हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को अग्रसर कर रहे हैं ? आम आदमी के पास हम कहां तक संस्कृति ले जा रहे हैं ? हम संस्कृति को दरबारों में ला रहे हैं; हम सारे देश की संस्कृति को दिल्ली ला रहे हैं; हम दिल्ली में बड़े तमाशों और उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के सांस्कृतिक स्तर के दर्जे को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ?, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो संस्कृति को अग्रसर करते हैं; और हम देश के एक भाग से देश के दूसरे भाग में सांस्कृतिक धरोहर के अन्तरण के लिए क्या कर रहे हैं ? मैंने माननीय मंत्री से एक प्रस्ताव किया था : सभी भारतीय भाषाओं के गौरव ग्रन्थों का अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। लेकिन इसके लिए उन्होंने धन की कमी का कारण बताया है। मेरे ख्याल में जहां तक राष्ट्रीय एकता का संबंध है, अन्य उपायों द्वारा इससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

जहां तक कला विभाग का सम्बन्ध है, उसको एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया है : वह कार्य है भूतपूर्व दिवंगत प्रधान मंत्री के नाम पर एक केन्द्र की स्थापना करना। मुझे इसमें ईर्ष्या नहीं है। लेकिन उसे इसके अलावा कुछ और भी करना चाहिए। जहां तक बच्चों और महिलाओं का संबंध है, हमारे पास उनके लिए कोई स्पष्ट उद्देश्य, अथवा पर्याप्त संसाधन अथवा यहां तक कि कोई योजनाबद्ध कार्यकलाप नहीं हैं। हमारे पास कुछ कल्याण कार्यक्रम हैं। सभापति महोदय, कल्याण कोई विकास नहीं है।

खेल और युवाओं के क्षेत्र में, मैं चाहता हूं कि हमें सिओल में हुए अपने अनुभवों से कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए। हमें प्रतिभावान बच्चों का बहुत ही कम आयु में चयन करना चाहिए। गांवों में खेलकूद के मैदान होने चाहिए और मैं चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत के पास कम से कम एक ग्रामीण खेल कूद मैदान हो। मैं यह भी चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक युवा क्लब की स्थापना की जाए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम बनाना चाहिए जिससे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में समानता लाई जा सके, हमारी व्यवस्था में समानता की भावना पैदा की जा सके, जिसमें एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा हो, जिसमें एक जैसा स्तर हो; जिसमें हमारे सभी वर्गों, हमारे सभी धर्मों और हमारे सभी समुदायों के लोगों के लिए शैक्षिक योजनाओं में एक समान अवसर प्रदान किये जा सकें, क्योंकि सभापति महोदय, समानता के बिना गौरवपूर्ण शासन नहीं हो सकता और शिक्षा के बिना हम विकास नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, इसलिए, मैं कहूंगा कि हम वर्ग भावना पैदा करने वाली प्रणाली को समाप्त करके एकरूपता, समानता लाने और गौरव प्रदान करने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। किसी भी देश का विकास और प्रगति मानव संसाधन के विकास पर ही निर्भर करती है।

मानव विकास के बहुत सारे पहलू हैं लेकिन चूंकि वक्त मुकर्रर है, इसलिए मैं मुक्तसर में ही अपनी बात कहूंगी। मैं बाल विकास और महिला कल्याण कार्यक्रमों पर बोलना चाहती हूं।

हमारे देश की 40 फीसदी आबादी सिर्फ बच्चों की है। यह आबादी इतनी है जितनी कि अफ्रीका के सारे देशों के बच्चों की आबादी नहीं है। फिर भी विकासशील देशों के मुकाबले में हमारे देश के बच्चों की हालत बहुत खराब है। अधिकांश बच्चे रुग्ण हैं और बहुत ही निर्बल बच्चे पैदा होते हैं, बहुत कमजोर पैदा होते हैं। बच्चों की करीब बीस लाख संख्या प्रतिवर्ष डायरिया, डिप्थेरिया, टिटनेस, हूपिंग कफ आदि का शिकार बन जाती हैं। विटेमिन 'ए' की कमी से हजारों बच्चे अन्धे हो जाते हैं। इन सबसे रक्षा करने और विकास करने की जिम्मेवारी सरकार ने ली है जो कि काबिले

तारीफ बात है। नेशनल इन्टीग्रेटिड चाइल्ड डवलपमैंट के अन्तर्गत यह काम चल रहा है। दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भवती स्त्रियों के लिए पोषाहार और स्वास्थ्य की देखभाल व रोग निवारण के ऊपर ध्यान दिया गया है। तीन वर्ष के बच्चों के लिए तान-फारमल, प्रीप्राइमरी एजूकेशन की व्यवस्था की गयी है। 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषाहार, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की गयी है और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिये आंगनबाड़ी और बालबाड़ी चलाई जा रही है। बालबाड़ी और आंगनवाड़ी आदिवासी और हरिजन इलाकों में 1000 की आबादी पर एक के आधार पर चलाई जा रही हैं। मुझे आंगनबाड़ी के बारे में यह कहना है कि इसकी पूरी जानकारी न होने की वजह से वहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा अपना अनुभव है, हाल ही में मैं आंगनबाड़ी देखने के लिए गई तो बहुत दिक्कत के साथ, काफी खोज-खबर लेने के बाद एक दो आंगनबाड़ी देख सकी, वहां पर बच्चों को दलिया वगैरह दिया जाता है, उसके बारे में उनकी बहुत शिकायत है कि दलिया अच्छा नहीं होता, उसमें कोड़े होते हैं, लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से गेंहू का, दलिया उपलब्ध कराने का विचार किया जा रहा है। इसी तरह से आंगनबाड़ी चलाने वाली महिलाओं का आनरेरियम भी बढ़ाना चाहिए, ताकि वे रुचि के साथ, मुस्तैदी के साथ, दिलचस्पी के साथ अपनी जवाबदेही सम्भाल सकें।

इसी तरह स्वास्थ्य केन्द्रों को देखने का मौका मिला, एक महीना पहले जब वैशाली क्षेत्र के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों को मैंने देखा तो वहां पर दवा का अभाव था, दवा नाममात्र के लिए थी, खाली शीशियां पड़ी हुई थीं। इसी तरह से रैफरल हास्पीटल में गई तो वहां भी दवा की कमी थी, यह पता नहीं चल सका कि किस वजह से दवा कम थी, डाक्टर ने इंडेन नहीं कराया या सरकार की तरफ से आपूर्ति नहीं की गई या डाक्टर ने इंडेन कराने की आवश्यकता नहीं समझी। एक रैफरल अस्पताल में तो 5 औरतों की जान चली गई; क्योंकि वहां पर एंटी-टिटनेस का इंजेक्शन नहीं था। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि इन बातों की तरफ सरकार ध्यान दे। आंगनबाड़ी चलाने वाली महिलाओं को देखने के लिए पूरा इंतजाम होना चाहिए। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था है, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यवस्था को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यूनिवर्सल इम्यूनिजेशन के अन्तर्गत यह तय हुआ है कि वेक्सीन दिए जाएंगे, लेकिन उसको हिफाजत से रखने का वहां इंतजाम नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अस्पतालों में रेफ्रीजरेटर का इंतजाम हो। इसी तरह से अस्पतालों में पेडिआट्रिक वार्डिंग का होना जरूरी है, वैसे तो रोजगार की व्यवस्था की गई है, योजना चल रही है, फिर भी मैं चाहूंगी कि ऐसी माताओं को जो बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं, उनको करने के लिए हल्का काम दिया जाए, ताकि वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। चरखा चलाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे सूत कातकर अपना काम चला सकें। कुछ खास जगहों पर केन्द्र बनाने चाहिए जहां जाकर वे सूत बेच सकें और उनका काम चल सके। जिस तरह से डेरी मिल्क स्कीम के अन्तर्गत जगह जगह पर केन्द्र बनाए गए हैं, वहां गांव के लोग ले जाकर दूध बेचते हैं, वहां पर वैज्ञानिक ढंग से तैयार कर के बाद में बेचा जाता है, इससे बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हम लोग बाल विकास की तरफ ध्यान देंगे, उतना ही मानव का विकास होगा। मानव का विकास होगा तो जाहिर है हमारा देश विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होता

[श्रीमती किशोरी सिंह]

जाएगा। मंत्रालय ने अब तक जो काम किया है वह सराहनीय है। इन चन्द लफ्जों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सब्र के साथ मुझे सुना।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रसन्नता का विषय है कि एक कुशल विद्वान और जानकार मंत्री श्री नरसिंह राव हैं, जिनके पास इस मंत्रालय का प्रभार है।

इस शिक्षा नीति का उद्देश्य निर्धनता के विरुद्ध और चहुंमुखी विकास के लिए संघर्ष करना है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया है और मैं उन शब्दों का उल्लेख करूंगा जोकि हमारे प्रधान मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहे थे :—

> "नई नीति की अच्छी शुरूआत के लिए मैंने शिक्षा के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जबकि वर्ष 1986-87 में 352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह भारी वृद्धि हमारे देश में शिक्षा में परिवर्तन लाने के बारे में हमारे दृढ़ संकल्प का परिचायक है।"

उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू का भी उल्लेख किया है : मैं उन्हें उद्धृत करता हूं :

> "शिक्षा राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये संसाधन राज्य सरकारों के प्रमाणों के पूरक होंगे।"

कुछ माननीय सदस्यों ने इस नीति के कार्यान्वयन में वित्तीय कठिनाइयों पर चिन्ता व्यक्त की है। इस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता, आधुनिकीकरण, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नवोदय विद्यालयों, औपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है—इन सभी बातों से गुणात्मक सुधार लाए जाएंगे। मैं सुझाव दूंगा कि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बनाकर उसको कार्यान्वित किया जाए। जनसंख्या पर नियन्त्रण रखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ विख्यात व्यक्तियों ने भी प्राथमिक स्कूलों में शत-प्रतिशत पंजीयन की बात कही है। इसके लिए संसाधन नहीं है। इसके लिए कोई क्षमता नहीं है। महोदय, शिक्षा का विकास में बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री ने भी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की जब उन्होंने कहा "शायद योजना आयोग यह महसूस करता है कि मानव संसाधन. विकास के लिए साधन नहीं है। इसके लिए प्रारम्भ से ही फिर से विचार किया जाना चाहिए जब तक कि योजना आयोग यह महसूस नहीं करता कि हमारे विकास का आधार बांध और विद्युत केन्द्र और उद्योग नहीं हैं बल्कि हमारे विकास का आधार वे लोग हैं जो इन बांधों को बनाते हैं और इन उद्योगों को चलाते हैं।"

नई शिक्षा नीति पर कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूं। यह समीपवर्ती सूची का विषय है। यदि राज्यों द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार चुपचाप नहीं रह सकती। केन्द्रीय सरकार की भी तो जिम्मेदारी है।

अब मैं उड़ीसा, जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है की चर्चा करूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि उड़ीसा राज्य में इस नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्तियां विद्यमान हैं। उदाहरण के तौर पर आपके राज्य महाराष्ट्र में और उड़ीसा में बी. एड. परीक्षा को लेकर समस्याऐं पैदा हो गई हैं। सरकार ही समस्या को सुलझा सकती है। परन्तु उड़ीसा में कुछ ऐसे कालेज हैं जिन्हें सरकार ने तो मान्यता दे दी है परन्तु वे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ प्राइवेट कालेजों, जिनके कुछ जिला प्रशासक या तो शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष हैं अथवा उनके रिश्तेदार हैं, को मान्यता दी जा रही है जबकि उनके पास बुनियादी सुविधाऐं मौजूद नहीं हैं। अन्ततः, परेशानी छात्रों को होती है। वह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है।

सरकार प्रति वर्ष इस मामले को सुलझाने का प्रयत्न करती है; ऐसे कुछ कालेजों का चयन करती है जिन्हें स्थायी रूप से मान्यता और सम्बद्धता दी जाती है परन्तु कुछ स्पष्ट कारणों से ऐसा नहीं किया जाता है। प्राइवेट कालेजों की संख्या में अकस्मात वृद्धि हुई है। छात्रों से अत्यधिक प्रावेशिक शुल्क लेकर इन कालेजों में प्रवेश दिया जाता है। उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है परन्तु वास्तविक कालेजों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी तरह, केन्द्रीय सरकार की नीति को संभवतः उड़ीसा के कुछ अधिकारी जिन्हें इस योजना के क्रियान्वयन का भार सौंपा गया है सही परिपेक्ष्य में नहीं समझ पाए हैं। उनकी धारणा यह है कि यह नीति उच्च शिक्षा के प्रसार करने की नहीं है बल्कि यह केवल इसे सुदृढ़ बनाने के लिए है। इससे वे नए कालेज खोलने की बात तो दूर विद्यमान कालेजो के विकास को कोई महत्व नहीं देते हैं। मैं गंजम जिले का निवासी हूं जहां पर ज्यादातर प्राइवेट कालेज हैं। वहां आरम्भ से ही कोई सरकारी कालेज नहीं है। उड़ीसा में, शिक्षा, प्राइवेट कालेजों के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। सरकार ने हाल ही में एक भी सरकारी कालेज नहीं खोला है।

अलग-अलग संस्थान पर अलग-अलग नीति लागू की जाती है। सर्वप्रथम उन्होंने उन प्राइवेट कालेजों को सहायता देने का निर्णय किया जो जिन्होंने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और उन्हें सहायता प्रदान की गई है। परन्तु अब उनका कहना हैं कि लेक्चरारों की और नियुक्ति के लिए एक-तिहाई अनुदान सात वर्ष के पश्चात् दिया जाएगा और दो-तिहाई नौ वर्षों के बाद और केवल उन्हीं लेक्चरारों को प्राइवेट कालेजों के शासी निकाय द्वारा उच्च वेतन पर नियुक्त किया जाएगा जिनके नाम की सरकार द्वारा सिफारिश की गई हो। ये प्राइवेट कालेज इस तरह कैसे चल सकते हैं ? मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी दे दूं कि इन सहायता प्राप्त कालेजों के छात्रों की ट्यूशन फीस और प्रवेश शुल्क सरकार के शिक्षा विभाग के पक्ष में जमा की जाती है। और केवल सरकार द्वारा सिफारिश किए गए लेक्चरारों को इन कालेजों के शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वेतन दिया जाएगा। और केवल सात वर्ष के बाद ही एक तिहाई अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कार्य करना असम्भव है। इस तरह शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है और इस प्रकार इस नीति को किस तरह क्रियान्वित किया जा सकता है ? केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। महोदय, मुझे यह पुनः कहने की अनुमति दीजिए कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किसी विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार की त्रुटि के कारण उस राज्य के छात्रों अथवा जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

[श्री सोमनाथ रथ]

इसी तरह, सरकार की नीति यह थी कि महिलाओं की शिक्षा हेतु तीन वर्ष बाद एक-तिहाई अनुदान दिया जाएगा। परन्तु कुछ ऐसे भी कालेज हैं जिन्हें यह अनुदान नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूं, भंजनगर सावित्री महिला कालेज को छह वर्षों से कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

यद्यपि सरकार ने यह विज्ञापित किया है कि इस कालेज को सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर प्रदान की जाएगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में मैं यह सुझाव देता हूं कि जबकि नवोदय विद्यालय शुरू किए जा रहे है तो माननीय मंत्री जी को संसद सदस्यों को भी विश्वास में लेना चाहिए और उनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह विभिन्न संस्थाओं को संस्कृति, खेलकूद, के लिए अनुदान देते समय उस क्षेत्र के संसद सदस्य के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के उदाहरण कई मिल जाऐंगे जबकि इन सांस्कृतिक संस्थाओं ने समय पर अनुदान के लिए आवेदन किया है। लेकिन वह केन्द्रीय सरकार के पास कभी भी समय पर नहीं पहुंचा है। उसे कहीं पर रोक दिया जाता है और ये संस्थाएं केन्द्रीय सहायता से वंचित रह जाती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सांसदों के सुझावों को अपेक्षित महत्व दिया जाए। यह योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि हमने इस सदन में इस पर चर्चा की है, और इस संबंध में माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उससे सरकार के दृष्टिकोण का भी पता चलता है। परन्तु जब हम माननीय मंत्री से इस संबंध में अनुरोध करते हैं तो तब यदि हमें हर मामले में अपने राज्य से संपर्क करने को कहा जाता है तो, मेरे विचार से हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना के पीछे सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को उन्नति का अवसर प्रदान करना है। अब उच्च शिक्षा का लाभ अमीरों को मिल रहा है, और आम आदमी को यह लाभ प्राप्त नहीं होता है। निसंदेह सरकार का इरादा बहुत अच्छा है परन्तु यदि हम इसे राज्यों पर छोड़ देते हैं, यदि हम इसे निदेशक की रिपोर्ट के सहारे छोड़ देते हैं तो वह अपनी मर्जी से काम करेगा। यह भी हो सकता है कि वह कोई काम न करे। उड़ीसा में, पांच विश्वविद्यालयों में से एक कृषि विश्वविद्यालय है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है और दूसरा है संस्कृत विश्वविद्यालय तीन अन्य विश्वविद्यालय हैं और मेरे जिले में एक विश्वविद्यालय है– बरहामपुर विश्वविद्यालय। वहां कोई सिंडीकेट अथवा सीनेट नहीं हैं ; वहां एक प्रशासक है। इसी प्रकार सम्बलपुर विश्वविद्यालय में भी कोई सिंडीकेट अथवा सीनेट नहीं है वहां पर भी एक प्रशासक है। मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल उत्कल विश्वविद्यालय में भी एक प्रशासक की नियुक्ति कर ली जाएगी।

ये प्रशासक कौन हैं ? क्या ये शिक्षाविद है ? क्या उनका शिक्षा से कोई सरोकार है ? वहां पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर दी जाती है। ये विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने और डिग्रीयां बांटने वाली संस्थाएं नहीं हैं ; बल्कि ये उस क्षेत्र की भाषा, और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान करती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उड़ीसा के पास ऐसी योजना भेजी है – जो इन तीनों विश्वविद्यालयों में से किसी एक विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा पर अनुसंधान का एक केन्द्र खोलने के संबन्ध

में है। केवल बरहामपुर विश्वविद्यालय ने यह योजना भेजी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य दो विश्वविद्यालयों—उत्कल और सम्बलपुर ने कोई योजना नहीं भेजी और उड़ीसा सरकार ने यह योजना केन्द्रीय आयोग के पास नहीं भेजी यह समस्या है। इसके फलस्वरूप उड़ीसा की जनता को, उड़ीसा के छात्रों को परेशानी उठानी पड़ी है उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि हमें ही इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। हमारा किसी व्यक्ति की पसन्द या नापसन्द से कोई सरोकार नहीं है।

ये विश्वविद्यालय वित्तीय उपयोग संबंधी अपने प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास समय पर नहीं भेजते हैं इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें और अनुदान नहीं दे रहा है और ये विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं। यह नियमित रूप से हो रहा है। ऐसा कोई निरीक्षण अभिकरण होना चाहिए जो यह देखे कि बजट में निर्धारित राशि सभी राज्यों में प्राप्त हो और विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा विभाग को इस संबन्ध में सक्रिय होने की सलाह दी जानी चाहिए और उनसे इन नीतियों को लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए। जब तक कोई निरीक्षण अभिकरण नहीं बनाया जाता है और इस कार्य को राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है तब तक मैं समझता हूं कि इन नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्र का विकास होना चाहिए। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है यह किसी क्षेत्र अथवा राज्य के महत्व की बात नहीं है। यह राष्ट्रीय महत्व का है जैसे कि प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री महोदय ने इस सभा में कहा है, जरूरत इसके कार्यान्वयन की है। धनराशि की कमी नहीं है। इसलिए कार्यान्वयन करते समय मैं सुझाव दूंगा कि अल्प विकसित और पिछड़े राज्यों को समुचित महत्व और प्राथमिकता तथा धनराशि दी जानी चाहिए और इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, ह्यूमन रिसोर्सेज डैवलपमैंट डिपार्टमैंट के बारे में चर्चा हो रही है मैं इस डिपार्टमैंट की मांगों का समर्थन करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और अपने रहनुमा जनाबे राजीव गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कि उन्होंने बहुत थोड़े से वक्त में जो नई एजुकेशन पालिसी अपनाई है और उसको इम्पीमेंट करने जा रहे हैं मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। नई एजुकेशन पालिसी में यूनिवर्सलाइजेशन आफ एलीमेंट्री एजुकेशन को बेहद तरजीह दी गई है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह मुल्क की बेहतरी और विशेष कर गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये बहुत ही फायदेमंद होगी। इसके साथ ही आप नई एजुकेशन पालिसी में जो नवोदय विद्यालय सैट-अप करने जा रहे हैं उसमें 1986-87 में 81 ऐसे स्कूल खुलवाने का प्रोग्राम है। 60 ऐसे स्कूल पहले ही खुल चुके हैं और इनमें से एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं इन स्कूलों के खुलने से उन मां बाप और बच्चों की ख्वाहिश पूरी होगी जो काबलियत होते हुए भी तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते थे इन स्कूलों में एडमिशन की जो पालिसी बनाई है वह भी काफी सराहनीय है। इसके द्वारा 60 परसेंट बच्चे रूरल एरियाज से और 40 परसेंट टाउन और सिटीज में से रखें जायेंगे। लेकिन इसमें एक मुश्किल यह देखने में आई है कि रूरल एरियाज के बच्चों का स्टैंडर्ड आल इण्डिया लैविल के बराबर रखा गया है। नतीजा यह होता है कि दूर दराज इलाकों में या रूरल एरियाज में रहने वाले बच्चे उसमें पूरी तरह खरे

[श्री पी० नामग्याल]

नहीं उतर पाते हैं और जहां 100 बच्चे लेने हैं वहां मुश्किल से 50 बच्चे ही मिल पाते हैं मेरी तजवीज है कि क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता है कि ऐसे बच्चे जो टेस्ट में फेल हो गए हैं या थोड़े नम्बरों से रह गये हैं उनको 1–2 महीने की कोचिंग देकर और टेस्ट लेकर एक और चांस दिया जाये। ऐसा करने से आपका जो प्रोग्राम है उसको इम्पलीमेंट करने में बहुत फायदा मिलेगा। इस पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक जम्मू-कश्मीर में तालीम का सवाल है वहां डिग्री लैवल तक एजुकेशन फ्री है और तकरीबन हर गांव में एक स्कूल है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जो स्कूल हैं वह नहीं के बराबर हैं और नाम मात्र के लिए ही खोले गये हैं वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ब्लैकबोर्ड नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, टीचर के बैठने के लिये कोई कुर्सी नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह मसला वहीं का वहीं रह जायेगा और हम कहीं आगे नहीं जा सकते हैं।

मेरी कांस्टीटुएन्सी में तमाम ऐसे छोटे-छोटे गांव हैं, जहां 10-15 फैमिलीज रहती हैं और उस गांव में 10-15 बच्चों से ज्यादा नहीं होंगे। वहां पर स्कूल तो हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं और अगर टीचर हैं भी तो सिंगल टीचर हैं जोकि वहां पर अक्सर रहते नहीं हैं क्योंकि वह बहुत रिमोट एरियाज हैं। अब आपने जो डबल टीचर का प्रोग्राम रखा है वह एक बहुत अच्छी स्कीम है और उससे मैं समझता हूं जिन स्कूलों में सिंगल टीचर रहते नहीं हैं वहां पर डबल टीचर रखने से उन बच्चों की तालीम को आगे ले जाने में बड़ा फायदा पहुंचेगा। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरी लो कांस्टीटुएन्सी है, वहां पर बहुत रिमोट एरियाज हैं और वहां पर 50-60 ऐसे गांव होंगे जहां पर या तो एक फेमिली है, दो फेमिलीज हैं या 4-5 फेमिलीज हैं, वहां पर गवर्नमेंट के लिए स्कूल खोलना तो शायद नामुमकिन होगा, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं उनको तालीम हासिल करने का राइट है। तो इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उन बच्चों के लिए आप कैसे तालीम मोहैया करेंगे? मेरी तजवीज है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में या जो और सेन्ट्रलीलोकेटेड प्लेसेज हैं वहां पर आप एक रेजिडेंशियल होस्टल बनवायें जहां पर कि इन बच्चों को रखा जा सके, और वहां पर उनको तालीम की फैसिलिटीज दी जायें। ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन ये बच्चे रिमोट एरियाज में, बार्डर एरियाज में हैं, उनको तालीम दिलाने के लिए अगर आप होस्टल की फैसिलिटी मोहैया करा सकेंगे, जैसी कि मैंने तजवीज रखी है, तो इस बात के लिए आप हमेशा याद किए जायेंगे।

जहां तक स्कालरशिप्स का सवाल है, उसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हमारे बार्डर-एरियाज में स्कालरशिप्स मिल भी रही हैं। कई तरह की स्कालरशिप्स दी जा रही हैं; जैसे मेरिट कम पावर्टी स्कालरशिप, बार्डर-एरिया स्कालरशिप, लेकिन इसकी रकम इतनी मामूली होती है कि जिसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है। दूसरी बात यह भी है कि यह स्कालरशिप इकट्ठा दी जाती है, अगर यह स्कालरशिप हर महीने दी जाया करे, तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा पहुंच सकता है। इकट्ठा देने में होता यह है कि मां-बाप उसको लेकर चाय-पानी या दूसरी चीजें खरीदने में लगा देते हैं और बच्चों को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। बच्चों को उससे किताबें, एक्सरसाइज-बुक्स या दूसरी

फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आप उसको हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई प्रयत्न करदें, ताकि उन बच्चों को फायदा पहुंच सके।

मैं दो शब्द टैक्निकल-एजूकेशन के बारे में भी कहना चाहूंगा। जो वीकर-सैक्शंस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, उनके लिए तो आपके पास रिजर्वेशन हैं, टेक्निकल-एजूकेशन में उन लोगों के बच्चों को कुछ थोड़ा-बहुत मिल जाता है, लेकिन हमारे यहां पर कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि पहाड़ों में रहती हैं जिनकी हालत इन लोगों से कहीं बदतर है जो कि प्लेन्स में हैं, लेकिन चूंकि वे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं इसलिए उनके बच्चों को टैक्निकल-एजूकेशन की फैसिलिटीज और ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि वे दूसरों के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में मेरी तजवीज है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट अपने पास कुछ ऐसी सीटें खसूस रखे जोकि मेरिटोरियस स्टूडेन्ट्स हैं और पहाड़ों से आते हैं, उनको मेडिकल, इन्जीनियरिंग या ऐसी दूसरी टैक्निकल एजूकेशन में ले लिया जाया करे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी गुजारिश है आप इस पर जरूर विचार करने की कृपा करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस विन्टर में 250 बच्चे मोजल्स का टीका न होने की वजह से मर गए, क्योंकि वहां डाक्टर नहीं था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 डाक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। हमारे बच्चों को टीके नहीं मिल रहे हैं और जम्मू और श्रीनगर के लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि वहां के लिए सीटें रिजर्व रखें। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आपने मासिक कार्यक्रम चलाया है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि टीचर्स, साइन्टिफिक रिसर्च से सम्बन्धित, इन्जीनियरिंग और मैडिकल रिसर्च से सम्बन्धित, एग्रीकल्चर और वैटरनरी आदि लोगों के लिए आपको रनिंग ग्रेड रखना चाहिए। टीचर्स की तनख्वाहें बहुत कम हैं, इसलिए आप रनिंग ग्रेड रखिए। हैड आफ दि डिपार्टमेंट तक जाने का उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे बीच में आप एफिशिएंसी बार लगा दीजिए। ताकि स्टैगनेशन न हो। अब टीचर्स के लिए अच्छे लोग नहीं जाते हैं। वे टीचर नहीं बनना चाहते हैं। वे दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। इसलिए टीचर्स के लिए आपको अच्छे लोगों की जरूरत है और उनके लिए आपको रनिंग ग्रेड रखना चाहिए।

डिपार्टमेंट आफ कल्चर में तिब्बतन-लिटरेचर और उनकी स्टडीज के लिए स्कीम है, वह बहुत धीमी चल रही है; उसको तेज करने की जरूरत है। जिस वक्त नालन्दा यूनिवर्सिटी थी, जो कि दुनियां की मशहूर यूनिवर्सिटी थी, वह संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुस्लिम की तबाही के बाद जो लिटरेचर वहां मौजूद था, वह बहुत पहले तिब्बतन में ट्रांसलेट हो चुका था। उसके रि-ट्रांसलेशन का काम थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वह भी बहुत धीमा है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।

आखिरी बात मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस विभाग का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस साल लद्दाख से कुछ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में टॉप कर सकते हैं, यदि उनको फैसीलिटीज दी जायें। एक निवेदन यह भी है कि मानटेनियरिंग, ट्रैक-एण्ड-फील्ड ऐसी कई चीजों में हम समझते हैं कि वे अच्छा काम कर सकेंगे यदि उनको एनकेज किया जाए।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत समय दिया और मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूं।

[شری پی - نامگیال (لداخ) : سبھاپتی مہودے - ھیومن ریسورسز ڈیولپمینٹ ڈپارٹمینٹ کے بارے میں جو چرچا ہورہی ہے میں اس ڈپارٹمینٹ کی مانگوں کا سمرتھن کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں - میں آپ کے مادھیم سے مانیہ منتری جی کو اور اپنے رہنما جناب راجیو گاندھی جی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت تھوڑے سے وقت میں جو نئی ایجوکیشن پالیسی اپنائی ہے اور اس کو امپلیمینٹ کرنے جارہے ہیں - میں اس کے لئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں - نئی ایجوکیشن پالیسی میں یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کو بہت ترجیح دی گئی ہے اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری اور وشیش کر گاؤں میں رہنے والے ودیارتھیوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگی - اس کے ساتھ ہی آپ نئی ایجوکیشن پالیسی میں جو نوودیالیہ سسٹم اپنا رہے ہیں اس میں ۱۹۸۶-۸۷ میں ۸۱ ایسے اسکول کھلوانے کا پروگرام ہے ۶۰ ایسے اسکول پہلے ہی کھل چکے ہیں اور ان میں سے ایک میرے نرواچن شیتر میں بھی ہے - میں اس کے لیے مانیہ منتری جی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں - ان اسکولوں کے کھلنے سے ان ماں باپ اور بچوں کی خواہش پوری ہوگی جو قابلیت ہوتے ہوئے بھی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے تھے - ان اسکولوں میں ایڈمیشن کی جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ بڑی قابل سراہنیہ ہے - اس کے دوارہ ۶۰ پرسینٹ بچے رورل ایریاز سے اور ۴۰ پرسینٹ ٹاؤن اور سٹیز میں سے رکھے جائیں گے - لیکن اس میں ایک مشکل یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ رورل ایریاز کے بچوں کا اسٹینڈرڈ آل انڈیا لیول کے برابر رکھا گیا ہے - نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دور دراز علاقوں میں یا رورل ایریاز میں رہنے والے بچے اس میں پوری طرح کھرے نہیں اتر پاتے ہیں اور جہاں ۱۰۰ بچے لینے ہیں وہاں مشکل سے ۵۰ بچے ہی مل پاتے ہیں - میری تجویز ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہوسکتا ہے کہ ایسے بچے جو ٹیسٹ میں فیل ہوگئے ہیں یا تھوڑے سے نمبروں سے رہ گئے ہیں ان کو ۱-۲ مہینے کی کوچنگ دے کر اور ٹیسٹ لے کر ایک اور چانس دیا جائے - ایسا کرنے سے آپ کا جو پروگرام ہے اس کو امپلیمینٹ کرنے میں بہت فائدہ ملیگا - اس پر آپ کو اوشیہ دھیان دینا چاہئے -

مانیور - جہاں تک جموں کشمیر میں تعلیم کا سوال ہے وہاں ڈگری لیول تک ایجوکیشن فری ہے اور تقریباً ہر گاؤں میں ایک اسکول ہے - لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو اسکول ہیں وہ نہیں کے برابر ہیں اور نام ماتر کے لیے ہی کھولے گئے ہیں - وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہے - بلیک بورڈ نہیں ہے - اسکول بلڈنگ نہیں ہے - بچوں کے بیٹھنے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے - ٹیچر کے بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں ہے - بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں - میں ایسا

سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جائیگا اور ہم کہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں -

میری کانسٹی چوئنسی میں تمام ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں ۱۵-۱۰ فیملیز رہتی ہیں اور اس گاؤں میں ۱۵ - ۱۰ بچوں سے زیادہ نہیں ہونگے - وہاں پر اسکول تو ہے لیکن ایسے بہت سارے اسکول ہیں جن میں ٹیچر نہیں ہیں اور اگر ٹیچر ہیں بھی تو سنگل ٹیچر ہیں جو کہ وہاں پر اکثر رہتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت ریموٹ ایریاز ہیں - اب آپ نے جو ڈبل ٹیچر کا پروگرام رکھا ہے وہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے - اور اس سے میں سمجھتا ہوں جن اسکولوں میں سنگل ٹیچر رہتے نہیں ہیں وہاں ڈبل ٹیچر رہنے سے ان بچوں کی تعلیم کو آگے لے جانے میں بڑا فائدہ پہنچیگا اس بات کے لئے میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں -

میری جو کانسٹی چوئنسی ہے وہاں پر بہت ریموٹ ایریاز ہیں اور وہاں پر ۶۰ - ۵۰ ایسے گاؤں ہونگے جہاں پر یا تو ایک فیملی ہے دو فیملیز ہیں یا ۵ - ۴ فیملیز ہیں وہاں پر گورنمینٹ کے لیے اسکول کھولنا تو شاید ناممکن ہوگا - لیکن وہاں پر جو بچے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ ہے - تو اس کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں - ان بچوں کے لیے آپ کیسے تعلیم مہیا کرینگے - میری تجویز ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر میں یا جو اور سینٹرل لوکیٹڈ پلیسز ہیں وہاں پر آپ ایک ریزیڈنشل ہاسٹل بنوائیں جہاں پر کہ ان بچوں کو رکھا جا سکے اور وہاں پر ان کو تعلیم کی فیسلٹیز دی جائیں - ایسے بچوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن یہ بچے ریموٹ ایریاز میں بارڈر ایریاز میں ہیں - ان کو تعلیم دلانے کے لیے اگر آپ ہاسٹل کی فیسلٹی مہیا کرا سکینگے جیسے کہ میں نے تجویز رکھی ہے - تو اس بات کے لیے آپ ہمیشہ یاد کئے جائینگے -

جہاں تک اسکالرشپ کا سوال ہے اس کے بہت سارے پروگرام ہیں - ہمارے بارڈر ایریاز میں اسکالرشپس مل بھی رہی ہیں - کئی طرح کی اسکالرشپ دی جا رہی ہیں - جیسے میرٹ کم پاورٹی اسکالرشپ بارڈر ایریا اسکالرشپ لیکن اس کی رقم اتنی معمولی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے - دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ اسکالرشپس اکٹھا دی جاتی ہیں اگر یہ اسکالرشپس ہر مہینے دی جایا کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے - اکٹھا دینے میں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو لیکر چارپائی یا دوسری چیزیں خریدنے میں لگا دیتے ہیں اور بچوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے - بچوں کو اس سے کتابیں - ایکسر سائز بک یا دوسری فیسلٹیز نہیں مل پاتی ہیں - اس لئے آپ اس کو ہر مہینے ڈسٹری بیوٹ کرنے کا کوئی پربندھ کردیں تاکہ ان بچوں کو فائدہ پہنچ سکے -

میں دو شبد ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں بھی کہنا چاہونگا - جو ویکر سیکشن میں ہیں شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائبس کے لوگ ان کے لیے تو آپ کے پاس ریزرویشن ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ان لوگوں کے بچوں کو کچھ تھوڑا بہت مل جاتا

ہے لیکن ہمارے یہاں پر کئی ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ پہاڑوں میں رہتی ہیں جن حالت ان لوگوں سے کہیں بدتر ہے جو کہ پلینس میں ہیں لیکن چونکہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں اس لیے ان کے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فیسلٹیز اور ٹریننگ نہیں مل پاتی ہے - کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں - ان کے بارے میں میری تجویز ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیپارٹمینٹ اپنے پاس کچھ ایسی سیٹیں مخصوص رکھے جو کہ میرٹوریس اسٹوڈینٹس ہیں اور پہاڑوں سے آتے ہیں - ان کو میڈیکل - انجینیرنگ یا ایسی دوسری ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے لیا جانا کرے تو بہت اچھا ہوگا - میری گزارش ہے آپ اس پر ضرور وچار کرنے کی کرپا کریں - میرے نرواچن شیتر میں اس ونٹر میں ۲۵۰ بچے میزلس کا ٹیکانہ ہونے کی وجہ سے مر گئے کیونکہ وہاں ڈاکٹر نہیں تھا - میرے نرواچن شیتر میں ۳۰ ڈاکٹروں کی پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہے - ہمارے بچوں کو ٹیکے نہیں مل رہے ہیں اور جموں اور سری نگر کے لوگ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں - اس لیے میں گزارش کروں گا کہ وہاں کے لیے سیٹیں رزرو رکھیں - ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے آپ نے ماسیو کارنکرم چلایا ہے بہت اچھا ہے - لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیچر سائنٹیفک ریسرچ سے سمبندھت انجینیرنگ میڈیکل ریسرچ سے سمبندھت ایگریکلچر اور ویٹرنری آدی لوگوں کے لیے آپ کو رننگ گریڈ رکھنا چاہئے - ٹیچرس کی تنخواہیں بہت کم ہیں اس لیے آپ رننگ گریڈ رکھیے - ہیڈ آف دی ڈیپارٹمینٹ تک جانے کا ان کو موقع ملنا چاہئے - بیچ میں آپ ایفیشینسی بار لگا دیجیے - تاکہ اسٹیگنیشن نہ ہو - اب ٹیچرس کے لیے اچھے لوگ نہیں جاتے ہیں - وہ ٹیچرس نہیں بننا چاہتے ہیں - وہ دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں - اس لیے ٹیچرس کے لئے آپ کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اور ان کے لئے آپ کو رننگ گریڈ رکھنا چاہئے -

ڈیپارٹمینٹ آف کلچر میں تبتن لٹریچر اور ان کی اسٹڈیز کے لئے اسکیم ہے وہ بہت دھیمی چل رہی ہے - اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے - جس وقت نالندہ یونیورسٹی تھی جو کہ دنیا کی مشہور یونیورسٹی تھی وہ سنسکرت کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی مسلم کی تباہی کے بعد جو لٹریچر وہاں موجود تھا وہ بہت پہلے تبتن میں ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا - اس کے ری-ٹرانسلیشن کا کام تھوڑا بہت چل رہا ہے لیکن وہ بھی بہت دھیما ہے - اس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے -

آخری بات میں اسپورٹس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں - میں اس وبھاگ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سال لداخ سے کچھ بچوں کو ٹریننگ کے لئے بلایا ہے - ہمارے بچے ہر شیتر میں ٹاپ کر سکتے ہیں یدی ان کو فیسلٹیز دی جائیں - ایک نوید یہ بھی ہے مانٹینیرنگ ٹریک اینڈ فیلڈ - ایسی کئی چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر سکیں گے یدی ان کو انکریج کیا جائے -

ان شبدوں کے ساتھ سبھاپتی مہودے میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت سمے دیا اور میں اس ڈیمانڈ کا سمرتھن کرتا ہوں -

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, ह्यूमन रिसोर्सेज एण्ड डवेलपमेंट की डिमांड्स का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इस बारे में मैंने जब सदन में एजूकेशन पॉलिसी पर बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने निवेदन किया था। राजस्थान का आधा क्षेत्र डैजर्ट क्षेत्र है, एक चौथाई पहाड़ी क्षेत्र हैं और एक चौथाई क्षेत्र जो कि दिल्ली के आसपास है, वह कुछ विकसित है। इस प्रकार तीन चौथाई क्षेत्र बिल्कुल बैकवर्ड है ; ऐसी स्थिति में यदि उसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो निश्चित तरीके से वहां के विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो सकेगा। वहां के प्राइमरी स्कूल की हालत के बारे में और माननीय सदस्यों ने व्याख्यान कर दिया है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। सब जगह की हालत एक सी है। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, बैठने की जगह नहीं है, सामग्री नहीं है, ब्लैक-बोर्ड नहीं है। प्राइमरी स्कूल की हालत ही नहीं मॉडल क्षेत्र में भी हालत अच्छी नहीं है। हायर सैकेन्डरी स्कूलों में भी बिल्डिंगों और हर प्रकार का अभाव ही अभाव है। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी ध्यान दिया है लेकिन इतना जो धन दिया गया गया है, उससे भी काम होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के अभी एक भाई बोल रहे थे। उन्होंने करोड़ों रुपयों का हिसाब बता दिया। करीब-करीब 400, 500 करोड़ रुपये का हिसाब बताया और बाकी और जो स्टेट्स हैं, उनका भी यही हाल है। हर स्टेट में कम से कम 500, 700 करोड़ रु० की आवश्यकता है तब जाकर शिक्षा की सामग्री की पूर्ति आप कर सकते हैं वरना यह असंभव लगता है। इतने बड़े पैमाने पर जब तक बजट न मिले और पैसा न मिले, तब तक शिक्षा का स्तर जो आप उठाना चाहते हैं, उतना ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। आप को जो 825 करोड़ रु० दिया गया है, उससे काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए और ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि शिक्षा के मामले में तरक्की कर सकें।

5.00 म० प०

मेरा एक निवेदन खास तौर से एक विषय की ओर है। आपने जो नवोदय स्कूल खोलने की बात कही है, उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जितने ब्योरोक्रेट्स बैठे हैं, यह हमारी तो सुनते नहीं हैं मगर आपकी भी नहीं सुनते हैं, इसलिए पार्लियामैन्टरी क्षेत्र में नवोदय स्कूल कहां पर होगा, इसका निर्णय वहां का जिला शिक्षा अधिकारी करेगा, डिप्टी डायरेक्टर करेगा या डायरेक्टर करेगा या फिर एजूकेशन सैक्रेटरी करेगा। वहां का जो पार्लियामेंट का सदस्य है, जो इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। ब्योरोक्रेट तो हमारी जात का नहीं है मगर आप तो हमारी जात के हो और अगर हमारी जात के होते हुए भी, आप हमारी परवाह न करें तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जहां सरकार किसी काम को करती है, वहां ब्योरोक्रेट्स भी होते हैं और डेमोक्रेट्स भी होते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : डेमोक्रेट्स नहीं हैं; इसलिए कह रहा हूं। मैंने आप से निवेदन किया था और स्टेट मिनिस्टर साहिबा से भी निवेदन किया था और एजूकेशन सैक्रेटरी साहब से भी निवेदन किया था। उन्होंने यही कहा कि वहां जो निर्णय हो जाएगा, वही रहेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस चीज को समझने की जरूरत है। मान लीजिये एक जिले में दो क्षेत्र पड़ते हैं लोक सभा के, तो हम क्या करें। क्या दोनों के बीच में कुश्ती करायें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा क्षेत्र तो एक में ही है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप अपनी बात छोड़िये। इसमें कठिनाई होती है, इसलिए राज्य सरकारों की सुनते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं आपको बताऊं कि मेरा जो एरिया है, हमारे जो एजूकेशन सेक्रेटरी हैं, वे भी वहीं के रहने वाले हैं। अब उनका जहां जी चाहेगा, वहां वे खोलेंगे और जहां मैं चाहूंगा वहां नहीं खोलेंगे। मैं विशेष तौर पर आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हमारी जात के होते हुए अगर आप हमें आउटकास्ट कर दें, तो यह ठीक नहीं है। हमारी बात को प्रीफेन्स मिलना चाहिए। जो बात एम० पी० कहे, उसको मानना चाहिए। हां अगर हमारी बात गलत हो, तो आप मत मानिए। अगर हम सही बात कहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बात को मानना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। जहां हम कहते हैं, वहीं पर नवोदय विद्यालय खुलने चाहिये।

दूसरी बात मोडल स्कूल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। बहुत से लोग शंका करते हैं कि बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे ही वहां भर्ती कर लिए जायेंगे। हमने पब्लिक स्कूलों का विरोध किया है। दो तरह की इंस्टीट्यूशन्स इस देश में नहीं होनी चाहिए। ब्योरोक्रेट्स के लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़कर आई० ए० एस० और आई० पी० एस० बन जाते हैं और हमारे लड़के आई० ए०एस० और आई० पी० एस० नहीं बनते हैं। यह जो व्यवस्था है, इसको डिस्कार्ड करने की आवश्यकता है। गांवों के लड़के इन बड़े केडरों में आ नहीं पाते। मेरा कहना यह है कि नवोदय स्कूल जो आप खोलें, उनमें बड़े-बड़े लोगों के बच्चों को ही न रखा जाए बल्कि जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और हम जैसे छोटे छोटे लोग हैं, उन के बच्चों को ही उसमें एडमिशन मिले। तब जाकर यह सारी व्यवस्था ठीक हो पाएगी। ताकि नवोदय स्कूलों का देहात के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

कालेज एजूकेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में तीन यूनिवर्सिटियां हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने तीन यूनिवर्सिटियों की घोषणा की है। हमारे यहां पहले से ही अजमेर, बिकानेर और कोटा में एजूकेशनल इन्स्टीच्युशंस चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सेन्टर्स पर यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए ताकि तमाम राजस्थान के लोगों को एजूकेशन में समानता मिल सके और समान फायदा हो सके।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से जो पैसा मिलता है वह पैसा पिछड़े इलाके के लिए ज्यादा मिलना चाहिए। जो यूनिवर्सिटियां पहले से चल रही हैं और जो नई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं उनको आप पैसा देते हैं। जो नई यूनिवर्सिटियां खुलती हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।

जिससे कि नयी यूनिवर्सिटियों का स्टेण्डर्ड भी आल इण्डिया लेबुल का बन सके और हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और वे देश के लिए असेट्स बन सकें न कि लाएबिलटीज। मैं समझता हूं कि आप इसके सम्बन्ध में कुछ करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके।

एजूकेशन पालिसी पर बोलते हुए मैंने कहा था कि कालिजिज में एडमीशन रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। ऐसे ही स्ट्युडेंट्स को एडमीशन मिले जो फर्स्ट क्लास हो। मेरे जैसे सेकिंड क्लास या थर्ड क्लास लोगों को वहां एडमीशन नहीं दिया चाहिए जो कि साल में दस महीने एजीटेशन करते हैं। ऐसे लोगों को दाखिला देने से जो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं उनके साथ गड़बड़ हो जाती है और कालिजिज का एटमास्फिअर दूषित हो जाता है। इसलिए आप हरेक स्टेट में एक-एक ओपन यूनिवर्सिटी खोल दें ताकि इस प्रकार के बच्चे जो नाम के लिए डिग्री लेना चाहते हैं वहां से प्राइवेटली पास करके डिग्री प्राप्त करलें। इससे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको अच्छा एट-मास्फिअर मिलेगा और वे और भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे।

इसके साथ साथ हमारे यहां गर्ल्स की एजूकेशन सबसे कम है। इस मामले में राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था लेकिन इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन दो सालों में राजस्थान की बच्चियों के लिए एजूकेशन में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला है। हमारी नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में भारत सरकार से राजस्थान सरकार को विशेष साधन मिलने चाहिए ताकि वहां लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई आगे बढ़ सके। वहां के लोगों के लिए लड़कों को पढ़ाना ही बहुत मुश्किल है, लड़कियों को पढ़ाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहां के लिए हमें विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में विशेष प्रबन्ध करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत दस जमा दो प्रणाली के अन्तर्गत वोकेशनल एजूकेशन भी शुरू होगी। यह स्कीम तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरे साधन नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों को ही मुश्किल से चला पाती है। कहीं शिक्षकों को वेतन नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं दूसरी चीज नहीं। इस प्रकार की कई कमियां रह जाती हैं। जब तक आप वोकेशनल एजूकेशनल के लिए पूरे साधन राज्य सरकारों को उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक वहां किस प्रकार से यह कामयाब होगी। इसके सम्बन्ध में आपने कभी गंभीरता से विचार किया है या नहीं ? इस शिक्षा नीति को कामयाब करने के लिए निश्चित तरीके से आपको और ज्यादा फण्ड देना चाहिए, तब जाकर यह काम ठीक हो पाएगा। इसी तरीके से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्नीकल एजूकेशन बड़े पैमाने पर हमारे देश में होनी चाहिए। जिस देश में टेक्नीकल एजूकेशन ज्यादा होगी; इंजीनियर्स ज्यादा होंगे, इन्डस्ट्रीज को पनपाने वाले ज्यादा होंगे, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ज्यादा होंगे, उस देश का विकास तेजी से होगा। अभी इस तरफ कम तवज्जह दी जा रही है, बहुत कम टेक्नीकल कालेजेज खुले हैं।

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : जितने टेक्नीकल लोग हैं, उनको ही एंम्पलायमेंट नहीं मिलता।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उनको एम्पलायमेंट देने की बात मंत्री जी से कहिए, वे करेंगे। अभी आप भी कहेंगे कि मेरे क्षेत्र में भी टेक्नीकल कालेज खोला जाए और जब मैं कह रहा हूंतो आप इसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़े स्वार्थी हैं। (व्यवधान)

श्री पी०बी० नरसिंहराव : दो जिले टकरा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : टकरा नहीं रहे हैं; अलग-अलग तरीके की बात है। मैं कह रहा था कि टेक्नीकल कालेजेज ज्यादा खोले जाने चाहिए। अन्त में स्पोर्ट्स के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां शाहपुरा में तैरने वाले बहुत अच्छे लड़के निकलते हैं; सारे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक लाख रुपया तरण-तारण ताल बनाने के लिए दिया है, वह बन भी गया है, लेकिन उसकी सफाई के लिए जो मशीन आती है वह डेढ़ लाख की है, और उसके अभाव में वहां बहुत कठिनाई आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां के लिए डेढ़ लाख रुपया और स्वीकृत किया जाए ताकि वहां का काम ठीक तरह से चल सके। इसी तरह से हायर सेकेण्ड्री स्कूल शाहपुरा में काफी बड़ा मैदान है वहां पर बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की है, ताकि वहां पर स्टेडियम और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। अगर यह स्पोर्ट्स का केन्द्र बन जायगा तो बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी।

स्पोर्ट्स के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि जितनी भी सलेक्शन कमेटीज हैं वहां बड़ा पक्षपात होता है। इसी वजह से हम हर जगह से हारकर आ रहे हैं, हाकी में हो या क्रिकेट में हो, रोज पाकिस्तान से हार रहे हैं, हमारा खेल का स्तर गिरता जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमारी सलेक्शन की व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, यहां तक कि खिलाड़ियों को इकट्ठे खेलने का मौका भी नहीं दिया जाता और लाकर टीमों में भेज दिया जाता है, जिससे कांम्बीनेशन भी नहीं बन पाता इसीलिए हम स्पोर्ट्स में हारते हैं, हमारा सिर नीचा हो जाता है, इसलिए इस बारे में विशेषतौर पर व्यवस्था करिए। इतना बड़ा देश है, 75 करोड़ की आबादी है और हम लोग ।। अच्छे खिलाड़ी भी तैयार नहीं कर सकते, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसलिए इस सम्बन्ध में विशेष तवज्जह दी जाए, ताकि इस देश का मस्तक ऊंचा उठ सके।

इसके साथ ही मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : महोदय, शिक्षा की मांगों पर अपने पिछले भाषण में मैंने शिक्षा मंत्री की विद्वता और प्रशासनिक कुशाग्रता के लिए प्रशंसा की थी। किन्तु वे भी राजनीति व्यवस्था में एक मंत्री हैं। यह उन्हें देखना है कि उनके भविष्य का कौन सा पहलू किस दूसरे पहलू पर प्रभावशाली होगा। क्षमा करें मैंने उनके मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ कार्यों के बारे में आलोचना की है। मैंने देखा है कि उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा के उच्च पहलुओं पर समुचित महत्त्व और उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

एक उदाहरण यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जोकि उच्च शिक्षा का संरक्षक बन गया है, मुझे यह कहने के लिए माफ करें कि मुझे एक 'प्रीमियर' कालेज की स्थापना और इसके प्रधानाचार्य होने का 38 वर्षों का अनुभव है। इतने वर्षों में मुझे जो अनुभव हुआ था वह संसद सदस्य के रूप में मेरी एक वर्ष की अवधि के अनुभव से बेकार सिद्ध हो गया है। ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष/सचिव संसद सदस्यों के शिकायत पत्रों और उनके सुझावों का जवाब देना उचित नहीं समझता है। भले ही सर्वोच्च पद पर एक महान विद्वान हो

सकता है। विद्वान होना अलग बात है और कोई बड़ी संस्था, जोकि उच्च शिक्षा की संरक्षक हो, चलाना दूसरी बात है। हमने सुना है कि विश्वविद्यालय अनुमान आयोग के विशेषकर बीच के स्तर पर, भ्रष्टाचार व्याप्त है।

5.16 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संकाय के सुधार कार्यक्रम को लीजिए। कुछ विश्वविद्यालयों के कुछ कालेजों को अनुदान तभी दिए जाते हैं जब दूर-दूर के स्थानों जैसे असम आदि से आये प्रतिनिधि यहां बार-बार इसके लिए जोर डालते हैं। अतः मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में ध्यान दें।

महरोत्रा आयोग की रिपोर्ट जो काफी लम्बे समय, तीन से भी अधिक साल के बाद प्रस्तुत की गई है, में वहां व्याप्त अकुशलता का संकेत मिलता है। इस रिपोर्ट का सबसे अधिक निराशापूर्ण प्रभाव यह है कि संकाय के प्राधिकारियों का रवैया कालेज और विश्वविद्यालयों के प्रवक्ताओं के प्रति बिल्कुल उदासीन हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महरोत्रा समिति द्वारा प्रवक्ता के आरम्भिक वेतन के लिए 700 रुपए की सिफारिश की गई थी जो विशेष रूप से असम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के वेतन से भी कम है जोकि वहां 850/- रु० है। लेकिन महरोत्रा समिति ने इसे 700/- रु० रखा जोकि एक दशक पहले पूर्व रिपोर्ट में सिफारिश किया गया मूल वेतन है। अतः इससे उनकी अकुशलता के बारे में, कालेज शिक्षकों, जिनकी संख्या उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक समुदाय में अत्यधिक है, के हितों के संबंध में ध्यान न देने के बारे में पता चलता है। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में ध्यान दें।

यह रिपोर्ट अकुशल व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई है और इसमें उच्च शिक्षा के लिए प्रशासन का उद्देश्य को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इसलिए मैं एक बार फिर शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे उच्च शिक्षा के संबंध में और ध्यान दें जैसाकि सम्मानीय निकाय-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मार्गनिर्देश किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इसके कार्यों के प्रत्येक पहलू की जांच की है अब उस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि राष्ट्र पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चलाने के लिए केवल 40 करोड़ रुपए देता है। किन्तु यह रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि अनुसंधान और विकास पर बहुत कम प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है जबकि अधिकांश खर्च प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिग्रियों और कार्य प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिग्रियों आदि पर हुआ है। अतः इस बारे में सन्देह है। एक छात्र ने कहा कि हमारी प्रयोगशालाएं आधुनिक नहीं हैं। अतः इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे जैसा गरीब देश प्रख्यात संस्थाओं को बेकार नहीं जाने देंगे।

नवोदय स्कूलों के बारे में मैं अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मेरा केवल यही अनुरोध है कि नवोदय स्कूल पब्लिक स्कूलों की भांति दिखावे के न हों, नवोदय स्कूलों का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक वस्तु का आरम्भ न हो जो गैर-भारतीय हों, भारतीयों को यह नहीं सोचना चाहिए भारतीय परम्परायें बेकार हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।

[श्री पराग चालिहा]

हम चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय व स्तव में नवोदय हों और उसके लिए नवोदय विद्यालय दिल्ली कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, गुवाहाटी और ऐसे अन्य शहरों में नहीं होने चाहिए बल्कि इन्हें ऐसे स्थानों में खोला जाना चाहिए जहां लोग रहते हैं। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से मेरे राज्य में नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है। मैं चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जहां ग्रामीण लोग यह देख सकें और महसूस कर सकें कि ये विद्यालय वास्तव में ग्रामीण और उपेक्षित लोगों के लिए हैं और ये केवल विशिष्ट वर्ग के लिए न हों, जो उनमें पढ़ सकें।

वहां एक केन्द्रीय पाठशाला है। मैं उसके बारे में विस्तार में नहीं कहना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आप असम राज्य सरकार से कहेंगे कि वे अपनी सिफारिशें यथा शीघ्र भेज दें ? आपके राज्य ने एक साल से सिफारिशें नहीं भेजी हैं।

श्री पराग चालिहा : महोदय, यदि यह नहीं किया गया तो मैं निश्चित रूप से यह करूंगा।

महोदय, असम में केन्द्रीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण के लिए दो सर्किल हैं एक सिल्चर में और दूसरा गुवाहाटी में। यह डिविजन वास्तविक शैक्षणिक पहलुओं की अपेक्षा राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव के आधार पर बनाया गया है। मैं ऐसे स्थान से आया हूं जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय है। जोरहाट में दो अन्य स्कूल हैं। डिब्रूगढ में दो और स्कूल हैं। किन्तु इन स्कूलों को गुवाहाटी जो निकट है, के साथ संबद्ध नहीं किया बल्कि सिल्चर के साथ किया गया है, जो गुवाहाटी से लगभग 200 मील दूर है। इसलिए, मैं अनुभव करता हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों के प्रबन्ध के लिए शिवसागर या जोरहाट या डिब्रूगढ़ में एक और मण्डल होना चाहिए।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा अर्थपूर्ण और प्रयोजनपूर्ण होनी चाहिए। कुछ गैर-सरकारी संस्थान है जिनके लिए कुछ राशि दी जाती है। जैसे कि असम में, मैंने रिपोर्ट में देखा है कि गैर-सरकारी संस्थानों को काफी धन दिया है। मैं नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं किन्तु उनके नामों के साथ काफी लुभाने वाले आंकड़े जुड़े हैं। मुझे अभी तक वहां पर कोई ऐसा अर्थपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र देखने को नहीं मिला जो केन्द्रीय सहायता के बिना चल रहा हो।

अभी कल ही हमने आपको और अध्यक्ष महोदय को संस्कृत के विकास के बारे में चिंता करते सुना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असम में पाठशालाओं की भाँति टोलों की प्रणाली है जो पिछले कई सौ वर्षों से बिल्कुल परम्परागत ढंग से चल रहे है किन्तु उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। वहां के अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। वे अभी भी पुराने आश्रमों की भांति चलाए जा रहे हैं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप इन टोलों की ओर ध्यान दें ताकि इन संस्थानों की, जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आशाओं को पूरा कर सकें।

असम में संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को उपयुक्त वेतन-मान नहीं दिए जाते। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस बात की ओर भी ध्यान दें।

मैं एक ऐसे राज्य से संबंध रखता हूं जो कई प्रकार से उपेक्षित है। मेरे विचार से एक पहलू यह है कि राष्ट्रपति ने जनवरी, 1985 में संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि 12 वीं कक्षा तक लडकियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी और आधार वर्ष 1982-83 से माना जाएगा। मैंने देखा है कि तेरह राज्यों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के रूप में लगभग 1 करोड़ रुपए मिले हैं किन्तु मैं अभी देखना है कि असम को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के रूप में क्या मिला है।

जहां तक संस्कृति और कला का संबध है असम ने अभी तक विदेशों में आयोजित किए गए सांस्कृतिक आदान-प्रदानों में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा क्यों है? संस्कृति के मामले में असम इतना समृद्ध है, इतना विविधतापूर्ण है कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय संस्कृति का बहुत सुन्दर ताना बाना है। असम को और इस मामले में सम्पूण पूर्वोत्तर भारत को किसी भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त न होने के क्या कारण हैं। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि असम को मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए कुछ ठोस प्रयत्न किए जाने चाहिए।

असम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। मैंने मन्त्री महोदय को असम में ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के रख-रखाव की बुरी दशा के बारे में लिखा था मुझे पता लगा है कि उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में एक या दो स्मारकों के रख-रखाव पर जितना धन व्यय किया जाता है उतना सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नहीं किया जाता। यह अत्यन्त खराब स्थिति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप स्वयं देखें कि असम राज्य में ऐतिहासिक स्थानों और पुरातत्व महत्व के स्थलों की हालत कितनी खराब है।

मैं आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में कुछ न कुछ किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन मंत्रालय की पेश की गई मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। शिक्षा के विकास के लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से चिन्तित हैं, वह इस बात से पता लगता है कि पिछले वर्ष बजट में जहाँ इसके लिए 350 करोड़ का प्रावधान था, वहाँ इस साल यह बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मानव संसाधन के अन्तर्गत जितने भी क्षेत्र शिक्षा के हैं, महिला कल्याण हो, युवक कल्याण हो, उनमें जो तरक्की हम देखना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपनी जड़ से मजबूती पकड़नी पड़ेगी। यह जड़ हमारी प्राथमिक शालाएं हैं। हमारे देश में 75 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। वहाँ की शालाओं की हालत हमारे पूर्व के सम्मानीय वक्ताओं ने आपके समक्ष रखी हैं।

हमारे माननीय मन्त्री बहुत अनुभवी हैं, उनके ध्यान में भी यह बात है कि देहात में जो शालायें हैं, चाहे पेड़ के नीचे लगती हों, चाहे ऐसी जगह लगती हों जहाँ छप्पर नहीं होता है, मैं विशेषतौर से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसी शालाओं के लिए प्रदेश शासन को केन्द्रीय शासन विशेष तौर से निर्देश दे कि प्राइमरी शालाओं की हालत सुधरनी चाहिए।

देहात की प्राइमरी शालाओं के सम्बन्ध में मैं एक छोटे से आख्यान से आपको उनका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं कि वहां किस तरह से पढ़ाई होती है और किस तरह से उनकी उपेक्षा होती है?

[श्री डालचन्द जैन]

एक शाला में एक स्कूल इन्सपैक्टर इन्सपैक्शन के लिए गए और जब वह शाला में पहुंचे तो विद्यार्थी से पूछा कि क्या पढ़ाई हो रही है ? उनको बताया गया कि इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तब उस इन्सपैक्टर ने एक विद्यार्थी से पूछा कि बताओ ताजमहल किसने बनवाया है ? विद्यार्थी कुछ नहीं बोला। जब उसको फिर कहा गया तो बोला कि मैंने नहीं बनवाया है। वह विद्यार्थी को कहने लगे कि तुम क्या पढ़ते हो ? उसने कहा कि हमको पता नहीं, हम तो अपने दोस्त की जगह पर बैठे हैं, वह खेल गया है। जब मास्टर की तरफ मुखातिब होकर इन्सपैक्टर ने कहा कि तुमको यह मालूम नहीं कि तुम्हारी शाला में कौनसा विद्यार्थी है और किस का नाम दर्ज है, और कौन आ रहा है, तो मास्टर भी थोड़ी देर सन्न हो गया। उसने कहा कि हमसे न कहो, हमारा मित्र बाजार गया है, हमतो उसकी जगह बैठे हैं। और हैड-मास्टर के पास गये और हैड-मास्टर से जब यही बात कहा तो वह थोड़ी देर सुनता रहा उसके बाद वह कहता है कि हम से क्या कहते हो हमारे मित्र पंडित जी कथा करने गये हैं इसलिये उनकी जगह बैठा हूं। अंत में इन्सपैक्टर भी यही कहता है कि अगर मैं सही इन्सपैक्टर होता तो सब को सस्पेंड करके जाता मेरा मित्र तो बम्बई घूमने गया है। मैं तो यहां हाजरी लगाने आया हूं आप रजिस्टर वहां भेज दो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप वहां के स्कूलों पर विशेष ध्यान दें।

हम संस्कृत की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बारे में हम कहते हैं कि यह सब भाषाओं की मां है व संस्कृत से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। लेकिन संस्कृत के विद्वानों का कोई ठिकाना नहीं होता है और उन्हें समाज में कोई प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। उनकी भी वही आवश्यकतायें हैं जो समाज में दूसरे लोगों की हैं। इस कारण संस्कृत के विद्वानों और शिक्षकों को वही वेतनमान और वही सुविधाएं देनी चाहिए जो स्कूल कालेज के शिक्षकों को मिलती हैं। आप किसी भी संस्कृत कालेज में जाकर देखें। वहां कोई विद्यार्थी नहीं होते हैं अगर होंगे भी तो वे विद्यार्थी होंगे जिनके मां बाप उनको पढ़ा नहीं सकते हैं देखने में यह भी आया है कि संस्कृत के विद्वानों को साधन भी नहीं मिल पाते हैं। आप संस्कृत की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा और खास कर अपने मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि संस्कृत की पाठ-शालाएं या विद्यालय जो कि गांवों में बहुत अधिक हैं वह गुरुकुल टाइप की रहती हैं। इस कारण उनके लिए कोई योजना बनानी चाहिए।

हमारे सागर जिले में सागर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वह यूनिवर्सिटी सागर के एक दानी और कानून के महान विद्वान डाक्टर हरि सिंह गौड द्वारा स्थापित की गई थी। मैं केन्द्रीय शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत कोई मेडिकल कालेज नहीं है। इस कारण एक मेडिकल कालेज सागर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत सागर में केन्द्रीय शासन के द्वारा स्थापित किया जाये।

अभी मैं आपका थोड़ा समय और लूंगा। हमारे संसदीय क्षेत्र बुन्देलखण्ड का एक पिछड़ा हुआ इलाका दमोह और पन्ना का है। वहां कोई कालेज पन्ना के सिवाय दूसरी जगह नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे तहसील प्लेसिज में कम से कम एक कालेज हो और मैं सिर्फ डिग्री कालेज नहीं चाहता। मैं एक टेक्निकल कालेज चाहता हूं जिससे टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करके हमारे विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता रख सकें।

आज हमारी शिक्षा ग्रहण करने की जो पुरानी परिपाटी है वह सिर्फ ऊंची नौकरी की चाह करती है। हमारे देहात में कहावत है "थोड़े पढ़े तो हर से गये, ज्यादा पढ़े तो घर से गये" आज इस मान्यता को बदलना है और शिक्षा ग्रहण करके गांव में ही रहना है और वहीं अपना कार्य शुरू करने की आवश्यकता है। इस तरह का हमारी शिक्षा के अन्दर प्रोत्साहन होना चाहिए। कोई भी शासन हो वह सभी पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी नहीं दे सकता है। और यह संभव भी नहीं है इसलिए हमारी इस तरह की योजनायें होनी चाहिये कि शिक्षा के साथ-साथ अन्य रोजगार व कुछ काम करने सिखाये जायें।

खेल-कूद के सम्बन्ध में बहुत चर्चाएँ हुई हैं और युवक विकास के लिए करीब-करीब 100 करोड़ रुपया भी इस बजट में रखा गया है। मैं समझता हूं कि हर एक जिले में एक खेल-कॉम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी है। वहां पर अच्छे-अच्छे मैदान और स्वीमिंग पूल होने चाहिए। हमारे दमोह और पन्ना जिलों में यह दोनों ही चीजें नहीं हैं। हमारी सरकार को ऐसे पिछड़े हुए जिलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और केवल जिला हैडक्वार्टर तक ही नहीं, तहसीलों तक में उन फैसिलिटीज का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति सुविधाभोगी बन गया है, वह सोचता है कि अगर दिल्ली, बम्बई और भोपाल वालों को ये फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो पन्ना, दमोह, तथा दूरदराज की अजयगढ़, देवेन्द्रनगर तहसीलों में भी ये सुविधायें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं पूरा हाउस इस बात से सहमत होगा कि हमारे सारे जो विकास कार्यक्रम हैं, जो विकास की गति है वह गांवों से शुरू हों बजाय शहरों के।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके घंटी बजाने से बहुत से विचार रुक जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री के बजट भाषण में यह घोषणा सुनकर प्रसन्नता हुई कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 1986-87 में 353 करोड़ रुपए की तुलना में 1987-88 में 800 करोड़ रुपए का आबंटन करके एक अच्छी शुरुआत की है और यह सरकार के संकल्प को भी दर्शाता है कि वह देश में शैक्षणिक परिवर्तन करने के पक्ष में है।

महोदय, सरकार का यह कदम ऊपरी तौर पर शिक्षा के महत्व को सामाजिक प्रगति का कारण स्वीकार करने की सरकार की इच्छा का द्योतक है। दुर्भाग्यवश, महोदय मेरे विचार से मानव संसाधन मंत्री जब तक कम से कम 16000 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाते तब तक 1995 तक भी सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यह अधिक नहीं है और शिक्षा मंत्री इसे सम्भव बनाने के लिए और अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अन्यथा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रगति लाने का संकल्प असफल सिद्ध होगा।

प्रो० यादव यहां पर उपस्थित नहीं हैं किन्तु उन्होंने कहा था कि 352 करोड़ रुपए की जो राशि 1986-87 के लिए मंजूर की गई थी, उस का एक भाग व्यपगत होगया है। अब शिक्षा मंत्री के पास अगले वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के नाते मुझे आधुनिक कथा के रूप में एक सलाह देने की अनुमति दी जाए।

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

एक बार एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा, उसने इसे अपने घर के पीछे एक छोटे से खेत में रखा जहां पर वह सर्दियों के मौसम की सूखी घास खाता। बुरा वक्त था और घोड़े को प्रायः घास की कमी हो जाती, किन्तु दुबला होने के बावजूद वह जिन्दा रहा। तक मालिक ने अपने साधनों पर निगरानी रखने के लिए एक आदमी रखा और घोड़े पर अधिक धन व्यय करने का निर्णय लिया गया। इससे घोड़े को आशा बंधी कि उसके आहार में कुछ सुधार होगा। किन्तु नए पर्यवेक्षण ने अस्तबल में सुधार किया घास रखने के लिए बड़ा बाड़ा बनवाया गया, अस्तबल कर्मचारी रखे गये और घोड़े का प्रबन्ध देखने के लिए एक प्रबन्धक रखा गया। इस प्रकार, अधिक बड़ी व्यवस्था करने, बड़े भुसैल की सफाई करने अनुषंगी और प्रशासनिक कर्मचारियों को अधिक वेतन देने से मालिक तंग आ गया और क्योंकि वह हड़तालों के डर से कर्मचारियों को नहीं हटा सकता था इसलिए बचत उपाय के रूप में उसने घास में 10% की कटौती करने का आदेश दिया।

इस कथा का अभिप्राय स्पष्ट है। इसलिए हमें चाहिये कि हम शैक्षणिक रूपी घास पर अधिक खर्च करें और शैक्षणिक प्रशासन के तामझाम पर कम व्यय करें।

अब हमारे पास कार्यवाही कार्यक्रम है जो मई 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था। मैं अनुभव करता हूं कि कार्यवाही कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम कार्यान्वयन की गति खो चुके हैं। यह आम भावना है। मेरा यह मत है कि हम कार्यान्वयन की गति खोने की प्रक्रिया में हैं।

अब मैं "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" का उल्लेख करता हूं। मेरा यह दृढ़ मत है कि अध्यापकों की व्यवस्था करना सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। मैं एक अध्यापक वाले स्कूलों में दूसरे अध्यापक की व्यवस्था करने पक्ष में हूं। क्योंकि इस दूसरे अध्यापक के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है और राज्यों और स्थानीय निकायों ने इस प्रयोजन के लिए कोई धन नहीं देना, इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रशिक्षित अध्यापक, विशेष कर एक अध्यापक वाले स्कूलों में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त भर्ती करने के लिए क्या किया गया है। मैंने मॉडल स्कूलों, नवोदय विद्यालयों के लिए अध्यापकों के विज्ञापन देखे हैं किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती की क्या स्थिति है। यहां मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह प्रशिक्षण पहल की ध्यान पूर्वक जांच करें या कम से कम विश्वविद्यालय जांच आयोग से इसकी जांच करने के लिये कहें। हम पत्राचार पाठ्यक्रमों बी. एड. पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे एक मिनट का समय दें ? मैं अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की बात कर रहा हूं यह हमारी शिक्षा प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें ऐसे अध्यापक मिल रहे हैं जिन्हें पढ़ाने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। हम ऐसी प्रक्रिया और तरीका क्यों नहीं अपनाते जैसा क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में अपनाया जा रहा है। पत्राचार पाठ्यक्रम के साथ-साथ छुट्टियों के दौरान सम्पर्क कक्षाएं लगायी जाती हैं। जिन अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया हमारी शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं। यदि पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण पाने के पश्चात अधिक से अधिक अध्यापक वास्तविक शिक्षण क्षेत्र में आते हैं तो हमारी शिक्षा का स्तर और गिरता जायेगा। "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" का दूसरा पहलू उपयुक्त इमारतें उपलब्ध कराना है। मैं समझता हूं कि हमारे 6 लाख स्कूलों में से लगभग

10% के पास कोई भवन नहीं है और लगभग 30% स्कूल कच्चे भवनों में हैं। मुझे नहीं मालूम कि भवन उपलब्ध कराने या जिन स्कूलों में अब केवल एक कमरा है वहां पर एक और कमरा बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपको आंकड़े दूंगा।

श्री ए० ई० टी० बैरो : तीसरा पहलू उपकरण की आवश्यक मदें, जिनकी सूची दो मुद्रित पृष्ठों में पूरी आती है उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से यह जानने के लिये कि प्राथमिक स्कूलों में किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक सर्वेक्षण किया जा रहा है जब ये वस्तुएं भारी पैमाने पर उपलब्ध करायी जानी हैं तो सर्वेक्षण कराने की क्या आवश्यकता है क्योंकि सभी जगह एक जैसी सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। हमारे प्राथमिक स्कूलों में मानकीकृत सामग्री नहीं है और थोड़े समय में मौजूदा सामग्री बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरे विचार से इस प्रकार का सर्वेक्षण एक अनावश्यक प्रक्रिया है। सर्वेक्षण की यह अनावश्यक प्रक्रिया क्यों अपनायी जा रही है जबकि हमारे स्कूलों में मानक किस्म की सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं ?

अब मैं, हमारे कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने के प्रश्न पर आता हूं। केन्द्रीय सरकार ने पांच वर्ष तक धन उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया है। इस मामले में केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य प्राधिकरण से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु फिर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमें इस बात की जानकारी प्राप्त करनी होगी कि कौन सी कॉलेज स्वायत्तता के योग्य है। इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा है । ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं इसकी सराहना करता हूं। दिल्ली में लगभग 60 कालेज हैं, इनमें से कुछ व्यावसायिक हैं, 15 दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत हैं। अन्य गैर-सरकारी कॉलेज हैं जिनका अल्पसंख्यक समुदाय के न्यासों के द्वारा प्रबंध चलाया जाता है। निःसन्देह कुछ न कुछ किया जा सकता है मैं पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं हूं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कोठारी आयोग की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं : जिसमें सीमित स्वायत्तता की सिफारिश की गई है। मैं समझता हूं कि पहली बार में सीमित स्वायत्तता दी जानी चाहिये।

श्री पी० वी नरसिंह राव : कृपया यह समझने का प्रयत्न करें कि जो कुछ भी किया जा सकता है वह आगामी शिक्षा सत्र से ही किया जा सकता है। हम इसे अप्रैल अथवा मार्च अथवा फरवरी में नहीं कर सकते हैं। सदन ने अगस्त, 1986 में कार्यवाही कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की थी। अतः, हम ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम इस वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ किये जायेंगे और फिर इसी प्रकार किए जाते रहेंगे। हमने 500 कालेजों को स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है तो यह एक ही वर्ष में नहीं किया जा सकता है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : यही मैं भी कहना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि 500 कालेजों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये। हमें पहले भी इस प्रकार का अनुभव हुआ है। जब श्री मौलाना आजाद थे तो उन्होंने 500 बहु-प्रयोजनीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। अब एक भी बहु-प्रयोजनीय विद्यालय नहीं हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह प्रणाली त्याग दी गई है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वायत्तता प्रदान कीजिए और पूर्ण स्वायत्तता धीरे-धीरे दीजिये। आयोग ने कहा है, "इसमें उन्हें परीक्षायें आयोजित करने और अन्य बातों के लिए अपने नियम, विनियम बनाने की शक्ति निहित होगी। मूल विश्वविद्यालय की भूमिका सामान्य पर्यवेक्षण और उपाधि प्रदान करने की होगी। यह विशेषाधिकार हमेशा के लिये प्रदान नहीं किया जा सकता है और विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर कालेज के स्तर में गिरावट आती है तो वह स्थिति की जांच करके कालेज के स्वायत्तशासी दर्जे को समाप्त कर सकता है।" इस प्रयोजन के लिये मैं समझता हूं कि हमें इसके साथ-साथ एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (नेशनल टेस्टिंग सर्विस) भी स्थापित करनी चाहिये। मैं यह मानता हूँ कि अध्यापक पूर्ण स्वात्तयता दिये जाने के सम्बन्ध में चिंतित हैं। वे कहते हैं कि अध्यापकों की नियुक्त में ओछी राजनीति अपनाई जायेगी। मैं जानता हूं कि अल्पसंख्यक समुदायों की संस्थाओं और न्यासों में इसके बारे में जहाँ तक कि उनको अपने प्रशासन का सम्बन्ध है भय है। यह एक बड़ी समस्या है। मैं, जो कुछ भी माननीय मंत्री जी ने कहा है उससे सहमत हूं।

मेरा अन्तिम मुद्दा राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम के बारे में है। यह अत्यावश्यक है और इसे अगले वर्ष प्रारम्भ किया जाये। 1983 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने एक कार्यदल की स्थापना की और यह कार्यभार का तुरत आकलन किए जाने के लिये स्थापित किया गया था। मैं रिपोर्ट में कोई उद्धरण नहीं दे रहा हूं। परन्तु यह "तुरंत आकलन" किये जाने के लिये भी वर्ष 1986 में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था।

विद्यालय शिक्षा से सम्बद्ध होने के कारण मैं समझता हूं कि यह व्यय बहुत अधिक था। अब मुझे पता लगा है कि इस पर एक और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और दूसरी ओर सेकेण्डरी शिक्षा बोर्डों का सम्मेलन कार्य कर रहे हैं और दोनों में मतभेद हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे आपस में सहमत हैं उनमें कोई मतभेद नहीं हैं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकला है ? मैं समझता हूं कि इसे आगामी वित्त वर्ष में कार्यान्वित किया जा सकता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : एक शिक्षाविद के नाते मैं श्री बैरो से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने में इतनी शीघ्रता न करें। हम वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत जितनी शीघ्रता संभव है उतनी शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं। यदि हम और तेजी लायेंगे तो मुझे डर है कि कुछ ऐसी गलतियां रह जायेंगी जो परिहार्य हैं। अभी भी मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि सभी सावधानियां बरतने के बावजूद कोई गलती नहीं रह जायेगी क्योंकि यह एक ऐसा केन्द्र है जिसमें हमें कोई अनुभव अथवा विशेषज्ञता जो कि अपेक्षित है, प्राप्त नहीं है ....

श्री ए० ई० टी० बैरो : आपके पास पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पिछली रिपोर्ट हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम नहीं है। यह दूसरी प्रकार का पाठ्यक्रम है। हमें वास्तव में इस बात की अनुमति देनी है ....(**व्यवधान**)

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैंने सेकेण्डरी स्कूल स्तर पर जिसकी अपेक्षा है उसका जिक्र किया है क्योंकि इसी स्तर पर पहली सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं। आपने त्रिभाषा फार्मूला रखा है। उसके अतिरिक्त विज्ञान; गणित; समाज विज्ञान; समकालीन भारत; सामाजिक रूप से उपयोगी। उत्पादक कार्य, कला-शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। मंत्री महोदय से मेरा तर्क यह है कि विषयसूची क्या होनी चाहिए। भार बहुत अधिक हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय, को दिये गए अपने तर्क में इसी बात पर जोर देना चाहता हूं। मैं केवल समाज विज्ञान की बात कर रहा हूं। उसमें क्या अपेक्षित है ? परन्तु सूची क्या है ? "मानवीय सभ्यता के विकास के चरणों और ऐतिहासिक तथ्यों जिनसे आधुनिक और समकालीन भारत का निर्माण हुआ है। इस स्तर पर समाज विज्ञान के अध्ययन से समकालीन विश्व की समस्याओं और विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उपनिवेशवाद को समाप्त करने और मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में भारत की भूमिका के बारे में विद्यार्थी के ज्ञान का विकास होना चाहिए। आर्थिक क्रियाकलापों, संस्थाओं और समस्याओं के अध्ययन का उपयोग विद्यार्थियों में आर्थिक ज्ञान के संवर्धन हेतु किया जाना चाहिए।" फिर गणित और उसके साथ-साथ कम्प्यूटर हैं जो कि उपयोगी ज्ञान है। विज्ञान, जो कि दुर्भाग्य से भौतिकी, रसायन और जीव-विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है और उसके साथ-साथ प्रत्येक में आवश्यक रूप से व्यावहारिक कार्य शामिल है परन्तु उसे सामान्य विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यह सभी 14 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों को पढाया जाना आवश्यक है। इन सब का क्या परिणाम रहा है ? हमारी शिक्षा प्रणाली में तीन प्रमुख हानिकर तत्व हैं : हम पाठ्यक्रम के अत्यधिक भार के कारण बिना समझे उसे पढ़ते हैं; हमारे पाठ्यक्रम में गृह कार्य भी शामिल है और हम निजी ट्यूशन भी रखते हैं। आप राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम के लिए जितना समय चाहे लें परन्तु इस बात का ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम उचित हो क्योंकि इसे पांच घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से 200 दिनों में पूरा किया जाना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पाठ्यक्रम में कमी की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी 6 बजे हमें अन्य विषयों पर चर्चा करनी है। आपको उससे पहले अपना भाषण समाप्त करना है। अदि आप उससे पूर्व समाप्त कर सकते हैं तो आप बोलिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : हाँ, श्रीमान।

[हिन्दी]

सर आप जानते हैं कि हमारी आंध्र की सरकार बिल्कुल एन्टी हिन्दी एटीच्यूड लिए हुए है। उसके बारे में मंत्री जी भी जानते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से वहाँ ऐसे स्कूल खोले जाएं जिससे कि हिन्दी का प्रभाव बढ़े। इसलिए नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए।

तमिलनाडु से हमारे एन० टी० रामाराव एन्टी हिन्दी लेकर आये हैं। वे आंध्र में भी उसकी डविंग कर रहे हैं। वह सिनेमा में एक्टिंग करते हैं इसलिए उन्हें डविंग की आदत हो गई है। आप जानते हैं कि पहले आंध्र में चौथे दर्जे से हिंदी पढ़ायी जाती थी। अब वहाँ हिन्दी हटाने की कोशिश की जा रही है। यह सिर्फ इसलिए हो रही है कि वे केन्द्र से घृणा करते हैं और इसी का फायदा लेकर वे अपना राज चलाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा नवोदय स्कूल साउथ में खोले जाएं, तमिलनाडु में खोले जाएं, कर्नाटक में खोले जाएं, आंध्र में खोले जाएं।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

आप जानते हैं कि नवोदय स्कूलों के बारे में हमारे एजूकेशन मंत्री ने बिल्कुल गलत ब्यान दिया है। इसके लिए हम अफसोस करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारे से आपका क्या मतलब है, यहां के या वहां के ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपसे मतलब नहीं है, उनका जो रवैया है वह आप जानते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि यह जो नवोदय विद्यालय हैं, ये वहां पर आप किसी प्राइवेट एजेंसी को दीजिए, इसी तरह से इन विद्यालयों में और केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम बनाइये। तेलंगाना में और विजयवाड़ा में जितने भी इस प्रकार के स्कूल हैं, उनमें हिन्दी सिखाइये। इसके अलावा और कोई भी भाषा लिंक-लैंग्वेज नहीं बन सकती। देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने के लिए सिर्फ हिन्दी ही समर्थ है। बिहार में तेलगू भाषा के लिए त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया गया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, लेकिन त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार करने से काम नहीं होता दक्षिण भारत के लोगों को हिन्दी के प्रति जागृत किया जाना चाहिए।

इसी तरह से संस्कृत के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, तिरुपति में हमने मंत्री जी को सुना है, पेपर्स में भी पढ़ा है कि संस्कृत कम्प्यूटर की भाषा बनने वाली है, भविष्य में यह भाषा कम्प्यूटर की भाषा बन जायेगी, दुनिया के विद्वानों द्वारा इसके बारे में पूछ-ताछ की जा रही है, तो मेरा सुझाव है कि हर विश्वविद्यालय में एक पीठ होनी चाहिए, जो भी विद्यार्थी संस्कृत भाषा सीखना चाहता है, उनको पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। आप मंत्रालय में भी इसके लिए एक अलग सेल बनाइये और पूरा को-आर्डिनेशन रखिये, क्योंकि भविष्य में संस्कृत कम्प्यूटर की भाषा बनने जा रही है, इक्कीसवीं सदी में संस्कृत का महत्व बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सब यूनिवर्सिटीज में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही विद्यालयों में भी संस्कृत कंपलसरी करनी चाहिए, नवोदय विद्यालय हैं, केन्द्रीय विद्यालय हैं, इन सब जगहों पर संस्कृत की शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए। संस्कृत के लिए अलग से पैसा और अलग विभाग खोलकर इसके विकास की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में कम्प्यूटर साइंस में इसका बड़ा योगदान होने वाला है, मैंने दो-तीन आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैं कोट नहीं करना चाहता, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इक्कीसवीं सदी में कम्प्यूटर में इंगलिश के स्थान पर संस्कृत आ जायेगी।

इसके साथ ही मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल एजूकेशन के लिए आपने जो एन. आर. ई. पी. फण्ड दिया है, उसका मिसयूज हो रहा है। उसके बजाय उस पैसे से गवर्नमेंट आफिसेस बन रहे हैं। इसी तरह आर. एल. ई. जी. पी. का फन्ड भी जो प्राईमरी और मिडिल स्कूल के लिए दिया जा रहा है, उससे रेवेन्यू बिल्डिंग्स और विकास बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। शिक्षा के लिये जो गाइड-लाइन तय की गई है, उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार काम कर रही है, इसकी जांच करनी चाहिए। इसकी जांच के लिए एक कमीशन बिठाइये, एक हाई पावर कमेटी बिठाइये। उस पैसे का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जा रहा है, ग्रामीण क्रांति पथ-क्रम में इसका दुरुपयोग हो रहा है, 50 प्रतिशत से अधिक इसमें घपला हो रहा है। इसके बारे में हम रोज बयान पढ़ते हैं, आप भी बयान देते हैं डराने के लिए, लेकिन जांच नहीं कराते, जांच कराने की किसी की हिम्मत नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी आंध्र सरकार के खिलाफ इस बारे में जांच करनी चाहिए। वेंगलराव साहब आते हैं, बयान देते हैं, लेकिन जांच नहीं होती। स्कूल बिल्डिंग के लिये जो पैसा दिया गया है,

एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० पी० के तहत जो पैसा दिया गया है, जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसके अनुसार स्कूल बिल्डिंग के ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन न तो स्कूल बनाते हैं, न रोड्स बनाते हैं, बल्कि अपने मण्डल आफिसेस बनाने में उसका उपयोग किया किया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स के लिए अधिक पैसा दिया जाना चाहिए और पैसे का सही उपयोग किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर सहब भी बैठे हैं, सब इस ओर ध्यान दें। आप विश्वविद्यालयों पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्राइमरी शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए और केन्द्रीय विद्यालयों में तथा नवोदय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम कीजिए तथा इनको वालेंटरी एजेंसीज को सौंपिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6,00 म० प०

केन्द्रीय सरकार के क, ख, ग, और घ, श्रेणियों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान किए जाने के संबंध में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जैसी कि वे समूह ख, ग और घ, कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा की गयी हैं, 608 के सूचकांक औसत से ऊपर, जो आधारभूत आंकड़ा है और जिस पर संशोधित वेतनमान निर्धारित किए गए हैं, 31.12.1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों के औसत में सम्पूर्ण अंकों में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर (सामान्य) (आधार 1960-100) 12 महीने का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1.12.1986 को 661.08 है, संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता 1.1.1987 से विचार किए जाने के लिए देय हो गया है जो 608 से अधिक 8.73 प्रतिशत निकलता है। 3500 रु. तक का मूल वेतन पाने वाले समूह ख, ग और घ, कर्मचारियों को 100 प्रतिशत निराकरण किया जाना है और इसलिए वे 1.1.1987 से मूल वेतन का 8 प्रतिशत संशोधित मंहगाई भत्ता पाने के हकदार हैं।

समूह "क" कर्मचारियों के लिए आयोग की सिफारिशों पर भी सरकार ने निर्णय लिया है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जैसी कि वे सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं, 608 के औसत सूचकांक से ऊपर जून, 1986 और दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए महीनों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सम्पूर्ण अंकों में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 1.7.1986 और 1.1.1987 से समूह "क" कर्मचारियों को संशोधित दरों पर देय महंगाई भत्ता विचाराधीन है। 30 जून, 1986 को औसत बारह महीनों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 632.41 है जो 608 से ऊपर 4.01 प्रतिशत की वृद्धि निकलती है। चूंकि 500/- रुपये तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 100 प्रतिशत का निराकरण दिया जाना है, अतः जो कर्मचारी 3501/- रु. और 6000/- रु. के बीच मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 5 प्रतिशत और जो 6000/- रु. से अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 65 प्रतिशत निराकरण दिया जाना है। 1.7.1986 से 3500/- रु. तक मूल वेतन पाने वाले समूह "क" कर्मचारी मूल वेतन के 4 प्रतिशत का संशोधित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं और जो

[श्री बी० के० गढ़वी]

कर्मचारी 3501/- रु. और 6000/- रु. के बीच मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे मूल वेतन के 3 प्रतिशत का संशोधित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं और जो कर्मचारी 6000/- रु. से ऊपर मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे मूल वेतन के 2 प्रतिशत का संशोधित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। इन वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों को 1.1.1987 से देय मंहगाई भत्ता क्रमशः मूल वेतन का 8 प्रतिशत, मूल वेतन का 6 प्रतिशत और मूल वेतन का 5 प्रतिशत निकलता है।

सरकार ने अब समूह ख, ग और घ कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किस्त का 1.1.1987 से नगद भुगतान करने का निर्णय किया है। सरकार ने समूह "क" कर्मचारियों को भी देय मंहगाई भत्ते की किस्तों को 1.7.1986 से और 1.1.1987 से नकद भुगतान करने का निर्णय किया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे।

समूह "क" अधिकारियों को 1.7.1986 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त की वार्षिक लागत का अनुमान [लगभग] 8 करोड़ रुपया बैठता है। चालू वित्तीय वर्ष में इसकी लागत (लगभग) 5 करोड़ रुपये होगी। सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें समूह 'क' कर्मचारी भी शामिल हैं देय मंहगाई भत्ते की किस्त की वार्षिक लागत 1.1.1987 से (लगभग) 278 करोड़ रुपये निकलती है। चालू वित्तीय वर्ष में यह लागत (लगभग) 46 करोड़ रुपये होगी।

6.03 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

पेय जल के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगा। श्री वृद्धि चन्द्र जैन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में केन्द्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है और केन्द्र सरकार ने एक टैक्नोलोजिकल मिशन फार ड्रिंकिंग वाटर मुकर्रर किया है। मैं उसके लिए केन्द्र सरकार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी भी टैक्नोलोजिकल मिशन में विशेष रुचि रखते हैं। इसलिए, हमें पूर्ण तौर से विश्वास है कि जो पीने के पानी की समस्या का प्रश्न हमारे सामने है और करीब चालीस वर्षों से जबसे हमने आजादी प्राप्त की है, तबसे सामने है तथा अभी तक हल नहीं हुआ है विशेषतौर से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में। मैं यह सहमता हूं कि टैक्नोलोजिकल मिशन इस प्रकार के कदम उठाए जिससे कि इन रेगिस्तानी क्षेत्रों जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, झुन्झुनू और सीकर आदि जिले आते हैं। उन जिलों में पीने के पानी की जो भयंकर समस्या है उसको हल करेगी। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी यह योजना प्रस्तुत हुई है उसमें भी विस्तार से इस बात पर जोर दिया गया है। पेज 303 और पैरा 12.57।

[अनुवाद]

कतिपय राज्यों राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में जलपूर्ति की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए सातवीं योजना में एक नई नीति बनाई जा रही है। सातवीं योजना में ऐसे राज्यों और क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

[हिन्दी]

इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी आधा घण्टा की चर्चा पीने के पानी के बारे में उठाई थी। बूटासिंह जी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है कि हम रेगिस्तानी क्षेत्र को विशेष महत्व देंगे। मैं रेगिस्तानी क्षेत्र का हवाला देना चाहता हूं जो बूटासिंह जी ने अपने जवाब में मेरे क्षेत्र के बारे में दिया है पेज 26938 में आपने रेगिस्तानी क्षेत्र का विशेष जिक्र किया है कि मैं इससे सहमत हूँ अगर आप इसके लिए कहें तो हम एलोकेशन एरिया को भी मार्क कर सकते हैं।

[अनुवाद]

"आवंटित राशि का कुछ प्रतिशत रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये व्यय किया जाना चाहिये। रेगिस्तानी क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र की जनसंख्या को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें न केवल परेशानी हो रही है वरन कठिनाई भी हो रही है। पानी के स्रोत गांवों से बहुत दूर हैं और उन्हें दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है। भूमि के नीचे एक दम पानी उपलब्ध नहीं है। अतः जहां तक 'ए० आर० जी०' आवंटन का संबंध है मैं रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए विशेष महत्व दिये जाने पर विचार करने के लिये तैयार हूं। अतः, मैं उपाय अपनाने को तैयार हूँ। मैं राज्य सरकार से राजस्थान के क्षेत्रों में धन के आवंटन की प्रतिशतता बढ़ाने का सुझाव भी दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य मेरे इस वायदे से प्रसन्न होंगे। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यदि माननीय सदस्य को किन्हीं विशेष मुद्दों पर चर्चा करनी हो तो मेरे साथ बैठकर उन्हें हल कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

उन्होंने विशेष तौर से इस बात का उल्लेख किया है।

[अनुवाद]

"जहां तक 'ए०आर०जी०' आवंटन का संबंध है मैं रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये विशेष महत्व पर विचार करो के लिये तैयार हूं।"

[हिन्दी]

इसलिए अभी जो टेक्नोलोजिकल मिशन कायम हुआ है उन्होंने 50 मिशन बनाने का कार्यक्रम बनाया है जिसमें 11 मिशन कार्य कर रहे हैं। उनमें से 10 मिशन की मिनी मिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत भी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मैं बाड़मेर से सम्बन्धित हूं,

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

राजस्थान में एक ही मिनी मिशन काम कर रहा है, वह क्यों नहीं अभी तक प्रस्तुत हुई। जब आपने मिनी मिशन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी आज प्रस्तुत होती तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से डिसकस कर सकते थे। जो यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है उस सम्बन्ध में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र में टेक्नोकोजिकल मिशन के चैयरमेन और डायरेक्टर पधारे थे, उनके साथ विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने दो दिन तक मेरे क्षेत्र का दौरा किया और वहां पीने के पानी की समस्या को अच्छी तरह से देखा और आदेश दिया कि राजस्थान की सरकार इस सम्बन्ध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने तो पूरी तरह से हमारा साथ दिया, पर राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई तो वहां के अधिकारियों ने जनता के किसी भी प्रतिनिधि को, एम. एल. ए. या एम. पी. को, विश्वास में नहीं लिया। जो इस प्रकार की योजना बनाई जाती है पीने के पानी के बारे में विशेषज्ञ तो जानते ही हैं; लेकिन हम भी अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं ...

आपको यह देखना चाहिए कि किस प्रकार की योजनाओं से हमारी पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। जब भी इस प्रकार की आप कोई योजना बनायें तो यह आवश्यक और जरूरी है कि जन प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए। जब आप जन प्रतिनिधियों की अवेहलना करके उन्हें विश्वास में न लेकर, कोई योजना बनाते हैं, उस पौलिसी को कोई भी पसन्द नहीं कर सकता। प्रजातंत्र में जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाना बहुत आवश्यक है। यदि आप सिर्फ अधिकारियों के द्वारा ही नीति निर्धारण कराते रहेंगे तो आपकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती और न आप अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सकते। आप की योजनाएं भी अच्छी तरह से नहीं बन पायेंगी और न कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन पायेगी।

केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी हेतु बहुत उदार नीति अपनाई और उस नीति के परिणामस्वरूप ही हमारे राजस्थान राज्य को इस मद में काफी पैसा मिला। छठी पंच वर्षीय योजना में हमें 124 करोड़ रुपये की राशि मिली, परन्तु राजस्थान सरकार की स्थिति कमजोर होने के कारण हम अपना हिस्सा पूरी तरह नहीं दे सके और सिर्फ 64 करोड दे सके। हमारे 64 करोड़ रुपये के उपरान्त भी केन्द्रीय सरकार ने 124 करोड रुपये की राशि हमें उपलब्ध करायी। हम चाहते हैं कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में भी केन्द्रीय सरकार वैसी ही उदार नीति अपनाये। इससे राजस्थान जैसे दुर्भिक्षग्रस्त इलाकों को काफी मदद मिल सकती है और स्थिति में सुधार आ सकता है और हम सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सभी को पीने का पानी सुलभ करा पायेंगे। माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में भी वैसे तो स्पष्ट रूप से कहा है कि रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हम प्राथमिकता के आधार पर पीने का पानी उपलब्ध करवायेंगे। यदि आप 2 मार्च, 1987 के प्रश्न संख्या 824 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को क्रियान्वित कर सके तो उससे इस समस्या का स्थायी हल सम्भव है। हम चाहते हैं कि ऐसी समस्याओं के लिए, बाड़मेर जिले के लिए टैक्नोलोजिकल मिशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस में 38 करोड 90 लाख रुपये की योजना का सुझाव दिया गया है। यदि उस रिपोर्ट को मानकर सरकार 38 90 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा देती है तो भी हमारी पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान सम्भव

है। हम चाहते हैं कि सातवीं पंच वर्षीय योजना के शेष ढाई वर्षों में आप इस की व्यवस्था करा दें। यदि आप ए. आर. पी. के अन्तर्गत इस प्रकार की एलॉटमैंट करते हैं तो राजस्थान सरकार को भी केन्द्रीय सरकार की ओर से डायरैक्शन दी जानी चाहिए कि वह इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करे। मैंने गृह मन्त्री जी से भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि इतनी राशि तो आपको देनी ही चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश की स्थिति और समस्या की भीषणता को देखते हुए, ऐसा प्रावधान किया जाना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना ईअरमार्क तो आपको करना ही पड़ेगा। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि राजस्थान सरकार भी हमारे साथ अन्याय कर रही है। जहां तक एडवांस प्लान एसिस्टेंस का सम्बन्ध है, यद्यपि आपने इस स्कीम के अन्तर्गत 27 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं परन्तु हमें 67 करोड रुपये मिले लेकिन यह राशि भी 17 मार्च को जाकर मिली, जिसको समय रहते खर्च कर पाना भी सम्भव नहीं हैं। इस तरह राजस्थान सरकार हमारी समस्या की गम्भीरता को समझ कर मदद नहीं कर रही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को हमें मदद करनी पड़ेगी। वैसे पीने का पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार का विषय है, परन्तु केन्द्रीय सरकार पर भी कुछ जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस समस्या को इस तरह हल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें आवश्यक राशि प्राप्त हो सके। आपने ए. आर. पी. यानी एक्सीलरेटिड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अन्तर्गत 1983-84 में 41.40 करोड़ रुपये; 1984-85 में 39.13 करोड़ रुपये दिये परन्तु 1985-86 में इस राशि को घटा कर केवल 27.32 करोड़ रुपये दिए। और 86-87 में 21.22 करोड़ निर्धारित किए पर जब हमने ज्यादा जोर दिया और बहुत दबाव दिया, तो जाकर 27 करोड़ रुपए निर्धारित हुए। इस प्रकार से ये जो राशि दी गई थी वह वापस रिव्यूस हो रही है। उधर 9 अगस्त, 1985 को जैसलमेर में प्रधान मंत्री महोदय ने यह एलान किया कि इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में; जैसलमेर और बाडमेर के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि देंगे। यहां यह हो रहा है, अतिरिक्त राशि देना तो दूर; जो सामने राशि है वह भी कम होती जा रही है, यह हमारे लिए उचित नहीं है।

अभी आपने जो प्लान बनाया है उसके अन्तर्गत 3454.47 करोड रुपए का प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया है और उसके अन्दर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 2 करोड 53 लाख रखा है। 3400 करोड रुपए में दोनों शामिल हैं। आपने ए. आर. पी. के अन्तर्गत जो राशि रखी है वह 1201 करोड़ है। कहने का अर्थ यह है कि ए. आर. पी. के अन्तर्गत जो राशि निर्धारित की है वह बहुत ही कम निर्धारित की है। इससे किसी भी तरीके से पीने के पानी की व्यवस्था सातवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सकती है जबकि विद्युतीकरण के लिए 34 हजार करोड का प्रावधान कर दिया है, तो पीने के पानी के लिए 1201 करोड़ किया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के समक्ष इसको प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना में सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ए. आर. पी. के अन्तर्गत राशि बढ़ाई जाए। केन्द्रीय सरकार बढ़ाए और उसके सम्बन्ध में प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी आर कहें। तभी यह व्यवस्था हो सकेगी। 2.30 लाख गांव थे उसमें से 1.92 गांवों के बारे में प्लानिंग कमीशन ने लिखा है कि उनमें पानी की व्यवस्था करनी है। 39 हजार गांव रह गए हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे गांव भी हैं जहां पानी पहुंच गया है लेकिन वहां पर 40 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर पहुंचा है। कुछ ऐसे भी गांव हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंचा है। जहां 40 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

पानी पहुंचा है वहां पर उन सभी योजनाओं को औगमेंट कर के 70 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर बनाना होगा। यह तभी हो सकता है जब राशि का ज्यादा प्रावधान हो अन्यथा यह व्यवस्था नहीं हो सकती है।

मैं, यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने ए. आर. पी. के अन्तर्गत जो राशि निर्धारित की है उस राशि को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे या नहीं और आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से सभी के लिए पानी पहुंचाएंगे या नहीं। हालांकि आप ने इसके लिए "जी हां" कह दिया है, तो अब तो इससे पीछे हटने की बात ही नहीं है।

मान्यवर, अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो टेक्नीकल कमीशन मुकर्रर किया है जो सैलाइन वाटर वहां है, खारा पानी है उसमें किस प्रकार से फ्लोराइड मिलाकर और किस प्रकार से सस्ती योजना बनाकर टेक्नीकली स्कीम्स बनाकर उस पानी को मीठा करेंगे। इस प्रकार से हमारे बाड़मेर जिले में जो योजना बनी है; उसमें सैलाइन वाटर में फ्लोराइड मिलाकर किस प्रकार से उसे मीठा और पीने के योग्य बनाया जाएगा। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। मैं यह भी चाहता हूं कि जो आपका पानी का फार्मूला है उसमें जनसंख्या को देखा जाता है और 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वह फार्मूला काम करता है। हमारे यहां जनसंख्या का प्रतिशत कम होता है, हमारे यहां क्षेत्र बड़ा है और कॉस्ट हमारे यहां ज्यादा आती है। इसलिए आप इस फार्मूले को परिवर्तित कर के हमें अधिक राशि दिलाने की कृपा करें ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

हमारे यहां अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति है कि 10,10 और 15,15 किलोमीटर तक हमें पीने के पानी के लिये जाना पड़ता है। बहुत से गांव में कतई पानी नहीं है और अगर है भी तो खारा है। हमारे पास ओरिजनल पाइप लाइन स्कीम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओरिजनल पाइप लाइन स्कीम एक जगह से 100 किलोमीटर तक जाती है और उनकी बड़ी भारी कास्ट आती है। उन योजनाओं को कैसे आप कम कास्ट की बनायेंगे ? यह किसी भी तरह से कम कास्ट की बन नहीं सकती हैं।

हम यह भी चाहते है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का पानी कलैक्ट करते हैं; मीठा पानी कलैक्ट करते हैं उसके लिये आपने टांका की सहमति प्रदान की है। एक गरीब आदमी जिसके पास पानी का साधन नहीं है, क्या उसे टांके के लिये आप सब्सीडी प्रदान करेंगे और वह टांके का निर्माण कर सकेगा ? इस सम्बन्ध में आप क्या ठोस कदम उठायेंगे, इस पर भी प्रकाश डालें।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, यह बड़ा वैल्यूएबल है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या बड़ी कठिन है: प्रति वर्ष लोग तबाह होते हैं।

राजस्थान एक बहुत बड़ा भूखन्ड है, राजस्थान में वर्षा कम होती है ओल्ड ट्रेडीशन के आधार पर वहां लोग पीने के पानी की व्यवस्था किये हुए थे। वहां सैलाइन वाटर मिलता है, दूसरी, तीसरी तरह की बीमारियों वाला पानी मिलता है। पानी का लेबल बहुत नीचे चला जाता है। पानी बहुत

दूर से लाना पड़ता है, 3,3 और 4,4 मील से पानी ऊंट पर लाना पड़ता है। भारत सरकार राजस्थान की पानी की समस्या से पूरी तरह अवगत है।

जितने डैजर्ट प्रोन एरिया हैं, स्टेटस हैं; उन सब में पीने के पानी की काफी कठिनाई महसूस की जाती है। भारत सरकार ने और प्रधान मंत्री जी ने इस समस्या को हल करने के लिये टेक्नोलाजी मिशन स्थापित किया है और उसको काफी धन दिया गया है, जिसके माध्यम से इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस टैक्नालोजी मिशन का उद्देश्य क्या होगा यह सफल होगा या नहीं ? इनकी शंका बराबर बनी रहती हैं। इनके प्रश्न से भी साफ मालूम होता है कि इनको संदेह है कि यह टैक्नालोजी मिशन काम नहीं करेगा। एक प्रश्न में भी इन्होंने पूछा था कि क्या टेक्नालाजी मिशन के बदले कमीशन बनाना चाहते हैं ?

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी जो टेक्नालाजी मिशन बना है, उसमें काफी धन की व्यवस्था की गई है और जितनी साइंटिफिक आर्गेनाइजेशन हैं, उनसे सहायता ली जा रही है जैसा आपको मालुम है, अभी तक 50 डिस्ट्रिक्टस में मिनी मिशन स्थापित होने हैं, पीने के पानी के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि देने का यह काम पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में शुरू हुआ और इसकी अवस्था बहुत ही छोटी है। इतने कम समय में इतना काम हुआ है, वह निश्चित रूप से सराहनीय हैं। अभी 11 मिनी मिशन जो स्थापित किये गये हैं, उनसे रिपोर्ट आ गई हैं, बाकी की रिपोर्ट आने वाली है। क्योंकि काम 1987 से शुरू होना था। मिनी मिशन की रिपोर्ट के आधार पर यह मिनी मिशन बनाये गये जो सारी डिफिकल्टीज को देखेंगे कि पानी कैसे साफ किया जाये, पीने लायक बनाया जाये, उसमें जो बीमारी के कीड़े हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाये। फिर पानी अधिक मात्रा में कैसे दिया जाये ? दूर से पानी लाना पड़ता है, उसे कैसे हल किया जाये। हर तरह से मिनी मिशन अपना अन्वेशण करेगा, छानवीन करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा।

उस रिपोट के आधार पर हम उसको री-एप्लीकेट करेंगे और दूसरी तरफ फायदा उठायेंगे। इससे यह समस्या हो जायेगी। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें बता सकता हूं कि कितना धन दिया गया है ? अभी जो बाड़मेर का मिनी मिशन है उसके ऊपर दो हजार रुपया हमने खर्च करने के लिये दिया और अभी जो आपके स्टेट में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है वह समुचित रूप से लागू है। मिनी मिशन की वजह से उसे हटाया नहीं गया है। सारे कार्यक्रम उसी तरह चल रहे हैं जैसे कि पहले चल रहे थे।

माननीय सदस्य ने निकासी को बढ़ाने के बारे में भी प्रश्न किया ? भारत सरकार ने इस पर काफी छानबीन की। हम निश्चित रूप से ऐसा समझते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन का क्राईटीरिया है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पहले जो क्राईटीरिया फिक्स किया था उसके आधार को अब हम बदलना चाहते हैं जिससे कि जो डेजर्ट एरियाज हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, और गुजरात का कुछ हिस्सा, ऐसे राज्यों के साथ उचित न्याय हो सके इस बारे में प्लानिंग कमीशन को लिखा जा रहा है। उसका जवाब आने के बाद तुरन्त क्राईटीरिया को चेंज किया जायेगा। इससे राजस्थान को फंड एलोकेशन में लाभ होगा।

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि सलाइन वाटर को कैसे ट्रीट किया जाये। हमारे जितने भी

साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन्स हैं जो कि केमिकल और बैक्टीरिया दोनों तरह की बीमारियों को बताते हैं और सहायता करते हैं, वह देखने के बाद उसको री-एप्वाइंट किया जायेगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह पानी सस्ता नहीं होगा बल्कि बहुत मंहगा होगा।

श्री रामानन्द यादव : जब वर्षा होती है और उस पानी को जब इकट्ठा किया जाता है तो वह पानी सस्ता होता है। हमने देखा है कि मिजोरम में और दूसरी कई जगहों में घरों की छतों में टैंक बना कर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं अभी हाल ही में गुजरात गया था वहां पर मैंने पानी को ऐसे इकट्ठा करते हुए देखा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हमारे यहां भी ऐसा होता है।

श्री रामानन्द यादव : आपके यहां भी होता होगा। हम चाहते हैं कि जो खारा पानी है उसको कैसे उपलब्ध किया जाये? इसमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि उस पानी के रिसोर्स कहां हैं और उसके बाद इस रिसोर्स को कैसे युटिलाइज किया जाये? हमारे पास दो तकनीकें हैं जिसको कि हम अपना सकते हैं – एक लांग ड्यूरेशन और दूसरा शार्ट ड्यूरेशन। लांग ड्यूरेशन में पाइप लाईन की बात होती है लेकिन इसमें काफी खर्च होता है और समय भी बहुत अधिक लगता है। शार्ट ड्यूरेशन में प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है उसको हम इकट्ठा करते हैं और उसके द्वारा जो पानी इकट्ठा किया जाता है वह हम देते हैं।

आपके यहां लूनी नदी है लेकिन आज उस नदी का पानी वहां की डाइंग इंडस्ट्री की वजह से खराब हो रहा है।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : आप सारे राजस्थान की बात कीजिए। केवल बाड़मेर की ही बात मत कीजिए।

श्री रामानन्द यादव : मैं राजस्थान में सभी जगह की ही बात कर रहा हूं। हम इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि हम नई टैक्नालॉजी को अपना कर जल्द से जल्द पानी की समस्या को हल कर सकें।

रीजनल पाइप की बात भी माननीय सदस्य ने की है। इन का मत है कि इन्दिरा केनाल के माध्यम से पाइप-लाइन से पानी भेज कर लोगों की समस्या हल करें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अभी एक स्कीम गवर्नमेंट ने मंजूर की है कि हमारा नलकूप अगर कामयाब हो जाता है तो उससे दूसरे गांवों में भी वह पानी पहुंचाया जायेगा। मैंने इन्दिरा नहर की बात नहीं की है। दूसरी जगह गांवों में पानी है ही नहीं, वहां के लिए तो आपने खुद ही मंजूरी दे दी है। डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी स्कीमें बड़ी कास्टली हैं और इसलिए ज्यादा रकम के लिए भी रिक्वैस्ट की है।

श्री रामानन्द यादव : मैं कह रहा था कि क्राइटीरिया चेन्ज करने से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के साथ उचित न्याय होगा, अधिक धन की व्यवस्था हो सकेगी और जितनी रूरल वाटर

सप्लाई की स्कीमें चलती हैं वह तो चलती रहेंगी, उन्हें हटाया नहीं जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अयूब खां : राजस्थान के और जिलों को भी काउन्ट करेंगे ?

श्री रामानन्द यादव : यह तो सारे राज्य की बात है। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात " (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, न केवल राजस्थान के बारे में जवाब दे रहे हैं, वह अन्य राज्यों के विकास के भी इच्छुक हैं। आप इसे बांधों और झीलों के निर्माण के समय जलाशयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक एकीकृत पेयजल योजना बनानी पड़ेगी जो कि अधिक उपयोगी है। यदि आप केवल कुंए खोद रहे हैं तो वह स्थायी हल नहीं है। पहले आप उस जल को पेयजल के प्रयोजन से प्रयोग करें क्योंकि आजकल कम वर्षा हो रही है। जितना भी पानी उपलब्ध है आपको उसे पीने के लिये उपयोग करना चाहिये। उसके बाद ही हम सिंचाई के बारे में सोच सकते हैं तभी यह समस्यायें हल होंगी। इस बारे में कई शिकायतें मिल रहीं हैं कि भूजल में क्लोराइड शामिल हैं। अतः, आपको एक दीर्घावधि नीति पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द यादव : इसीलिए यह टेक्नालाजी मिशन बना है कि जो खराब पानी है उसको कैसे ट्रीट किया जाये और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाये। उस दिशा में हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। यह समस्या बहुत बड़ी है और इसके लिए धनराशि की कमी है। प्लानिंग कमीशन के स्वयं के कैलकुलेशन के मुताबिक जब 7,777 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध होगी तभी 1990 तक सारे देश में पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। हमारे देश में काफी प्राब्लम-विलेजेज हैं। उनकी समस्या हल करने के बाद जो और स्पिल-ओवर विलेजेज होंगे, उनकी समस्या भी हल करनी होगी। सारे रूरल एरियाज में पानी सप्लाई करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, उतनी धनराशि का एलोकेशन होना सम्भव नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जब विद्युत के लिए हो सकता है, तो पानी के लिए क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री रामानन्द यादव : हमें इस समस्या को हल करने के लिए इंटिगरेटेड एप्रोच अख्तियार करनी होगी। केवल बोर-वाटर देकर यह समस्या हल नहीं की जा सकती। रेन-वाटर को भी हम कलेक्ट करके दूसरी जगह रख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि नीचे जमीन में टैंक लगाकर पानी स्टोर किया गया है जिसको समय-समय पर पीते रहते हैं। तो हमें ओल्ड और न्यू दोनों ही कंडीशंस को अपनाना पड़ेगा। इन्दिरा-कैनाल से पानी सप्लाई करना तो बड़ा कास्टली होगा। क्योंकि अगर बिजली की सप्लाई ठीक नहीं रहती है तो पानी की सप्लाई भी बन्द हो जाती है। उसकी वजह से दूर से पानी लाने में बड़ी कठिनाई होगी। इन्हीं कारणों से टेक्नालाजी मिशन द्वारा नये-नये मेथड अपनाकर और नये रिसोर्सेज को टेप करके, किस तरह से पानी पहुंचाया जाये - उस पर काम हो रहा है और जितना काम इस दिशा में किया

[श्री रामानन्द यादव]

गया है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जो 50 मिशन कायम होने हैं, उनमें से 23 स्थापित हो गये हैं जिनमें से 10 की रिपोर्ट भी गई हैं। और 27 अगले चरण में होने हैं, यानि कुल मिलाकर 50 मिशंस जो उपलब्धि देंगे उनसे काफी फायदा पहुंचेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खासकर जो रेगिस्तानी इलाका है वहां भी हम विशेष तौर से व्यवस्था को हल करने का प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत उत्तर दिया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि केवल प्रश्न करें न कि लम्बे वक्तव्य दें। डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश का पालन किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय हमारे बिहार के हैं और करीबी हैं। मैं उनसे कहूंगा—

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उभरे, मोती मानस चून ॥

मुझे उम्मीद है आप हमारे इस देश के पानी की रक्षा करेंगे।

हमारे माननीय सदस्य, श्री जैन जी द्वारा पीने के पानी के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। पानी की इतनी आवश्यकता है बिना पानी के सारी धरती, मानव, जंगल, पशु, पौधे सब कुछ नष्ट हो जायेंगे इससे आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी महत्ता है। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा –

[अनुवाद]

पानी केवल जीने के लिये ही आवश्यक नहीं है। यह एक आधार तत्व, शक्ति का स्रोत, गन्दगी बहाने वाला, एक द्रव्य, गर्म और ठंडा करने वाले संयंत्रों को चलाने वाला और सबसे बढ़कर आग बुझाने का साधन है।

[हिन्दी]

मैं आपका ध्यान पूरे हिन्दुस्तान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसा कोई स्टेट नहीं है, जहां पानी की समस्या न हो। सूखे के दिनों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और खासकर हमारे दिल्ली में 10-15 दिनों में पानी की समस्या के बारे में अखबारों में खबर छपती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जून, 1986 को चीफ एग्जीक्यूटिव काउन्सिल, दिल्ली, ने कहा था "वह दिन दूर नहीं, जब टूरिस्ट्स को पानी भी साथ लेकर दिल्ली में आना पड़ेगा।" उन्होंने कहा था—दो साल पहले दिल्ली में तीस फीट नीचे पानी मिल जाता था, लेकिन आज सौ फीट नीचे भी पानी उपलब्ध नहीं है। किस तरीके से पानी की किल्लत बढ़ रही है और कैसे हमारा पानी नष्ट हो रहा है और किन-किन परिस्थितियों में पानी की समस्या घटती-बढ़ती रहती है। इन सारी बातों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय सदस्य, श्री वृद्धिचन्द्र जैन जी, ने बताया कि आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में रूरल एरियाज में पानी देने के लिए किस प्रकार तमाम योजनायें चलीं। आंकड़े अगर देखे जाएं, तो मेरे जिले में चार हजार गांवों में शुद्ध पीने का पानी देने की सुविधा प्रदान की गई। लेकिन माननीय मंत्री जी आप इस सदन में इस तथ्य से इन्कार मत कीजिए कि जब प्रधान मंत्री जी अपने क्षेत्र में चापाकल का निरीक्षण करने गए और उन्होंने उसको चलाया तो पानी नहीं निकला। बल लगाकर उसको ऊपर उठाया तो पूरा का पूरा पाइप उखड़ कर बाहर आ गया। मात्र तीन फीट पाइप अन्दर था। यह अखबार में खबर आई और टी० वी० पर भी ... (व्यवधान) चूंकि आप सरकारी तन्त्र द्वारा बनवाते हैं और अपने सरकारी तन्त्र से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, और मोनेटरिंग भी सरकारी तन्त्र द्वारा कराते हैं, लिहाजा जितनी भी सूचनायें आपको मिलती हैं, उनमें 70 फीसदी सूचनायें झूठी होती हैं। गलत होती हैं। इसीलिये मैंने प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र सुल्तानपुर का उदाहरण आपके सामने रखा है। हम लोग संसद सदस्य हैं। अपने क्षेत्रों में जाते हैं। वहां पर चापाकल बोर्ड लगा रहता है, जब गांवों में जाते हैं, जिस दिन से चापाकल लगा। उसी दिन से पानी नहीं आता है। ऐसी शिकायत मिलती है। उसके रख-रखाव, मेंटिनेंस, खराब होने पर ठीक करने का या दरअसल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है– इन सब चीजों को देखने के लिए आपके पास वही एजेंसी है जो उसे लगाती है। जिसने आपको धोखे में रखा है। तीन फीट बोर करके चापाकल लगा दिया और कह दिया कि वहां पीने के पानी की सुविधा मुहैया करा दी गई और आप उनके आंकड़ों से संतुष्ट हो जाते हैं। चूंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय बार-बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं मिर्जापुर जिले की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां (4 से 5) किलोमीटर की दूरी तक पीने के पानी की सुविधा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड डिवीजन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमीरपुर, बांदा, झांसी और मिर्जापुर जैसे क्षेत्रों में पानी की सुविधा नहीं है। जहां ट्यूबवैल और चापाकल ये सारी सुविधायें फेल हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन क्षेत्रों में पानी की विशेष सुविधा प्रदान करायें।

दूसरे सवाल के रूप में दो-तीन चीजों के बारे में पूछना चाहता हूं। एक इन्स्टीचूशन्स आपने साइन्स और टैक्नोलॉजी के माध्यम से कम दर पर ग्रामीण अन्चलों में शुद्ध पानी देने के लिए स्थापित किए हैं। जिनके नाम में अभी पढ़कर बताऊंगा। उन संस्थानों ने लाखों-करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से तनख्वाहों और सुविधाओं के नाम से लिए हैं, तो क्या उनकी कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं–यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

मेकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, मद्रास, नेशनल एनवायरमेंट इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नगपुर सेंट्रल वाटर, मेरीन एण्ड केमिकल्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, भावनगर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को।

[हिन्दी]

ये सारी संस्थाएं जो कार्यरत हैं इस क्षेत्र में, उनकी क्या उपलब्धियां हैं और उन पर आप कितना खर्च करते हैं और साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी के आधार पर लो कास्ट पर शुद्ध पानी को उपलब्ध कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं और जो पानी वेस्ट हो रहा है, जिसको कन्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, उस पानी का बेहतर उपयोग कैसे हो, उसके लिए आपने क्या किया है।

दूसरे यह जानना चाहूंगा कि 6 किलोमीटर की दूरी पर पीने के पानी का आप ने नार्म बना रखा है। उस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है।

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

तीसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि उन एरियाज में जहां आइरन ज्यादा है पानी में, फ्लोराइड ज्यादा है पानी में और आयोडीन कम है पानी में, उसके लिए आपने क्या किया है।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुरा) : डिप्टी स्पीकर महोदय, यादव जी हमारे राज्य से आते हैं और सारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बिहार दो कान्ट्राडिक्टरी रीजन्स में बंटा हुआ है। नार्थ बिहार में फ्लड ही फ्लड है और साऊथ बिहार में ड्राउट है, सूखा है और भुखमरी है और अकाल है वैसे भुखमरी और अकाल दोनों क्षेत्रों में हैं। साऊथ बिहार में पानी की बड़ी दिक्कत है और बहुत नीचे तक ट्यूवेल खोदने पड़ते हैं, तब जाकर पानी निकलता है और सरकार अनुदान देकर राज्य सरकारों से यह काम करा रहीं हैं। चापाकल लगाए गये साउथ बिहार में, जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। जहां तक मेरी जानकारी है, वर्ल्ड बैंक की भी इसमें एसिसटेंस है। इसमें घोर अराजकता है। 5, 5 और 6, 6 फीट नीचे चापाकल डाले गये हैं जबकि 100 फीट बोर करने पर पानी निकलता है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। ऊपर हैंड पम्प लगा दिये और उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वह तो ऐसे ही हुआ कि किसी ने लड़की की शादी कर दी और वह सुसराल चली गई और उसने समझा कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई चाहे सुसराल वाले उसको जला ही क्यों न दें। आप ने अनुदान दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको किस तरह से यूटीलाइज करती है, इसको मोनीटर करने का आप के पास कोई उपाय नहीं है। नार्थ बिहार में, जहां पर फ्लड से बहुत पानी आता है, वहां पर 5,7 फीट बोर करने के बाद या 10 फीट बोर करने के बाद पानी मिल जाता है लेकिन वहां पर लोग एक फीट से नीचे बोर करने को तैयार नहीं है। घोर अराजकता है। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि पीने के पानी का आजादी के 40 वर्ष बाद भी, उस राज्य में जहां पहले कभी आप मन्त्री थे, कोई सेटिस्फेक्टरी प्रबन्ध हो पाया है या भविष्य में होगा या लोग पानी के लिए इसी तरह से तड़पते रहेंगे जैसे आज तड़पते रहते हैं। गर्मियों में आप सुनते होंगे कि साऊथ बिहार में, गया में पलामा में और डाल्टनगंज में पानी के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मर जाते है। इस गौतम की भूमि में अब भी लोग पानी के अभाव में तड़प कर मर जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मोनीटरिंग की क्या व्यवस्था आपने की है, जिससे वहां के लोगों को पानी मिल सके।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम सिद्धात रूप में माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो नया फार्मूला स्वीकार किया है राज्यों को पानी के सम्बन्ध में सहायता देने का, धनराशि देने का, वह सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित सिद्धातों के विपरीत है। मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में खास तौर से राजस्थान जैसी स्टेट के बारे में जो उल्लेख है, पृष्ठ संख्या 303 पर, उसको उद्धृत कर रहा हूं :

[अनवाद]

"कतिपय राज्यों (राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश) और पहाड़ी क्षेत्रों में जलपूर्ति की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए सातवीं योजना में एक नयी नीति बनाई जा रही है। सातवीं योजना में ऐसे राज्यों और क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। राज्य मुख्य इंजीनियर की शक्तियों का प्रत्यायोजन कर इन स्कीमों के कार्यान्वयन में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर किया जायेगा।"

[हिन्दी]

इसी के बारे में पृष्ठ संख्या 302 पर उद्धृत किया गया है–

[अनुवाद]

सातवीं योजना में ग्रामीण जनपूर्ति कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ नीति विषयक विषय इस प्रकार है :–

(1) क्या समस्यायुक्त गांवों या समस्यायुक्त क्षेत्रों को सातवीं योजना में पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो नई परिभाषा क्या होनी चाहिए ?

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जलपूर्ति के प्रति व्यक्ति मानक क्या होने चाहिए ?

(3) कतिपय क्षेत्रों–जैसे राजस्थान, हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट कठिनाइयों तथा उन कठिनाइयों का समाधान करने के लिये पद्धतियां। ये प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

इन प्रोविजंस के तहत में आपने सातवीं योजना के अन्त तक, 199 0 के अन्त तक हिन्दुस्तान के 2 लाख 27 हजार समस्याग्रस्त गांवों में जलपूर्ति के साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया है। जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि आपके लिए 3,454.47 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। आपका अनुमानित व्यय इससे करीब करीब ढाई या तीन गुना होना है। मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस सदन से एक संकल्प कराकर माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करें कि इसके लिए राशि बढ़ायी जाए। जब तक यह राशि नहीं बढ़ायी जाएगी, तब तक आपके मंत्रालय के सब कुछ करने पर भी आप इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस राशि को बढ़ाने के लिए आप प्लानिंग कमीशन के के सामने, प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के सामने क्या प्रयत्न कर रहे हैं और अब तक क्या प्रयत्न किये हैं इस बारे में सूचना देने का कष्ट करें।

दूसरे आपने यह बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि यह टैक्नोलोजीकल मिशन फारड्रिंकिंग वाटर के तहत 50 पाइलेट प्रोजेक्ट्स देश के अन्दर आइडेन्टिफाई करने का संकल्प किया है। इससे आपकी कास्ट में कमी आयेगी इसके साथ साथ आपने दस पाइलोट प्रोजेक्ट्स ढूंढ़ भी लिए हैं जिनको आप चालू कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो 50 पाइलोट प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य है, बाकी जो प्रोजेक्ट्स है उनमें से राजस्थान में कितने प्रोजेक्ट्स देने का आप विचार रखते हैं ? आपने केवल एक प्रोजेक्ट राजस्थान के बाड़मेर जिले को दिया है। पूरे राजस्थान में 32,539 गांव हैं जो समस्याग्रस्त गांव हैं। इन 32,539 गांवों में से केवल एक बाड़मेर जिले को आपने एक प्रोजेक्ट दिया है। इससे राजस्थान के गांवों की समस्या का हल नहीं होता है। आपने पाकिस्तान के बार्डर पर जो जिला है, उसको आपने आइडेन्टिफाई कर दिया है। आप बाकी जिलों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे ? इसके लिए आपके पास इन्टेग्रेटिड प्रोग्राम क्या है। बाकी जिलों की समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, इनके बारे में आपका क्या प्रोग्राम है, इसकी क्या हमें सूचना देंगे ?

[श्री रामसिंह यादव]

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वहां के गांवों का विकास करना बहुत लाजमी है। अगर हम उनका विकास नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर पड़ता है और उससे दिल्ली की आबादी बढ़ती है। विशेष तौर से मेरा संसदीय क्षेत्र अलवर है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन में स्वीकार किया गया है। लेकिन वहां के लिए अभी तक आपने एक पैसा भी नहीं दिया है। वहां की आबादी को पानी देने के लिए तीन करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आपके पास कई सालों से विचाराधीन हैं। इस जिले में करीब दो हजार गांव हैं। अगर इन गांवों की पीने का पानी की जो समस्या है, अगर वह हल नहीं होती है तो वहां की आबादी के दिल्ली आने का भय है। उस जिले से नौकरी के लिए मजदूर दिल्ली आते। अगर आपने इस समस्या को हल नहीं किया तो यहां की आबादी बढ़ती जाएगी। क्या आप इस जिले को इस योजना के तहत लेने पर विचार करेंगे? मैं आशा करता हूं कि आप इन मुद्दों पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : जिस तरह से हमें पानी के पीछे भागना पड़ता है उसे देखकर लोग क्षोभ से कहते हैं–

[हिन्दी]

"पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,"

[अनुवाद]

और कभी उसका उत्तर होता है।

[हिन्दी]

"जिसमें मिला दो लगे उस जैसा।"

[अनुवाद]

और यह भी कहा जाता है कि इस देश में

[हिन्दी]

"आज खून सस्ता हो गया है और पानी मंहगा हो गया है।"

[अनुवाद]

अब मेरे क्षेत्र गोआ में, वहां औसत 100" वर्षा होती है। केवल इस वर्ष ही 65" हुई है। किसी भी राज्य के लिए 65" वर्षा पर्याप्त है और किसी भी कुंए के लिए कोई समस्या नहीं होगी। परन्तु गोआ में 65" वर्षा होने पर भी इस वर्ष सूखा पड़ा है। गोआ सरकार ने केवल 10 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। सरकार का रुख यह है कि क्योंकि आपके यहां 65" वर्षा हुई है इसलिए वहां सूखा नहीं है। आपको सहायता की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक दूदसागर नदी का सम्बन्ध है, यह कर्नाटक से आती है। कर्नाटक सरकार ने उस नदी को अपने क्षेत्र की ओर जो कि एक बड़ा जलाशय है मोड़ने के लिए अवरुद्ध कर दिया है। जिससे गोआ को इसके पानी से वंचित होना पड़ा है, जो कि हमें कई वर्षों से मिलता चला आ रहा है। वहां एक सुंदर जल प्रपात है जो कि इस नदी के जल से बना है। यदि इसे रोका जाता है तो यह जल प्रपात भी समाप्त हो जायेगा। पानी की भारी कमी होने पर भी गोआ सरकार ने केवल 10 करोड़ रुपये मांगे हैं और कुछ भी नहीं दिया गया है।

इस दृष्टि से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस पर ध्यान देंगे कि:—

1. गोआ को 10 करोड़ रुपये दिए जायें।

2. क्या आप गोआ कर्नाटक के मध्य विलाम में हस्तक्षेप करेंगे और कर्नाटक सरकार पर दूद-सागर नदी का पानी न रोकने के लिए दबाव डालेंगे ताकि गोआ को वर्षों से मिल रहे पानी से वंचित न होना पड़े।

3. हमारे वहां विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र है। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे गोआ, बंगलौर, बम्बई आदि के तटवर्ती क्षेत्र के जल को शुद्ध पेयजल में बदला जा सके और उसके लिए कोई तंत्र और प्रौद्योगिकी तैयार की जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री रामानन्द यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा है कि गांवों में गड़े हुए पंप खराब हो जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सारी रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, हम पैसा भेजते हैं और मानेटरिंग करते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट मानेटरिंग करती है, समय समय पर इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, छानबीन करते हैं, मानेटरिंग की रिपोर्ट जब मिलती है तो उस पर भी विचार करते हैं, हमारे आफिसर्स भी स्टेट्स में जाते हैं और जाकर पूरी स्टेट में फंक्शनिंग को देखते हैं, आई.आर. डी. पी. की, एन.आर. ई. पी. की आर. एल. ई. जी. पी. की, सभी को एक-एक करके देखते हैं, आन दी स्पाट हम कोशिश करते हैं आफिसर्स भी कोशिश करते हैं फील्ड में जाकर कि रूरल डेवलपमेंट के जो आन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, उन पर ठीक से काम हो रहा है, या नहीं हो रहा है, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट हैं, वे ठीक हैं या नहीं, पंप के लिए जो गाइड लाइन्स दी गई हैं, उनके अनुसार हुआ है या नहीं, पंप आदिवासी और हरिजन इलाके में होने चाहिए, वे हैं या नहीं, इन सारी बातों की हम मानेटरिंग करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दूरी के बारे में विवरण कोई समस्या नहीं है। जो कुछ वह कह रहे हैं वह यह है कि आप मंजूरी दे रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने पंप के रख-रखाव के बारे में प्रश्न किया है। उनका उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। उन्हें बदला नहीं गया है। कुछ समस्याएं आएंगी। कभी-कभी वे 300 फुट कहते हैं परन्तु वास्तव में वे ठेकेदार 200 फुट ही खोदता है।

श्री रामानन्द यादव : मैं मानता हूं। परन्तु सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं कि पम्प ठीक तरह से लगाये जाएं .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कह रहे हैं कि आप निगरानी रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द यादव : हम तो मानीटरिंग करते हैं और राज्य सरकारों को लिखकर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने वे मामले देखे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द यादव : ये सदस्य लोग डी०आर०डी०ए० के मैम्बर हैं। हैन्ड पम्प या ट्यूबवैल कहां पर लगाया जायेगा, यह सब डी०आर०डी०ए० की मीटिंग में तय होता है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मीटिंग नहीं होती है।

श्री रामानन्द यादव : हमने तो राज्य सरकारों को पहले से ही गाइड-लाइन दे रखी है। हम क्या करें। हमने एम. पीज. को इस कमेटी का सदस्य बनाने के लिए कहा है। कई सरकारों ने बनाया है। इनकी भी तो जिम्मेदारी है। ये भी तो देखें। हम तो यहां से सरकार को ही लिखेंगे। इनको अपने क्षेत्र में देखना चाहिये कि कहां-कहां पर खराबी है। यह बात सही है कि इस तरह की धांधली होती है मार्क-2 नम्बर का पम्प गाड़ने के लिए कहा जाता है तो वे किसी और नम्बर का गाड़ देते हैं। अधिक जमीन के अन्दर गाड़ने के लिए कहा जाता है तो कम जमीन में ही गाड़कर चले जाते हैं। इससे हैन्ड पम्प खराब हो जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन लोगों को मार्गनिदेश दे सकते हैं। जब ठेकेदार बोर-वेल, लगा रहा हो तो उससे एक अथवा दो वर्ष तक पानी की गारंटी लें। यदि ठेके की राशि 25,000 रुपये अथवा 30,000 रुपये अदा की जानी है तो ठेकेदार को एक या दो वर्ष तक पानी आने की गारंटी देनी चाहिये। अन्यथा वे पम्प लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जायेंगे अतः कुछ मार्गनिर्देश दिये जाने चाहिये और उससे आश्वासन प्राप्त करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द यादव : रूरल वाटर प्रोग्राम के अन्तर्गत जो पैसे हम लोग देते हैं, उसमें से दस परसेंट मैन्टीनेंस पर खर्च करने के लिए देते हैं ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहली बार में, कुछ सप्ताहों के लिए, उनके लगाये पम्पों से पानी आता है। परन्तु एक महीने अथवा उसके बाद वे सूख जाते हैं। अतः, ठेकेदार से इस संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिये।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : उनके पास कोई उपकरण अथवा सहाय्य सामान आदि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात को नोट कर लिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द यादव : मैं आग्रह करूंगा अपने माननीय सदस्यों कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर बात करें तो अच्छा होगा । इम्पलीमेंटेशन अथारिटी तो वे ही हैं । हम लोग पैसे देते हैं । मानिटरिंग करते हैं और समय-समय पर पत्र लिखते हैं । जैसा कि डा० साहब ने कहा, मैं हर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर का ध्यान भी आकर्षित करता हूँ । कभी-कभी ऐसा होता है कि रिप्लाई बड़ा गजब का आता है ····(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : हम यही जानना चाहते थे ।

श्री रामानन्द यादव : आप भी तो अपना रोल अदा कीजिए । डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में जाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं हम कैसे जायेंगे । आपको वहां जाना चाहिए ।····(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : मीटिंग नहीं होती है ।

श्री रामानन्द यादव : मीटिंग होती है, ऐसी बात नहीं है । यह डायरेक्शन्स हैं कि पार्लियामेंट सैशन के वक्त न करें । अगर सैशन के वक्त मीटिंग करनी है तो सैटरडे को करें ताकि माननीय सदस्य फाइडे इवनिंग को चले जाएं, और सन्डे तक यहां आ जाएं····(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप मुझे हाऊस में जवाब दें कि पिछले एक या दो साल में मधुबनी जिले में कितनी बार मीटिंग हुई । ···(व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : बिहार गवर्नमेंट ठीक से कार्य कर रही है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है ।····(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप हाऊस में जवाब दीजिए ····(व्यवधान)

7.00 **म०प०**

श्री रामानन्द यादव : दस परसेंट इन सब बातों को देखकर दिया है कि हैन्ड पम्प खराब पडा रहता है, रिपेयर नहीं होता है छोटे से इन्स्ट्रूमेंट की वजह से, अगर छोटा सा पुर्जा आ जाए तो वह ठीक हो सकता है । अधिकारियों को भी हमने स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कहा है । वह अपने अधिकारियों को कहें कि गांव में कोइ पढी लिखी महिला हो उसको नियुक्त कर दें और उसके माध्यम से पम्प के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपें और कुछ पैसा उसको दे दें ताकि जो छोटे-मोटे पुर्जे खराब होते हैं, जैसे कील निकल जाए तो पम्प में पानी नहीं आता, उसकी मरम्मत वह करा सके या पंचायत को जिम्मेदारी दी जाये । हम लोगों ने अपने सुझाव राज्य सरकारों को दिये हैं और इसके लिए 10% एलोकेशन भी कर दिया है । लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम चेष्टा करते हैं ताकि लोग समझें कि यह हमारी जिम्मेदारी है । यह भी देखा गया है कि स्कूल में जो कम्पाउंड है उसमें लगा पम्प खराब हो गया तो अध्यापक सोचता है कि गांव वाले इसे ठीक कराएं । इसके लिए हमने एवेयरनेस मूवमेंट चलाया है ताकि लोगों को लगे कि यह हमारी जिम्मेदारी है ।

कभी-कभी ऐसा होता है कि पम्प का हैंड या पाइप को उखाड़कर लोग दूसरी जगह ले जाते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करें।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : इतने कमिशन बैठाये, लेकिन लाभ क्या हुआ ?

श्री रामानन्द यादव : डाक्टर साहब मेरी बात सुन लें। कमिशन चाहे टेक्नोलोजी मिशन हो या मिनी मिशन इनकी काफी उपलब्धि रही है ···

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : इतने इन्स्टीट्यूशन बनाये हैं इनकी एचीवमेंट क्या है हमें तो दिखाई नहीं देती।

डा० गौरी शंकर राजहंस : ठीक है आपका जवाब, हमें राष्ट्रपति भवन जाना है।

श्री रामानन्द यादव : जो हम इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हैं वह रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, एक प्रतिष्ठित संस्थान है···जैसे बिहार में ललित नारायण संस्थान है। हम इनको अंगेज किये हुए हैं और उनकी रिपोर्ट लाभप्रद है। हमारे 29 संस्थान हैं जो इस प्रकार की छानबीन करते हैं और हमें खबर देते हैं। उत्तर बिहार के बारे में जैसा डाक्टर साहब ने कहा। इनको मालूम होना चाहिये कि आजादी के बाद बहुत बड़ी-बड़ी समस्यायें हल हो गई हैं। हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। आप कुछ पता करें तो अच्छा होगा। उत्तर बिहार के अन्दर जब बाढ़ आती है तो वहां समस्या उत्पन्न हो जाती है कुओं के पानी का स्तर ऊपर हो जाता है और वह गन्दा हो जाता है। वहां पाइप में भी बाढ़ के समय पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है और पीने के लायक नहीं रहता, वहां पानी की किल्लत रहती है। गर्मियों के दिनों में कुओं का पानी सूख जाता है··· गर्मियों में पानी का लेविल नीचे चला जाता है, कुएं सूख जाते है, गंदा पानी आता है, तरह तरह की बीमारियां जैसे कोलरा है, फैलती हैं। इन सब दिक्कतों के लिए, पानी को ट्रीट करने के लिए जिला परिषद के पास पहले निधि रहती थी और वे उसी से पानी को ट्रीट कर लिया करते थे, आज हमारा अधिकारी वर्ग कुएं के पानी को ट्रीट करने की व्यवस्था करता है। मेरे ख्याल से नौर्थ बिहार में सबसे अधिक ट्यूबवैल लगे हैं क्योंकि वहां अच्छे सम्पन्न लोग भी हैं और वहां ईजीली पम्प लग जाता है, मिट्टी अच्छी है, उसमें विशेष खुदाई नहीं करनी पड़ती और रिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नोर्थ बिहार में समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी साउथ बिहार में हैं। निश्चित रूप में, साउथ बिहार में स्थिति कठिन और जटिल है और वहां कई जगह तो रिंग भी काम नहीं करते हैं, मैंने खुद देखा है। वहां लोगों को तीन-तीन और चार-चार या 6 मील से सिर पर पानी ढोकर लाना पड़ता है, उन्होंने वहां टिन के डिब्बों को दोनों तरफ बांध कर कंवर जैसी बनायी होती है और वे दूर से पानी लाने में उसको काम में लाते हैं। जो सम्पन्न हैं और वैभवशाली हैं, उन्होंने इस काम के लिए आदमी अप्वाइन्ट किए हुए हैं। सरकार सब कुछ जानती है और उसके पास जितनी निधि है, उसमें से ही आवंटित करती है। सरकार फिर भी पानी की समस्या से पूरी तरह अवगत है, जागरूक है और समाधान हेतु सचेत है, पूरी कोशिश कर रही है और आगे भी करेगी। यही कारण है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी के इस संबंध में कड़े आदेश हैं और उन्होंने इस दिशा में काफी धन उपलब्ध कराया है और जितने साइंटिफिक इंसटीट्यूशन्स हैं, जो अपना रोल टेक्नोलोजिकल मिशन को एसिस्ट करने में लगाने वाले हैं, उन सब

को आदेश दिए गए हैं कि वे मिनी मिशन और टैक्नोलौजिकल मिशन की सहायता करें ताकि पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल खोजा जा सके। फिर भी कई ऐसी समस्यायें हैं, कहीं पानी दूर मिलता है, कहीं खारा होता है, खराब होता है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं पानी का लेवल नीचा हो गया है, कहीं पानी से बीमारियां फैल जाती हैं, कहीं सैलाइन वाटर है, इन सब समस्याओं को हम एक-एक करके हल कर रहे हैं। अभी यहां पर कोस्टल प्लान की चर्चा भी की गयी, उस पर भी मिनि मिशन के लोग छानबीन करेंगे कि वहां पानी को कैसे ट्रीट किया जाए। वे इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देंगे और यह मिनी मिशन का फंक्शन है। जब हमें एक जगह कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो उसका लाभ हम दूसरे क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान हेतु उठायेंगे, एप्लाई करेंगे। केवल मिनी मिशन से ही पानी की समस्या हल होने वाली नहीं है, पानी की समस्या को हल करने के लिए दूसरे कार्यक्रम हैं और यह भी चलता रहेगा। सारे स्टेट के लिए हमने बाड़मेर में एक मिनि मिशन बनाया है और उसकी जो उपलब्धि होगी, वह जो छानबीन करेगा, तरीके अपनायेगा, उनका लाभ हम दूसरी जगह उठायेंगे और दूसरे स्थानों पर पानी की समस्या हल करेंगे। जैसा यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी एक मिनी मिशन कायम कर दिया जाए, एक ही क्षेत्र काफी है वहां के लिए, क्योंकि उसका काम बन्द नहीं होगा। फिर कोई खास एलोकेशन इसके लिए नहीं की जातीं, सिर्फ दो करोड़ रुपया मिलता है जिसमें वह छानबीन का काम करता है, और भी एक तरह से वह एसिस्ट कर रहा है कि सारे स्टेट की समस्या को हल किया जाए। वह जो छानबीन के पश्चात् तौर तरीके बतायेगा उसको हम दूसरी जगहों पर एप्लाई करेंगे, उनका लाभ उठायेंगे। बाड़मेर की उपलब्धि से हम दूसरी जगहों की समस्या भी हल करेंगे।

गोआ के एक माननीय सदस्य ने इन्टर स्टेट रिवर की चर्चा की। चूंकि यह मामला दो स्टेटों के बीच का है, इसलिए मैं उस पर कुछ कहना उचित नहीं समझता। क्योंकि यह बड़े स्तर का मामला है, इन्टरस्टेट प्रश्न है। खुद गोआ स्टेट को कर्नाटक से बात करनी चाहिए और माननीय सदस्य को चाहिए कि वे अपनी सरकार को पहल के लिये कहें। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि गोआ को 10 करोड़ रुपया दिया जाए, इस विषय में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु गोआ में पीने के पानी की जो समस्या है, उसकी ओर भी भारत सरकार का पूरा ध्यान है और मैं अपने सैक्रेटरी को इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए गोआ भेजूंगा। इसके अलावा हमने वहां के लिए एक कार्यक्रम भी बनाया है, प्लान भी बनाया है। अप्रैल के महीने में, मैं गोवा जाऊंगा और पानी की समस्या को देखूंगा और जो पैसा देते हैं उसका सदुपयोग होता है या नहीं, यह भी देखूंगा।

मान्यवर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक स्टेट ऐसी है जहां पीने के पानी की किल्लत है उसको हमने पैसा भी दिया है लेकिन उस पैसे को वह स्टेट खर्च भी नहीं कर पाई है। माननीय सदस्य कहें, तो मैं उस स्टेट का नाम भी बता सकता हूं। मैं समझता हूं कि नाम बताना ठीक नहीं है। पानी के लिए पैसा दिया है, लेकिन पैसा खर्च नहीं किया है। वहां पर लोग पानी की किल्लत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं।

मान्यवर, सारा इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के ऊपर है। लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाए इसके लिए हम मानिटरिंग भी करते हैं और इवैल्यूशन भी कराते हैं और समय-समय पर गाइड-लाइन्स भी देते हैं। अतः हम आशा करते हैं राज्य सरकारें निश्चित रूप से इस दिशा में काफी प्रयास करेंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

7.11 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 26 मार्च, 1987/5 चैत्र, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली–92

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 25 मार्च, 1987/4 चैत्र, 1909 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 6, "आर" के स्थान पर "और" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 13, "65वां प्रतिवेदन" के स्थान पर "66वां प्रतिवेदन" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 15, "72वां प्रतिवेदन" के स्थान पर "17वां प्रतिवेदन" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 5, "आवश्यकता" के स्थान पर "मांग" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 8, "श्री कृष्ण राव" के स्थान पर "श्री वी0कृष्ण राव" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 2, "मानवीय" के स्थान पर "मानव" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 13, "श्रीमती किशोरी सिन्हा" के स्थान पर "श्रीमती किशोरी सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 9, "(ग)" के स्थान पर "घ" पढ़िये।

पृष्ठ 49, नीचे से पंक्ति 7, "कल्याण" से पहले "(क)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 50, नीचे से पंक्ति 5, "4।40" के बाद "श्री" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 108, नीचे से पंक्ति 2, "वनारोपण" के स्थान पर "वनरोपण" पढ़िये।

पृष्ठ 137, नीचे से पंक्ति 10, "जी, नहीं" से पहले "(क)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 138, पंक्ति 13, "सोपटवेयर" के स्थान पर "साफ्टवेयर" पढ़िये।

पृष्ठ 139, पंक्ति 12, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 165, पंक्ति 13, "। 87-88" के स्थान पर "1987-88" पढ़िये।

पृष्ठ 172, नीचे से पंक्ति 6, "इकाइकों" के स्थान पर "इकाइयों" पढ़िये।

पृष्ठ 173, पंक्ति 15, "उपाध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।